उत्तर प्रदेश

वार्षिक
१९६३

सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश वार्षिक

१९६३

सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश

लखनऊ

विषय-प्रवेश

भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश ने देश की संस्कृति को महत्त्वपूर्ण योगदान किया है। प्राचीन काल से ही यह शक्तिशाली साम्राज्यों का केन्द्र रहा है। कला, साहित्य, धर्म और दर्शन तथा सामाजिक एवं बौद्धिक जीवन के क्षेत्रों में इसने शानदार परम्पराएँ कायम की हैं। यह राज्य प्राकृतिक सौन्दर्य और दस्तकारियों के लिए भी प्रसिद्ध है। यह सदा फिरका-परस्ती और संकीर्णता से दूर रहा है तथा सांस्कृतिक समन्वय तो इसे जैसे विरासत में मिला है। सम्भवतः ग्रहण करने वाली क्षमता और उदारता ने ही उत्तर प्रदेश की संस्कृति को सशक्त और विराट रूप दिया है।

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद इस राज्य ने रचनात्मक कार्य के क्षेत्र में भी सबसे पहले कदम उठाया। सरकार की योजनाओं और कार्य-कलाप से शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में एक नवीन क्रान्ति का सूत्रपात हुआ है। १६ वर्ष की स्वतन्त्रता ने जनता में एक नयी चेतना और भविष्य के प्रति एक नयी आस्था उत्पन्न की है।

इस पुस्तक में उत्तर प्रदेश के इतिहास, संस्कृति तथा विकास-कार्यों की एक झलक देने का प्रयत्न किया गया है। पुस्तक का प्रथम खण्ड राज्य की भूमि, निवासियों तथा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठ-भूमि से सम्बन्धित है। दूसरे खंड में विकास-कार्यों का विवरण दिया गया है। इस खंड में दिये गये आँकड़े वर्ष १९६३ से सम्बन्धित हैं।

विषय-सूची

भूमि और निवासी

उत्तर प्रदेश भारत में २३.५२° और ३१.१८° उत्तरी अक्षांश और ७७.३° तथा ८४.३८° पूर्वी देशान्तर के बीच स्थित है। इसके उत्तर में नेपाल और तिव्बत, दक्षिण में मध्य प्रदेश, पूर्व में बिहार और पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, पूर्वी पंजाव तथा दिल्ली हैं। राज्य का क्षेत्रफल १,१३,४२२ वर्गमील है। १९६१ की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या ७३७.५ लाख है।

भौगोलिक दृष्टि से राज्य को ४ क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है:—

१. हिमालय का क्षेत्र
२. तराई का क्षेत्र
३. गंगा नदी का मैदान
४. दक्षिणी पठार

हिमालय का क्षेत्र

इस राज्य का उत्तरी भाग हिमालय की पर्वत-श्रेणियों से आवृत है। हिमालय की दो प्रसिद्ध चोटियाँ त्रिशूल और नन्दादेवी इसी राज्य में हैं। इन पर्वत-श्रेणियों से ही गंगा और यमुना जैसी नदियाँ निकलती हैं। केदारनाथ और बदरीनाथ जैसे प्रसिद्ध तीर्थ और मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत जैसे रमणीक दर्शनीय स्थल इसी क्षेत्र में हैं। हिमालय की ये श्रेणियाँ राज्य की जलवायु और तापमान पर भी अपना प्रभाव डालती हैं।

तराई

हिमालय की पर्वत-श्रेणियों के दक्षिण में स्थित प्रदेश के तराई क्षेत्र की जमीन दलदली और पानी लगने वाली है। कुछ वर्ष पूर्व तक यह क्षेत्र वीरान था। यहाँ की जलवायु खराब थी और जनसंख्या बहुत कम थी। यहाँ हर वर्ष मलेरिया फैला करता था। किन्तु आजादी के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने तराई क्षेत्र के विकास के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम अपनाया जिसके अन्तर्गत १,०८,००० एकड़ भूमि कृषि-योग्य वनायी जा चुकी है और बहुत से परिवार इस क्षेत्र में बसाये जा चुके हैं। तराई क्षेत्र में पीने के पानी की सुविधा सरकार ने लोगों को उपलब्ध कर दी है। तराई में एक बड़ा फार्म खोला जा चुका है जिसका प्रबन्ध सरकार स्वयं

करती है। तराई क्षेत्र में फलों का बाग लगाने का कार्य भी व्यापक रूप से किया जा रहा है।

गंगा नदी का मैदान

उत्तर प्रदेश का एक बड़ा भाग गंगा नदी के मैदान में पड़ता है। यह गंगा, यमुना और उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र है। इस मैदान के उत्तरी भाग में गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, सरयू, घाघरा और राप्ती तथा दक्षिणी भाग में चम्बल, बेतवा, टोंस, सोन आदि नदियाँ, जो गंगा और यमुना में ही मिलती हैं, प्रवाहित होती हैं। यह पूरा क्षेत्र बहुत उपजाऊ है। यही कारण है कि यह कृषि-प्रधान और घनी आबादी वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में अनेक नहरें भी हैं। सरकार ने पंचवर्षीय आयोजनाओं द्वारा सिंचाई-सुविधाओं का विस्तार किया है, जिसके फलस्वरूप इस क्षेत्र का उत्पादन बढ़ा है।

दक्षिणी पठार

राज्य का दक्षिणी भाग पठारी है अतः यहाँ का कृषि-उत्पादन भी कम है। विंध्य और कैमूर पर्वत-श्रेणियों के इस क्षेत्र में वर्षा भी बहुत कम होती है। दस वर्ष पूर्व तो यहाँ की बहुत थोड़ी भूमि खेती के योग्य थी। किन्तु अब विकास योजनाओं के फलस्वरूप यह क्षेत्र काफी उन्नत हो चुका है। बाँधों और जलाशयों के निर्माण से यहाँ हजारों एकड़ भूमि को सिंचाई की सुविधा मिल गयी है।

जलवायु और वर्षा

उत्तर प्रदेश में अनेक प्रकार की जलवायु पायी जाती है। ग्रीष्म काल में यहाँ लू चलती है तथा भीषण गरमी पड़ती है। जाड़े में यहाँ भयंकर सर्दी पड़ती है और वर्षा जून से अक्तूबर के मध्य तक होती है। राज्य में जाड़े में भी कभी-कभी वर्षा हो जाती है। यहाँ सर्वाधिक वर्षा नैनीताल, अल्मोड़ा, गढ़वाल और देहरादून में होती है। इन जिलों के बाद वर्षा की दृष्टि से तराई और मैदान के क्षेत्र आते हैं। सबसे कम वर्षा दक्षिणी पठारी क्षेत्र एवं बुन्देलखण्ड में होती है। राज्य की मुख्य वेधशाला नैनीताल में है।

क्षेत्रफल और जनसंख्या

क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का तीसरा बड़ा राज्य है। इसका क्षेत्रफल १,१३,४२२ वर्गमील है। यह देश का सबसे घनी आबादी वाला राज्य

भी है। इसकी जनसंख्या सन् १९६१ की जनगणना के अनुसार ७ करोड़, ३७ लाख ५० हजार है। राज्य के ८६.३ प्रतिशत लोग गाँवों में और १३.७ प्रतिशत शहरों में रहते हैं। प्रदेश में लगभग १,११,७१२ गाँव हैं, जिनकी जनसंख्या ५,४५,९०,०४३ है। प्रदेश के निवासियों में ३,३०,९८,८६८ पुरुष और ३,०१,१६,८७६ स्त्रियाँ हैं। जनसंख्या का प्रति वर्गमील घनत्व ५५७ है। सर्वाधिक घनत्व लखनऊ जिले में है।

उत्तर प्रदेश की जनसंख्या पिछले वर्षों में बहुत तेजी से बढ़ी है। सन् १९५१ से अब तक राज्य की जनसंख्या में १६.७ प्रतिशत की वृद्धि हो चुकी है।

कृषि-उपज

जहाँ तक खेती का प्रश्न है राज्य में अनेक प्रकार की चीजें पैदा होती हैं। यहाँ की दो मुख्य फसलें हैं—रबी और खरीफ। प्रदेश में गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, दाल और मोटे अनाज पैदा किये जाते हैं। गन्ना यहाँ की मुख्य उपज है। देश में तैयार होने वाली कुल चीनी का ५० प्रतिशत यहाँ बनाया जाता है। राज्य में तिलहन, कपास और जूट भी उत्पन्न होता है।

वन

राज्य के वनों का पुनरुद्धार किया जा रहा है। वनों में औद्योगिक महत्व के पेड़ लगाये जा रहे हैं तथा वन-उपज की अभिवृद्धि के लिए हर सम्भव प्रयत्न हो रहा है।

भाषा और बोलियाँ

राज्य की मुख्य भाषा हिन्दी है। १९६१ की जनगणना के अनुसार प्रदेश के ७९.८ प्रतिशत लोग हिन्दी बोलते हैं। प्रदेश की राज-भाषा भी हिन्दी है। यहाँ की मुख्य बोलियाँ हैं खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी, भोजपुरी और बुन्देलखंडी।

प्रशासनिक इकाइयाँ

प्रशासन की दृष्टि से सम्पूर्ण प्रदेश ५४ जिलों में बँटा है। ये जिले २३३ तहसीलों में विभक्त हैं।

प्रमुख शहर

उत्तर प्रदेश में अनेक महत्वपूर्ण और बड़े शहर हैं। राज्य के ३० बड़े शहरों में से १६ की जनसंख्या एक लाख से अधिक है जैसा कि आगे की तालिका से प्रकट है :—

शहर	जनसंख्या	शहर	जनसंख्या
कानपुर	७,०५,३३०	सहारनपुर	१,४८,४३५
लखनऊ	४,९६,८६१	देहरादून	१,४४,२१६
आगरा	३,७५,६६५	अलीगढ़	१,४१,६१८
वाराणसी	३,५५,७७७	रामपुर	१,३४,२७७
इलाहाबाद	३,३२,२९५	गोरखपुर	१,३२,४३६
मेरठ	२,३३,१८३	झाँसी	१,२७,३६५
बरेली	२,०८,०८३	मथुरा	१,०५,७७३
मरादाबाद	१,६१,८५४	शाहजहाँपुर	१,०४,८३५

वन्य जीवन

जनसंख्या बढ़ने और भूमि पर उत्तरोत्तर अधिक दबाव पड़ने का प्रदेश के वन्य जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ा है। वन्य जीवन के विकास के लिए अब ठोस प्रयत्न किये जा रहे हैं। प्रदेश में दो पशु-विहार खोले जा चुके हैं। कार्बेट नेशनल पार्क और चन्द्रप्रभा नामक पशु-विहारों में वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए सरकार हर संभव उपाय कर रही है।

शासन-तंत्र

भारतीय संविधान की व्यवस्था के अनुसार उत्तर प्रदेश के विधान मण्डल में दो सदन हैं। एक सदन विधान-सभा कहलाता है और दूसरा विधान-परिषद्। वर्तमान विधान-सभा की सदस्य-संख्या ४३१ है, जिसमें से ८९ स्थान परिगणित जातियों के लिए सुरक्षित हैं। एक ऐंग्लो इण्डियन नामजद किया जाता है। एक सदस्य वाले निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या २५२ और द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या ८९ है।

वर्तमान विधान-परिषद् में १०८ सदस्य हैं। इनमें से ३६ स्थानीय संस्थाओं द्वारा, ९ स्नातकों द्वारा, ९ अध्यापकों और ३६ विधान सभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। १८ सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार प्रति दूसरे वर्ष एक-तिहाई सदस्यों का कार्य-काल समाप्त हो जाता है और उनके स्थान पर नये सदस्य निर्वाचित होते हैं।

मंत्रिमंडल अपने कार्यों के लिए विधान मण्डल के प्रति उत्तरदायी है। विधान मण्डल उसके कार्यों की आलोचना और उनके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास कर सकता है। विधान मण्डल राज्य-सरकार के वार्षिक आय-व्यय के सम्बन्ध में अपनी स्वीकृति देता है और शासन की सुविधा के लिए विधेयक पारित करता है। विधान मण्डल द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल अपनी स्वीकृति देते हैं। राज्यपाल स्वयं आर्डिनेन्स (अध्यादेश) निकाल सकते हैं, जिसकी अवधि अधिक से अधिक ६ मास की होती है। स्थायी कानून केवल विधान मण्डल ही बना सकता है।

शासन की सुविधा के लिए सम्पूर्ण राज्य ११ कमिश्नरियों में बँटा हुआ है। इन कमिश्नरियों के नाम हैं--आगरा, मेरठ, रुहेलखण्ड, कुमायूँ, उत्तराखण्ड, लखनऊ, फैजाबाद, गोरखपुर, वाराणसी, इलाहाबाद और झाँसी। कमिश्नरियाँ जिलों में बँटी हुई हैं। उत्तर प्रदेश में ५४ जिले ह, जो इस प्रकार हैं--देहरादून, सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलन्दशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, मैनपुरी, एटा, बरेली, बिजनौर, बदायूँ, मुरादाबाद, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, फर्रुखाबाद, इटावा, कानपुर, फतेहपुर, इलाहाबाद, झाँसी, जालौन, हमीरपुर, बाँदा, वाराणसी, मिर्जापुर, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, आज़मगढ़, नैनीताल, अल्मोड़ा, गढ़वाल, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई,

खीरी, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी, रामपुर, टिहरी (गढ़वाल), उत्तरकाशी, चमोली और पिठौरागढ़।

जिले का प्रबन्ध जिलाधीश करता है। जिले तहसीलों में बँटे हुए हैं। प्रत्येक तहसील में एक-एक तहसीलदार और नायब तहसीलदार होते हैं। तहसीलों के अन्तर्गत परगने और इनके अन्तर्गत गाँव होते हैं।

राज्य में शान्ति-व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस विभाग है। इसका प्रधान अधिकारी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस कहलाता है। शान्ति-व्यवस्था की सुविधा के लिए यह राज्य कई भागों में (रेंजों) में बँटा हुआ है। प्रत्येक रेंज का उच्च अधिकारी डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल कहलाता है। प्रत्येक जिले में एक पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट होता है। इसकी सहायता के लिए डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट होते हैं। जिला कई सर्किलों में बाँटा गया है, जिसका अधिकारी एक सर्किल इंस्पेक्टर होता है। एक सर्किल में कई थाने होते हैं। थाने का इंचार्ज एक सब-इंस्पेक्टर होता है। थाने में एक हेड कांस्टेबिल और कई कांस्टेबिल होते हैं।

राज्य का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में है, जिसकी एक बेंच लखनऊ में भी है। न्यायालय का सबसे बड़ा अधिकारी मुख्य न्यायाधीश है, जिसकी सहायता के लिए कई न्यायाधीश हैं। उच्च न्यायालय में डिस्ट्रिक्ट तथा सेशन जज के यहाँ की अपीलें सुनी जाती हैं। नीचे की अदालतें मुंसिफी और खफीफा (स्मॉल कॉज-कोर्ट) हैं। मुंसिफी अदालत के ऊपर क्रमशः सिविल जज, डिस्ट्रिक्ट जज और डिस्ट्रिक्ट ऐण्ड सेशन जज होते हैं। राज्य में न्यायपालिका और कार्यपालिका के कार्यों के पृथक्करण की योजना २० जिलों में लागू है। इन जिलों के नाम हैं—उन्नाव, बुलन्दशहर, मैनपुरी, मथुरा, शाहजहाँपुर, फर्रुखाबाद, झाँसी, बहराइच, सीतापुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, बिजनौर, बदायूँ, मुरादाबाद, फतेहपुर, लखनऊ, रायबरेली, गोंडा, एटा और जालौन।

ग्रामवासियों को न्याय सरलता और सुगमतापूर्वक प्राप्त हो और साथ ही उसकी पेचीदगियाँ भी कम हों, इस उद्देश्य से पंचायती अदालतों की स्थापना की गयी है। पंचायती अदालतों को दीवानी, फौजदारी और माल के छोटे-छोटे मामलों को निपटाने का अधिकार है।

उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जेल अधिकारी इन्स्पेक्टर जनरल आफ प्रिजन्स है। राज्य के प्रत्येक जिले में एक जिला जेल और कमिश्नरी में केन्द्रीय जेल है। केन्द्रीय जेल का अध्यक्ष एक सुपरिण्टेण्डेण्ट होता है। प्रत्येक जेल में एक जेलर, डिप्टी जेलर, वार्डर और नम्बरदार आदि होते हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार

राज्यपाल—श्री विश्वनाथ दास

मंत्री

१—श्रीमती सुचेता कृपालानी—मुख्य मंत्री, सामान्य प्रशासन, नियोजन, उद्योग (लघु एवं ग्राम उद्योग सहित), सूचना, अर्थ एवं संख्या तथा राज्य सम्पत्ति

२—श्री हुकुम सिंह विसेन—राजस्व मंत्री, राजस्व, अभाव पूर्ति

३—श्री गिरधारी लाल—सिंचाई मंत्री, सिंचाई एवं विद्युत्

४—श्री चरण सिंह—कृषि मंत्री, कृषि, पशुपालन, मत्स्य एवं वन

५—श्री अली जहीर—न्याय मंत्री, न्याय, विधि निर्माण तथा वक्फ

६—श्री कमलापति त्रिपाठी—वित्त मंत्री, वित्त, बिक्री-कर, धर्मादा एवं श्री बदरीनाथ मंदिर

७—श्री हरगोविन्द सिंह—गृह मंत्री, गृह, नागरिक सुरक्षा, होमगार्ड

८—श्री मुजफ्फर हसन—परिवहन मंत्री, परिवहन, पर्यटन तथा राजनीतिक पेंशन

९—श्री राममूर्ति—सामुदायिक विकास मंत्री, सामुदायिक विकास, पंचायती राज (गाँव पंचायतें, जिला परिषद् और क्षेत्र समितियाँ), प्रान्तीय रक्षा दल

१०—श्री चतुर्भुज शर्मा—स्वशासन मंत्री, जेल, स्थानीय निकाय, नगरपालिकाएँ तथा गृह-निर्माण

११—श्री जगमोहनसिंह नेगी—रसद मंत्री, खाद्य एवं नागरिक पूर्ति

१२—डा० सीताराम—समाज कल्याण मंत्री, समाज कल्याण (बाल अपराध सहित), हरिजन कल्याण, गन्ना विकास, सहायता तथा पुनर्वास एवं वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सांस्कृतिक कार्य

१३—श्री दाऊदयाल खन्ना—स्वास्थ्य मंत्री, चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य, आबकारी

१४—श्री बनारसी दास—सहकारिता मंत्री, सहकारिता, श्रम तथा संसदीय कार्य

१५—श्री कैलाश प्रकाश—शिक्षा मंत्री

१६—श्री जगनप्रसाद रावत—सार्वजनिक निर्माण मंत्री

उप मंत्री

१—श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—गन्ना-मार्केटिंग एवं गुड़ विकास, सूचना तथा विद्युत्

२—श्री बल्देव सिंह आर्य—कृषि एवं वन

३—श्री जयराम वर्मा—न्याय, व्यवस्थापिका एवं वित्त

४—डा० रामनारायण पाण्डेय—चिकित्सा एवं शिक्षा

५—श्री शिवप्रसाद गुप्त—उद्योग एवं गृह

सभा सचिव

१—श्रीमती तारा अग्रवाल—स्वशासन मंत्री एवं समाज कल्याण मंत्री से संबद्ध

२—श्री हरिदत्त कांडपाल—खाद्य एवं रसद मंत्री से सम्बद्ध

३—श्री अजयकुमार बसु—सिंचाई मंत्री एवं सार्वजनिक निर्माण मंत्री से संबद्ध

४—श्री बंशीधर पाण्डेय—मुख्य मंत्री एवं सामुदायिक विकास मंत्री से संबद्ध

५—श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह—सामुदायिक विकास मंत्री एवं सहकारिता मंत्री से संबद्ध

६—श्री रामकुमार शास्त्री—राजस्व मंत्री से संबद्ध

(३१ मार्च, १९६४ तक संशोधित)

उत्तर प्रदेश विधान परिषद

सभापति—श्री रघुनाथ विनायक धुलेकर

उपसभापति—श्री निजामुद्दीन

सदस्य

मौलाना अब्दुर्रऊफ खां, श्री अहसान उल्ला, श्री अजयकुमार बसु, डा० ए० जे० फरीदी, श्री अलगू राय शास्त्री, श्री बंशीधर शुक्ल, श्री बनवारी लाल, श्रीमती बेगम मोहसिना खलील किदवई, श्री विन्ध्याचल राय, श्री ब्रह्मदेव मिश्र, श्री ब्रजपाल शरण रस्तोगी, चौधरी शिवनाथ् सिंह, श्री चिरंजीलाल पालीवाल, श्री सी० एम० सुखिया, श्री दरबारी लाल शर्मा, श्रीमती दयावती, श्री दीनदयालु शास्त्री, श्री दीप नारायण वर्मा, श्री देवेन्द्र स्वरूप, श्री गणेशदत्त पालीवाल, श्री गेंदलाल, श्री ग़ोपाल नारायण सक्सेना, श्री गोपीनाथ सिंह, ठाकुर हरगोविन्द सिंह, श्री हनुमान प्रसाद पाण्डेय, श्री हरचरन अग्रवाल, श्री हरिकृष्ण अवस्थी, श्री हयातुल्ला अन्सारी, श्री हृदयनारायण सिंह, श्री हेमन्तपत सिंघानिया, श्री इशाक सम्भली, डा० ईश्वरी प्रसाद, श्री जगन्नाथ आचार्य, श्री जगन्नाथ सिंह, श्री कैलाश प्रकाश, श्री कालका प्रसाद भटनागर, श्री कन्हैयालाल गुप्त, डा० के० एन० गैरोला, श्री केशवदत्त, खानबहादुर मोहम्मद एजाज हुसेन, श्री खुशाल सिंह, श्री कृष्णदेव प्रसाद गौड़, श्रीमती कुदसिया बेगम (बेगम एजाज रसूल),

कुँवर देवेन्द्र प्रताप सिंह, कुँवर गुरु नारायण, कुँवर ज्योति प्रसाद, कुँवर महावीर सिंह, लाल सुरेश सिंह, श्री लक्ष्मण सिंह अधिकारी, श्री मदन मोहन, श्री मदन मोहन लाल, श्री महाराज सिंह भारती, श्री महाराज सिंह, श्रीमती माया चौधरी, श्री मोहम्मद शाहिद फाखरी, डा० एम० पी० मेहरे, श्री मुखतार अहमद किदवई, श्री नाथूराम, श्री नवल किशोर गुरुदेव, श्री नवाब सिंह यादव, श्री निर्मलचन्द्र चतुर्वेदी, श्री निजामुद्दीन, श्री पीताम्बरदास, श्रीमती प्रभा शोम, श्री प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन, श्री प्यारे लाल गुप्त, श्री रवीन्द्रनाथ सान्याल, श्री रघुनाथ विनायक धुलेकर, श्री राजाराम पाण्डेय, श्री राजाराम शास्त्री, श्री राजेन्द्र पाल सिंह, पं० रामाज्ञा पाण्डेय, श्री राधारमण दास, श्री रामविलास पाण्डेय, श्री रामधारी पाण्डेय, श्री रामचरण पाण्डेय, श्री रामेश्वर सिंह, श्री रामगुलाम, श्री रामजी वर्मा, श्री रामलखन, श्री रामनन्दनसिंह, डा० रामनारायण पाण्डेय, श्रीमती रानी टण्डन, श्री रुद्र दत्त गिरि, श्री सच्चिदानन्द त्रिपाठी, श्री सईदुल हसन, श्री सरदार बलवन्त सिंह, श्री सत्यकेतु विद्यालंकार, श्रीमती सावित्री श्याम, श्रीमती शान्ती, श्रीमती शकुन्तला श्रीवास्तव, श्री शाकिर अली सिद्दीकी, श्री शंकर राव, श्रीमती शान्ता बाई खेर, श्रीमती शिवराजवती नेहरू, श्री शिवप्रसाद सिंह, श्री शिवप्रसाद गुप्त, श्री शुगनचन्द्र, श्री श्यामनारायण, श्रीमती सुनीता चौहान, श्री सुल्तान सिंह पचौरी, सैयद मोहम्मद नसीर, कैप्टन बी० आर० मोहन, श्री विद्यासागर, श्री वीरेन्द्र शाह, श्री वीरेन्द्र स्वरूप।

नोट—एक स्थान रिक्त है।

(३१ मार्च १९६४ तक संशोधित)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अध्यक्ष—श्री मदन मोहन वर्मा

उपाध्यक्ष—श्री होतीलाल अग्रवाल

सदस्य

टेहरी गढ़वाल और उत्तर काशी—श्री कृष्ण सिंह, श्री त्रेपन सिंह, श्रीमती विनय लक्ष्मी 'सुमन'।

गढ़वाल और चमोली—श्री जगमोहन सिंह नेगी, श्री मुकुन्दी लाल बैरिस्टर, श्री चन्द्र सिंह रावत, श्री गंगाधर मैठाणी, श्री योगेश्वर प्रसाद खंडूड़ी।

अलमोड़ा और पिठौरागढ़—श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट, एम० ए०, एल-एल० बी०, श्री खुशीराम, श्री मोहन सिंह मेहता, श्री गंगा सिंह बिष्ट, श्री हरिदत्त कांडपाल, श्री चन्द्रभानु गुप्त ।

नैनीताल—श्री देवेन्द्र सिंह, श्री अनीसुर्रहमान, श्री देवीदत्त छिम्वाल ।

बिजनौर—श्री वसन्तसिंह, श्री श्रीराम, श्री सत्यवीर कुँवर, श्री नरदेव सिंह 'दतियाना', श्री गोविन्द सहाय, श्री खूब सिंह, श्री गिरधारी लाल ।

मुरादाबाद—श्री दाऊदयाल खन्ना, श्री शराफत हुसैन रिजवी, श्री जगदीश प्रसाद, श्री सुक्खनलाल, श्री महमूद हसन खाँ, श्री बिशनलाल यादव, श्री नरेन्द्र सिंह, श्री हेतराम सिंह, श्री हलीमुद्दीन 'राहतमौलाई', श्री रियासत हुसैन, श्री रामपाल सिंह ।

रामपुर—श्री जुलफिकार अली खां, श्रीमती किश्वर आरा बेगम, श्री कल्याण राय, श्री बलदेव सिंह आर्य ।

बदायूं—श्री शिवराज सिंह, श्री केशव राम, श्री सूरजपाल सिंह, श्री जुगल किशोर, श्री उलफत सिंह, श्री पुरुषोत्तम लाल बघवार (राजा जी), श्री नरोत्तम सिंह, श्री नारायण सिंह, कुँवर रुकुम सिंह राठौर ।

बरेली—श्री नवलकिशोर, श्री धर्मदत्त वैद्य, श्री राममूर्त्ति एम० ए०, एल-एल० बी०, श्री हरीश कुमार गंगवार, श्री जगदीशशरण अग्रवाल, एडवोकेट, श्री मोहम्मद हुसैन, श्री रामेश्वर नाथ उर्फ चौबे, श्री हेमराज, श्री नौरंग लाल ।

पीलीभीत—श्री रामरूप सिंह, श्री मोहनलाल आचार्य, श्री दुर्गाप्रसाद ।

शाहजहाँपुर—श्री भगवान सहाय, श्री सुरेन्द्र विक्रम, श्री केशो सिंह, श्री राममूर्ति 'अंचल', श्री मुहम्मद रफी खां, राजा विक्रम शाह, श्री कन्धई लाल ।

खीरी—श्री रामचरण शाह, श्री तेजनारायण त्रिवेदी, श्री बंकटा सिंह उर्फ टुन्नू सिंह, श्री वंशीधर मिश्र, श्री छेदालाल चौधरी, श्री रामभजन, श्री मन्नालाल ।

सीतापुर—श्री अवधेशकुमार सिन्हा, श्री शारदानन्द, श्री विपिन बिहारी तिवारी, श्री गनेशीलाल, श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा एम० ए०, बी० ए० (आनर्स), एल-एल० बी०, श्री शिवेन्द्र प्रताप, श्री बैजूराम, श्री टम्नेश्वरी प्रसाद, श्री डल्ला राम ।

बुद्ध की मूर्ति (मथुरा संग्रहालय)

धमेख स्तूप, सारनाथ

कानपुर मेडिकल कालेज में लगाया गया
'कोबॉल्ट ६०' प्लांट

नीचे
सरकारी अस्पताल, धारचूला जिला पिठौरागढ़

आगरा जिले में नवनिर्मित उट्टंगन पुल

एक बाल-निर्देशन केन्द्र

हरदोई—श्री मोहन लाल वर्मा, श्री पंचम दास, श्री जे० पी० मिश्र, श्रीमती कलारानी मिश्र, बी० ए०, एल० टी०, श्री महेश सिंह, श्री परमाई, श्री प्यारे लाल, श्री पूरनलाल, श्री शारदा भक्त सिंह ।

उन्नाव—श्री सेवाराम, श्री गोपीनाथ दीक्षित, श्री जियाउर्रहमान उर्फ वक्कन, श्री देवदत्त मिश्र, श्री राम अधीन सिंह, श्री श्रीराम तिवारी, श्री भीखालाल ।

लखनऊ—श्री रामपाल त्रिवेदी, श्री सुखलाल, श्री किशोरीलाल अग्रवाल, बी० ए०, एल-एल० बी०, श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री सैयद अलीजहीर, श्री बालक राम वैश्य, राजा विजयकुमार त्रिपाठी, श्री खयाली राम ।

रायबरेली—श्री भगवानदीन, श्री पशुपतिनाथ सरन सिंह, श्री कृष्णपाल सिंह (राजा सुदौली), श्री गुप्तार सिंह, श्री महावीर प्रसाद, चौधरी रतीपाल, श्री पितई राम, श्री वसी नकवी ।

प्रतापगढ़—श्री नियाज हसन खां, श्री रामस्वरूप भारतीय, श्री बाबूलाल श्रीवास्तव, श्री श्यामसुन्दर, श्री रामकिंकर, श्री ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री बालेन्दु भूषण प्रताप सिंह, श्री कुँवर तेजभानसिंह ।

सुल्तानपुर—श्री बैजनाथ सिंह वैद्य, श्री कुँवर रुद्र प्रताप सिंह (कुँवर साहब जामों), श्री इन्द्रपाल, श्री रामवली मिश्र, श्री रमाकान्त सिंह, श्री अब्दुल समी, श्री उमादत्त, श्री श्रीपत मिश्र, श्री शंकर लाल ।

फैजाबाद—श्री महादेव, श्रीमती रामरती देवी, श्री जगदम्बा प्रसाद, श्री सुखराम दास, आत्मज श्री टिंडी, श्री जयराम वर्मा, श्री राजाराम, श्री मदनमोहन वर्मा, श्री अखण्ड प्रताप सिंह, श्री हरिनाथ तिवारी, श्री घूम प्रसाद ।

बाराबंकी—श्री मुकुट बिहारी लाल, श्री रामकिशोर त्रिपाठी, श्री घनश्याम दास, श्री द्विजेन्द्र नारायण, श्री मेंड़ीलाल, श्री जमीलुर्रहमान किदवई, श्री नत्था राम रावत, श्री राम आसरे ।

बहराइच—श्री हुकुमसिंह विसेन, श्री चौधरी अब्दुल हसीब खां, श्री राम-अधार कनौजिया, श्री बसन्तलाल शर्मा, श्री प्रेम सिंह, श्री जगदीश प्रसाद, श्री दलजीत सिंह, श्री मंगल प्रसाद आर्य, श्री मुन्नू सिंह ।

गोंडा—श्री बलदेवसिंह, श्री शुकदेव प्रसाद, श्री बब्बन सिंह, श्री सूरजलाल गुप्त (वकील), श्री अवध नारायण प्रताप सिंह, श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री ईश्वर शरण, श्री नवरंग सिंह, श्री गंगा प्रसाद, श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री गिरजा प्रसाद, श्री शीतल प्रसाद, श्री विष्णु प्रताप सिंह ।

बस्ती—श्री रनबहादुर सिंह, श्री रामलखन सिंह, श्रीमती शकुन्तला नायर, श्रीमती राजेन्द्र किशोरी, श्री काजी जलील अब्बास, श्री भानुप्रताप सिंह, श्री रामकुमार शास्त्री, श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री चन्द्रपाल रावत, श्री जगदीश, श्री तमेश्वर प्रसाद, श्री सोहन लाल धुसिया, श्रीमती सुचेता कृपालानी, श्रीमती गेंदा देवी, श्री श्यामलाल, श्री काशीनाथ बहादुर पाल।

गोरखपुर—श्री गणेश प्रसाद, श्रीमती यशोदा देवी, श्री कल्पनाथ सिंह, श्री रामलखन शुक्ल, श्री रामसूरत प्रसाद, श्री अक्षैवर सिंह, श्री नियामत उल्ला अंसारी, श्री अवैद्यनाथ, श्री केशभान, श्री नरसिंह नारायण पाण्डे, श्री द्वारिका प्रसाद पाण्डे, श्री दुर्योधन, श्री राम अवध सिंह, श्री यादवेन्द्र सिंह, श्री शिब्बन लाल सक्सेना।

देवरिया—श्री राजदेव, श्री बाँके लाल, श्री मंगल, श्री चन्द्रदेव, श्री गेंदा सिंह, श्री रामायण राय, श्री राम लाल, श्री कृष्णा, डा० सीताराम, श्री चन्द्रबली, श्री उग्रसेन, श्री कैलाश, श्री अवधेश प्रताप राजा। (एक स्थान रिक्त)

आजमगढ़—श्री रामसुन्दर, श्री झारखण्डे राय, श्री इन्द्रासन सिंह, श्री उमाशंकर, श्री बृजविहारी मिश्र, श्री अमजद अली, श्री भीमा प्रसाद, श्री मंगल देव, श्री दौलत लाल, श्री सत्यदेव, श्री छांगुर राम, श्री सुरजन राम, श्री चन्द्रजीत यादव, डा० जेड० ए० अहमद।

बलिया—श्री रघुनाथ, श्री गंगाप्रसाद सिंह, श्री जगन्नाथ चौधरी, श्री शिवमंगल, श्री काशीनाथ मिश्र, श्री मैनेजर सिंह, श्री रामअनन्त पाण्डेय, श्री मानधाता सिंह।

गाजीपुर—श्री रघुवीर, श्री विजयशंकर सिंह, श्री वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री कृष्णानन्द राय, श्री रामसुन्दर शास्त्री, श्री झिलमिट राम, श्री राजनाथ सिंह, श्री कमला सिंह यादव।

जौनपुर—श्री राम समझावन, श्री लाल बहादुर सिंह (जौनपुर), श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे, श्री कुवर श्रीपाल सिंह, श्री लक्ष्मी शंकर यादव, श्री माताप्रसाद, श्री भगवती दीन, श्री केशरी प्रसाद पाण्डे, श्री जगन्नाथ राव, श्री रमेशचन्द्र शर्मा।

वाराणसी—श्री बंशीधर पाण्डेय, श्री हरिगेन राम, श्री गयाप्रसाद, श्री ऊदल, श्री ऋषिनारायण शास्त्री, श्री गिरधारीलाल, श्री विश्वनाथ प्रसाद, श्री लाल बहादुर सिंह (वाराणसी), डा० रघुनाथ सिंह, एम० ए०, पी-एच० डी०, श्री राजनारायण सिंह (वाराणसी), श्री उमाशंकर तिवारी, श्री कमलापति त्रिपाठी, श्री रामलखन वकील।

मिर्जापुर—श्री रामप्यारे, श्री रामनाथ पाठक, श्री विश्वनाथ पाण्डेय, 'प्रणव', श्री राजनारायण सिंह (मिर्जापुर) श्री भगवान दास, श्री अजीज इमाम, श्री बेचन राम।

इलाहाबाद—श्री सालिगराम जायसवाल, श्री रघुनाथ प्रसाद, श्री सत्यनारायण पाण्डे, श्री बैजनाथ पाण्डे, श्री बंशीलाल, श्री मुजफ्फर हसन, श्री शिवमूर्ति, श्री मेवा लाल, डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, श्री कल्याणचन्द्र मोहिले उर्फ छुन्नगुरू, श्री चौधरी नौनिहाल सिंह, श्री गोकुल प्रसाद, श्री नाथूराम शिक्षक, श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा।

फतेहपुर—श्री रक्षपाल सिंह, श्री बद्रीप्रसाद, श्री जगन्नाथ सिंह, श्री रामकिशोर वर्मा, श्री रघुवीर सहाय कैथवार, श्री दीपनारायण सिंह।

बाँदा—श्रीमती सिया दुलारी, श्री दीनदयाल करवरिया, श्री देवराज सिंह, श्री मतोला सिंह, श्री ब्रजमोहन लाल गुप्त।

हमीरपुर—श्री मदनपाल सिंह, श्री बृजराज सिंह, श्री सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री डूंगर सिंह, श्री मोहनलाल अहिरवार।

झाँसी—श्री कृष्णचन्द्र, श्री अयोध्या प्रसाद, श्री लखपतराम शर्मा, श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्रीमती बेनी बाई, श्री काशी प्रसाद द्विवेदी।

जालौन—श्री विजय सिंह, श्री चतुर्भुज शर्मा, श्री बसन्त लाल, श्री शिव सम्पत्ति शर्मा।

कानपुर—श्री राजनारायण मिश्र बी० ए०, एल-एल० बी०, श्री ज्वाला प्रसाद, श्री शिवनाथ सिंह, श्रीमती तारा अग्रवाल, श्री सन्तसिंह यूसुफ, श्री हमीद खां, श्री एस० जी० दत्ता, श्रीमती सुशीला रोहतगी, श्री शशिभूषण सिंह, श्रीमती ब्रजरानी मिश्रा, श्री मुरलीधर कुरील, श्री बलवानसिंह, श्री नित्यानन्द पाण्डे।

इटावा—श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री सुखलाल, श्री घासीराम, श्री होतीलाल अग्रवाल, श्री नत्थू सिंह, श्री सहदेव सिंह, श्री विजयशंकर।

फर्रुखाबाद—श्री होरीलाल यादव, श्री पातीराम अहरवार, श्री कोतवाल सिंह भदौरिया, श्री मरहम सिंह, श्री दयाराम शाक्य, श्री राजेन्द्र सिंह यादव, डा० सियाराम गंगवार।

मैनपुरी—श्री सूबेदार सिंह, श्री गणेशचन्द्र काछी, श्री रामसिंह, श्री बृजेश्वर सहाय, श्री माधौनारायण, श्री मंसाराम, श्री बलबीर सिंह।

एटा—श्री गंगा प्रसाद वर्मा, श्री छोटेलाल पालीवाल, श्री लोकपाल सिंह, श्री राजेन्द्र सिंह, श्री वेदराम, श्री गिरवर प्रसाद, श्री रघुवीर सिंह, श्री चिरंजी-लाल जाटव ।

आगरा—श्री मुलतान सिंह, श्री शिवचरण, श्री भगवान दास यादवेन्दु, श्रीमती विद्यावती राठौर, श्री बनवारी लाल विप्र, श्री जगन प्रसाद रावत, श्री बालोजी अग्रवाल, श्री खेमचन्द्र, श्री छत्रपति अम्बेश, श्रीमती चम्पावती ।

मथुरा—श्री केदारनाथ भार्गव, आचार्य जुगुलकिशोर, श्री लक्खी सिंह, श्री राधेश्याम शर्मा, श्री कन्हैयालाल, श्री अशरफ अली खां ।

अलीगढ़—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री रामप्रसाद देशमुख, श्री नेकराम शर्मा, श्री श्रीनिवास, श्री बाबू सिंह, श्री अब्दुल बशीर खां, श्री भूपसिंह, श्री शिवदान सिंह, श्री चैतन्यराज सिंह, श्री महेन्द्र सिंह ।

बुलन्दशहर—श्री जसराम सिंह, श्री महावीर सिंह, श्री धर्म सिंह, श्री हिम्मत सिंह, श्री चुन्नीलाल, श्री मुमताज मोहम्द खां, श्री जगवीर सिंह, श्री इर्तजा हुसैन, श्री बनारसी दास, श्री रामचन्द्र 'विकल' ।

मेरठ—श्री तेज सिंह, श्री विचित्रनारायण शर्मा, श्री मेघनाद सिंह सिसौदिया, श्री प्रेमसुन्दर, श्री वीरसेन, कुमारी श्रद्धा देवी, श्री प्रीतम सिंह प्रधान, श्री जगदीश-शरण रस्तोगी, श्रीमती प्रकाशवती सूद, श्री हरी सिंह, श्री शौकत हमीद खां, श्री चरण सिंह, श्री मूलचन्द्र शास्त्री, श्री जमादार सिंह, डा० रामजी लाल सहायक, एम० ए०, पी-एच० डी० ।

मुजफ्फरनगर—श्री विजयपाल सिंह, आत्मज श्री दुर्गासिंह, श्री शुगनचन्द्र शर्मा, श्री अहमद बख्श, श्री शुगनचन्द्र मजदूर, श्री नैन सिंह, श्री केशव गुप्त, श्री चन्दन सिंह, श्री रामचन्द्र सिंह ।

सहारनपुर—श्री यशपाल, श्रीमती शकुन्तला देवी शास्त्री प्रभाकर, श्री सरदार सिंह, श्री ब्रह्मदत्त मायर, श्री जयगोपाल, श्री रामसिंह, एम० ए०, एल-एल० बी०, एडवोकेट, श्री फूलसिंह, श्री सईद अहमद अन्सारी, श्री जगदीश नारायण सिन्हा ।

देहरादून—श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री ब्रजभूषण शरण, श्री गुलाब सिंह ।

नाम निर्देशित—श्री ए० सी० ग्राइस ।

(३१ मार्च १९६४ तक संशोधित)

उत्तर प्रदेश से संसद के सदस्य

राज्य सभा में

२ अप्रैल १९६६ तक के लिए निर्वाचित

१—श्री पियारे लाल कुरील उर्फ तालिब
२—श्री राम गोपाल गुप्त
३—श्री जोगेश चन्द्र चटर्जी
४—श्री जी० एस० पाठक
५—श्री भगवन्त नारायण भार्गव
६—प्रो० मुकुट बिहारी लाल
७—श्री अर्जुन अरोड़ा
८—श्री एम० आर० शेरवानी
९—श्री नफीसुल हसन
१०—श्री हीरा वल्लभ त्रिपाठी
११—सरदार जोगेन्द्र सिंह

२ अप्रैल १९६८ तक के लिए निर्वाचित

१—श्री हाफिज मोहम्मद इब्राहीम
२—श्रीमती अनीस किदवई
३—श्री गौरा मुरारी
४—श्री चन्द्र शेखर
५—श्री धर्म प्रकाश
६—श्री सी० डी० पाण्डेय
७—श्री लीलाधर
८—श्री अटल बिहारी बाजपेयी
९—श्री प्रकाश नारायण सप्रू
१०—श्री मदनमोहन सिंह सिद्धू
११—श्री सीताराम
१२—श्रीमती श्याम कुमारी खान

२ अप्रैल १९७० तक के लिए निर्वाचित

१—श्री महाबीर प्रसाद शुक्ल
२—श्री दत्तोपंत तेंगड़ी
३—श्री तारकेश्वर पाण्डेय
४—श्री ए० सी० गिलबर्ट
५—श्री उमाशंकर दीक्षित
६—श्री फरीदुल हक अन्सारी
७—श्री महाबीर प्रसाद भार्गव
८—श्रीमती सरला देवी
९—श्री श्यामसुन्दर नारायण
१०—श्री रामसिंह
११—कर्नल बशीर हुसेन जैदी

राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित

१—श्री मैथिली शरण गुप्त
२—डा० तारा चन्द

लोक सभा में

१—महाराजा मानवेन्द्र शाह
२—श्री भक्त दर्शन
३—श्री जंग बहादुर शाह
४—श्री कृष्णचन्द्र पंत उर्फ राजा
५—श्री प्रकाश वीर शास्त्री
६—श्री मुजफ्फर

७—श्री अहमद मेंहदी
८—श्री अनसार हरवानी
९—श्री ओंकार सिंह
१०—श्री बृज राज सिंह
११—श्री मोहन स्वरूप
१२—श्री लखन दास
१३—श्री बाल गोविन्द
१४—श्री गोकरन
१५—श्री सूरज लाल
१६—श्री किन्दर लाल
१७—श्री युवराज दत्त सिंह
१८—श्री कृष्ण रिओ उर्फ मुन्नू
१९—श्रीमती गंगादेवी
२०—श्री बी० के० धवन
२१—श्री बैजनाथ कुरील
२२—राजा दिनेश सिंह
२३—राजा अजित प्रताप सिंह
२४—कुँवर रणंजय सिंह
२५—श्री कुँवर कृष्ण
२६—श्री पन्ना लाल
२७—श्री बृजवासी लाल
२८—श्री स्वामी रामानन्द
२९—श्री राम सेवक यादव
३०—श्रीमती बसन्त कुमारी
३१—कुँवर राम सिंह
३२—श्रीमती सुभद्रा जोशी
३३—श्री राम रतन गुप्त
३४—श्री केशव देव मालवीय
३५—श्री कृपा शंकर
३६—श्री शिव नारायण
३७—श्री महादेव प्रसाद
३८—श्री सिंहासन सिंह
३९—श्री महादेव प्रसाद
४०—श्री काशीनाथ पाण्डेय
४१—श्री विश्वनाथ
४२—श्री विश्वनाथ पाण्डेय
४३—श्री राम हरख
४४—श्री विशराम प्रसाद
४५—श्री जय बहादुर
४६—श्री मुरली मनोहर
४७—श्री सरजू पाण्डेय
४८—श्री विश्वनाथ सिंह गहमरी
४९—श्री गनपति राम
५०—श्री रघुनाथ सिंह
५१—श्री बाल कृष्ण
५२—श्री राम स्वरूप
५३—श्री श्यामधर मिश्र
५४—श्री जवाहर लाल नेहरू
५५—श्री लाल बहादुर शास्त्री
५६—श्री मसुरिया दीन
५७—श्री गौरी शंकर उर्फ गौरी बाब
५८—श्रीमती सावित्री निगम
५९—श्री मुन्नू लाल द्विवेदी
६०—डा० सुशीला नैय्यर
६१—श्री राम सेवक
६२—श्री तुला राम
६३—श्री एस० एम० बनर्ज़ी
६४—श्री बृज बिहारी मेहरोत्रा
६५—श्री गोपीनाथ दीक्षित
६६—श्री प्रेम कृष्ण खन्ना
६७—श्री बादशाह गुप्त
६८—श्री बिशन चन्द्र सेठ
६९—श्री राव कृष्णपाल सिंह
७०—श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी

७१—सेठ अचल सिंह
७२—श्री चौधरी दिगम्बर सिंह
७३—श्री ज्योति स्वरूप
७४—श्री बी० पी० मौर्य
७५—श्री कन्हैया लाल वालमीकी
७६—श्री सुरेन्द्र पाल सिंह
७७—श्रीमती कमला चौधरी
७८—श्री शाह नवाज खां
७९—श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा
८०—श्री सुमत प्रसाद
८१—श्री यशपाल सिंह
८२—श्री सुन्दर लाल
८३—श्री महाबीर त्यागी
८४—आचार्य जे० बी० कृपालानी
८५—डा० राममनोहर लोहिया
८६—श्री राजदेव सिंह

(३१ मार्च १९६४ तक संशोधित)

राजनीतिक इतिहास

उत्तर प्रदेश, जिसे हम पहले संयुक्त प्रान्त आगरा व अवध के नाम से जानते थे, अंग्रेजी शासन-काल में बना था। १९०२ ई० से पहले यह कभी प्रादेशिक या प्रशासकीय इकाई नहीं रहा किन्तु इसके अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र ने भारत के राजनैतिक और सांस्कृतिक इतिहास में हर काल में महत्त्वपूर्ण योग दान किया है।

उत्तर प्रदेश के प्रागैतिहासिक तथा आदि-ऐतिहासिक काल पर, जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था उतना नहीं दिया गया। मिर्जापुर और बुन्देलखण्ड में प्राचीन तथा नवीन प्रस्तर युग के अवशेष मिले हैं और अभी हाल में मेरठ जिले के आलमगीरपुर नामक स्थान पर उत्तरकालीन हड़प्पन ढंग के कुछ अवशेष भी प्रकाश में आये हैं। यत्र-तत्र उपलब्ध होने वाले ये अवशेष हमारे राज्य के इतिहास को सुदूर अतीत तक ले जाते हैं, किन्तु अभी छठी शताब्दी ई० पू० से पहिले का हमारा राजनीतिक इतिहास अज्ञातप्राय ही है।

ऋग्वैदिक काल में आर्य सभ्यता का केन्द्र सप्तसिन्धु तक ही सीमित था, किन्तु जैसा कि बाद के वैदिक साहित्य से पता चलता है, यह बराबर पूर्व की ओर हटता गया है। आर्यों के पूर्व की ओर विस्तार का सबसे अच्छा संकेत 'शतपथ' ब्राह्मण के एक उपाख्यान में मिलता है जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार माथव और विदेघ ने वैदिक सभ्यता के आश्रमस्थल सरस्वती से देशान्तर-गमन किया और सदानीरा को, जो कोशल की पूर्वी सीमा थी, पार कर विदेह के देश पहुँचे। "बढ़ती हुई सीमा अपने साथ नये राज्य, नये जन और जीवन के नये केन्द्र लायी। अब ऋग्वेद में अनु, द्रुह्यु, तुर्वस, क्रिवि और कुरु, पुरु और भरतों की बात सुनायी नहीं पड़ती, बल्कि उनका स्थान नवसंगठित जातियाँ तथा मिश्रित समुदाय ले लेते हैं। उनमें अग्रणी कुरु-पांचाल हैं जो वैदिक संस्कृति के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि मालूम पड़ते हैं।" कुरु-पांचाल के नये राज्य, काशी और कोशल का इस मंच पर प्राधान्य है। उनके अन्तर्गत क्षेत्र, मोटे तौर से भारतीय परम्परागत मध्य देश और आधुनिक उत्तर प्रदेश राज्य के क्षेत्र के अनुरूप था। इन राज्यों के कुछ प्रारम्भिक शासकों ने, विशेषतः पांचाल के प्रवाहण जैवालि ने, अमर कीर्ति प्राप्त की। दो महान काव्यों, 'रामायण' और 'महाभारत' में भी हमारे राज्य के आरम्भिक इतिहास का परम्परागत विवरण सुरक्षित है। 'रामायण' का कथानक कोशल के

सूर्यवंशी राजाओं के चारों ओर ग्रथित है और महाभारत का कथानक हस्तिनापुर के चन्द्रवंशी राजाओं पर आधारित है, किन्तु इन आख्यानों में से ऐतिहासिक सत्य खोज निकालना कठिन है।

छठी शताब्दी ई० पू० में विस्मृति के अतल तल से जब हम बाहर आते हैं, तो हमें बाकी देश की तरह उत्तर प्रदेश भी बहुत से छोटे-छोटे राज्यों में बँटा हुआ मिलता है, जिनका आकार शायद मुश्किल से ही एक आधुनिक जिले से बड़ा हो। यह राज्य (महा जनपद) थे, काशी, कोशल, चेति अथवा चेदि, वत्स अथवा वंश, कुरु, शूरसेन तथा दो पांचाल। इनकी राजधानियाँ क्रमशः वाराणसी, श्रावस्ती, सुक्तिमती, कौशाम्बी, हस्तिनापुर, मथुरा, अहिच्छत्र और काम्पिल्य थीं। इन राजतंत्रों के अलावा उत्तर में मल्लों का शक्तिशाली गणराज्य था। यह भी दो राज्यों में बँटा हुआ था जिनकी राजधानियाँ पावा और कुशीनारा थीं। आधुनिक उत्तर प्रदेश क्षेत्र के अन्तर्गत कुछ अन्य जनतांत्रिक राज्य, उदाहरणार्थ कपिलवस्तु का शाक्य राज्य और सुनिसुमार गिरि का भग्ग राज्य भी थे।

बुद्धकाल से पूर्व, काशी एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण राज्य था। इसके पड़ोसी इसे हमेशा ललचायी दृष्टि से देखते रहे। बुद्ध के समय तक यह पहिले कोशल और फिर मगध की साम्राज्य-लिप्सा का शिकार बन चुका था। छठी शताब्दी ई० पू० में उत्तर प्रदेश में कोशल और वत्स यही दो सर्वाधिक प्रभावशाली राज्य थे। पहिला मगध के और दूसरा अवन्ती के हाथ पड़ गया। बाद में अवन्ती भी मगध का शिकार बन गया। मगध देश का प्रमुख राज्य हो गया और इस पर क्रमशः शासन करने वाले हर्यण्क, शेशुनाग तथा नंद राज वंशों के राजा इसकी सीमाएँ लगातार बढ़ाते ही गये। इस पूरे काल में उत्तर प्रदेश, जो मगध साम्राज्य का अविच्छिन्न अंग रहा, सौभाग्य से मक्दूनियन आक्रामक सिकन्दर की चपेट में आने से बच गया, जिसने उस समय पंजाब और सिंध को रौंद डाला था। उसका पीछे हटना और वह महान् राजनैतिक क्रान्ति, जिसने नन्दों को चन्द्रगुप्त मौर्य के हाथ में राजदंड देने के लिए विवश कर दिया, दोनों घटनाएँ लगभग एक साथ घटीं। ३२३ ई० पू० में चन्द्रगुप्त भारत का पहिला ऐतिहासिक सम्राट हुआ। चन्द्रगुप्त और उसके उत्तराधिकारी विन्दुसार और अशोक के उदार शासन में उत्तर प्रदेश अविच्छिन्न शांति और समृद्धि का उपभोग करता रहा, जिसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण सारनाथ का सिंहस्तम्भ है, जिसे स्वाधीन भारत की सरकार ने अपना राज-चिह्न माना है। अशोक के स्तम्भ और राज्यादेश सारनाथ, इलाहाबाद, मेरठ, कौशाम्बी, संकिसा, कालसी, गुजर्रा तथा मिर्जापुर में भी मिले हैं। फाह्यान और ह्वेनसांग ने कुछ

औरों का भी उल्लेख किया है जिनका अब पता नहीं है। अशोक ने सारनाथ में धर्मराजिका स्तूप भी बनवाया था, जिसे १७९३ में वाराणसी के जगत सिंह ने नष्ट कर दिया था।

२३२ ई० पू० में अशोक की मृत्यु ने विघटनकारी प्रवृत्तियों का मार्ग प्रशस्त कर दिया और उत्तर-कालीन मौर्य, शुंग और कण्वों के शासनान्तर्गत मगध साम्राज्य अपने पूर्व वैभव की छाया मात्र रह गया। इस राज्य की दुर्बलता ने विदेशी आक्रामकों को भी प्रलुब्ध किया और पतञ्जलि के महाभाष्य में हमें ग्रीक (यवन) आक्रामकों द्वारा साकेत पर डाले गये घेरे का उल्लेख मिलता है। इस घेरे को कुछ समय तक शुंग वीरतापूर्वक रोके रहे, किन्तु अन्त में यह उत्तर पश्चिमी विदेशियों (ग्रीक, पार्थियन और साइथियन) के हाथ में चला गया। मथुरा में भी एक शक सामन्तशाही स्थापित हो गयी। कुछ अभिलेख तथा सिक्कों से अयोध्या, कौशाम्वी, अहिच्छत्र और मथुरा के स्वतंत्र हिन्दू राजवंशों के अस्तित्व का भी पता चलता है। पार्थियन और साइथियनों के पदचिह्नों का अनुसरण करते हुए कुषाणों ने भी उत्तरी-पश्चिमी दर्रों से भारत में प्रवेश किया। इन्होंने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जिसमें लगभग पूरा उत्तरी भारत शामिल था। कनिष्क प्रथम निस्सन्देह उनका महानतम शासक था। सोकेद (साकेत) के राजा के साथ उसके युद्ध का वर्णन तिब्बती और चीनी लेखकों ने सुरक्षित रखा है। उसके अभिलेख तथा सिक्के, उत्तर प्रदेश के एक काफी बड़े भाग का कुषाण साम्राज्य के अन्तर्गत रहना प्रमाणित करते हैं। इस समय मथुरा कला का एक महान केन्द्र-स्थल था। कुषाणों का काल-क्रम बहुत असंदिग्ध नहीं है, किन्तु इतना निश्चित है कि तृतीय शताब्दी ई० श० तक मध्यदेश से उनका प्रभाव उठ चुका था और उत्तर प्रदेश फिर एक बार छोटे राज्यों का समूह बन गया था। इनमें से कुछ शासकों के नाम अब भी समुद्र गुप्त के इलाहाबाद स्थित स्तम्भलेख में सुरक्षित हैं। तीसरी ई० श० के उत्तरी भारत में सबसे अधिक शक्तिशाली राजवंश नागों का था। इस कबीले के दो मुख्य केन्द्र मथुरा और कान्तिपुरी (मिर्जापुर में कन्तित) थे। इसी काल में भारशिवों ने भी (नागों का एक सम्प्रदाय) प्रमुखता प्राप्त की। उनकी शक्ति तथा अधीन क्षेत्र का अनुमान इस कथन से ही किया जा सकता है कि उन्होंने दस अश्वमेध किये और उनको 'भागीरथी के उस पवित्र जल से अभिषिक्त किया गया जो उन्होंने अपनी शक्ति के बल पर प्राप्त किया था।'

चौथी ई० श० में गुप्तों के आगमन के साथ भारत को पुनः राजनीतिक ऐक्य प्राप्त हुआ और उनके दो शताब्दी के प्रभुत्वकाल में उत्तर प्रदेश के इतिहास में कोई

विशेष उल्लेख योग्य घटना नहीं घटी किन्तु उसे भी देश की उस सर्वतोमुखी समृद्धि का भाग मिला, जिसके कारण गुप्त काल, प्राचीन भारत का स्वर्णकाल कहा जाता है। छठी ई० श० में गुप्त साम्राज्य के पतन ने पुन: विघटनकारी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया। कन्नौज के मौखरियों को, जो उस शताव्दी में उत्तर प्रदेश के एक काफी बड़े भूभाग पर शासन करते थे, मालवा के उत्तरकालीन गुप्तों का सामना करना पड़ा और जब उनका अन्तिम शासक, गृहवर्मा, देवगुप्त द्वारा मार डाला गया तो कन्नौज के मंत्रियों ने थानेश्वर के नरेश हर्ष को, जो गृहवर्मा के साले थे, वहाँ का शासन सौंप दिया। हर्ष के शासन काल में कन्नौज उत्तरी भारत (उत्तरापथ) की राजधानी बन गया। इसके वैभव की कुछ झाँकी, सम-सामयिक यात्री ह्वेनसांग की पुस्तक 'सि-यु-कि' में मिलती है। ६४७ में उसकी मृत्यु के बाद इतिहास की पुनरावृत्ति होती है। उत्तर प्रदेश के क्षितिज पर उल्का की तरह यशोवर्मा का आगमन हुआ, किन्तु बाद के अयोध्या शासक के राज्यकाल में, कन्नौज, बंगाल के पाल, दक्षिण के राष्ट्रकूट और पश्चिमी भारत के गुर्जर-प्रतिहारों के बीच छीना-झपटी की चीज बन गया। अन्ततोगत्वा गुर्जर-प्रतिहार विजयी हुए और मिहिर भोज और महेन्द्रपाल जैसे अपने प्रतिभाशाली शासकों द्वारा उन्होंने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया जो गुप्त तथा हर्ष साम्राज्य से टक्कर ले सकता था। हमें उनके समकालीन मुस्लिम लेखकों से उनकी शक्ति, वैभव और गौरव का बड़ा ही प्रभावपूर्ण वर्णन मिलता है। महमूद गजनवी के हमले से पहिले पूरी नवीं और दसवीं शताब्दी भर गुर्जर-प्रतिहारों ने उत्तरी भारत के राजनीतिक रंगमंच पर अपना प्रभुत्व जमाये रखा। जेजकाभुक्ति (बुंदेलखंड) के चंदेल शासकों ने गजनवी के आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया, जिसका श्रेय कालिंजर के अभेद्य किले को है। आक्रमणकारियों के विरुद्ध मोर्चा लेने में धांगा और विद्याधर नामक चंदेलों ने शानदार योग दिया। प्रतिहारों के हाथ से एकाएक शासन-सत्ता निकल जाने के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश में एक खोखलेपन की स्थिति पैदा हो गयी, जिसके कारण राज्य में राजनैतिक अशांति और अराजकता फैल गयी। इस खोखले-पन को गहरवारों ने दूर किया और शांति-व्यवस्था की स्थापना करके एक बार फिर उन्होंने राज्य को समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर किया। इस वंश के दो महत्त्वपूर्ण शासक गोविन्द चन्द्र और जयचन्द्र थे, किन्तु मोहम्मद गोरी के विरुद्ध चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय को सहायता न देने की जयचन्द्र की अदूरदर्शी नीति देश के लिए घातक सिद्ध हुई। सन् ११९२ में तराइन के मैदान में पृथ्वीराज लड़ते हुए पराजित हुआ और दूसरे वर्ष चंदवार (इटावा) में जयचन्द्र का भी यही अंत हुआ। मेरठ, कोइल (अलीगढ़), असनी, कन्नौज और वाराणसी भी एक-दूसरे के बाद

शीघ्र ही पराजित हो गये, किन्तु १२०३ में, मुहम्मद गोरी के योग्य सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा सम्राट परमार्दि (आल्हा के परमाल) की पराजय और मृत्यु के बावजूद भी चन्देलों ने अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली और दो शताब्दियों से भी अधिक समय तक वे अपेक्षाकृत छोटे साम्राज्य पर राज्य करते रहे। उत्तर का चट्टानी क्षेत्र भी आक्रमण से अप्रभावित रहा।

१२०५ ई० में एक विदेशी दिल्ली की गद्दी पर बैठा। वह मुहम्मद गोरी का भूतपूर्व सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसने गुलाम वंश की नींव डाली। गुलाम वंश वालों ने और उनके बाद खिलजियों और तुगलकों ने भारत में दिल्ली सल्तनत की बुनियाद धीरे-धीरे मजबूत की और साम्राज्य का काफी विस्तार किया। उत्तर प्रदेश भी इस साम्राज्य का एक हिस्सा था। वास्तव में आरम्भ से ही सम्भल, कड़ा और बदायूं का प्रबन्ध महत्वपूर्ण मंसबदारों के हाथ में रहा, किन्तु इस प्रांत ने सुल्तानी शासन-काल में बराबर वीरतापूर्वक उनका प्रतिरोध किया। इस संदर्भ में कटेहर, कम्पिल, भोजपुर और पटियाली का नाम विशेष उल्लेखनीय है।

तेरहवीं और चौदहवीं शताब्दियों में उत्तर प्रदेश का इतिहास दुर्दमनीय प्रतिरोध और निर्मम दलन की गाथा मात्र है, जिसकी यत्र-तत्र झलक तत्कालीन लेखकों की रचनाओं में मिलती है। तुगलकों के शासन काल में दिल्ली सल्तनत तेजी से छिन्न-भिन्न हो रही थी। १३९४ में उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना हो गयी थी। यह जौनपुर के शर्की शासकों का साम्राज्य था। इसकी स्थापना मुहम्मद बिन तुगलक के विद्रोही सूबेदार मलिक सरवर ख्वाजा ने की थी। शर्की शासकों ने अपनी आजादी ८४ वर्षों तक कायम रखी और इस बीच कन्नौज और सरहदी जिलों पर अधिकार के लिए दिल्ली के सुल्तान से उनकी लड़ाई होती रही। शर्की शासक कला और साहित्य के महान पोषक थे।

जौनपुर-शासन का अन्त होने के चार वर्ष बाद तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। यद्यपि तैमूर के नृशंस कुकृत्यों का दुष्परिणाम मुख्य रूप से दिल्ली और पंजाब को भोगना पड़ा तथापि उत्तर प्रदेश भी बिल्कुल अछूता न रहा। मेरठ, हरद्वार और कटेहर को इसका आस्वादन करना पड़ा। तैमूर के आक्रमण से तुगलक शासन की नींव ढह गयी १४१४ से १५२६ तक दिल्ली के अवशिष्ट साम्राज्य पर सैय्यद और लोदी शासकों का शासन रहा। लोदी वंश की नींव डालने वाले बहलोल लोदी ने १४७८ में किसी तरह पुनः जौनपुर पर विजय प्राप्त की, किन्तु दोआब के ज्यादा बड़े भाग पर फिर भी कई हिन्दू और मुसलमान राजा राज्य करते

रहे । उत्तर प्रदेश के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना सिकन्दर लोदी द्वारा आगरा को अपनी उप-राजधानी बनाना थी ।

सन् १५२५ई० में बाबर ने अन्तिम लोदी शासक इब्राहीम लोदी को पानीपत के मैदान में पराजित किया और आगरा पर अधिकार कर लिया। फिर भी गंगाघाटी में अफगान प्रतिरोध करते रहे और सम्भल, जौनपुर, कालपी, इटावा और कन्नौज ने भयंकर लड़ाई के बाद ही आत्म-समर्पण किया । इस प्रकार बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव डाली, लेकिन उसके लड़के हुमायूं को अफगान-वंशी युवक शेरशाह के हाथों बुरी हार उठानी पड़ी, जो आक्रमणकारियों के विरुद्ध भारतीय मुसलमानों का नेतृत्व कर रहा था । इसमें चुनार, मौसा और बिलग्राम महत्वपूर्ण मोर्चे थे । स्वयं शेरशाह (१५४०) चंदेलों के सुप्रसिद्ध कालिंजर किले में युद्ध करते हुए जख्मी हुआ ।

शेरशाह मध्य भारत के उल्लेखनीय शासकों में था । उसकी मृत्यु के बाद तेजी से महत्वपूर्ण घटनाएँ घटीं, जैसे दिल्ली साम्राज्य पर पुनः हुमायूं का अधिकार और उसकी मृत्यु तथा पानीपत की दूसरी लड़ाई । अकबर के सिंहासन पर बैठने (१५५६) के बाद भारतीय इतिहास में एक नये युग का आरम्भ हुआ—शांति, सम्पन्नता, व्यापक सहिष्णुता और हिन्दू-मुस्लिम संस्कृतियों के समन्वय का युग । यही स्थिति उसके दो उत्तराधिकारियों, जहांगीर और शाहजहां के शासन-काल में भी रही । इस स्वर्ण युग के इतिहास में भले ही उत्तर प्रदेश का जिक्र न मिले फिर भी इसने हमारे राष्ट्रीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण योग दिया है । अकबर के दो सुप्रसिद्ध मंत्री, टोडरमल और बीरबल इसी प्रांत के थे और आगरा, उस समय तक मुगल-साम्राज्य की राजधानी बना रहा, जब तक कि शाहजहां ने अपने शासन-काल में उसके स्थान पर दिल्ली को राजधानी न बनाया ।

औरंगजेब द्वारा अपने पूर्वजों की नीति से विरोधी नीति अपनाना बहुत घातक सिद्ध हुआ और कुछ ही काल बाद शक्तिशाली मुगल-साम्राज्य टुकड़े-टुकड़े हो बिखर गया । उत्तर प्रदेश में भी यही दशा हुई । छत्रसाल के नेतृत्व में बुन्देलखंड ने औरंगजेब के जीवन-काल में ही बगावत का झंडा ऊँचा कर दिया था । संघर्ष रुक-रुक कर आधी शताब्दी तक जारी रहा और बुन्देला नरेश को अपने राज्य का एक भाग पेशवा बाजीराव को देकर उसकी सहायता स्वीकार करनी पड़ी, जिससे मरहठों को उत्तर प्रदेश में पैर जमाने के लिए एक स्थान मिल गया । १७३२ में सआदत अली खां ने अवध की स्वतंत्रता की घोषणा की । अवध में उसके वंशज १८५६ तक शासन करते रहे । उसी समय रुहेलों ने उस क्षेत्र में अपना शासन

कायम किया जो आज रुहेलखंड के नाम से जाना जाता है। रुहेलों की शक्ति १७७४ तक बनी रही, जब अवध के नवाब ने ईस्ट इंडिया कम्पनी की सहायता से उन्हें परास्त किया। इन अशान्तिपूर्ण स्थितियों ने भी मरहठों और अंग्रेजों को उत्तर प्रदेश में स्वार्थ-सिद्धि के लिए प्रेरित किया। १७६१ में पानीपत की लड़ाई में मरहठे पराजित हुए और इसके साथ ही उनकी अभिलाषाओं और आक्रमणों का भी अन्त हुआ। अंग्रेजों पर इस युद्ध के कारण उत्पन्न परिस्थिति का विपरीत प्रभाव पड़ा।

तीसरे नवाव शुजाउद्दौला के समय में अंग्रेजों का अवध से सम्पर्क हुआ। शुजा-उद्दौला १७६४ में बक्सर की लड़ाई में परास्त हुआ तथा उसे अपने राज्य के कड़ा और इलाहाबाद नामक स्थान खोने पड़े। अंग्रेजों की मित्रता अवध के शासकों को बड़ी महंगी पड़ी। समय-समय पर अंग्रेज इनके राज्य के बड़े-बड़े भाग नाना प्रकार के बहाने बना कर हड़पते रहे। अवध के नवाबों और अंग्रेजों के सम्बन्ध का इतिहास कमजोरी और अकुशलता तथा शक्ति और विश्वासघात का करुण लेखा-जोखा है। नवाबों को धार्मिक उदारता और कला एवं साहित्य के संरक्षण के लिए श्रेय मिलना चाहिए, किन्तु उनकी सरकार भ्रष्ट एवं अकुशल थी। अवध की सरकार के कुप्रबन्ध का सबसे बुरा फल यह था कि बड़े-बड़े तालुकदार नवाव के अधिकारियों और अव्यवस्थित सेना का विरोध करते थे तथा वे असहाय जनता और अपने वर्ग के कमजोर व्यक्तियों का भी शोषण करते थे। डलहौजी के काल में १८५६ में अवध पर अंग्रेजों का शासन पूर्ण रूप से कायम हो गया तथा अन्तिम नवाव वाजिद अली शाह को उन्होंने कलकत्ता में नजरबन्द कर दिया। अंग्रेज उन्हें पेन्शन देते रहे। लगभग इसी समय मरहठों का दूसरा केन्द्र झांसी भी अंग्रेजों के अधिकार में चला गया।

अंग्रेजों का अवध हड़प लेना १८५७ के स्वतंत्रता-संग्राम का एक मुख्य कारण था। इस राष्ट्रीय आन्दोलन में उत्तर प्रदेश के राजाओं और जनता ने शान-दार योगदान किया। बेगम हजरतमहल, रानी लक्ष्मी वाई, नाना साहव, बख्त खां, मौलवी अहमद उल्ला शाह, अजीमुल्ला खां, बेनी माधो तथा अनेक अन्य लोगों ने इस संग्राम में भाग लेकर अमर कीर्ति अर्जित की। बाद के राष्ट्रीय आन्दोलनों में भी यह राज्य भारत के दूसरे राज्यों से पीछे नहीं रहा। अंग्रेजों के शासन काल में और आजादी के बाद छोटे-मोटे क्षेत्रीय परिवर्तनों को छोड़ कर उत्तर प्रदेश का भारत के सामान्य इतिहास से पृथक कोई इतिहास नहीं रहा है। फिर भी इतना तो कहा ही जा सकता है कि विभिन्न क्षेत्रों में इस राज्य ने शानदार परम्पराएँ कायम की हैं।

आगरा और अवध नामक प्रान्तों का निर्माण १८७७ में अंग्रेजों ने किया। आरम्भ में उन्होंने आगरा एक लेफ्टिनेन्ट गवर्नर के अधीन तथा अवध एक चीफ कमिश्नर के अधीन रखा। चीफ कमिश्नर लेफ्टिनेन्ट गवर्नर के अधीन था। १९०२ में इन दोनों प्रान्तों को मिला कर संयुक्त प्रांत आगरा व अवध की स्थापना की गयी तथा इसे एक लेफ्टिनेन्ट गवर्नर के अधीन रखा गया। १९२१ में यह गवर्नर का प्रान्त बना। १९५० में इस राज्य का नाम बदल कर उत्तर प्रदेश कर दिया गया और इस प्रकार इसका क्षेत्रीय व्यक्तित्व पूर्ण रूप से विकसित हो गया।

सांस्कृतिक विरासत

उत्तर प्रदेश ने भारत के सांस्कृतिक जीवन में भी महत्वपूर्ण योगदान किया है। प्राचीन काल से ही यह प्रदेश उस संस्कृति का केन्द्र रहा है जो भारतीय सभ्यता की अत्यन्त मूल्यवान विरासत है। यह सत्य है कि हड़प्पा, मोहन-जो-दड़ो या लोथल उत्तर प्रदेश में नहीं मिले, किन्तु इस राज्य में बाँदा, बुन्देलखंड, मिर्जापुर और मेरठ में मिली प्राचीन वस्तुओं में हमें पूर्व-पाषाण काल, उत्तर-पाषाण-काल और हड़प्पा-काल की संस्कृतियों की झलक मिलती है। बांदा, बुन्देलखंड और मिर्जापुर में मिले पूर्व तथा उत्तर पाषाणकालीन औज़ारों के अतिरिक्त कानपुर, उन्नाव, मिर्जापुर तथा कुछ अन्य जिलों में ताँबे की वस्तुएँ प्राप्त हुई हैं। प्रागैतिहासिक कालीन मनुष्य द्वारा बनाये गये चित्र आज भी विन्ध्य-श्रेणी और मिर्जापुर में दिखलायी पड़ते हैं। इस राज्य में प्राचीन काल के मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। ये वस्तुएँ यह प्रमाणित करने के लिए काफी हैं कि गंगा का दोआब भारतीय सभ्यता का अत्यन्त प्राचीन काल से केन्द्र रहा है तथा उत्तर प्रदेश का इतिहास आर्यों के आगमन के पूर्व शुरू होता है। हो सकता है कि सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बीच की कड़ी इस राज्य के प्राचीन स्थानों और अवशेषों के नीचे अब भी कहीं दबी पड़ी हो।

ऋग्वेद में उत्तर प्रदेश का कोई उल्लेख नहीं मिलता। गंगा और यमुना का भी बहुत कम जिक्र हुआ है। उत्तर वैदिक काल में सप्तसिंधु पृष्ठभूमि में चला जाता है तथा ऋषि-देश अथवा मध्यदेश, जो कि मोटे तौर पर आज का उत्तर प्रदेश था, का महत्व बढ़ता है। तब से लेकर आज तक यह भारत की पवित्र भूमि और वैदिक संस्कृति और ज्ञान का पीठ बना हुआ है।

उत्तर वैदिक कालीन ग्रन्थों में आर्य-संस्कृति के केन्द्र के रूप में नये कुरु-पांचाल, काशी और कोशल राज्यों का काफी उल्लेख किया गया है। कुरु-पांचाल, "वैदिक सभ्यता के सर्वोत्तम प्रतिनिधि, सर्वोत्तम संस्कृत भाषी, सर्वाधिक कुशलता से बलि देने वाले...(और) सबसे अच्छी अकादमी संगठित करने वाले थे।" उनके नरेश देश के अन्य भागों के राजाओं के लिए एक आदर्श थे तथा ज्ञान और पवित्रता के लिए उनके ब्राह्मणों का हर व्यक्ति सम्मान करता था। उपनिषदों में पांचाल परिषद का उल्लेख मिलता है। राजा जनक द्वारा सम्पन्न अश्वमेध के अवसर

पर आयोजित सम्मेलन में भाग लेने के लिए कुरु-पांचाल के विद्वानों को विशेष रूप से निमंत्रित किया गया था। पांचाल के राजा प्रवाहण जैवालि अपने समय के विख्यात दार्शनिक थे जिनका सिलिक, दालम्य, श्वेतकेतु आदि ब्राह्मण विद्वान भी सम्मान करते थे। काशी नरेश अजातशत्रु इस काल के दूसरे ऐसे दार्श-निक राजा थे जिनका महत्व ब्राह्मण विद्वान--दृप्त, वालाकि, गार्ग्य ने स्वीकार किया था। इस काल में विविधतापूर्ण साहित्य का विकास हुआ जिसका चरमोत्कर्ष हुआ उपनिषदों के रूप में। प्राचीन भारत के दर्शन-शास्त्र का जन्म और विकास मुख्य रूप से आश्रमों में हुआ था जिनमें से कुछ उत्तर में भी स्थित थे। भरद्वाज, याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ, विश्वामित्र, वाल्मीकि और अत्रि आदि अनेक प्रसिद्ध ऋषियों के आश्रम या तो यहाँ थे या इस राज्य से सम्बन्धित थे। यह कहा जा सकता है कि कुछ आरण्यकों और उपनिषदों की रचना उत्तर प्रदेश की नदियों के तट पर स्थित आश्रमों में हुई थी।

छठीं शती ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश शेष उत्तर भारत की तरह गौतम बुद्ध, महावीर, मन्खलि गोशल तथा अन्य महात्माओं की विचार-धाराओं से प्रभावित रहा। इनमें से मन्खलिपुत्त गोशल आजीवक पन्थ के संस्थापक थे। वे सारवन में श्रावस्ती के पास पैदा हुए थे और उन्होंने अपनी विचार-धाराओं के उपदेश भी अधिकतर श्रावस्ती में ही दिये थे। श्रावस्ती में ही 'आजीवका' भी बनायी गयी थी। २४ वें जैन तीर्थंकर महावीर यद्यपि बिहार में पैदा हुए थे और अपने जीवन का अधिकतर भाग उन्होंने वहीं बिताया था तथापि उत्तर प्रदेश में भी उनके काफी अनु-यायी थे। कहा जाता है कि वे एक बरसात श्रावस्ती में और दूसरी पर्व (जि०देवरिया) में बिताते थे। वस्तुतः जैन धर्म महावीर के पूर्व ही उत्तर प्रदेश में अपनी जड़ें जमा चुका था। अनेक तीर्थंकर जैसे—पार्श्वनाथ, सम्भरनाथ, श्रेयमिसनाथ और चन्द्रप्रभा, कहा जाता है, उत्तर प्रदेश में ही पैदा हुए थे और उन्होंने कैवल्य भी यहीं प्राप्त किया था। बाद की शताब्दियों में भी जैनधर्म ने, प्रदेश में अपनी लोकप्रियता बनाये रखी जैसा कि पुराने मंदिरों और अन्य अवशेषों से स्पष्ट है। कामकली टीला (मथुरा) में एक जैन स्तूप मिला है तथा देवगढ़, चन्देरी और उनके अन्य स्थानों में मध्ययुगीन जैन मन्दिर और मूर्तियाँ आदि अब भी विद्यमान हैं।

उत्तर प्रदेश पर बौद्ध धर्म का काफी प्रभाव पड़ा। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी (नेपाल) में हुआ था और उन्होंने बोध गया (बिहार) में ज्ञान प्राप्त किया था किन्तु ऋषि पाटन (सारनाथ), उत्तर प्रदेश में ही उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। यहीं सम्प्रदाय की स्थापना कर उन्होंने इसे धर्म और संघ की

जन्म-भूमि बनने का गौरव प्रदान किया। उत्तर प्रदेश के नरेश भगवान बुद्ध के व्यक्तित्व और उनके उपदेशों से प्रभावित हुए थे तथा उन्होंने उन्हें धर्म के प्रचार के लिए हर-संभव सुविधा प्रदान की। प्रदेश की जनता ने भी तथागत का उचित सम्मान किया था। तथागत ने अपने जीवन का अधिक भाग यहीं बिताया था। यदि हम इस भूमि को बौद्ध धर्म की जननी कहें तो अत्युक्ति न होगी। कोशल के राजा प्रसेनजित ने उन्हें अपने राज्य का नागरिक घोषित किया था। पाली-ग्रन्थों तथा चीनी-यात्रियों के विवरणों में अनेक स्थानों पर यह उल्लेख किया गया है कि उत्तर प्रदेश की बहुत-सी जगहें भगवान बुद्ध की चरणरज से पवित्र हुई थीं और सभी स्थानों में आनेवाली पीढ़ियों ने भगवान बुद्ध के आगमन की स्मृति को जीवित रखने के लिए स्तूप और भवन आदि बनवाये थे। सारनाथ जहाँ बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था और कुशीनारा जहाँ उन्होंने परिनिर्वाण प्राप्त किया था उत्तर प्रदेश में ही हैं। ज्ञातव्य है कि ये स्थान बौद्धों के चार पवित्र स्थानों में हैं। श्रावस्ती, संकिसा और पावा का भी भगवान बुद्ध की जीवन-गाथा में महत्त्व-पूर्ण स्थान है। उत्तर प्रदेश के अनेक स्थान भगवान बुद्ध के उपदेशों के केन्द्र रहे हैं तथा उनके शिष्यों में से भी कुछ इसी राज्य के रहने वाले थे।

उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म की जड़ें बहुत गहराई तक पहुँचीं और १२ वीं शती तक बौद्ध विहार और मठ इस राज्य में पनपते रहे। ह्वेनसांग, फाह्यान, इ-त्सिंग और तारानाथ आदि के विवरणों में इनको काफी महत्व दिया गया है। ये मठ और विहार ज्ञान के केन्द्र थे और ह्वेनसांग ने इनमें से कुछ मठों में स्वयं विख्यात विद्वानों से ज्ञान प्राप्त किया था।

उत्तर प्रदेश, विशेषतौर पर कोशल का बौद्ध साहित्य के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है, जैसा कि डा० बी० सी० ला ने संकेत किया है। अभिधारुण पिटक को छोड़ कर पाली-ग्रन्थों को तीन-चौथाई भाग तक कोशल का साहित्य कहा जा सकता है। ये ज्यादातर श्रावस्ती और इसके आस-पास के क्षेत्रों से सम्बन्धित हैं। उत्तर-बौद्ध ग्रन्थों में भी उत्तर प्रदेश के स्थानों और व्यक्तियों को प्रमुख स्थान मिला है।

बुद्ध के बाद के काल में भी उत्तर प्रदेश ने अपनी सांस्कृतिक परम्पराएँ बनाये रखीं। हमारे दो प्रसिद्ध पुरातन महाकाव्यों—रामायण और महाभारत में से प्रथम की कथा कोशल के इक्ष्वाकु वंश और दूसरे की हस्तिनापुर के कुरु वंश से सम्बन्धित है। कहा जाता है कि रामायण के रचयिता वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावर्त (बिठूर) में था और नैमिषारण्य (नीमसार) के वनों में उग्रश्राव ने महाभारत

की कथा, जैसी कि उन्होंने व्यास से सुनी थी, उन्हें सुनायी थी। कुछ स्मृतियों और पुराणों की रचना भी उत्तर प्रदेश में हुई थी। ऐतिहासिक काल में भी अयोध्या, प्रयाग, वाराणसी, मथुरा और अनेक अन्य नगर धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास के निर्माण में योगदान करते रहे। ज्ञान के संरक्षक के रूप में उत्तर-प्रदेश में इस काल में शासन करने वाले बहुत से राजा विख्यात हुए हैं। इनकी राजसभा में वाण, मयूर, दिवाकर, वाक्पति, भवभूति, राजशेखर, लक्ष्मीधर, श्रीहर्ष और कृष्ण मिश्र जैसे प्रसिद्ध विद्वान थे। ह्वेनसांग ने लिखा है कि मध्यदेश के निवासी शुद्ध भाषा का प्रयोग करते थे, उनके उच्चारण स्पष्ट होते थे तथा उनकी अभिव्यक्तियाँ देवताओं के समान मधुर और सुसंस्कृत होती थीं। प्रतिहार दरबार के राजशेखर ने भी इसी प्रकार पांचाल के कवियों और जनता की प्रशंसा की है। वाराणसी प्राचीन काल से ही ज्ञान का केन्द्र रही है। अयोध्या और मथुरा ने राम और कृष्ण की जन्मभूमि होने के कारण प्रसिद्धि पायी तथा तीर्थराज होने के कारण प्रयाग हर काल में दूर-दूर के यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा। कैलास और मानसरोवर से अलंकृत भारत के उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र की भी उपेक्षा नहीं हुई है और शंकराचार्य ने अपने एक धाम की स्थापना बदरिकाश्रम में की।

उत्तर प्रदेश ने मध्यकाल में अपनी परम्पराएँ जारी रखीं। वाराणसी ज्ञान के केन्द्र के रूप में विकसित होती रही। शर्की नरेशों के काल में जौनपुर इस्लामी संस्कृति का महत्वपूर्ण केन्द्र वन गया और कालान्तर में यह 'भारत का शीराज' के रूप में विख्यात हुआ। शर्की नरेशों ने संगीत को काफी प्रोत्साहन दिया और उनके दरबार में बहुत से उच्च कोटि के संगीतज्ञ थे। व्रज इस काल में भक्तिसंगीत का एक महत्वपूर्ण केन्द्र था।

इस काल की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण देन थी हिन्दू और मुस्लिम संस्कृतियों का समन्वय। डा० एन० एल० चटर्जी ने लिखा है, "उत्तर प्रदेश में ही मध्ययुगीन भारत के समाज, धर्म, कला और साहित्य में सांस्कृतिक समन्वय हुआ···यहीं, जैसा कि भारत के किसी अन्य स्थान में नहीं हुआ है, हिन्दू मस्तिष्क इस्लामी विचार-धारा के लिए खुला···(और) मुस्लिम सूफियों ने हिन्दू विचार-धारा और दर्शन से प्रेरणा प्राप्त की। यह पारस्परिक आदान-प्रदान मध्ययुगीन भारत के सांस्कृतिक जीवन का मुख्य अंग था तथा इसने हमारे राष्ट्रीय विकास पर बड़ा स्वस्थ प्रभाव डाला है।"

सांस्कृतिक समन्वय का सर्वोत्कृष्ट रूप हमें मध्यकालीन भारत के धार्मिक आन्दोलनों में दिखलायी पड़ता है। इस्लाम के प्रभाव से हिन्दुओं के भक्ति-सम्प्रदाय

को गति मिली। समकालीन हिन्दू सन्तों ने ईश्वर भक्ति, जात-पाँत के उन्मूलन और अद्वैतवाद पर बल दिया। इसी प्रकार इस्लाम पर हिन्दू विचार-धारा का प्रभाव भी हमें सूफी सन्तों के रहस्यवाद में स्पष्ट दिखलायी पड़ता है। विभिन्न धर्मों और सम्प्रदायों के सन्तों को उत्तर प्रदेश में उपयुक्त भाव-भूमि और वातावरण मिला और उन्होंने यहां अपने मतों का जोर-शोर से प्रचार किया। रामानन्द, कबीर, रैदास, दरयाशाह और गुरु गोकर्णनाथ आदि ने प्रदेश के सांस्कृतिक जीवन को नया मोड़ दिया। इन सन्तों और दार्शनिकों ने हिन्दी और उर्दू साहित्य के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान किया। संस्कृत के कुछ ग्रन्थों का इस काल में फारसी में अनुवाद हुआ और सुल्तान फीरोज तुगलक ने इस दिशा में काफी काम किया। इस काल के लेखकों में जियाउद्दीन बर्नी का उल्लेख करना आवश्यक है।

सुल्तानों के काल में आरम्भ हुए इस सांस्कृतिक समन्वय को मुगल बादशाहों के समय में और अधिक बल मिला। मुगल काल में यह समन्वय धर्म, कला और साहित्य आदि सभी क्षेत्रों में दिखलायी पड़ता है। इस काल में मुसलमानों की शिक्षा के लिए बहुत-से मदरसे स्थापित किये गये। वाराणसी ज्ञानपीठ के रूप में पहले की तरह ही विकसित होती रही। इसके अतिरिक्त इस काल में संस्कृत के ग्रन्थों का फारसी में तेजी से अनुवाद और हिन्दी तथा उर्दू साहित्य का विकास हुआ। तुलसीदास, सूरदास, केशवदास, भूषण, जायसी, बीरबल और रसखान उन प्रमुख साहित्यकारों में थे, जिन्होंने इस काल में उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ाया। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद अवध तथा उत्तर प्रदेश की अन्य छोटी-मोटी रियासतें कवियों और संगीतज्ञों को प्रोत्साहन देती रहीं।

उन्नीसवीं शती में उत्तर प्रदेश ब्रह्म समाज और आर्य समाज के उदार आन्दोलनों से प्रभावित हुआ। स्वामी दयानन्द के गुरु मथुरा के अन्धे संन्यासी स्वामी गिरिजानन्द थे। उत्तर प्रदेश विभिन्न सम्प्रदायों के अखाड़ों का भी अड्डा रहा है। इन अखाड़ों के मुख्यालय अयोध्या, मथुरा, वाराणसी और हरद्वार में थे। मुस्लिम नव जागर्ति, जिसका प्रतिनिधित्व 'अलीगढ़ आन्दोलन' ने किया है, का जन्म भी इसी प्रदेश में हुआ था। सर सैयद अहमद खां का नाम इससे विशेष रूप से सम्बद्ध है। विभिन्न कालेजों और विश्वविद्यालयों की स्थापना से प्रदेश में आधुनिक शिक्षा का सराहनीय विकास हुआ है। शैक्षिक विकास की गति में स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद तो और तेजी आ गयी है।

उत्तर प्रदेश की विरासत स्थापत्य और मूर्ति कला के क्षेत्र में बहुत शानदार है। महाकाव्यों, जातकों तथा अन्य प्राचीन ग्रन्थों में हमें उन पुराने नगरों, किलों

और महलों का वर्णन मिलता है, जो हमारे प्रदेश में स्थित थे। यह दुख का विषय है कि आज इनका कोई चिह्न तक उपलब्ध नहीं है। यही हाल शाक्यों और मल्लों आदि द्वारा छठीं शती में निर्मित स्तूपों का भी हुआ है। कहा जाता है कि मथुरा का प्रसिद्ध जैन स्तूप, जिसके भग्नावशेष कंकाली टीला में मिले हैं, इसी काल में निर्मित हुआ था।

तीसरी शती ई० पू० में भारत के इतिहास में मौर्यों ने पदार्पण किया और इनके साथ ही हमारी कला के इतिहास में भी एक नया पृष्ठ खुला। यह विख्यात है कि अशोक सारनाथ और कुशीनारा गये थे तथा उन्होंने दोनों स्थानों में स्तूप और विहार बनाने के आदेश दिये थे। यह स्तूप और विहार यद्यपि आज लुप्त हो चुके हैं किन्तु सारनाथ, इलाहाबाद, मेरठ, कौशाम्बी, संकिसा और वाराणसी के स्तम्भ मौर्य-कला के उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में अब भी विद्यमान हैं। अशोक द्वारा निर्मित सभी स्तम्भ चुनार के पत्थरों के बने हैं। अनुमान है कि स्तम्भों का निर्माण जिस कारखाने में होता था वह चुनार के पास ही कहीं स्थित था। सारनाथ का सिंह स्तम्भ मौर्यकला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। विन्सेन्ट स्मिथ के शब्दों में 'किसी भी देश में प्राचीन पशु-मूर्ति का इससे अच्छा या इसके समान भी उदाहरण मिलना कठिन है। हर दृष्टि से अशोक का यह स्तम्भ अद्वितीय है।' मौर्यकाल में कला का दूसरा महत्त्वपूर्ण केन्द्र मथुरा था। इस जिले में परखम, बुरादा, झिंग का नगर तथा अन्य स्थानों में यक्षों और यक्षिणियों की मूर्तियाँ मिली हैं।

उत्तर प्रदेश में शुंग सातवाहन काल में कला के क्षेत्र में काफी सक्रियता रही। सारनाथ में मिली बहुत-सी मूर्तियाँ इस काल की मानी जाती हैं। यही बात सारनाथ में मिले मन्दिर के बारे में भी कही जाती है। मथुरा, कला के भरहुत-सांची स्कूल का एक महत्त्वपूर्ण केन्द्र रहा है। यहाँ भी अनेक कला-कृतियाँ मिली हैं।

कला के मथुरा स्कूल में सर्वाधिक सक्रियता कुषाण-काल में दिखलायी पड़ती है। इस काल में बुद्ध को ईश्वर का रूप मान कर उनकी मूर्तियों का निर्माण किया गया। गान्धार और मथुरा के शिल्पियों को बुद्ध के पहले मूर्तिकार होने का गौरव प्राप्त है। बुद्ध के साथ मथुरा में तीर्थंकर और हिन्दू देवी-देवताओं की मूर्तियाँ भी बनायी गयीं। सामान्यतः ये मूर्तियाँ काफी बड़ी बनायी जाती थीं और आज भी इनमें से अनेक लखनऊ और मथुरा के संग्रहालयों की शोभा बढ़ा रही हैं। माट, जिला मथुरा में कुषाण सम्राट् कनिष्क और हुविष्क की भी विशाल मूर्तियाँ मिली हैं। कहा जाता है कि यह 'देवकुल' में स्थापित की गयी थीं, जो कि सम्भवतः आराधना का कोई प्राचीन स्थान या समाधि थी। कुषाण-काल में मथुरा की पत्थर

की मूर्तियों की बड़ी माँग थी। मथुरा के भूतेश्वर तथा अन्य स्थानों में मिले रेलिंग के भागों से इस काल के जीवन, वस्त्रों, आभूषणों, मनोरञ्जन के साधनों, हथियारों, औजारों तथा घरेलू वस्तुओं आदि पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। कुछ कला-कृतियों से यह भी पता चलता है कि मथुरा की कला पर विदेश (ग्रीस) का प्रभाव भी पड़ा था। कुषाण-काल में सारनाथ में भी काफी सक्रियता रही और अनेक विहारों, स्तूपों और अन्य पवित्र स्थानों के भग्नावशेष वहां मिले हैं।

गुप्त-काल में उत्तर प्रदेश देश के अन्य भागों से पीछे नहीं रहा। गुप्त-काल को भारतीय कला का स्वर्णकाल कहते हैं। देवगढ़ (झाँसी) का पत्थर का मन्दिर और भीतर गांव (कानपुर) का ईंटों का मन्दिर प्राचीन कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। जहाँ तक मूर्ति कला का संबंध है इस काल की उत्कृष्टता को प्रमाणित करने के लिए हम तीन मूर्तियों का ही उल्लेख करेंगे, जो हैं—मथुरा की विष्णुमूर्ति, मथुरा की ही खड़े हुए बुद्ध की मूर्ति और सारनाथ संग्रहालय में सुशोभित बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति। गुप्त-काल में सारनाथ और मथुरा की कला के स्कूलों का चरम विकास हुआ था। संतुलन और सुन्दरता गुप्त-कालीन स्थापत्य के मुख्य अंग हैं तथा इस काल की मूर्ति-कला में आन्तरिक शांति और वाह्य सौन्दर्य का अनूठा समन्वय हुआ है।

आरम्भिक मध्य काल में उत्तर प्रदेश में भवन-निर्माण के क्षेत्र में काफी जोर-शोर से काम हुआ। मुसलमान इतिहासकारों ने यहां के किलों, महलों और मस्जिदों की मुक्तकंठ से प्रशंसा की है। कन्नौज, वाराणसी, कालिंजर और मथुरा आदि नगरों की भी इन्होंने सराहना की है।

गुर्जर-प्रतिहार और गहरवाड़ शासकों के काल में कन्नौज कला और ज्ञान के केन्द्र के रूप में विकसित हुआ, किन्तु इसे मुसलमानों के आक्रमण की विनाशकारी आंधियों का सामना करना पड़ा। फलतः आज बहुत ही कम ऐसे उदाहरण उपलब्ध हैं, जो कन्नौज के वैभव की याद दिलाते हैं। गोविन्दचन्द गहरवाड़ की रानी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्मचक्र जैन बिहार नामक एक अनुपम भवन बनवाया था। मथुरा के मन्दिरों की महमूद गजनी जैसे मूर्तिनाशक ने भी प्रशंसा की थी। दक्षिणी उत्तर प्रदेश के चन्देल राजा भी कला के संरक्षक थे। इन्होंने अधिकतर खजुराहो (मध्यप्रदेश) के आसपास ही भवन बनवाये थे। बुन्देलखंड के महोबा, रासिन और रहिलिया आदि स्थानों में भी इनके कुछ मन्दिरों और सरोवरों के भग्नावशेष मिलते हैं। कालिंजर और मरफा स्थित इनके दुर्ग अभेद्य थे। उत्तरी उत्तर-प्रदेश की कला की अपनी विशेष परम्पराएँ थीं, जो वहां के मन्दिरों में अब भी सुशोभित हैं।

अंत में हम उत्तर प्रदेश की टेराकोटा (पकी हुई मिट्टी) कला का भी उल्लेख करेंगे, जिसके अनेक उदाहरण मथुरा, राजघाट, अहिछत्र, भीटा और कौशाम्बी में मिले हैं। कलात्मकता की दृष्टि से ये प्रशंसनीय हैं।

उत्तर प्रदेश की कला सुल्तानों के काल में अंधकार में डूबी रही। सुल्तानों ने अधिकतर दिल्ली और उसके पास ही भवन बनवाये। कुछ भवन और मस्जिदें उत्तर प्रदेश में भी निर्मित हुईं। जौनपुर में शर्की वंश का शासन कायम होने के बाद कला को फिर एक नया बल मिला। इस वंश के नरेशों के संरक्षण में अटाला खालिस मुखलिस, झंझरी और लाल दरवाजा जैसी उल्लेखनीय मस्जिदों का निर्माण हुआ। जौनपुर की कला की अपनी पृथक् विशेषताएँ हैं। भारत-मुस्लिम स्थापत्य के विकास में इस कला ने महत्त्वपूर्ण योगदान किया है।

स्थापत्य की भारत-मुस्लिम शैली का चरम विकास मुगलों के काल में हुआ और इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है ताजमहल जिसे शाहजहां ने अपनी रानी मुमताज महल की स्मृति में आगरा में बनवाया था। इस काल में अनेक सुन्दर और प्रसिद्ध महलों, किलों, मस्जिदों, मकबरों, स्नानघरों और हौजों तथा बागों का निर्माण हुआ। यद्यपि मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने भी अयोध्या और सम्भल में मस्जिदें बनवायी थीं किन्तु मुगल काल का स्थापत्य अकबर और शाहजहां के नाम के साथ विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। यदि अकबर बादशाह का शासन-काल मुगल-स्थापत्य का महाकाव्य-काल था तो शाहजहां का काल उसका गीत-युग था। अकबर द्वारा सीकरी में तथा शाहजहां द्वारा आगरा और दिल्ली में निर्मित भवनों में उनके कला सम्बंधी दृष्टिकोण और व्यक्तित्व पूर्णरूपेण प्रकट हुए हैं। आगरा उस समय तक मुगल स्थापत्य का केन्द्र रहा जब तक कि शाहजहां ने अपनी राजधानी उसकी जगह दिल्ली को न बना लिया। मुगल काल में उत्तर प्रदेश में बनी इमारतों में प्रमुख हैं—फतेहपुर सीकरी के महल, मस्जिदें, सभा-कक्ष और बुलन्द दरवाजा, आगरा का किला और उसके अन्दर बने अन्य भवन, सिकन्दरा स्थित अकबर का मकबरा, आगरा में एतमाद-उद्-दौला का मकबरा, इलाहाबाद का अकबर का किला और मथुरा, वाराणसी और लखनऊ में बनी औरंगजेब की मस्जिदें। किन्तु जैसा कि पहले कहा जा चुका है इन इमारतों में सबसे ज्यादा सुन्दर और महत्त्वपूर्ण है ताजमहल। इस काल में मथुरा, वृन्दावन और अन्य स्थानों में अनेक सुन्दर मन्दिरों का भी निर्माण हुआ था। हिन्दू और मुसलमानी शैलियों के समन्वय के अतिरिक्त मुगल-स्थापत्य की विशेषताएँ थीं, संगमरमर का प्रयोग, पत्थर पर जाली और बेलबूटे बनाना, नक्काशी तथा मीनाकारी। इस काल में गढ़वाल में चित्रकला का एक स्कूल विकसित हुआ था।

शाहजहाँ की मृत्यु के बाद मुगल-स्थापत्य का तेजी से पतन हुआ यद्यपि अवध के नवाबों ने कुछ दिनों तक पुरानी परम्पराओं को जीवित रखने की कोशिश की। अवध के नवाबों ने अनेक महल, मस्जिदें, दरवाजे, बाग और इमामबाड़े बनवाये। शुरू में उन्होंने फैजाबाद तथा बाद में लखनऊ में मुख्य रूप से भवन बनवाये। इनके भवनों में उल्लेखनीय हैं—लखनऊ स्थित आसफउद्दौला का इमामबाड़ा, कैसर बाग के मकबरे, लाल बारादरी, रेजीडेन्सी, रूमी दरवाजा, नजफ, अमज़द अली शाह का मकबरा, छतरमंजिल, मोतीमहल और कैसरबाग के महल। इस सिलसिले में दिलकुशा और सिकन्दर बाग के बागों का जिक्र करना भी आवश्यक है। इन भवनों की शैली में लोगों को वर्णसंकरता की झलक मिल सकती है। किन्तु इनकी अपनी पृथक् विशेषताएँ हैं जैसे—स्वर्ण छतरी वाले गुम्बज, महराबदार हाल, बारादरियाँ, तहखाने और भूलभुलैया।

ब्रिटिश काल और स्वतंत्रता के बाद के काल में कला के राजकीय संरक्षण के दृष्टिकोण में एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। धार्मिक भवनों के स्थान पर प्रदेश में धर्म-निरपेक्ष भवनों जैसे स्कूलों, कालेजों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों और सरकारी कार्यालय-भवनों का निर्माण आरम्भ हुआ। सरकारी दृष्टिकोण के साथ ही स्थापत्य की परम्पराओं में भी तेजी से परिवर्तन हुआ तथा राज्य में उपयोगी भवनों का युग आरम्भ हुआ।

संक्षेप में हर काल में उत्तर प्रदेश कला, साहित्य और संस्कृति की साधना, उदार दृष्टिकोण और सहिष्णुता के लिए विख्यात रहा है। यह सहिष्णुता इसी बात से प्रकट है कि हाल तक इस प्रदेश का अन्य प्रदेशों की तरह कोई विशेष क्षेत्रीय नाम नहीं था। उत्तर प्रदेश सच्चे अर्थों में भारत था। यह कभी मात्र स्थानीय इकाई नहीं रहा है। पवित्र गंगा और यमुना द्वारा सिंचित यह प्रदेश जिसका स्वर्ण मुकुट हिमालय है, जो राम और कृष्ण की लीला भूमि तथा ऋषियों और मुनियों की चिन्तन-स्थली रहा है, जो बौद्ध तथा जैन धम का केन्द्र था और जिसमें चार धामों में से एक और ७ पुरियों में से चार स्थित हैं, हर काल में राष्ट्र का गौरव रहा है।

कला और साहित्य

कभी-कभी किसी विशेष राज्य के योगदान का अलग से मूल्यांकन करना कठिन होता है किन्तु यह भलीभाँति देखा जा सकता है कि भारतीय कला और साहित्य को उत्तर प्रदेश हर काल में अलंकृत करता रहा है। यह भी उल्लेखनीय है कि इस राज्य ने किसी एक भाषा या किसी विशेष कला की ही नहीं वरन् सभी का विकास किया है।

संगीत

भारतीय संगीत का इतिहास बहुत पुराना है। कहा जाता है कि संगीत मनुष्य को देवताओं से प्राप्त हुआ था। आज भी भारत में सरस्वती साहित्य और कला की देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। रामायण में नृत्य, नाटक और संगीत का जिस रूप में उल्लेख हुआ है उससे यह स्पष्ट है कि उस समय तक भारत में संगीत, नृत्य और नाटक का समुचित विकास हो चुका था। कहा जाता है कि वाल्मीकि द्वारा रचित कविता का पाठ लव और कुश ने भगवान् राम के सम्मुख किया था। रामायण में अनेक प्रकार के वाद्यों का भी उल्लेख विभिन्न स्थलों पर हुआ है।

उत्तर भारतीय संगीत का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विकास मुसलमान शासकों के शासन काल में हुआ। अनेक शासकों ने इसका संरक्षण किया। ख्यातनामा संगीतज्ञ उनके दरबार से सम्बद्ध थे। इसी काल में भारतीय संगीत पर फारसी संगीत का भी प्रभाव पड़ा और उत्तर भारतीय तथा दक्षिण भारतीय संगीत का अन्तर अधिक स्पष्ट हो गया। इस काल में भारत के कुछ प्रमुख संगीतज्ञ उत्तर प्रदेश में ही रहते थे। प्रसिद्ध हिन्दू संत और संगीतज्ञ स्वामी हरिदास वृन्दावन में रहा करते थे और उनके शिष्य तानसेन मुगल सम्राट् अकबर के दरबार के राज गायक थे। मुगल-साम्राज्य के पतन के बाद ज्यादातर कलाकारों ने भारत के विभिन्न राज्यों में शरण ली।

अवध के अन्तिम नवाब वाजिदअली शाह अपने समय के जाने-माने कलाकार थे। उनके दरबार में नियमित रूप से नृत्य-नाटक आयोजित किये जाते थे। कत्थक नृत्य को उन्होंने काफी संरक्षण और प्रोत्साहन दिया था। उनके राजनर्तक श्री ठाकुर प्रसाद थे जिन्होंने कत्थक को नयी शक्ति प्रदान कर एक सुन्दर कला का

रूप दिया था। उनके भतीजों, बिन्दा दीन और कालका महराज, ने जो उनके शिष्य भी थे, कत्थक नृत्य की तकनीक में कुछ और सुधार किया। इन लोगों द्वारा निर्मित परम्पराएँ ही आगे चलकर 'लखनऊ घराने' के नाम से विख्यात हुईं। इनके वंशज देश में आज भी इस नृत्य के सबसे बड़े विशेषज्ञ माने जाते हैं।

भाव-चित्रण के लिए कत्थक में ठुमरी का प्रयोग किया जाता था। महाराज बिन्दा दीन ठुमरी रचयिता के रूप में भी काफी प्रसिद्ध हुए थे। यह ज्यादातर अभिनय के लिए ही ठुमरी की रचना करते थे। नृत्य के अतिरिक्त अवध के नवावों ने गायन का विकास किया। उनके काल में ठुमरी को भारतीय संगीत में एक विशेष स्थान प्राप्त हुआ। ठुमरी उत्तर प्रदेश की देन है और अधिकांश प्रसिद्ध ठुमरी गायक इसी राज्य में हुए हैं।

वाजिदअली शाह ने आपेरा (संगीत नाट्य) और बेले (नृत्य-बहुल अभिनय) को भी आगे बढ़ाया। उनके शासन काल में लखनऊ के एक कवि ने एक प्रसिद्ध बेले 'इन्दर सभा' प्रस्तुत किया, जिसकी रचना स्वयं वाजिदअली शाह ने की थी। वाजिदअली शाह के संरक्षण और निर्देशन में भी एक बेले तैयार हुआ था।

संस्कृत, हिन्दी और उर्दू तीनों ही भाषाओं के साहित्य की उत्तर प्रदेश के साहित्यकारों ने अभिवृद्धि की है। संस्कृत हमारी प्राचीन भाषा है। यह सभी क्षेत्रीय भाषाओं की मूल स्रोत और उनके साहित्य की प्रेरणा है। संस्कृत भाषा उत्तर पश्चिमी भारत में पल्लवित हुई। हिन्दी, जो काफी बाद में विकसित हुई, अपने विकास और श्री-वृद्धि के लिए संस्कृत की ही ऋणी है।

वाराणसी संस्कृत-शिक्षा का मुख्य केन्द्र रहा है। प्राचीन काल से यह देश के विभिन्न भागों के विद्वानों और दार्शनिकों को आकर्षित करता रहा है। आज भी यहां संस्कृत-ज्ञान की अखंड ज्योति प्रज्वलित है। भारत का एकमात्र संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में ही है।

हिन्दी

हिन्दी की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। यद्यपि उत्तर भारत के अधिकांश भू-भागों में यह बोली जाती है, फिर भी इसके साहित्य के विकास में उत्तर प्रदेश का विशेष योग है। स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद उत्तर प्रदेश तथा कई अन्य राज्यों ने इसे अपने यहाँ राज-काज की भाषा घोषित किया। देश की सबसे अधिक लोकप्रिय भाषा होने के कारण भारतीय संघ ने भी संविधान के अधीन इसे राष्ट्रभाषा स्वीकार करके गौरवान्वित किया।

हिन्दी का काव्य-साहित्य बहुत सम्पन्न है, जिसका आरम्भिक रूप हमें डिंगल में मिलता है। राजपूतों के दरबारी कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की प्रशस्ति में अनेक वीरगाथाओं की पद्यात्मक रचनाएँ उस समय कीं जब वे आपस में लड़ कर शौर्य प्रदर्शन कर रहे थे अथवा विदेशी आक्रमणकारियों का मुकाबला करने में लगे थे। युद्ध-स्थल में शत्रु से बहादुरी के साथ लड़ने के लिए वे उन्हें प्रेरित करते थे, और अपने ओजस्वी वीर-काव्य द्वारा उनका उत्साह बढ़ाते थे। ये कवि भाट या चारण कहलाते थे। इन कवियों में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण नाम चंद भाट या चंदवरदाई का है, जिन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ 'पृथ्वीराज रासो' की रचना ऐसे समय की जब पृथ्वीराज चौहान उत्तर से आने वाले आक्रामकों से अपने देश की वीरतापूर्वक रक्षा कर रहे थे। चंदबरदाई के बाद अनेक अन्य चारण कवियों ने भी वीरगाथाएँ लिखीं, जैसे 'खुमान रासो', 'बीसलदेव रासो' आदि। किन्तु सबसे अधिक लोकप्रियता प्राप्त की जगनिक या जगनायक ने, जिनका 'आल्हखंड' अपनी सरल एवं ओजपूर्ण शैली के कारण आज भी लोगों में वीरता की भावना का संचार करता है।

जैसे-जैसे समाज के परस्पर विरोधी अंगों का वैमनस्य दूर हुआ, हिन्दी काव्य की भी धारा बदली और वह लोगों के विचारों, भावनाओं और संस्कृतियों में सामंजस्य लाने का साधन बनी। कबीर, जायसी, रैदास, दादू आदि संतप्रकृति के व्यक्तियों ने अपनी दार्शनिक कविताओं द्वारा जनता के नैतिक स्तर को ऊँचा उठाने का प्रयास किया। उन्होंने सत्य और सार्वभौम प्रेम का संदेश दिया और जनता को जीवात्मा का परमात्मा से संबंध समझाने का सफल प्रयास किया। इन संत कवियों में से कुछ इतने सम्मानित हुए कि इनके संप्रदाय या पंथ बन गये और वे गुरु माने जाने लगे। आज भी ऐसे कई संप्रदाय समाज में प्रचलित हैं। संतों ने अपने रहस्यात्मक उपदेशों में प्रायः क्षेत्रीय बोलियों का व्यवहार किया है, जिससे कि स्थानीय जनता उन्हें सरलता से समझ सके।

संत परम्परा के साथ-साथ हिन्दी काव्य में भक्ति-भाव से ओत-प्रोत एक और धारा प्रवाहित हो रही थी, जिसके अंतर्गत सूरदास, नंददास, मीराबाई, हरिदास, हरिवंश, रसखान आदि ने अपनी मधुर संगीतमयी रचनाओं से हिन्दी की श्री-वृद्धि की। भगवान् कृष्ण की रूप-माधुरी के प्रति भक्तों को आकृष्ट करके अह्लादित करना इस काव्य का मुख्य उद्देश्य है। इनके गेय पदों में राग है, अनुराग है, रस है और है चाँदनी जैसा शीतल स्निग्ध प्रभाव। इनकी संगीतसुधा से जनता में एक नव-जीवन का संचार हुआ और निराशाजनित उदासी दूर हो गयी।

कृष्ण-भक्त कवियों के अतिरिक्त कुछ ऐसे कवि भी उस समय हुए जो भगवान् राम को अपना आराध्य मानते थे। राम-भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास अग्रणी हैं। उनके काव्य का प्रभाव सूर्य-तेज के समान है, जिससे जीवन को प्रकाश और गौरव प्राप्त होता है। अपने सुप्रसिद्ध महाकाव्य 'श्रीरामचरित मानस' में उन्होंने आदर्श जीवन का व्यापक चित्र प्रस्तुत किया है। भक्तों के लिए यह एक धर्म-ग्रंथ बन गया है और जिज्ञासुओं के लिए साहित्य की अमूल्य निधि। तुलसीदास महाकवि होने के साथ-साथ भाषा के पंडित भी थे। राज्य की प्रमुख बोलियों का व्यवहार उनके काव्य-ग्रंथों में मिलता है और विशद साहित्यिक गुणों से उनका काव्य विभूषित है।

मध्यकाल में हिन्दी काव्य की एक और धारा प्रवाहित हुई जिसका उद्देश्य संत और भक्त कवियों की रचनाओं से भिन्न था। ये कवि रीतिवादी थे और इनका दृष्टिकोण सीमित था। काव्य-शास्त्र के अनुसार अलंकारों की छटा का प्रदर्शन करना इनकी विशेषता है। परम्परा के अनुसार नायक-नायिकाओं की दशाओं और नख-शिख का वर्णन इस धारा की अधिकांश कविता का प्रमुख लक्षण है। फिर भी बिहारी, देव, घनानन्द, रहीम, सेनापति, भूषण, भिखारीदास, पद्माकर आदि की रचनाओं में कला और भाव दोनों पक्षों का सुन्दर निर्वाह हुआ है। आलंकारिक भाषा तथा कल्पना की उड़ान इनके काव्य को अनूठा आकर्षण प्रदान करती हैं।

रीति काल के बाद हिन्दी काव्य में एक संक्रांति-काल आया जो मध्यकालीन और आधुनिक साहित्य रचना के बीच की कड़ी है। इसे 'भारतेन्दु युग' कहते हैं। यद्यपि एक और परम्परागत शैली में ब्रजभाषा काव्य की रचनाएँ इस युग में भी प्राय: होती रहीं, फिर भी रूढ़िवादी कविता से अलग हिन्दी-साहित्य का नयी दिशा की ओर मुड़ना इस युग में स्पष्टत: आरम्भ हो गया था। जनता की सामाजिक और राजनीतिक यातनाओं का अनुभव करके भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, प्रताप नारायण मिश्र आदि ने अपनी तीव्र लेखनी परिचालित की और साहित्य में राष्ट्रीयता की भावना लाने की चेष्टा की। 'भारत दुर्दशा' नाटक लिख कर भारतेन्दु जी ने तत्कालीन सामाजिक दीनता और हीनता का चित्रण किया। यही नहीं, उन्होंने अपने समय में कवियों और लेखकों को निर्देश किया कि वे प्रगतिशील भाषाओं के ज्ञान-विज्ञान एवं साहित्य से अपनी भाषा के भंडार को बढ़ाने के लिए विचार और शैली आदि लेने तथा उनका अनुसरण करने में किंचित संकोच न करें। इस प्रकार भारतेन्दु युग में हिन्दी साहित्य में एक नव जागरण के दर्शन होते हैं। इस युग में

काव्य के साथ गद्य-शैली का भी विकास हुआ। उपयोगी विषयों पर पुस्तकें प्रकाशित की गयीं, ऐतिहासिक एवं सामाजिक नाटक और उपन्यास लिखे गये, अँगरेजी और बंगला भाषाओं के ग्रंथों के अनुवाद किये गये और पत्र-पत्रिकाएँ निकाली गयीं ।

१९ वीं शताव्दी का उत्तरार्द्ध और २० वीं सदी का पूर्वार्द्ध भारत के इतिहास का एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन-काल रहा है। इस युग में, जिसे हम आधुनिक युग कहते हैं, जनमन में राजनीतिक और सामाजिक सुधारों के लिए बलवती लालसा जागरित हुई और विभिन्न विचार-धाराओं के नेताओं ने उसे उभारने का प्रयत्न किया। इसी युग में स्वामी दयानन्द, पंडित मदन मोहन मालवीय प्रभृति पथ-प्रदर्शकों ने हिन्दी के उत्थान के लिए प्रयत्न किये और अपने अनुगामियों को तदर्थ प्रेरित किया। महात्मा गांधी ने हिन्दी के हित में विशेष रूप से प्रचार किया और उसे अपने रचनात्मक कार्यक्रम का एक अंग बनाया। उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में हिन्दी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाने के लिए प्रस्ताव पास कराया। राजर्षि बाबू पुरुषोत्तमदास टंडन ने घूम-घूम कर हिन्दी का प्रचार किया और आजन्म उसका हित-साधन करते रहे। राजनीतिक और सामाजिक नेताओं तथा हिन्दी-प्रेमियों के सद्प्रयासों से विश्वविद्यालयों में हिन्दी साहित्य को उच्च कक्षाओं में अध्ययन का विषय बनाया गया। काशी-हिन्दू-विश्वविद्यालय और उसके बाद अन्य विश्वविद्यालयों ने उसे अपने पाठ्य-क्रम में सम्मिलित किया और आज राज्य भर में हिन्दी का अध्ययन-अध्यापन दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। शिक्षा का माध्यम बनने के बाद कला, विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में अच्छे-अच्छे मान्य ग्रन्थों को हिन्दी में प्रकाशित करने के लिए लेखक और प्रकाशक अधिकाधिक रुचि ले रहे हैं। लोकप्रिय सरकार और साहित्यिक संस्थाओं का सहयोग उन्हें मिल रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप हिन्दी भाषा और साहित्य आज सर्वतोमुखी विकास की ओर अग्रसर है। आधुनिक युग का प्रभाव काव्य और गद्य-ग्रन्थ तथा पत्र-पत्रिकाओं में स्पष्टतया दृष्टिगोचर है। हिन्दी का क्षेत्र निरन्तर विस्तृत होता जा रहा है और उसके साहित्य-गगन में नये-नये नक्षत्र प्रकट हो रहे हैं।

हिन्दी के महत्त्वमय भविष्य और उसके माध्यम से होने वाले भावी कार्यों का ध्यान रखते हुए केन्द्र और राज्य की सरकारें इसके शब्दकोश की श्रीवृद्धि के लिए प्रयत्नशील हैं जिससे कला, विज्ञान और तकनीकी क्षेत्रों के आधुनिक विचारों को ग्रहण करने में वह समर्थ हो सके। हिन्दी का उद्भव उत्तर प्रदेश

में हुआ है अतएव यहाँ की सरकार और यहाँ की सामाजिक एवं साहित्यिक संस्थाएँ स्वभावत: उसके उन्नयन के लिए विशेष रूप से प्रयत्नशील हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस कार्य के लिए 'भाषा विभाग' और 'हिन्दी समिति' की स्थापना की है। भाषा विभाग ने पारिभाषिक शब्दों के अनुवाद की व्यवस्था की है और 'हिन्दी समिति' ने सामाजिक शास्त्रों से संबंधित अनेक प्रामाणिक ग्रन्थों के रूपान्तर प्रतिष्ठित विद्वानों से तैयार कराकर प्रकाशित किये हैं। इस दिशा में वाराणसी की 'नागरी प्रचारिणी सभा' तथा इलाहाबाद के 'हिन्दी साहित्य सम्मेलन' और 'हिन्दुस्तानी अकादमी' ने भी स्तुत्य कार्य किया है। राज्य के अनेक नगरों में हिन्दी-सेवी संस्थाएँ स्थापित हुई हैं, जो वित्त और सामर्थ्य के अनुसार राष्ट्र-भाषा एवं साहित्य की उन्नति के लिए सराहनीय प्रयत्न कर रही हैं। हिंदी का भविष्य अति उज्ज्वल है।

उर्दू

उर्दू भाषा के विकास में उत्तर प्रदेश का विशेष योग रहा है। अमीर खुसरो एक महान् विद्वान थे जिन्होंने एक ऐसी पद्यात्मक रचना की जिसे उर्दू की पहली गज़ल कहा जा सकता है। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में तेरहवीं शताब्दी में हुआ था किन्तु वस्तुत: उर्दू पद्य और गद्य के विकास का आरम्भ अठारहवीं शताब्दी में हुआ। अकबराबाद या आगरा उर्दू गज़ल का प्रथम केन्द्र बना। यहीं मीर तकी का जन्म सन् १७२०–२५ के दौरान हुआ था। बाद में वह दिल्ली चले गये थे। 'गालिब' भी अकबराबाद में ही पैदा हुए थे और बाद में दिल्ली जाकर बस गये थे। मीर तकी ने अपने जीवन का अंतिम समय लखनऊ में व्यतीत किया और वहीं सन् १८१० में मरे। 'गालिब' भी कुछ दिनों लखनऊ, रामपुर और वाराणसी में रहे।

मुगल-साम्राज्य के छिन्न-भिन्न होने के बाद दिल्ली में अव्यवस्था और उथल-पुथल की स्थिति उत्पन्न हो गयी थी। ऐसी दशा में दिल्ली के कई बड़े कवि अवध के नवाब आसफउद्दौला के दरबार में आ गये और नवाब ने राज्य की ओर से उदारता-पूर्वक उनका स्वागत किया। लखनऊ आनेवाले कवियों में 'फुगां' मीर तकी मीर, सौदा, मीर जाहिक, मीर हसन आदि प्रमुख थे। 'फुगां' बाद में अजीमाबाद (पटना) चले गये। इन के बाद 'मीर', 'मुस्हफी', 'जुरअत' और 'इंशा' लखनऊ आये। इन कवियों के लखनऊ आने के बाद से ही उर्दू-काव्य की लखनऊ शैली का समारंभ हुआ। 'नासिख' और 'आतिश' लखनऊ शैली के दो प्रथम

प्रसिद्ध कवि हैं। उन्होंने उर्दू-भाषा का परिष्कार करके उसकी श्री-वृद्धि की। इनके शागिर्द 'रिन्द', 'वजीर', 'सबा', 'जुरअत' आदि हुए।

लखनऊ में काव्य के विभिन्न रूपों का विकास हुआ। 'अनीस' और 'दबीर' ने उर्दू कविता के 'मरसिया' छंद को पूर्णता प्रदान की। 'गजल' और 'मरसिया' के अलावा लखनऊ के कवियों ने अन्य रूपों में भी पद्यात्मक रचनाएँ कीं जैसे 'मसनवी', 'वासोख्त' आदि। 'मसनवी' के लेखकों में मीर हसन, दयाशंकर 'नसीम', नवाब मिर्जा 'शौक' और 'शौक' किदवई के नाम उल्लेखनीय हैं। 'शहरुल बयान', 'गुलजार-ए-नसीम', 'जहर-ए-इश्क' और 'आलमे ख्याल' सुप्रसिद्ध मसनवी ग्रन्थ हैं।

काव्य की लखनऊ-शैली के बारे में सामान्यतः यह आपत्ति और आलोचना की जाती है कि लखनऊ के कवियों ने कविता को अत्यन्त विचारात्मक और रोमांचक बना दिया है। उन्होंने भाषा-सौष्ठव के लिए उसे उपमा, रूपक और श्लेष भर कर अधिक आलंकारिक बना दिया है। तथ्यात्मकता की चिन्ता उन्होंने नहीं की। उनकी कविताओं का विषय प्रायः सामान्य प्रेम तक सीमित रहा। इस प्रकार की कविताओं में वास्तविकता से कोई प्रयोजन नहीं रखा गया है और न मानवीय मूल्यों का ध्यान रखा गया है। कल्पना लोक में रह-रह कर इन कवियों ने इश्क की ही बातें अपनी रचनाओं में की हैं।

अवध के नवाबों के अलावा, रामपुर, फर्रुखाबाद और टांडा के रजवाड़ों ने भी उर्दू-कवियों को आश्रय दिया। इनमें रामपुर दरबार का प्रमुख स्थान रहा। 'दाग', 'अमीर', 'जलाल' और 'तस्लीम' आदि प्रसिद्ध कवियों के नाम उल्लेखनीय हैं, जिन्होंने रामपुर दरबार का आश्रय प्राप्त किया।

आगे चल कर 'सफी', 'साकिब', 'अजीज', 'जलाल' और 'आरजू' ने उर्दू कविता को एक नया मोड़ दिया। उन्होंने अपनी गजलों और नज्मों में नये-नये विषय देना शुरू किया। किन्तु लखनऊ-शैली में क्रान्ति लाने वाले कवि ब्रज नारायण चकबस्त थे, जिन्होंने उर्दू शायरी में देश-प्रेम को स्थान दिया। वर्तमान समय में सुप्रसिद्ध उर्दू शायरों ने कविता को जीवन से समन्वित किया और उसे वास्तविकता के समीप लाये।

लखनऊ के कवियों के अलावा उत्तर प्रदेश में अन्य अनेक प्रसिद्ध कवि हुए हैं, जैसे 'सुरूर' जहानाबादी, बिशन नारायण दर, 'असगर' गोंडवी, 'अकबर' इलाहाबादी, 'मजाज' और 'जिगर' मुरादाबादी। इन कवियों ने उर्दू ग़ज़ल और नज्म को नया रंग, नया ओज और नवजीवन प्रदान किया।

उर्दू-काव्य में सुचारु या शिष्ट व्यंग्य को उत्तर प्रदेश ने ही आरम्भ करके दृढ़ता प्रदान की। १९ वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में 'अवध-पंच' ने विनोद और हास्य रस-युक्त कविताएँ, लेख और व्यंग्य चित्र प्रकाशित किये। व्यंग्यात्मक काव्य के सर्वश्रेष्ठ सफल लेखक 'अकबर' इलाहाबादी और 'जरीफ' लखनवी माने जाते हैं।

पद्य के अतिरिक्त उर्दू-गद्य के विकास में उत्तर प्रदेश का उल्लेखनीय योग रहा। लखनऊ के प्रथम गद्य-लेखकों में मिर्जा रजब अली बेग 'सुरूर' का नाम उल्लेखनीय है, जिन्होंने अवध के नवाब के राज्यकाल में 'फिसान-ए-अजायब' लिखा। उन्होंने गद्य में कुछ अन्य किताबें भी लिखीं। इन किताबों में ज्यादातर दैत्यों और परियों के बारे में लिखा गया है और उनकी शैली भी शब्दाडंबरपूर्ण तथा उल्टी-सीधी है।

१८५७ की क्रान्ति के बाद गद्य की शैली में सरलता आयी जो मौ० अब्दुल हलीम, 'शरर' और रतननाथ दर 'सरशार' के उपन्यासों में परिलक्षित है। 'सरशार' ने लखनऊ की जिन्दगी और तहजीब के बारे में अपने उपन्यासों, खास तौर से अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक, 'फिसान-ए-आजाद' में सुन्दर चित्र प्रस्तुत किये हैं।

मिर्जा मुहम्मद हादी 'रुसवा', जिन्होंने 'उमराव जान अदा' नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है, एक दूसरे लेखक थे, जिन्होंने उर्दू-साहित्य को एक नया मोड़ दिया। प्रसिद्ध उर्दू साप्ताहिक 'अथध पंच के' सम्पादक मुंशी सज्जाद हुसेन ने शिष्ट विनोद और राजनीतिक विचार देना आरम्भ किया। मौलाना शिबली एक बड़े देशभक्त होने के साथ-साथ उर्दू के प्रसिद्ध लेखक भी थे, जिन्होंने साहित्य, धर्म, जीवनी, इस्लामी इतिहास और दर्शन से संबंधित बहुत से ग्रन्थ लिखे। वे एक अच्छे कवि भी थे। इनके सुयोग्य शिष्य मौ० सुलेमान नदवी आधनिक काल के एक प्रसिद्ध उर्दू लेखक हुए हैं।

अलीगढ़ विश्वविद्यालय के जन्मदाता सर सैयद अहमद खाँ ने उर्दू साहित्य को नये-नये विषयों पर लेख और निबंध लिखकर एक नया मार्ग दिखलाया। मौलाना शिबली और 'हाली' की भाँति सर सैयद ने भी अपने समकालीन लोगों पर प्रभाव डाला और सामाजिक सुधारों, इतिहास, जीवनी, शिक्षा, राष्ट्रीयता और राजनीति विषयों पर उर्दू में निबंधों की रचना की। इस भाँति उस समय तक जिन विषयों पर उर्दू-लेखकों का ध्यान नहीं गया था उनको उन्होंने नये व्यापक क्षेत्र में लाकर प्रस्तुत किया।

इस प्रकार हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश ने उर्दू-साहित्य की महत्त्वपूर्ण सेवा की है और आज भी कर रहा है। उर्दू-साहित्य के सुप्रसिद्ध गद्य और पद्य लेखकों में

अधिकांश इसी राज्य में हुए हैं। उर्दू के जिन साहित्यकारों को पद्मभूषण और 'साहित्य अकादमी' के पारितोषिक प्राप्त हुए हैं, वे सब उत्तर प्रदेश के हैं और यह इसके लिए गौरव की बात है।

स्थापत्य

उत्तर प्रदेश में स्थापत्य की अनेक शैलियाँ पल्लवित हुई हैं। यहाँ हिन्दू काल के मन्दिर एवं भवन, मुगल काल की इमारतें और मकबरे तथा लखनवी और जौनपुरी शैली के भी प्रासाद हैं। राज्य के स्थापत्य का वैभव मन्दिरों, महलों, मस्जिदों और किलों में सुरक्षित हैं। देवगढ़ में दशावतार मन्दिर के खंडहर गुप्तकालीन वास्तु-कला की गौरव गाथा आज भी दुहरा रहे हैं। बाद में बने कुछ मन्दिरों के स्थापत्य पर आधुनिकता का प्रभाव भी दिखलायी पड़ता है। वाराणसी, अयोध्या, मथुरा और वृन्दावन के मन्दिर विशेष रूप से दर्शनीय हैं।

स्थापत्य की दृष्टि से प्रदेश की मस्जिदों को दो श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है:—(१) मुगल शैली की मस्जिदें, (२) राज्यीय शैली की मस्जिदें। प्रथम श्रेणी की मस्जिदें आगरा और फतेहपुर सीकरी में तथा दूसरी श्रेणी की लखनऊ और जौनपुर में पायी जाती हैं।

राज्य में मुगल स्थापत्य की छटा आगरा और फतेहपुर सीकरी के भवनों में देखी जा सकती है। मुगल स्थापत्य के विकास के दो मुख्य दौर रहे हैं। पहले दौर में, विशेष रूप से अकबर के शासन काल में लाल पत्थर की इमारतें बनीं और दूसरे में, जो शाहजहाँ के शासन-काल से आरम्भ हुआ था, संगमरमर के भवन बने।

अकबरी शैली का सबसे अच्छा उदाहरण है आगरे का किला जो एक विशाल पैमाने पर बनवाया गया था तथा जिसमें भारतीय और इस्लामी स्थापत्य शैलियों का सुन्दर सम्मिश्रण हुआ है। अकबर ने इलाहाबाद में भी एक किला बनवाया, जो आज भी एक सजग एवं सशक्त प्रहरी के समान खड़ा है। अकबर की वास्तु-कल्पना ने नियोजित रूप और आकार पाया था फतेहपुर सीकरी में।

सीकरी के भवन दो श्रेणियों में विभाजित किये जा सकते हैं—पहले धार्मिक और दूसरे ऐसे भवन जिनका धर्म से कोई सम्बन्ध नहीं है। बड़ी मस्जिद और शेख सलीम चिश्ती का मकबरा सीकरी के धार्मिक भवनों में आते हैं। दूसरी श्रेणी के भवन हैं जोधा बाई का महल, मरियम का महल, सुनहरा मकान तथा पंचमहल।

आगरा में एक और महत्त्वपूर्ण स्मारक है। यह है, नूरजहाँ के पिता एतमाद्‌उद्दौला का मकबरा, जो अकबर और शाहजहाँ की स्थापत्य शैलियों के बीच की कड़ी कहा जा सकता है। यह छोटा किन्तु सुन्दर स्मारक अपने ढंग का अकेला है। इसके निर्माण में कला के कोमल और सूक्ष्म तत्वों पर अधिक बल दिया गया है।

मुगल शैली की सर्वोत्तम शोभा शाहजहाँ-काल में निर्मित भवनों में दिखलायी पड़ती है। यह स्थापत्य के इतिहास में संगमरमर का युग था। इस युग में शाहजहाँ की परिष्कृत रुचियाँ और विकसित सौन्दर्य-बोध ने संगमरमर के स्वाभाविक सौन्दर्य को पूर्ण रूप से सँवार दिया। शाहजहाँ ने नये भवन बनाने के साथ-साथ कुछ पुरानी इमारतों को भी नया रूप दिया। अकबर द्वारा बनवाये गये लाल पत्थर के अनेक भवन उसने गिरवा दिये और उनके स्थान पर संगमरमर की इमारतें खड़ी कीं, जिनमें मुख्य हैं आगरा के दीवाने-आम और दीवाने-खास। नगीना मस्जिद, मुसम्मन बुर्ज और मोती मस्जिद में इस शैली का उत्कृष्ट रूप प्रकट हुआ है।

मुगलों द्वारा बनवाये गये स्मारकों और भवनों में सबसे ज्यादा खूबसूरत, सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण और स्थापत्य की दृष्टि से भी सर्वोत्कृष्ट है शाहजहां की पत्नी मुमताज महल का मकबरा—ताजमहल। यह अद्वितीय, स्मारक 'मकराना संगमरमर' का बना है। ताजमहल एक पवित्र कविता है, एक ऐन्द्रजालिक रचना है, एक स्वप्न है, जिसकी सुन्दरता अवर्णनीय है।

प्रदेश में कुछ राज्यीय और स्थानीय शैलियाँ भी विकसित हुई हैं। इनमें मुख्य हैं जौनपुर और लखनऊ की शैलियाँ। इन शैलियों की इमारतों में हमें वह विराटता और वैभव नहीं दिखायी पड़ता जो मुगल स्थापत्य में दृष्टिगोचर होता है, फिर भी ये अपने ढंग की अनोखी तो हैं ही।

शर्की शासकों के समय में जौनपुर में स्थापत्य कला को बहुत प्रोत्साहन मिला और जौनपुरी शैली की अनेक भव्य इमारतें निर्मित हुईं। सन् १४०८ में इब्राहीम शर्की ने प्रसिद्ध अटाला मस्जिद बनवायी, जो जौनपुरी शैली की बाद में बनने वाली मस्जिदों के लिए एक नमूना बनी। हिन्दू और मुस्लिम कला के सामञ्जस्य का यह एक सुन्दर उदाहरण है। इसकी स्थापत्य शैली सशक्त होने के साथ-साथ श्री-सम्पन्न भी है। जौनपुर की सबसे बड़ी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण मस्जिद है जामा मस्जिद।

जौनपुरी मस्जिद की कुछ विशेषताएँ थीं जिनका प्रभाव अन्य स्थानों की मस्जिदों के निर्माण पर भी पड़ा। शर्की मस्जिद की सबसे बड़ी विशेषता थी उसका

सिंह द्वार। इसके अतिरिक्त इन मस्जिदों में महिलाओं के बैठने के लिए विशेष व्यवस्था रहती थी। मस्जिद में उनके बैठने के लिए दालानें और बरामदे बनाये जाते थे।

शर्की शासकों ने किलों के निर्माण को भी प्रोत्साहन दिया। उत्तर प्रदेश के मध्यकालीन किलों में जौनपुर के किले का एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। आज तो इसका अधिक भाग खँडहर हो चुका है किन्तु अपने प्राचीन वैभव के दिनों में इसने समकालीन किला-स्थापत्य पर काफी प्रभाव डाला था।

स्थापत्य की लखनवी शैली क्षेत्रीय विकास का प्रतिनिधित्व करती है। लखनऊ एक नगर के रूप में अवध के नवाबों के शासन काल में विकसित हुआ। सन् १७७५ में आसफउद्दौला ने फैजाबाद के स्थान पर लखनऊ को अपनी राजधानी बनाया। कुछ वर्षों में ही इस नयी राजधानी में अनेक महत्त्वपूर्ण और सुन्दर भवनों का निर्माण हुआ। आसफउद्दौला द्वारा निर्मित बड़ा इमामबाड़ा दर्शकों पर एक गम्भीर प्रभाव डालता है। विश्व का सबसे बड़ा महराबदार हाल इसी इमामबाड़े में है। इमामबाड़ों के अतिरिक्त नवाबों ने बारादरियाँ और आवासीय भवन भी बनवाये हैं।

लखनऊ शैली पर वर्णसंकरता का आरोप लगाया जाता है। यह ठीक है कि नवाबों द्वारा निर्मित अनेक भवन पश्चिमी शैली की भोंड़ी नकल हैं फिर भी भारत-मुस्लिम स्थापत्य के इतिहास में इनका महत्त्वपूर्ण स्थान है और इनमें से कुछ तो स्थापत्य की दृष्टि से उत्कृष्ट भी कहे जा सकते हैं।

दर्शनीय स्थान

भारत तीर्थों का देश है। नागाधिराज हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक तीर्थों की एक श्रृंखला सी बनी हुई है। तीर्थ का अर्थ है, जिसके द्वारा तरना संभव हो। आर्य मान्यताओं के अनुसार संसार एक विशाल भवसागर है, जिसको पार करने में तीर्थ भी साधन माने गये हैं। तीर्थों के पवित्र वातावरण में पहुँच कर मनुष्य निष्पाप हो जाता है। इस मान्यता को लेकर ही इस धर्म-प्राण देश के लोग यात्रा करते हैं। इस प्रकार की यात्रा से धार्मिक दृष्टि से पुण्यलाभ तो होता ही है, साथ ही स्वदेश के विभिन्न क्षेत्रों और उनमें रहनेवाली समान संस्कृति के सूत्र में आबद्ध जनता के शुभ दर्शन होते हैं, उनके रहन-सहन और जीवनचर्या का पता चलता है। यात्रियों को अनेकता में एकता का आभास मिलता है। अतः जनता के हृदय में लोग-संग्रही भावना का विकास और पारस्परिक सौहार्द की अभिवृद्धि भी हमारे तीर्थ का प्रयोजन मानी जा सकती है।

धर्म-ग्रन्थों में तीर्थों की महिमा का विशद वर्णन है। प्राचीन काल में धर्माचार्य और महात्मागण तीर्थों में संत-सम्मेलनों और समारोहों का आयोजन करते थे। पर्वों के अवसर पर देश के विभिन्न भागों के तीर्थों में आज जो बड़ी संख्या में जन-समुदाय एकत्र होता है, वह उस परम्परा का संकेत है। विभिन्न धर्मावलम्बियों के फहराते हुए झण्डे आज भी मानो भारत की सांस्कृतिक एकता की घोषणा करते हैं।

युगों तक फैली हुई प्राचीन परम्परा के इस प्रदेश में बहुत से ऐसे स्थान हैं, जिनका धार्मिक दृष्टि से बहुत बड़ा महत्त्व है। बहुत-से ऐसे भी स्थल हैं जिन्हें तीर्थ नहीं कहा जा सकता, पर ऐतिहासिक और पर्यटकों की दृष्टि से उनका बड़ा महत्त्व है। नीचे हम कुछ इसी प्रकार के स्थानों का परिचय दे रहे हैं।

बदरीनाथ

कण्वाश्रम से नन्दगिरि तक का विस्तृत परम पुनीत क्षेत्र ही सम्पूर्ण सांसारिक भोग और मोक्ष का देने वाला बदरीनाथ मण्डल कहा गया है। गंगाद्वार (हरद्वार) से ३० योजन अर्थात् १२० कोस अथवा २४० मील की दूरी पर बदरीनाथ धाम है। कोटद्वार से नित्य प्रति बसें जाती हैं, जो दूसरे दिन जोशीमठ पहुँच जाती हैं। मार्ग में पौड़ी, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नन्दप्रयाग, चमोली और पीपलकोटी पड़ते हैं।

जोशीमठ से बदरीनाथ यात्रा-मार्ग २३ मील का है, जिसे दो दिन में आसानी से पूरा किया जा सकता है। वदरीनाथ की ऊँचाई लगभग १०,५०० फुट है। कुछ काल के लिए यहाँ बौद्धों का प्रभाव हो गया था, पर आदिगुरु श्री शंकराचार्य ने नारदकुण्ड से वर्त्तमान मूर्त्ति निकाल कर पुनः प्रतिष्ठापित की और हिन्दू धर्म का पुनः संस्थापन किया। शास्त्रानुकूल वैशाख मास से लेकर कार्तिक तक मानवों को श्री वदरीनाथ की पूजा करने का अधिकार है। इसके बाद देवता पूजा करते हैं। इस पवित्र तीर्थस्थान का यातायात अब सुगम हो गया है और भ्रमणार्थियों एवं यात्रियों के लिए ठहरने और भोजन की सुन्दर व्यवस्था हो गयी है।

केदारनाथ

श्री केदारनाथ जी का मन्दिर समुद्र की सतह से लगभग ११½ हजार फुट की ऊँचाई पर केदार मण्डल के अन्तर्गत स्थित है। गंगाद्वार (हरद्वार) से प्रारम्भ होकर स्वतान्त पर्यन्त तथा तमसा, अर्थात् वर्त्तमान टोंस नदी के क्षेत्र से लेकर बौद्धाचल पर्वत तक अर्थात् तिब्बतीय पठार का समस्त क्षेत्र, पुराणों में केदार मण्डल के नाम से प्रसिद्ध है। केदार मण्डल की लम्बाई १२० कोस तथा चौड़ाई २०० कोस वर्णित है। केदारनाथ के लिए प्राचीन काल में पैदल मार्ग हरद्वार से ऋषिकेश, वशिष्ठ गुफा, व्यासघाट, देवप्रयाग, अगस्त मुनि आदि अनेक तीर्थों से होकर जाता था। वर्तमान समय में यात्री मोटर यातायात का उपयोग कर कुण्ड तक शीघ्र पहुँच सकते हैं और उसके बाद केदारनाथ के लिए २४ मील पैदल चलना शेष रह जाता है। ऋषिकेश से केदारनाथ तक सम्पूर्ण मार्ग लगभग १५० मील है। इस मार्ग में मुख्य तीर्थस्थान वशिष्ठ गुफा, व्यासघाट, देवप्रयाग, कीर्ति नगर, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, अगस्त मुनि, चन्द्रपुरी, गुप्त काशी, त्रियुगीनारायण और गौरीकुण्ड क्रमानुसार पड़ते हैं। ऋषिकेश, वशिष्ठ गुफा और व्यासघाट गंगा के तट पर हैं। देवप्रयाग, भागीरथी और अलकनन्दा के संगम पर सुरम्य तीर्थ है। रुद्रप्रयाग मन्दाकिनी और अलकनन्दा नदियों के संगम पर स्थित हैं।

केदारनाथ जी का मन्दिर पाण्डवों द्वारा निर्मित बताया जाता है। इसके निर्माण में बड़े विशाल शिलाखण्डों का प्रयोग किया गया है, जिन्हें बिना यान्त्रिक सहायता के खड़ा करना असम्भव ही प्रतीत होता है। इसके चारों ओर की हरी-भरी घाटी बड़ी ही मनोहारिणी है। केदारनाथ पीठ में अनेक कुण्ड हैं, जिनमें शिव कुण्ड मुख्य हैं। एक कुण्ड, जो रुधिरकुण्ड कहलाता है, रक्तवर्ण पानी से भरा है। मन्दिर के वाम भाग में पुरन्दर पर्वत है। इस क्षेत्र के मुख्य स्थान

नारायण क्षेत्र, मिलंगण क्षेत्र, बागल क्षेत्र, शाकम्भरी क्षेत्र आदि हैं। तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पनाथ आदि अन्य तीर्थ भी इसी क्षेत्र में हैं।

कण्वाश्रम

कण्वाश्रम बदरीनाथ मंडल के प्रमुख तीर्थों में है। आजकल इसे चौकीघाट कहते हैं। यह पौराणिक तीर्थ सांसारिक भोग और मोक्ष का देने वाला कहा गया है। प्रतिवर्ष हजारों श्रद्धालु हिन्दू यहाँ की यात्रा करते हैं।

बैजनाथ

अल्मोड़ा से ४१ मील उत्तर की ओर स्थित यह स्थान बड़ा मनोहर है। यहाँ के निकट गरुड़नगर तक मोटर जाती है। वहां से बैजनाथ के कलावशेष थोड़ी ही दूर रह जाते हैं। मन्दिरों का एक समूह बैजनाथ सरोवर के तट पर है। ये मन्दिर शिखर शैली के हैं। प्रायः सारे उत्तराखण्ड में यही शैली मिलती है। बैजनाथ के मुख्य मन्दिर में पार्वती की एक सुन्दर प्रतिमा स्थापित है। पार्वती की मूर्ति के इधर-उधर शिव-पार्वती, लक्ष्मीनारायण, गणेश, सूर्य आदि की प्रतिमाएँ हैं।

कटारमल

यह स्थान अल्मोड़ा से लगभग ९ मील पश्चिम की ओर स्थित है। अल्मोड़ा से ७ मील कोसी तक मोटर द्वारा जा सकते हैं। वहाँ से पहाड़ पर चढ़ कर कटारमल तक जा सकते हैं। उत्तराखण्ड का महत्वपूर्ण सूर्य मन्दिर इसी स्थान पर है। प्रधान मन्दिर का ऊपरी अंश टूट गया है। मन्दिर की बड़ी सूर्य-मूर्ति ऊँचाई में ३ फुट ८ इंच तथा चौड़ाई में २ फुट है। सूर्य भगवान कमल के आसन पर बैठे हैं। मूर्ति भूरे रंग के पत्थर की है और १२ वीं शती की कृति है। मन्दिर का मण्डप काफी बड़ा है, जिसमें शिव-पार्वती, लक्ष्मीनारायण और नृसिंह आदि की मूर्तियाँ हैं।

द्वारहाट

मन्दिरों से भरा हुआ यह स्थान रानीखेत से १३ मील उत्तर की ओर स्थित है। मन्दिरों के तीन समूह 'कचेहरी', 'मनियाँ', और 'रतनदेव' के नाम से प्रसिद्ध हैं। अधिकतर मन्दिरों में प्रतिमाएँ नहीं हैं। चौथा मन्दिर गूजरदेव का मन्दिर है जो कला की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। मन्दिर का केवल नीचे का भाग वचा है।

लाखामण्डल

यह स्थान देहरादून जिले के जौनपुर परगने में है। देहरादून से ५८ मील चकराता तक मोटर द्वारा जा सकते हैं। यहाँ से लाखामण्डल २२ मील दूर है।

यह स्थान मूर्तियों का भण्डार है । जनश्रुति है कि यहाँ लाखों मूर्त्तियाँ मिलने के कारण इस स्थान का नाम लाखामण्डल पड़ गया था । यमुना नदी के किनारे बसा हुआ यह स्थान बहुत मनोहर है । कुछ महत्वपूर्ण शिलालेख भी यहाँ मिले हैं ।

कालसी

यह स्थान देहरादून जिले के उत्तरी भाग में यमुना के किनारे स्थित हैं । यहीं एक छोटे शिलाखण्ड पर अशोक के लेख उत्कीर्ण हैं। लेखों की भाषा पाली है । ऐसा प्रतीत होता है कि अशोक के समय में कालसी इस ओर का प्रमुख केन्द्र था ।

हरद्वार

गंगा जहाँ से पर्वतीय प्रदेश छोड़ कर मैदान में प्रवेश करती हैं, उसी स्थान पर बसा हुआ यह तीर्थ हिन्दुओं का प्रमुख तीर्थस्थान है । पहले इस नगर के अनेक नाम थे । संस्कृत साहित्य में इसका नाम 'मायापुरी ' या 'मायाक्षेत्र' मिलता है । कुछ लोगों ने इसे तपोवन का नाम दिया था और गंगा द्वार के नाम से भी इसे बहुत लोगों ने जाना । कपिल मुनि के नाम पर इसे कपिला भी कहा गया । सन् १९०४ में लक्सर से देहरादून तक के लिए रेलमार्ग बना और तभी से हरद्वार की यात्रा सुगम हो गयी । यह १॥ मील की लम्बाई में बसा हुआ है । यहाँ अनेक मन्दिर और देव स्थान हैं । हर की पैड़ी पर यात्री स्नान करते हैं ।

कनखल

मायापुर हेडवर्क से लगभग एक मील की दूरी पर एक बहुत बड़े क्षेत्र में यह नगर बसा हुआ है । अनेक मकानों पर चित्रकारी है। अनेक साधु वर्गों के समाज यहाँ एकत्र होते हैं। नगर का मुख्य मन्दिर 'दक्षेश्वर महादेव' दक्षिणी सीमा पर है। एक हनुमान जी का मन्दिर भी यहाँ है ।

भीमगोडा

हरद्वार के आसपास के धार्मिक स्थलों में भीमगोडा कुण्ड है । इसे पाण्डव-कालीन बताया जाता है । यह कुण्ड भीम के घोड़े की टाप से बना हुआ कहा जाता है। कुण्ड में स्वच्छ जल रहता है। नालियों से गंगा का साफ पानी आता है और गंदा पानी निकलता रहता है ।

ऋषिकेश

भगवान् शिव को यह स्थान बहुत प्रिय था, ऐसा विश्वास ऋषिकेश के बारे में लोगों में प्रचलित है। स्कन्दपुराण में ऋषिकेश का उल्लेख मिलता है। भगवान् विष्णु ने मधु-कैटभ दैत्य का वध इसी स्थान पर किया था। ऋषिकेश, गंगा के दाहिने तट की ओर एक ऊँची चट्टान पर स्थित है। हरद्वार से यातायात सुलभ होने के कारण अनेक यात्री इस रमणीक स्थान पर दर्शन करने आते हैं।

तपोवन

तपोवन गंगा के दाहिने तट पर छोटा-सा गांव है। ऋषिकेश की ही भांति धार्मिक स्थान के रूप में इसका बड़ा महत्त्व है। कहा जाता है कि लक्ष्मण जी ने यहां तप किया था। लक्ष्मण झूला यहां का मुख्य आकर्षण-केन्द्र है। लक्ष्मण-मन्दिर भी यहां का दर्शनीय स्थल है। यहां विष्णु का एक प्राचीन मन्दिर भी है। कुछ दूर नदी के दायें तट पर स्वर्गाश्रम है। इसी स्थान पर रामेश्वर महादेव का मन्दिर भी है।

मथुरा

भारतीय इतिहास में मथुरा का प्रमुख स्थान है। सप्त महापुरियों में इसकी भी गणना है। इसका प्राचीन नाम मधुरा था। वर्तमान मथुरा के समीप मधुवन में पहले मधु और उसके पुत्र लवण का शासन था। मधु के नाम पर ही मधुरा या मधुपुरी नगरी बसी थी। श्रीराम के भाई शत्रुघ्न ने लवण को मार कर इस नगरी को नये रूप में बसाया था। इस प्रदेश का नाम पहले 'शूरसेन' और बाद में 'ब्रज' प्रसिद्ध हुआ। चंद्रवंश की यादव-शाखा में श्रीकृष्ण का जन्म हुआ था। श्रीकृष्ण के बाद भी यादव लोग मथुरा पर शासन करते रहे। सोलह जनपदों में शूरसेन या मथुरा जनपद भी एक था। बुद्ध के समय यहां का शासक अवन्तिपुत्र था। ई० पू० ४०० के लगभग मथुरा का राज्य पाटिलपुत्र साम्राज्य के अन्तर्गत हुआ और यहां क्रमशः नन्द, मौर्य, शुंग, क्षत्रप और कुषाण वंशों का शासन रहा। क्षत्रपों और कुषाणों के समय में मथुरा की बड़ी उन्नति हुई। इसके पश्चात्, लगभग २०० से ३५० ई० तक यहां नाग राजाओं का, फिर ४६५ ई० तक गुप्त वंश का शासन रहा। अकबर के शासनकाल में मथुरा धर्म, कला और साहित्य की गतिविधियों का केन्द्र था। हरिदास, सूरदास, नन्ददास, हितहरिवंश, हरीराम व्यास और अनेक दूसरे सन्तों तथा संगीतज्ञों ने भगवान् के प्रेम में मनमोहक गीत गाये और ब्रजभाषा में कुछ अत्यन्त ललित रचनाएँ कीं। जहांगीर के शासनकाल में वृन्दावन

में गोविन्ददेव, मदनमोहन, गोपीनाथ और जुगलकिशोर के भव्य एवं महान् मंदिर निर्मित हुए। वर्तमान मथुरा में मुगलकाल के पहिले की कोई प्राचीन इमारत शेष नहीं है। द्वारिकाधीश का मन्दिर और विश्रामघाट का बड़ा महत्त्व है। जन्माष्टमी और होली के अवसरों पर यहां मन्दिरों में अपूर्व सजावट की जाती है और शंखों की ध्वनि तथा मंत्रोच्चार से वातावरण गूंज उठता है। इनके दर्शन के लिए लाखों यात्री प्रतिवर्ष यहां आते हैं।

वृन्दावन

वृन्दावन मथुरा से प्रायः ६ मील पर स्थित है। यह स्थान गोपियों के साथ भगवान कृष्ण के रास-विलास और नृत्य-विहार के लिए विख्यात है। यमुना नदी इस नगर के तीन ओर बहती है। कुंज-निकुंजों से परिपूर्ण वृन्दावन में भक्तजन चौबीसों घण्टे भगवान् का गुणगान करते हैं। यहां करीब ४ हजार मंदिर, घाट और सरोवर हैं।

यहां के मंदिरों में गोविन्ददेव मंदिर बड़ा भव्य और प्रभावोत्पादक है। जयपुर के महाराज मानसिंह ने सन् १५९० में इसे बनवाया था। गोविन्ददेव मन्दिर के सामने द्रविड़ शैली में निर्मित रंगनाथ का विशाल मंदिर स्थित है। इसे मद्रास के सेठ गोविन्ददास और सेठ राधाकृष्ण ने बनवाया था। यह विशाल मन्दिर प्रायः सम्पूर्ण सफेद संगमरमर का बना हुआ है और तीन गोपुरों से युक्त विस्तृत अहाते में स्थित है। पड़ोस में ही लाला बाबू का सुन्दर मन्दिर पड़ता है, जो कि बड़े भक्त थे और जिन्होंने धर्मकार्य में अपनी सम्पत्ति अर्पित कर दी थी।

इन मंदिरों के अतिरिक्त बिहारी जी का मन्दिर, राधावल्लभ जी का मन्दिर, राधारमण जी का मन्दिर, गोपीनाथ जी का मन्दिर, शाह जी का मन्दिर, अष्टसखी का मन्दिर आदि वृन्दावन के अतिशय प्रसिद्ध मंदिर हैं। निधिवन और सेवाकुंज प्रसिद्ध वनस्थलियां हैं। वंशीवट, कालीदह और केशीघाट यमुना के प्रसिद्ध घाट हैं।

नन्दगाँव

मथुरा से २९ मील उत्तर-पूर्व एक पहाड़ी की तलहटी में नन्दगांव स्थित है। नन्दबाबा का घर यहीं था, जहां पहाड़ी के ऊपरी भाग में एक विशाल मंदिर स्थित है।

गोवर्धन

मैदान से सौ फुट की ऊँचाई पर पहाड़ी के ऊपर स्थित गोवर्धन मथुरा से १४ मील पड़ता है। यह मथुरा से भरतपुर के अन्तर्गत डीग नामक स्थान को जाने वाली सड़क पर स्थित है। ऐसी किंवदन्ती है कि अपना यज्ञभाग न पाने से कुपित होकर जब इन्द्र ने ब्रज पर तूफान और मूसलाधार वर्षा की झड़ी लगा दी थी उस समय भगवान् कृष्ण ने गोवर्धन को उँगली की नोक पर उठा लिया था और लगातार दिन-रात एक सप्ताह तक गोवर्धन को इसी प्रकार धारण किये रह कर उन्होंने ब्रज की जनता की रक्षा की थी। यहां विशाल पक्के सरोवर हैं, पवित्र मानसी गंगा के पास हरिदेव का मनोरम मन्दिर है, जिसे अकबर के राज्यकाल में अम्बर के राजा भगवानदास ने बनवाया था।

बरसाना

बरसाना गोवर्धन के १५ मील उत्तर और कोसी (आगरा-दिल्ली रोड पर) के १० मील दक्षिण स्थित है। इसे भगवान् कृष्ण की प्रिय उपासिका राधा जी का जन्म-स्थान होने का गौरव प्राप्त है। बरसाना का मूल नाम ब्रह्मसारिन था और यह एक पहाड़ी की ढाल पर स्थित है। पहाड़ी के चार प्रमुख शिखर चतुर्मुखी देवत्व के प्रतीक माने जाते हैं और लाड़ली जी, जो राधा जी का स्थानीय और प्यार का नाम है, के सम्मान में निर्मित मंदिरों से सुशोभित हैं। यहां भादों में राधाष्टमी के अवसर पर मेला लगता है।

दाऊ जी

दाऊ जी मथुरा से प्रायः १३ मील की दूरी पर सादाबाद जानेवाली सड़क पर स्थित है। नगर के मध्य में भगवान् कृष्ण के बड़े भाई बलदेव (दाऊ जी) की प्रसिद्ध मन्दिर बना हुआ है। यहां वर्ष में दो मेले लगते हैं। इनमें एक भादों के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को लगता है, जिसे देव-छठ कहते हैं और दूसरा अगहन की पूर्णिमा को लगता है।

कन्नौज

इस नगर और इसके जनपद का प्राचीन नाम 'कान्यकुब्ज' था। कन्नौज का महत्त्व ई० सातवीं शती से अधिक बढ़ा जब यहां सम्राट् हर्षवर्धन का प्रभुत्व स्थापित हुआ। ह्वेनसांग ने इस नगर का हर्षकालिक विवरण लिखा है। उस समय कन्नौज में अनेक संघाराम थे, जिनमें लगभग दस हजार भिक्षु रहते थे। नगर में दो सौ

देव-मन्दिर भी थे। गुर्जर प्रतिहार राजाओं के शासनकाल में भी कन्नौज में कला की बड़ी उन्नति हुई। नागभट्ट द्वितीय, मिहिरभोज, महेन्द्रपाल आदि बड़े प्रतापी शासक हुए। कन्नौज उस समय हिन्दू धर्म का प्रसिद्ध केन्द्र बना। यहां उस समय शिव-विष्णु और देवी के बहुत-से मन्दिर बने जिनके अवशेष आज भी बड़ी संख्या में मिल रहे हैं।

संकिस्सा

यह स्थान फर्रुखाबाद जिले में पखना स्टेशन से लगभग ७ मील दक्षिण-पश्चिम काली नदी के किनारे है। इसका प्राचीन नाम 'संकाश्य' था। चीनी यात्री ह्वेन-सांग ने इसका नाम 'कपित्थ' भी लिखा है। वर्तमान संकिस्सा एक ऊँचे टीले पर बसा हुआ छोटा-सा गांव है। यह टीला गांव के बाहर काफी दूर तक फैला है और 'किला' कहलाता है। इसकी पूर्व से पश्चिम तक लम्बाई १,५०० फुट और चौड़ाई उत्तर से दक्षिण १,००० फुट है। किले के भीतर ईंटों के एक टीले पर बिसहरी देवी का मन्दिर है। इसके पास अशोक के स्तम्भ का प्रसिद्ध शीर्ष है, जिस पर हाथी की मूर्ति है।

बिठूर

कानपुर नगर से लगभग १५ मील उत्तर-पश्चिम गंगा के किनारे बसा हुआ कानपुर जिले का यह स्थान ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। इसका प्राचीन नाम 'ब्रह्मावर्त तीर्थ' मिलता है। यहीं रामायण के रचयिता वाल्मीकि का आश्रम बताया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहां बड़ा मेला लगता है। पेशवा बाजीराव बहुत दिन तक यहां रहे। रानी लक्ष्मीबाई भी बहुत दिन यहां रहीं। यहां अति प्राचीनकाल के तांबे के औजार और वाण-फलक बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं।

भीतरगाँव

भीतरगाँव कानपुर जिले की नरवल तहसील में कानपुर से लगभग २० मील दक्षिण में स्थित है। यहां गुप्तकाल का एक महत्त्वपूर्ण मन्दिर मिला है। ईंट का बना हुआ यह मन्दिर स्थापत्य का सुन्दर नमूना है। यह मन्दिर उत्तर भारत में गुप्तकालीन वास्तुकला का उत्तम उदाहरण माना जाता है।

प्रयाग

प्रयाग (वर्तमान इलाहाबाद) भारत का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। प्रायः सभी धार्मिक ग्रन्थों में प्रयाग का उल्लेख मिलता है। भारद्वाज मुनि का आश्रम तथा

प्राचीन अक्षयवट वृक्ष यहीं है। प्रयाग गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है और तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध है। जहाँ दोनों नदियाँ मिलती हैं, वह स्थान संगम या त्रिवेणी कहलाता है। प्रयाग बहुत समय तक कोशल राज्य के अन्तर्गत रहा, बाद में पाटिलपुत्र साम्राज्य का अंग हो गया। मौर्य सम्राट् अशोक तथा गुप्त सम्राट् समुद्रगुप्त ने यहाँ अपने प्रसिद्ध शिलालेख उत्कीर्ण कराये, जो किले के अन्दर अब भी देखे जा सकते हैं। अकबर ने संगम पर एक किला बनवाया। यहाँ अकबर बहुत दिन तक रहा। अकबर के समय में ही इसका नाम इलाहाबाद पड़ा।

अयोध्या

अयोध्या नगरी भारत की सप्त महापुरियों में से है। इस नगरी को भगवान् श्रीराम का जन्मस्थान होने का गौरव प्राप्त है। भारत में प्रसिद्ध इक्ष्वाकु-वंशी राजाओं की यह नगरी बहुत समय तक राजधानी रही। अयोध्या का राज्य कोशल कहलाता था। बहुत समय तक इस राज्य की दक्षिणी सीमा वर्तमान सई नदी थी। महात्मा बुद्ध के समय इस राज्य के दो भाग हो गये थे, उत्तर कोशल और दक्षिण कोशल। इन दोनों की सीमा सरयू नदी थी। दक्षिण कोशल की राजधानी अयोध्या रही और उत्तर कोशल की श्रावस्ती। ऐतिहासिक काल में अयोध्या नगरी की प्रसिद्धि बनी रही। शुंगवंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र का एक महत्त्वपूर्ण शिलालेख अयोध्या में मिला है। इस नगरी में अनेक स्थान श्रीराम, सीता, दशरथ आदि से सम्बन्धित बताये जाते हैं।

सोरों (सूकर क्षेत्र)

सोरों या सूकर क्षेत्र की गणना भारत के पवित्र तीर्थों में होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम पृथ्वी का आविर्भाव यहीं हुआ था। इस तीर्थ में श्री वाराह भगवान् का एक अति प्राचीन दर्शनीय मंदिर है। इस मंदिर में भगवान् वाराह की विशाल प्रतिमा स्थापित है। मन्दिर के निकट ही हरिपदी पर वाराहघाट है।

हरिपदी का दूसरा नाम हर की पैड़ी भी है, यद्यपि हरिद्वार में ब्रह्मकुंड को मुख्यतः यह संज्ञा दी जाती है। पहले इसी क्षेत्र से होकर भागीरथी और वृद्ध गंगा बहती थीं। अब हट गयी हैं और हर की पैड़ी का रूप एक विशाल सरोवर में परिणत हो गया है। हर की पैड़ी के चारों ओर मंदिर (छतरियाँ) और अनेक घाट हैं। यहाँ के मन्दिरों में श्री योगेश्वर, श्री सोमेश्वर, श्री सीताराम और श्री बटुकनाथ के मंदिर विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। श्री सीताराम के मंदिर के निकट पुराण-

प्रसिद्ध गृद्धवट तीर्थ है। वहाँ एक प्राचीन वटवृक्ष है। इसका वही महत्त्व बतलाया जाता है, जो प्रयाग में अक्षयवट का और वृन्दावन में वंशीवट का। यहीं पर सूर्यवंश के प्रतापी राजा भगीरथ का, जिन्होंने भूलोक में गंगा लाने के हेतु तप किया था, मंदिर भी है। नये मंदिरों में श्री द्वारिकाधीश का मंदिर उल्लेखनीय है।

सूकर क्षेत्र में प्राचीन काल से भगवान् वाराह की पुण्यस्मृति में मार्गशीर्ष का मेला एकादशी से ८ दिन तक लगता है, जिसमें लाखों नर-नारी भाग लेते हैं।

वाराणसी

काशी भारत के ही नहीं संसार के प्राचीनतम नगरों में एक है। इसका प्राचीन नाम भी वाराणसी ही था, बीच में इसे बनारस के नाम से लोग जानने लगे। अब पुनः इसका नाम वाराणसी कर दिया गया है। यह नाम वरुणा और असी दो नदियों से मिल कर बना है। काशी की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में कहा जाता है कि यह नाम यहाँ के शासक काश के कारण हुआ जो मानव वंश परम्परा के सातवें राजा थे। काशी और कोशल राज्यों के बीच ऐतिहासिक काल में बड़ी कशमकश चलती रही और अन्त में काशी कोशल राज्य का अंग हो गया। बौद्ध साहित्य से पता चलता है कि काशी उद्योग-धंधों तथा व्यापार का एक बड़ा केन्द्र था। उत्तर भारत के बड़े व्यापारिक मार्ग यहाँ से होकर गुजरते थे। बारीक मलमल और सुगन्धित पदार्थ का निर्यात यहाँ से होता था। जब कोशल की राजपुत्री का विवाह मगध के शासक बिम्बसार से हुआ, तो कोशल राज्य ने काशी की आय कन्या के दहेज में दे दी और कुछ समय के बाद काशी का सारा राज्य मगध साम्राज्य में सम्मिलित हो गया। माठों के समय में काशी के महत्त्व की ओर शासकों का ध्यान गया और यहाँ अनेक मन्दिरों और घाटों का निर्माण तथा मरम्मत हुई। वाराणसी के आधुनिक राजवंश ने भी काशी के तीर्थस्थानों की रक्षा में महत्त्वपूर्ण योग दिया। राज्य सरकार ने वाराणसी के घाटों का जीर्णोद्धार किया।

वर्तमान काशी में दर्शनीय मन्दिर विश्वनाथ, अन्नपूर्णा, संकटमोचन, दुर्गा मन्दिर, आदि विश्वेश्वर, साक्षी विनायक, पञ्चरत्न आदि हैं। कुण्डों तथा वापियों में दुर्गाकुण्ड, पुष्कर कुण्ड, पिशाचमोचन, कपिलधारा, लोलार्क, मानसरोवर तथा मन्दाकिनी उल्लेखनीय है। यहाँ घाटों की संख्या बहुत है। इनमें अस्सी, तुलसी, हरिश्चन्द्र, अहल्याबाई, दशाश्वमेध तथा मणिकर्णिका आदि विशेष प्रसिद्ध हैं।

यमुनोत्री

यह यमुना का उद्‌गम स्थल है। यहाँ गरम पानी के कई कुण्ड हैं। यात्री लोग खाने की चीजें कपडे में बाँध कर इनमें डुबो देते हैं, जिससे चीजें पक जाती हैं।

गंगोत्री

गंगा जी का उद्‌गम गोमुख से हुआ है। यह गंगोत्री से १८ मील आगे है। यहाँ गंगा जी का मंदिर है तथा यहाँ सूर्यकुण्ड, ब्रह्मकुण्ड, विष्णुकुण्ड आदि तीर्थ हैं। गंगोत्री के नीचे केदार गंगा का संगम है।

नन्दा देवी

यह गढ़वाल जिले में है। गौरीशंकर के बाद यह विश्व का सर्वोच्च शिखर है। हिन्दू लोग प्रति बारहवें वर्ष भाद्र सुदी ७ को यहाँ की यात्रा करते हैं।

देवबंद

मुजफ्फरनगर से १४ मील दूर देवबंद रेलवे स्टेशन है। यहाँ दुर्गाजी का मंदिर है। मंदिर के समीप देवीकुंड सरोवर है। चैत्र शुक्ल १४ से ८–१० दिन यहाँ मेला होता है।

शाकम्भरी देवी

यह स्थान सहारनपुर से २६ मील दूर है। शाकम्भरी देवी का मंदिर चारों ओर पहाड़ियों से घिरा है। यहाँ नवरात्र में मेला लगता है।

हस्तिनापुर

यह स्थान मेरठ से २२ मील दूर है। यह पाण्डवों की राजधानी थी। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ बड़ा मेला लगता है। यह प्रसिद्ध जैन तीर्थ भी है। आदि तीर्थंकर ऋषभदेव जी को राजा श्रेयांस ने यहीं इक्षुरस का दान किया था। इसलिए इसे दान तीर्थ कहा जाता है। यहाँ से पास ही भसूमा गाँव में प्राचीन जैन प्रतिमाएँ हैं।

गढ़ मुक्तेश्वर

मेरठ से २६ मील दूर गंगा के दाहिने तट पर स्थित गढ़ मुक्तेश्वर प्राचीन काल में हस्तिनापुर नगर का एक मुहल्ला था। यहाँ मुक्तेश्वर शिव का मंदिर है। मंदिर के पास ही झारखंडेश्वर नामक प्राचीन शिवलिंग है। इसके अतिरिक्त अन्य अनेक मंदिर हैं। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ एक बड़ा मेला होता है।

काम्पिल

किसी समय यह महानगर था। यहाँ रामेश्वरनाथ और कामेश्वरनाथ के प्रसिद्ध मंदिर हैं। जैनियों का भी यह प्रसिद्ध तीर्थ है। यहाँ विमलनाथजी के चार कल्याणक हुए हैं।

गोला गोकर्णनाथ

यह लखीमपुर-खीरी से २२ मील पर है। यहाँ एक विशाल सरोवर है, जिसके समीप गोकर्णनाथ महादेव का मंदिर है। गोकर्ण क्षेत्र के आसपास अनेक तीर्थ हैं।

बांगरमऊ

यहाँ राज राजेश्वरी श्री विद्या मंदिर नामक एक अद्भुत मंदिर है। मुख्य मंदिर के भीतर अष्टधातुमयी जगदम्बा की मनोहर मूर्ति है। कुंडलनी योग के आधार पर बना यह अपने ढंग का एक ही मंदिर है।

श्रृंगीरामपुर

यह गंगा जी के दक्षिणी तट पर स्थित है। यहाँ श्रृंगी ऋषि का मंदिर है। कहा जाता है कि श्रृंगी ऋषि ने यहाँ तप किया था, जिससे राजा परीक्षित को श्राप देने के कारण इनके मस्तक पर निकल आया सींग यहाँ गिर गया था। कार्तिक पूर्णिमा तथा दशहरा को यहाँ मेला लगता है।

मिश्रिख

यह सीतापुर से १३ मील दूर स्थित है। यहाँ दधीचि कुंड है। कहते हैं कि महर्षि दधीचि ने राक्षसों का नाश करने के लिए वज्र बनाने हेतु यहीं अपनी हड्डियाँ देवताओं को दी थीं।

कालपी

यहाँ व्यास टीला और नृसिंह टीला है। यहाँ के लोग मानते हैं कि यहीं भगवान व्यास का आश्रम था और नृसिंह टीला पर ही प्रह्लाद की रक्षा के लिए नृसिंह भगवान् प्रगट हुए थे।

श्रृंगवेरपुर

इलाहाबाद से ३० मील दूर रामचौरा रोड स्टेशन से तीन मील पर श्रृंगवेर पुर है। यहीं पर भगवान राम ने वनवास जाते हुए निषाधराज गुह का आग्रह मानकर रात्रि में विश्राम किया था।

श्रावस्ती

जैनों का प्रसिद्ध तीर्थ है। यहाँ की खुदाई में बहुत-सी प्राचीन मूर्तियाँ मिली हैं।

चुनार

राजा भर्तृहरि की यह तपोभूमि है। यहाँ के दुर्ग में आदि विक्रमादित्य का बनवाया हुआ भर्तृहरि का मंदिर है, जिसमें उनकी समाधि है। यहाँ से पास ही वल्लभ सम्प्रदाय का कूप मंदिर है, जहाँ श्री विट्ठलनाथ जी की गद्दी है।

लोधेश्वर

यह बाराबंकी जिले में है, यहाँ लोधेश्वर महादेव जी का मंदिर है।

देवीपाटन

यहाँ पटेश्वरी देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। कहा जाता है कि महाराज विक्रमादित्य ने देवी की स्थापना की थी।

मगहर

कबीरदास ने यहीं पर शरीर छोड़ा था। उनके पुत्र कमाल की समाधि भी यहीं हैं। कबीरपंथियों का यह तीर्थ है।

विन्ध्याचल

यहाँ विन्ध्यवासिनी देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। नवरात्र में यहाँ मेला लगता है।

सारनाथ

सारनाथ बौद्ध तीर्थों में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बुद्धगया में ज्ञान-प्राप्ति के बाद सबसे पहले बुद्ध ने मृगदाव सारनाथ में आकर अपना धर्मोपदेश किया था। जीवनकाल में बुद्ध वराबर यहाँ निवास करते रहे। ई० पूर्व तीसरी शती में अशोक ने यहाँ एक बड़ा स्तूप बनवाया और भगवान् बुद्ध के कुछ अवशेष एकत्र किये। पास ही उसने एक बड़ा स्तम्भ लगवाया, जिसमें बौद्ध भिक्षुओं के लिए आदेश खुदवाया। यह परम्परा बाद में चौखण्डी, धमेख और धर्मराजिका स्तूप के रूप में चलती रही। हाल ही की खुदाई में अनेक प्राचीन विहारों और मन्दिरों के खँडहर प्राप्त हुए हैं, जो स्थानीय पुरातत्त्व संग्रहालय में एकत्र हैं।

कौशाम्बी

उत्तर पूर्वीय रेलवे के बलरामपुर स्टेशन से लगभग दस मील दूर सहेत-महेत के नाम से इस प्राचीन नगरी के खँडहर बिखरे हुए हैं। भगवान् राम ने अपने पुत्र लव को श्रावस्ती का अधिकारी बनाया था। बौद्ध और जैन साहित्य में सादित्थपुर नाम से श्रावस्ती की चर्चा बहुत मिलती है। भगवान् बुद्ध यहाँ काफी

कानपुर की एक श्रमिक बस्ती

श्रमिकों की एक कंटीन

स्कूलों में सैनिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गयी है (ऊपर) परेड करते हुए एन० सी० सी० कैडेट और (नीचे) पी० टी० करती हुई बालिकाएँ

ऊपर
रूमी दरवाजा, लखनऊ

वायें
राजापुर, जिला बांदा के तुलसी मंदिर में
गोस्वामी तुलसीदास की मूर्ति

बाय
श्रीविश्वनाथ मंदिर,
वाराणसी

नीचे
आर्ट्स ऐंड क्रैफ्ट स्कूल,
लखनऊ के कार्यरत विद्यार्थी

दिनों तक रहे। प्रसिद्ध जेतवन यहीं है। समय-समय पर अनेक स्तूप और विहार यहाँ बने, जिनके अवशेष आज भी सुरक्षित हैं। चीनी यात्री ह्वेनसाँग ने इस नगर का विस्तृत वर्णन लिखा है। यह नगरी जैनधर्म का भी महत्वपूर्ण केन्द्र रही है।

कुशीनगर

कुशीनगर देवरिया जिले में देवरिया से लगभग १९ मील दूर पक्की सड़क पर वर्तमान कसिया नगर के पास स्थित है। प्रमुख बौद्ध स्थानों में इसकी गणना है। महात्मा बुद्ध ने यहीं निर्वाण प्राप्त किया था। यहाँ की खुदाई में एक प्राचीन निर्वाण-स्तूप मिला है। कई गुप्तकालीन विहार और मन्दिर भी इस खुदाई में प्राप्त हुए हैं।

कुशीनगर की सबसे अधिक उल्लेखनीय मूर्ति लेटी हुई बुद्ध की विशाल प्रतिमा है। वर्त्तमान समय में इसके ऊपर धातु की एक पतली चादर जड़ी है। इस स्थान के समीप ही बुद्ध की एक साढ़े दस फुट ऊँची अन्य प्रतिमा सुरक्षित है जो मध्यकाल की है। इसे माथाकुँवर कहते हैं। यह मूर्ति गया के काले पत्थर की बनी है। इसकी चौकी पर ब्राह्मी में एक लेख भी है।

देवगढ़

यह स्थान झाँसी जिले की ललितपुर तहसील में ललितपुर स्टेशन से लगभग २३ मील पश्चिम में स्थित है। गुप्त काल में एक महत्त्वपूर्ण मन्दिर की स्थापना यहाँ हुई थी। यह मन्दिर दशावतार मन्दिर के नाम से प्रसिद्ध है। मन्दिर एक चौड़ी कुर्सी पर बना है। मन्दिर बहुत बड़ा नहीं है, पर इसकी निर्माण-शैली बहुत सुन्दर है। गर्भगृह का प्रवेशद्वार अत्यन्त कलापूर्ण है। दीवालों पर की गयी चित्रकारी अत्यन्त कलात्मक है।

चित्रकूट

बाँदा जिले में झाँसी-मानिकपुर रेलवे लाइन पर चित्रकूट से यहाँ पहुँचते हैं। बाँदा से चित्रकूट लगभग ५० मील दक्षिण पूर्व है। चित्रकूट के पास मन्दाकिनी नदी बहती है। वन जाते समय श्रीराम यहाँ ठहरे थे। जनश्रुति के अनुसार महर्षि वाल्मीकि यहां रहे थे। विन्ध्याचल की ऊँची-नीची पहाड़ियों के हरे-भरे वन से परिवेष्टित ऋषियों एवं सन्तों की यह तपोभूमि धर्मपरायण एवं प्रकृति-प्रेमी जनों के लिए समान रूप से आकर्षक है। यहाँ ऐसे अनेक सुन्दर एवं पुनीत स्थल हैं, जो अन्यत्र दुर्लभ हैं। हिन्दी और संस्कृत के कवियों ने यहाँ की महिमा का मुक्त-कण्ठ से गान किया है।

बहुत से पवित्र स्थल छोटी-छोटी पहाड़ियों और मन्दाकिनी के किनारे-किनारे पाये जाते हैं। मन्दाकिनी, जिसे पयस्विनी भी कहते हैं, चित्रकूट के सुरम्य जंगलों से होकर बहती है। इस नदी के बायें तट पर किमितानाथ से लगभग डेढ़ मील पर सीतापुर है, जहाँ नदी के किनारे-किनारे २४ घाट हैं। इनमें से राघव प्रयाग, कैलास घाट, राम घाट और घृतकल्प घाट विशेष रूप से पवित्र माने जाते हैं। सीतापुर में अनेक प्राचीन मंदिर हैं। राम घाट के समीप पर्णकुटी के विषय में यह कहा जाता है कि राम ने यहाँ निवास किया था।

लगभग ४ मील की दूरी पर सती अनसूया और अत्रि का आश्रम है। एक पहाड़ी के अंचल में अनसूया, अत्रि, दत्तात्रेय और हनुमान का मंदिर है। इसे मन्दराचल कहते हैं। यहीं से मन्दाकिनी निकलती है।

सीतापुर से दो मील पर एक रमणीक स्थल जानकीकुंड है। यहाँ नदी की धारा श्वेत पत्थरों से ऊपर से होकर बहती है। जानकीकुंड से दो मील पर स्फटिक शिला है। यहाँ दो बड़ी चट्टानें हैं। कहा जता है कि राम, लक्ष्मण और सीता इस पर बैठे थे।

चित्रकूट में एक स्थान भरतकूप है। इसके सम्बन्ध में कथा यह है कि श्रीराम के राजतिलक हेतु सभी पवित्र नदियों से एकत्र जल को इस कुएँ में डाला गया था और महर्षि अत्रि ने इस समारोह को सम्पन्न किया था।

राजापुर

बाँदा से ६२ मील और सीतापुर से २४ मील की दूरी पर राजापुर नामक स्थान है। इसे मझगवां भी कहते हैं। कहा जाता है कि महाकवि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म यहीं हुआ था। यहाँ एक सुन्दर मन्दिर का निर्माण हुआ है, जिसमें तुलसीदास जी की प्रतिमा है।

आगरा

उत्तर प्रदेश में सम्भवतः सबसे अधिक यात्री आगरा देखने के लिए आते हैं। देशी और विदेशी भ्रमणार्थी विश्व के आश्चर्य ताजमहल को देखे बिना अपनी यात्रा पूरी नहीं समझते। मुगल स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट रूप हमें आगरा और उससे २४ मील दूर स्थित फतेहपुर सीकरी में देखने को मिलता है। अकबर को इमारतों का बड़ा शौक था। आगरे का प्रसिद्ध किला उसी का बनवाया हुआ है और फतेहपुर सीकरी के अनेक महल भी उसी के बनवाये हुए हैं। अकबर के शासन-काल (१५५६-

१६०५) में जितनी इमारतें बनी अधिकांश लाल पत्थर की हैं। जहाँगीर के समय (१६०५–२७) में भी कई इमारतें बनीं, जिनमें आगरा के पास अकबर का तिमंजिला मकबरा तथा एतमादुद्दौला का मकबरा विशेष उल्लेखनीय हैं। इस काल में संगमरमर का प्रयोग बढ़ा और भड़कीले रंग तथा पच्चीकारी को महत्त्व दिया गया। शाहजहाँ के शासन-काल में (१६२७–५८) सबसे महत्त्वपूर्ण इमारतें बनीं। इसी समय में ताजमहल बनवाया गया। ताजमहल के अतिरिक्त शाहजहाँ ने अन्य कितनी ही इमारतें, आगरा, दिल्ली, अजमेर, लाहौर, श्रीनगर आदि में बनवायीं जो वास्तुकला की विख्यात कृतियाँ हैं। अकबर-कालीन विशालता और दृढ़ता का स्थान अब सौन्दर्य और कोमलता ने तथा लाल पत्थर का स्थान संगमरमर ने ले लिया और सादे विशाल पत्थरों के स्थान पर बेलबूटे वाला महीन काम होने लगा। सौ वर्षों ने आगरे को वह रूप दे दिया जिसके लिए आज सारे विश्व से लोग यहाँ आते हैं।

किला, ताजमहल तथा अन्य ऐतिहासिक भवनों के अतिरिक्त आगरा में शिया संत काजी नूरूल्ला शूस्त्री की मज़ार भी है, जो जहाँगीर के शासन-काल में ईरान से भारत आये थे। अतएव भारत ही नहीं ईरान और ईराक के मुसलमानों के लिए भी आगरा एक तीर्थ-स्थान बन गया है।

लखनऊ

जनश्रुति है कि इस नगर को भगवान् श्रीराम के भाई लक्ष्मण ने बसाया था और इसका प्राचीन नाम लक्ष्मणपुरी था। यहाँ एक पुराना टीला, लक्ष्मण टीला के नाम से प्रसिद्ध है। मुसलमानी शासनकाल में इस नगर की उन्नति हुई। अकबर के समय में चौक के अकबरी दरवाजे का निर्माण हुआ। जहांगीर और शाहजहाँ के समय में भी यहाँ बहुत-सी इमारतें बनीं। लखनऊ की सबसे अधिक प्रसिद्धि नवाबों के समय में हुई। पहले शासक सआदत खां (१७२०–३९) के बाद सफदरजंग, शुजाउद्दौला, आसफुद्दौला, सआदत अली, गाजीउद्दीन हैदर, नसीरुद्दीन, मोहम्मदअली शाह और वाजिदअली शाह नवाब हुए। इनमें आसफुद्दौला, गाजीउद्दीन और वाजिदअली शाह अधिक प्रसिद्ध हुए। इनके समय में लखनऊ की महत्त्वपूर्ण इमारतें बनीं। आसफुद्दौला ने रूमी दरवाजा और इमामबाड़ा बनवाया। आसफी मस्जिद, दौलतखाना, रेजीडेन्सी, बिबियापुर कोठी और चौक बाजार का निर्माण भी आसफुद्दौला ने ही करवाया था। गाजीउद्दीन हैदर ने शाह नजफ, मोतीमहल, मुबारक मंजिल, सआदत अली और खुर्शीदजादी के मकबरे बनवाये।

उसने नगर के दक्षिण में एक नहर भी बनवायी। मोहम्मदअली शाह ने हुसेनाबाद का इमामबाड़ा, बड़ी जामा मस्जिद और हुसेनाबाद की बारादरी आदि इमारतें बनवायीं। प्रसिद्ध छतरमंजिल का निर्माण नसीरुद्दीन हैदर ने करवाया, जिसमें 'सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट' है। लखनऊ के अन्तिम नवाब वाजिदअली शाह को अंगरेजों ने गद्दी से उतार दिया और अवध को अपने साम्राज्य में मिला लिया। वाजिदअली शाह को साहित्य और संगीत से विशेष प्रेम था। कैसरबाग का निर्माण वाजिदअली शाह के समय में ही हुआ। स्वतंत्रता-संग्राम के सैनिकों के सम्मान में यहां बनवाया गया शहीद स्मारक तथा चिड़ियाघर और नेशनल बोटेनेकिल गार्डन दर्शनीय हैं।

यहां सिद्ध मुस्लिम संत शाह मीना की मज़ार है, जहाँ प्रत्येक गुरुवार को लोग जाकर श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। शाह मीना लगभग ५०० वर्ष पूर्व (८७० हि०) दिवंगत हुए थे। मुस्लिम महीने रज़ब के प्रथम गुरुवार को इनका वार्षिक उर्स मनाया जाता है। हिन्दू और मुसलमान दोनों ही इनके भक्त हैं। वसन्तपंचमी को आयोजित होने वाले समारोह 'बसन्त की नौचन्दी' में दोनों ही भाग लेते हैं।

जौनपुर

जौनपुर नगर फिरोजशाह तुगलक के समय में सन् १३५९ ई० में आबाद हुआ। सन् १३९४ में यहाँ शर्की वंश का शासन प्रारम्भ हुआ। इस वंश के शासन-काल में अनेक कलापूर्ण इमारतों का निर्माण हुआ। सिकन्दर लोदी ने जौनपुर के शासक हुसेनशाह को १४४५ ई० में परास्त कर इन इमारतों को बड़ी क्षति पहुँचायी। कुछ इमारतें नष्ट होने से बच रही हैं, उनमें इब्राहीम नायब की मस्जिद और किला, अटाला मस्जिद, लाल दरवाजा मस्जिद और जामा मस्जिद आदि उल्लेखनीय हैं। इन मस्जिदों का ऐतिहासिक और कलात्मक दृष्टि से बहुत महत्त्व है।

फतेहपुर-सीकरी

आगरा से कुछ मील दूर स्थित इस स्थान में प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है। शेख सलीम चिश्ती की कृपा से ही अकबर को पुत्र-रत्न की प्राप्ति हुई थी, जिसका नाम उसने सलीम रक्खा था। सलीम ही, जैसा कि सर्वविदित है, आगे चल कर जहांगीर कहलाया और अकबर के बाद मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना। यह मकबरा एक मस्जिद के प्रांगण में स्थित है और अकबर

के शासन-काल में निर्मित हुआ था। शेख़ सलीम चिश्ती का हिन्दू और इस्लाम दोनों ही धर्मों के मतावलम्बी आदर करते हैं।

देवा शरीफ

बाराबंकी से लगभग १५ मील स्थित देवा में प्रसिद्ध मुस्लिम संत हाजी शाह वारिस अली की मजार है। उनका वार्षिक उर्स प्रति वर्ष कार्तिक में होता है। इस अवसर पर देवा में एक मेला लगता है। मुशायरा, कवि-सम्मेलन, संगीत-सभा, पशु-प्रदर्शनी, विकास-प्रदर्शनी आदि कार्यक्रम मेले के आकर्षण और शोभा को द्विगुणित कर देते हैं। उसमें भाग लेने के लिए विदेशों से भी मुसलमान आते हैं।

कलियर

रुड़की से कुछ मील दूर कलियर में शाह अलाउद्दीन साबिर, जो कलियर के पीर के नाम से विख्यात हैं, की दरगाह है। यह महान संत ५९४ हि० में पैदा और ६९० हि० में दिवंगत हुए थे। यह मुसलमानों के लिए एक तीर्थ-स्थान है।

किछौछा

यहाँ शाह अशरफ की दरगाह है, जिनकी ८०० हि० में मृत्यु हुई थी। यह फैजाबाद जिले में है और प्रति वर्ष यहाँ शाह अशरफ का उर्स होता है।

बहराइच

यहाँ सैय्यद सालार मसूद गाजी की दरगाह है। यह संत महमूद गजनी के साथ भारत आये थे। सैय्यद साहब के वार्षिक उर्स के दिनों में यहाँ अनेक समारोह और प्रदर्शनियाँ आयोजित होती हैं।

बांसा

यह बाराबंकी रेलवे स्टेशन से १० मील दूर स्थित है। यहाँ सैय्यद शाह अब्दुर रज्जाक (जन्म १०४२ हि०, मृत्यु ११०९ हि०) की दरगाह है।

मसूरी

देहरादून से १४ मील दूर ६,५०० फुट की ऊँचाई पर बसी मसूरी उत्तर प्रदेश की सर्वोत्तम पर्वतीय बस्ती है। इसे पर्वतीय स्थानों की रानी कहा जाता है।

मसूरी का इतिहास बहुत ही मनोरंजक है। सन् १८११ में इसे एक यूरोपियन सज्जन मेजर हियरसे ने खरीदा था। उन्होंने इसे १८१२ में ईस्ट इंडिया कम्पनी

के हाथ बेच दिया। हरद्वार-देहरादून रेलवे लाइन चालू हो जाने के बाद १९०१ से इसका रूप बदलना शुरू हुआ और यह विकसित होकर एक मनोहर हिल स्टेशन बन गया।

गर्मियों में मसूरी की जलवायु बहुत ही आनन्ददायिनी हो जाती है। यहाँ अनेक रमणीक स्थान हैं। हिम-शिखरों का अत्यन्त भव्य तथा मनोहर दृश्य यहाँ से दिखलायी पड़ता है।

नैनीताल

यह उत्तर प्रदेश सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। सरकारी कर्मचारियों के अतिरिक्त भारी संख्या में पर्यटक भी प्रति वर्ष प्राकृतिक सौन्दर्य का आनन्द प्राप्त करने यहाँ आते हैं। इसके बारे में सर्वप्रथम १८३९ में लोगों को जानकारी हुई। इसके बाद से यह निरन्तर प्रगति करता रहा और एक दिन प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनने का गौरव भी इसे प्राप्त हुआ।

नैनीताल के आकर्षणों में मुख्य है इसकी झील जो काफी बड़ी और सुन्दर है। यह तीन ओर पर्वतों से घिरी है। भीमताल, साततााल, नौकुचिया ताल और खुरपाताल यहाँ के अन्य दर्शनीय स्थल हैं। इन सभी तक सड़क द्वारा सरलतापूर्वक पहुँचा जा सकता है। नैनीताल में अब प्राय: सभी आधुनिक सुविधाओं और मनोरंजनों की व्यवस्था हो चकी है।

रानीखेत

इस हिल स्टेशन तक अब अल्मोड़ा और नैनीताल से भी आसानी से पहुँचा जा सकता है। यहां अनेक सुन्दर स्थल, चीड़ के वन और फलों के बाग हैं। चौबटिया भी, जहां राज्य सरकार के फलों के बाग हैं, यहां से ज्यादा दूर नहीं है। रानीखेत सेना का भी हिल स्टेशन है। यहां का कैन्टूनमेंट क्षेत्र काफी विकसित और व्यवस्थित है। यहां का गोल्फ कोर्स भी बहुत प्रसिद्ध है। मनोहर रानीखेत के मुख्य आकर्षण हैं प्राकृतिक दृश्य और आनन्ददायक शान्ति।

चकराता

जहां तक प्राकृतिक दृश्यों का सम्बन्ध है यह किसी अन्य पर्वतीय क्षेत्र से कम नहीं है। फिर भी यहां ज्यादा लोग नहीं जाते। यहां से हिम-शिखरों के सुन्दर दृश्य दिखलायी पड़ते हैं। यह बहुत ही शान्त और स्वास्थ्यवर्धक स्थान है। देहरादून से बहुत सरलतापूर्वक यहां पहुँचा जा सकता है। चकराता भी हिल स्टेशन है।

लैंसडाउन

कोटद्वार से २८ मील दूर स्थित इस हिल स्टेशन से बदरीनाथ खंड के हिम-शिखरों के मनोहर दृश्य दिखलायी पड़ते हैं। यहां चीड़ और ओक के अनेक वन हैं। यात्रियों को मछली के शिकार की भी सुविधा प्राप्त है।

अल्मोड़ा

उत्तर प्रदेश के मुख्य पर्वतीय स्थानों में यही एक ऐसा स्थान है, जो इतिहास की दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है। अंग्रेजों के आगमन के पूर्व भी यह एक प्रसिद्ध स्थान था। १६वीं शती में यह चांद नरेशों का मुख्य नगर था। बाद में यहां गुरखा शासन कायम हुआ। नैपाल की लड़ाई के बाद इसे अंग्रेजों ने गुरखों से लेकर भारत में मिला लिया। अंग्रेजी शासन-काल में यह एक पर्यटन केन्द्र के रूप में भी विकसित हुआ। यह एक शान्त और प्राकृतिक सौन्दर्य की दृष्टि से मनोहर स्थान है।

यहां कश्यप पर्वत पर कौशिकी देवी का मंदिर है। पुराणों के अनुसार शुम्भ, निशुम्भ दैत्यों का नाश करने के लिए पार्वती जी के शरीर से कौशिकी देवी प्रगट हुई थीं।

पिंडारी ग्लेशियर

यह सौन्दर्य स्थल अल्मोड़ा के पास ही १३,००० फुट की ऊँचाई पर स्थित है। अल्मोड़ा से पिंडारी तक की यात्रा में लगभग एक सप्ताह लगता है। पिंडारी के रंग-बिरंगे फूल, सुरम्य वन और श्वेत संगमरमर सी दूर तक फैली हिमराशि यात्रियों को बार-बार अपनी ओर आकर्षित करती है।

कृषि-विकास

उत्तर प्रदेश की अधिकांश जनता का मुख्य धंधा खेती है। यहाँ के प्रायः ८७ प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं। अतः देश स्वतंत्र होने के बाद लोकप्रिय सरकार का ध्यान सबसे पहले किसानों को दशा सुधारने की ओर गया। जमींदारी उन्मूलन और नयी भूमि-व्यवस्था के बाद कृषि-विकास के प्रगाढ़ प्रयत्न प्रारम्भ किये गये।

पृष्ठ-भूमि

प्रथम पंचवर्षीय आयोजना में सबसे अधिक बल खेती-बारी के विकास पर दिया गया। हमारे प्रदेश में भी, जो कि जनसंख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है, अनाज की पैदावार बढ़ाने के लिए सभी कोशिशें की गयीं। सिंचाई के साधनों का विस्तार किया गया; उन्नत बीज, खाद, उर्वरक तथा नये औजारों का समुचित प्रबंध किया गया और खेती-बारी के नये तरीकों को अपनाया गया। पहले के अनुभवों से यह सिद्ध हो चुका था कि प्रति अतिरिक्त एकड़ सिंचित क्षेत्र से पैदावार में ०.२२ टन की वृद्धि होती है। इसी प्रकार प्रति टन उन्नत बीज और उर्वरक के प्रयोग से पैदावार में क्रमशः १.२५ टन तथा १.६० टन की वृद्धि होती है, और खेतीबारी के नये औजारों तथा नये तरीकों का प्रयोग करने से पैदावार में औसतन १५ प्रतिशत की बढ़ोत्तरी होती है।

हमारे प्रदेश में राजकीय सिंचाई-साधनों की अभिवृद्धि के कारण पहली आयोजनावधि में सिंचित क्षेत्र १९५०-५१ के ७८ लाख एकड़ से बढ़ कर १९५५-५६ में १०६ लाख एकड़ हो गया। सुधरे बीज की व्यवस्था के लिए १९५०–५१ के १८ लाख मन की तुलना में १९५५–५६ में कुल २५ लाख मन बीज का वितरण किया गया। नगर कम्पोस्ट का उत्पादन १९५०–५१ के ३.३८ लाख टन से १९५५-५६ में ४.४१ लाख टन हो गया। इनका परिणाम यह हुआ कि जहाँ आयो-जना के पाँच वर्षों में ९.८३ लाख टन अतिरिक्त गल्ला पैदा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था वहाँ चौथे वर्ष में ही यह लक्ष्य लगभग पूरा हो गया अर्थात् उत्पादन १९५०–५१ के पूर्व के १ करोड़ १५ लाख ९० हजार टन से बढ़कर १ करोड़ २४ लाख ५० हजार टन तक पहुँच गया। किन्तु आयोजना के अंतिम वर्ष अर्थात् १९५५-५६ में दैवी आपदाओं के कारण अन्न का उत्पादन केवल १ करोड़ १८ लाख ६७ हजार टन हुआ।

हमारे प्रदेश की दूसरी आयोजना कुल २५३ करोड़ रुपये की थी, जिसमें से ४९.४२ करोड़ रुपये कृषि के लिए निर्धारित किये गये थे। आयोजना-काल में प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी अंचल के जिलों में विशेषकर १९५६, १९५८ तथा १९६० में बाढ़ आने तथा अतिवृष्टि के कारण फसलों को भारी क्षति पहुँची। १९५७ से १९६१ के पाँच वर्षों में यद्यपि प्रदेश को बाढ़, सूखा और पाले के रूप में भारी आपदाएँ सहन करनी पड़ीं फिर भी अनाज की पैदावार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। गल्ले का उत्पादन १९५५–५६ के १ करोड़ १८ लाख, ६७ हजार टन से बढ़ कर १९६०–६१ में १ करोड़ ४२ लाख ५७ हजार टन हुआ अर्थात् २०.१ प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई। इसी प्रकार इस अवधि में गन्ने का (गुड़ के रूप में) उत्पादन २९.४० लाख टन से बढ़कर ५३.६५ लाख टन, जूट का ८९ हजार गाँठ से बढ़कर १३९ हजार गाँठ, कपास का २९ हजार गाँठ से बढ़कर ४० हजार गाँठ, तिलहन का ७.५५ लाख टन से बढ़कर १२.८५ लाख टन और आलू का ६.६७ लाख टन से बढ़कर ७.८३ लाख टन हो गया। अनाज तथा अन्य फसलों की पैदावार में यह बढ़ोत्तरी सिंचाई-साधनों का और विस्तार करके तथा बीज, खाद, उर्वरक आदि की समुचित व्यवस्था करके सम्भव हुई। दूसरी आयोजनावधि में बड़ी, मध्यम तथा छोटी सिंचाई योजनाओं के फलस्वरूप प्रदेश में कुल सिंचित क्षेत्र १९५५–५६ के १३१.६१ लाख एकड़ से बढ़कर १९६०–६१ में १३६.६१ लाख एकड़ हो गया। नगर कम्पोस्ट का उत्पादन भी १९५५–५६ के ४.४१ लाख टन से बढ़कर १९६०–६१ में ५.५६ लाख टन हो गया। इसी प्रकार जहाँ १९५५–५६ तक प्रदेश में केवल ४४.५२ लाख एकड़ क्षेत्र में सुधरे बीज की व्यवस्था की गयी थी वहाँ १९६०–६१ में १९०.१३ लाख एकड़ क्षेत्र में उन्नत बीजों की बोआई की गयी। पौध सुरक्षा कार्य का क्षेत्र भी पहली आयोजना के ०.४१४ लाख एकड़ से बढ़कर दूसरी आयोजना के अंत तक ९.२७ लाख एकड़ हो गया।

खेती की पैदावार बढ़ाने के सभी साधनों को व्यापक रूप से अपनाने के फलस्वरूप प्रदेश में चावल तथा गेहूँ का प्रति एकड़ औसत उत्पादन १९५५–५६ के क्रमशः ६१४ तथा ६८४ पौंड से बढ़कर १९६०–६१ में ६७२ तथा ८९४ पौंड हुआ।

तीसरी योजना में प्रगति

तीसरी आयोजना १९६१–६२ से आरम्भ हुई। इस आयोजनावधि में अनाज का उत्पादन बढ़ाकर १८२.८६ लाख टन कर देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी अवधि में गन्ने का उत्पादन (गुड़ के रूप में) बढ़ाकर

४५ लाख टन, तिलहन का १७ लाख टन, कपास का १.५० लाख गाँठें और जूट का १.७० लाख गाँठें करने का लक्ष्य है।

चूँकि हमारे प्रदेश में खेती के लिए भूमि सीमित है, अतः इन लक्ष्यों की पूर्ति खेती-बारी के उन्नतिशील तरीकों को अपना कर, गहन खेती तथा सिंचाई सुविधाओं का और विस्तार करके, उर्वरक तथा खादों का अधिक मात्रा में वितरण करके, स्थानीय खाद के अधिक साधनों को जुटाकर, उन्नत कृषि यंत्रों का प्रयोग तथा फसलों को नुकसान पहुँचाने वाले कीटों की रोकथाम करके किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त भूमि संरक्षण तथा बारानी खेती की पद्धतियों को और बढ़ाया जा रहा है।

तीसरी आयोजना के पहले वर्ष अर्थात् १९६१–६२ में १४४.१२ लाख टन अनाज पैदा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था लेकिन कुल १३८·३९ लाख टन पैदा किया जा सका। उस वर्ष यद्यपि गेहूँ तथा धान की पैदावार काफी रही लेकिन जाड़ों में पाला पड़ने के कारण अरहर तथा चने की फसलों को भारी क्षति पहुँची। वर्ष १९६२–६३ में १५३.३४ लाख टन की पैदावार का लक्ष्य था किन्तु अनेक कारणों से, मुख्यतः प्राकृतिक आपदाओं के फलस्वरूप अन्न का उत्पादन केवल १३२.२७ लाख टन ही हो सका। १९६३-६४ के लिए यद्यपि हमारा लक्ष्य १५६.७४ लाख टन गल्ला पैदा करने का था किन्तु भयंकर पाला और शीतकालीन वर्षा प्रायः बिलकुल ही न होने के कारण रबी की फ़सल को भीषण क्षति पहुँची, जिससे पूरे वर्ष में अन्न-उत्पादन केवल ११६ लाख टन ही हुआ।

वर्ष १९६३ में, चीनी आक्रमण के फलस्वरूप संकटकालीन स्थिति का सामना करने तथा पैदावार में तेजी से बढ़ोत्तरी करने के उद्देश्य से, राष्ट्रीय विकास परिषद की सिफारिशों के आधार पर प्रदेश में मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की एक कृषि उत्पादन समिति गठित की गयी। इस समिति में कृषि, सिंचाई, सहकारिता और सामुदायिक विकास मंत्रियों को सम्मिलित किया गया ताकि ऐसे मामलों के संबंध में तत्काल निर्णय लिये जा सकें।

इसी प्रकार अधिकारियों के स्तर पर भी नियोजन सचिव की अध्यक्षता में कृषि उत्पादन समिति का पुनर्गठन किया गया। इस समिति में सरकार के सचिव तथा कृषि, सहकारिता, सिंचाई, नियोजन और वित्त विभागों के विभागाध्यक्ष हैं।

कृषि विभाग में भी अप्रैल १९६३ से एक 'सप्लाई संगठन' स्थापित किया गया है, जो निजी तथा सहकारी एजेन्सियों की वितरण व्यवस्था के अतिरिक्त

कार्यों को करता है। इस संगठन द्वारा उन कृषकों को जो सहकारी समितियों के सदस्य नहीं हैं, उर्वरक, उन्नत यंत्र आदि तकावी पर देने की व्यवस्था की गयी है।

तीसरी आयोजना के प्रथम तीन वर्षों में विभिन्न साधनों को जुटाकर पैदावार में वढ़ोत्तरी करने के लिए जो प्रयास किये गये उनका विवरण आगे दिया जा रहा है।

सिंचाई

प्रदेश में वर्ष १९६०–६१ के अंत तक बड़ी नहरों द्वारा ८४.२६ लाख एकड़ भूमि तथा लघु सिंचाई योजनाओं द्वारा ३३.९७ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की व्यवस्था हो चुकी थी। लेकिन बड़ी तथा मध्यम सिंचाई योजनाओं द्वारा ७७·० लाख एकड़ तथा लघु सिंचाई योजनाओं द्वारा २७·५३ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की गयी। साथ ही सामुदायिक तथा निजी सिंचाई साधनों से ६·९८ लाख एकड़ के लिए सिंचाई का प्रबन्ध किया गया। तीसरी आयोजना में ६१.७८ लाख एकड़ भूमि में सिंचाई की सुविधाओं का विशेष विस्तार किया जायगा। इससे ५५·०८ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की सम्भावना होगी।

यह देखा गया है कि जितने क्षेत्र की सिंचाई की व्यवस्था की जाती है उतने में पानी का इस्तेमाल नहीं होता। दूसरी आयोजना के अंत में प्रदेश में ११८ लाख २४ हजार एकड़ जमीन की सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था की गयी थी लेकिन कुल १०४ लाख ५४ हजार एकड़ में पानी का इस्तेमाल हुआ। १९६३-६४ में ४ लाख ५६ हजार एकड़ और भूमि के लिए पानी की व्यवस्था करने का लक्ष्य है लेकिन जिस गति से पानी का उपयोग हो रहा है उससे अनुमान है कि मार्च १९६४ तक इसमें से केवल डेढ़ लाख एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकेगी। प्रदेश में सिंचन-क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग हो सके इसके लिए सरकार ने १९६३ में नार्दर्न इंडिया केनाल एण्ड ड्रेनेज विधेयक १८७३ में संशोधन किया, जिससे अधिशासी अभि-यन्ताओं को यह अधिकार दिया गया कि जिन गाँवों में लोग अथवा ग्राम सभाएँ गूलों का स्वयं निर्माण नहीं करतीं वहाँ वे गूलों का निर्माण करें ताकि पानी किसानों के खेतों तक पहुँचाया जा सके और प्रदेश में सिंचाई-क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग होकर पैदावार में वृद्धि हो।

उर्वरक एवं खाद

दूसरी आयोजना के अंत में अमोनियम सल्फेट तथा सुपरफासफेट के रूप में १.४२ लाख टन नत्रजन तथा ०.१३ लाख टन फास्फेटिक उर्वरकों का वितरण किया गया था। तीसरी आयोजना के अन्त तक ९.९ लाख टन नत्रजन खाद अमो-

नियम सल्फेट के रूप में तथा २.५३ लाख टन फास्फेटिक उर्वरक सुपर फास्फेट के रूप में वितरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। १९६१–६२ में १.५४ लाख टन नत्रजन उर्वरक तथा ०.२६ लाख टन फास्फेटिक उर्वरक का वितरण किया गया था जबकि १९६२–६३ में २.० लाख टन नत्रजन तथा ०.४० लाख टन फास्फेटिक उर्वरक का वितरण हुआ।

यद्यपि उर्वरकों के वितरण में कुछ वृद्धि हुई लेकिन वह सन्तोषजनक नहीं थी क्योंकि १९६१–६२ तथा १९६२–६३ के निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति नहीं हो सकी। इसका मुख्य कारण नये उर्वरकों का प्रयोग, बिक्री केन्द्रों की कमी तथा उर्वरकों को रखने के लिए उचित प्रबन्ध का न होना था। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए १९६३ में एक वृहत प्रदर्शन योजना चलायी गयी ताकि नयी किस्म के उर्वरकों के प्रयोग तथा लाभ से किसान भलीभाँति परिचित हो सकें। इसके अतिरिक्त कृषि विभाग में एक वितरण संगठन की स्थापना की गयी। सहकारी समितियों के लिए उर्वरक गोदामों के निर्माण का प्रबन्ध किया गया। मैदानी इलाकों में प्रत्येक क्षेत्रीय स्तर पर तथा प्रत्येक पर्वतीय जिले में एक-एक गोदाम बनाने की योजना तैयार की गयी। इसके अतिरिक्त सहकारिता ऋण का २५ प्रतिशत भाग उर्वरकों के रूप में देना आरंभ किया गया। किसानों को विभिन्न फसलों में कितनी मात्रा में खाद डालनी चाहिए तथा उर्वरकों का किस प्रकार उपयोग करना चाहिए इसकी पूरी सूची प्रदेश की सभी ग्राम सभाओं को भेजी गयी। मार्च १९६४ के अन्त तक कृषि विभाग के सप्लाई संगठन ने ४$\frac{१}{४}$ करोड़ रुपये की तकावी किसानों को दी जिसमें से ३.७६ करोड़ रुपये की तकावी उर्वरकों के रूप में दी गयी। इस प्रकार इसने १.१६८ लाख टन उर्वरक बाँटा। इसके अतिरिक्त सहकारी संस्थाओं द्वारा लगभग २ लाख टन उर्वरकों का वितरण किया गया।

नगर कम्पोस्ट योजना १९६०-६१ के अन्त तक ३७२ नगर एवं महापालिकाओं में चल रही थी, उसका विस्तार ४४० नगर एवं महापालिकाओं और बड़ी पंचायतों में करने की योजना बनायी गयी जिससे नगर कम्पोस्ट का उत्पादन बढ़कर १९६५–६६ तक ७.५० लाख टन हो सके। प्रदेश में १९६१–६२ में ५.७४ लाख टन तथा १९६२–६३ में ५.८० लाख टन नगर कम्पोस्ट तैयार की गयी।

रासायनिक खादों से पूरा-पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए जरूरत इस बात की होती है कि उर्वरकों के साथ-साथ प्रांगारिक खादों का भी प्रयोग किया जाय। गाँवों में इस खाद की अधिक मात्रा में उपलब्धि के लिए दूसरी आयोजना में यह योजना चलायी गयी थी। १९६०–६१ के अंत तक प्रदेश के १७८ विकास

खण्डों में यह योजना चल रही थी। १९६२–६३ तक इस योजना के अन्तर्गत ३०० विकास खण्डों में कार्य सम्पन्न हुआ और प्रांगारिक खाद का उत्पादन, जो १९६०–६१ में ३८५.२२ लाख टन था, बढ़कर ४५१.२२ लाख टन हो गया। सन् १९६३ में कुल ५६० विकास खंडों में यह योजना प्रगाढ़ रूप से चलायी गयी, जिसके फलस्वरूप वर्ष के अन्त तक ५४०.१९ लाख टन कम्पोस्ट के उत्पादन का अनुमान है।

पैदावार बढ़ाने में हरी खाद का भी महत्वपूर्ण स्थान है। तीसरी आयोजना में ६० लाख एकड़ में हरी खाद देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। १९६०–६१ में ९.२८ लाख एकड़ में तथा १९६२-६३ में २० लाख एकड़ भूमि में हरी खाद दी गयी। इस कार्यक्रम के विस्तार में मुख्य कठिनाई थी हरी खाद के बीज का अधिक मात्रा में उपलब्ध न होना। इस कठिनाई को दूर करने के लिए वर्ष १९६३ में विभिन्न हरी खादों के बीजों के १० लाख छोटे-छोटे पैकेट किसानों में बाँटे गये। इसके अतिरिक्त कृषि विभाग के भंडारों द्वारा विकास खण्डों में ५० से १०० मन तक हरी खाद के बीजों के वितरण की व्यवस्था की गयी। आशा है कि मार्च १९६४ तक ४० लाख एकड़ क्षेत्र में हरी खाद की व्यवस्था हो जायगी। हरी खाद के क्षेत्र में विस्तार करने तथा उसके बीज की उपज बढ़ाने में किसानों का अधिकाधिक सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से १९६३ में दो लाख रुपये के अनुदान की व्यवस्था की गयी और किसानों को एक रुपये की छूट बीज-वितरण पर तथा एक रुपया अतिरिक्त मूल्य विभाग द्वारा बीज खरीदने पर दिया गया। साथ ही पूर्वी जिलों में नलकूपों द्वारा हरी खाद की सिंचाई में ५० प्रतिशत की छूट तथा नहरों द्वारा सिंचाई करने पर २५ प्रतिशत की छूट दी गयी।

उन्नत बीज

यह सिद्ध हो चुका है कि उन्नत बीज बोने से उपज में सवा या ड्योढ़ी तक वृद्धि होती है। अतः तीसरी आयोजना में बीज की अधिकतम शुद्धता कायम रखने के लिए इनकी वृद्धि एवं वितरण के संबंध में नयी योजनाएँ चालू की गयीं। इन योजनाओं के अंतर्गत वर्ष १९६३ में सरकारी ब्लाक फार्मों में विशेषज्ञों की देखरेख में मूल बीज बोने का कार्यक्रम चालू रहा। १९६५-६६ तक इस प्रकार ४ लाख मन शुद्ध बीज के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

भूमि-विकास, सुधार एवं भूमि-संरक्षण

तीसरी आयोजनावधि में ९.५२६ लाख एकड़ क्षेत्र में भूमि संरक्षण कार्य करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसमें से १९६१–६२ और १९६२–६३

में क्रमशः १.२३ लाख एकड़ और १.६६ लाख एकड़ का लक्ष्य था लेकिन यह कार्य उक्त वर्षों में क्रमशः ०.४८ लाख एकड़ तथा ०.६९ लाख एकड़ क्षेत्र में हुआ। सन् १९६३–६४ में भू-संरक्षण की विभिन्न योजनाओं के अधीन यद्यपि १.९१७ लाख एकड़ क्षेत्र में कार्य सम्पन्न करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया तथापि अनुमान है कि यह कार्य १.१३ लाख एकड़ में ही सम्पन्न हो सकेगा। भू-संरक्षण कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मुख्य कठिनाई प्रशिक्षित कर्मचारियों का उपलब्ध न होना था। अतः इस कमी की पूर्ति के लिए दो प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये। साथ ही वर्ष १९६३ में कृषि महाविद्यालय, कानपुर में एम० एस-सी० (भूमि संरक्षण) की शिक्षा की व्यवस्था की गयी। इन कार्यक्रमों के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत किसानों को ऋण तथा अनुदान की सुविधाएँ दी गयीं और साथ ही कार्य तेजी से सम्पन्न करने के उद्देश्य से भूमि-संरक्षण अधिनियम में भी अपेक्षित संशोधन किया गया।

तीसरी आयोजना में कुल ०.०५ लाख एकड़ में भूमि-विकास तथा ०.२० लाख एकड़ में भूमि-सुधार कार्य करने का लक्ष्य है। १९६२–६३ तक यही कार्य क्रमशः ०.०२८ लाख एकड़ तथा ०.०१८ लाख एकड़ में सम्पन्न हुआ। आशा है, मार्च १९६४ तक १,५०० एकड़ में भूमि विकास तथा २,००० एकड़ में भूमि सुधार कार्य हो जायगा।

उन्नत कृषि-विधियों का प्रयोग

खेती-बारी की उन्नत विधियाँ पैदावार बढ़ाने में बड़ी सफल सिद्ध हुई हैं। इन विधियों का प्रदर्शन किसानों के खेतों पर किया जाता रहा ताकि वे इनके लाभों को समझ कर इन्हें यथाशीघ्र अपनायें। इस कार्यक्रम में किसानों का पूर्ण सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से उन्हें उर्वरक तथा कीटनाशक दवाइयों के रूप में २० रु० प्रति प्रदर्शन के हिसाब से दिये गये। १९६२–६३ तक यह योजना प्रदेश के ३० जिलों के ३०० विकास खण्डों में चलायी गयी और १९६५–६६ तक समस्त विकास खण्डों में यह योजना चालू हो जायगी। १९६१–६२ तथा १९६२–६३ में क्रमशः ३,६५७ तथा ४,०२६ प्रदर्शन किये गये।

उन्नत कृषि के तरीकों को अपनाने के लिए आवश्यक है कि उन्नत कृषि यंत्रों का भी प्रयोग किया जाय। अतः इसके लिए किसानों को ऋण देने की व्यवस्था की गयी।

कीड़े तथा बीमारियों से फसलों को काफी क्षति पहुँचती है और फलस्वरूप उत्पादन को प्रतिवर्ष काफी क्षति पहुँचती है। तीसरी आयोजना में १०० लाख एकड़ क्षेत्र में फसल सुरक्षा कार्यक्रम करने का लक्ष्य है। १९६२–६३ तक प्रदेश में २८ लाख एकड़ क्षेत्र में यह कार्य किया गया। साथ ही किसानों को फसल सुरक्षा यंत्र खरीदने के लिए ऋण तथा मूल्य में छूट देने का भी प्रबन्ध किया गया।

दो-फसली क्षेत्र

सिंचन-सुविधाओं में विस्तार होने के फलस्वरूप दो-फसली क्षेत्र भी बढ़ता जा रहा है। इस वर्ष भी फसलों के हेर-फेर की विधि अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया गया और साथ ही सिंचाई के साधनों का पूरा उपयोग करने हेतु जायद आन्दोलन भी चलाया गया। दो-फसली क्षेत्र का विस्तार करने की योजनाओं के अन्तर्गत दो-फसली क्षेत्र में १९५३–५४ से १९६३–६४ तक लगभग १६ लाख एकड़ की वृद्धि हुई है। तीसरी आयोजना में दो-फसली क्षेत्र का विस्तार कुल ५४·६९ लाख एकड़ में करने का लक्ष्य है।

बारानी खेती

प्रदेश के असिंचित क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि करने के लिए बारानी खेती की योजना चालू की गयी है। बारानी खेती के अन्तर्गत मुख्य कार्यक्रम मेड़बन्दी व डौलबन्दी तथा लाइन में फसलों की बोआई और निराई तथा गुड़ाई का है। सन् १९६२–६३ तक २१.४५ लाख एकड़ क्षेत्र में बारानी खेती का कार्य किया गया। संकटकालीन स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम पर अधिक बल दिया गया है और यही कारण है कि तीसरी आयोजना की शेष अवधि में बारानी खेती के लक्ष्यों को बढ़ाकर ५१ लाख एकड़ कर दिया गया है। मार्च १९६४ तक बारानी खेती के अन्तर्गत २८.५ लाख एकड़ क्षेत्र आ जायगा।

जैसा कि ऊपर कहा गया है राज्य सरकार ने तीसरी आयोजनावधि में १३५.४ लाख टन अनुमानित उत्पादन के ऊपर ४७.४६ लाख टन अतिरिक्त अनाज पैदा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। १९६१–६२ में वास्तविक उत्पादन १३८.३९ लाख टन हुआ। उक्त वर्ष में यद्यपि गेहूँ तथा धान की पैदावार पिछले वर्षों से अधिक हुई लेकिन अत्यधिक पाला पड़ने के कारण अरहर तथा चने की फसलों को भारी क्षति पहुँची। १९६२–६३ में १५३.३४ लाख टन अन्न-उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था किन्तु प्राकृतिक आपदाओं के कारण अनाज का उत्पादन केवल १३२.२७ लाख टन ही हो सका। १९६३ में इन सभी त्रुटियों को दूर करने का

पूर्ण प्रयास किया गया और १५६.७४ लाख टन का लक्ष्य रखा गया। खरीफ की फसल भी आशाजनक रही किन्तु भयंकर पाला पड़ने और शीतकालीन वर्षा का अभाव होने के कारण रबी की फसलों को भीषण क्षति पहुँची और मार्च १९६४ तक कुल ११६ लाख टन अन्न पैदा हो सका।

तिलहन

हमारे प्रदेश में १९५५–५६ में ७.५५ लाख टन तिलहन का उत्पादन हुआ था जो १९६०–६१ में बढ़कर १२.८४ लाख टन और १९६१–६२ में १३.०१ लाख टन हो गया। १९६२–६३ में यह १२.१४ लाख टन ही हुआ। १९६३–६४ में कुल १५.५० लाख टन तिलहन का उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था लेकिन जनवरी १९६३ में नियोजन आयोग के कृषि सलाहकार से विचार-विमर्श करने के बाद इस लक्ष्य को बढ़ाकर १५.७६० लाख टन कर दिया गया। आशा है कि लक्ष्य की पूर्त्ति हो जायगी। प्रदेश में आयोजना के अंतिम वर्ष तक तिलहन का उत्पादन बढ़ाकर १७ लाख टन करने की योजना है। मूंगफली की पैदावार बढ़ाने के लिए हरदोई जिले में एक परियोजना पहले से चालू थी। १९६३ में फर्रुखाबाद तथा बदायूं जिलों में भी ऐसी दो परियोजनाएँ चालू की गयीं। अण्डी की पैदावार बढ़ाने के लिए पर्वतीय जिलों में तथा बुन्देलखण्ड में विशेष योजनाएँ चलायी गयीं, जिनके अन्तर्गत अण्डी के बीजों के निःशुल्क वितरण तथा प्रदर्शन की सहायता और उर्वरक, कीटनाशक दवाइयों एवं सिंचाई पर आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था की गयी।

कपास

प्रदेश की नकदी फसलों में कपास का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके उत्पादन में अपेक्षित वृद्धि करने के सभी प्रयासों के बावजूद देखा यह गया कि किसी भी वर्ष में निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई। १९५५–५६ में प्रदेश में ०.२८७ लाख गांठ तथा १९६०–६१ में ०.४० लाख गाँठ कपास पैदा हुई। १९६१–६२ में ०.८९४ लाख गांठ तथा १९६२–६३ में ०.९१२ लाख गांठ का लक्ष्य निर्धारित किया गया था लेकिन उत्पादन क्रमशः ०.४३ लाख गांठ और ०.६१ लाख गांठ हुआ। यद्यपि तीसरी आयोजना के पहले दो वर्षों में कपास का उत्पादन पहले से बढ़ा लेकिन मौसम की खराबी से, निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति न हो सकी। साथ ही गर्मियों में गन्ने की फसल की अधिक सिंचाई के कारण कपास की पर्याप्त सिंचाई न हो पायी और इसकी पैदावार में कमी हुई। १९६३–६४ में १.११

लाख गांठ कपास का उत्पादन करने के लिए २·४० लाख एकड़ क्षेत्र का विस्तार करने, १·७२ लाख एकड़ क्षेत्र में सिंचाई की सुविधाएँ उपलब्ध करने, १·७० लाख एकड़ क्षेत्र में उन्नत बीज डालने, १·०५ लाख एकड़ में उर्वरक तथा खाद की समुचित व्यवस्था करने, १·०५ लाख एकड़ में फसल सुरक्षा कार्य सम्पन्न करने और १·६६ लाख एकड़ क्षेत्र में कृषि की उन्नत विधियों को अपनाने का लक्ष्य रखा गया। मौसम अनुकूल रहने पर निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हो जाने की आशा है। इस वर्ष भी कपास का उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचाई में आर्थिक सहायता दी गयी और उत्पादन संबंधी विभिन्न समस्याओं पर विचार करने के लिए समिति नियुक्त की गयी। तीसरी आयोजना के अन्त तक कपास का उत्पादन बढ़ा कर १·५० लाख गांठ करने का लक्ष्य है।

जूट

प्रदेश में जूट के उत्पादन में बढ़ोतरी करने के प्रयास सफल सिद्ध हुए हैं। बल इस बात पर दिया जाता रहा है कि किन विधियों को अपना कर जट के रेशे की किस्म में अपेक्षित सुधार किया जाय। इस दिशा में काफी सफलता भी मिली। दूसरी आयोजनावधि में १·१० लाख गांठ जूट पैदा करने का लक्ष्य था जब कि उत्पादन १·३९४ लाख गांठ हुआ। १९६१–६२ में १·४५ लाख गांठ तथा १९६२–६३ में १·५० लाख गांठ पैदा करने का लक्ष्य था जब कि उत्पादन क्रमशः १·७० लाख गांठ तथा १·६२ लाख गांठ हुआ। १९६३–६४ के लिए १·५६ लाख गांठ का लक्ष्य है और प्राप्त सूचनाओं के अनुसार इतना उत्पादन होने की पूरी आशा है।

गन्ना (गुड़ के रूप में)

प्रदेश के उन १८ जिलों में जहां शक्कर की मिलें नहीं हैं गन्ना उत्पादकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अभी तक कोई संगठन नहीं था जिसके फलस्वरूप प्रति एकड़ उपज भी कम होती थी। अतः कृषि विभाग ने राज्य के गुड़ तथा खांडसारी क्षेत्रों में गन्ने के विकास के लिए एक योजना चलायी जिसके अंतर्गत इस वर्ष १,५५० एकड़ तथा ७,५५० एकड़ क्षेत्रों में प्रारम्भिक तथा द्वितीय चरण की पौधशालाएँ स्थापित करने का कार्य होता रहा। इस योजना का उद्देश्य गन्ना उत्पादकों के लिए प्रति वर्ष ३१ लाख मन रोग-मुक्त गन्ने का बीज उपलब्ध करना है। इसके अतिरिक्त उन्नत कृषि-विधियां अपनाने, उपयुक्त मात्रा में खाद देने तथा फसल सुरक्षा के तरीकों के विस्तार का कार्य किया गया। इस कार्यक्रम में

किसानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए गन्ने की प्रारम्भिक पौधशाला पर ०·५० पैसे प्रति मन, द्वितीय चरण की पौधशाला पर ०·२५ पैसे प्रति मन और कृषि रक्षा एवं प्रगाढ़ हरी खाद के आन्दोलन के लिए २० रु० प्रति एकड़ के हिसाब से आर्थिक सहायता दी गयी। तृतीय आयोजना-काल में गन्ना उत्पादन का गुड़ के रूप में लक्ष्य ४५ लाख टन रखा गया है। सन् १९६१–६२ में ५०.४५ लाख टन का उत्पादन हुआ, जो १९६२–६३ में ४३.२० लाख टन था। आलोच्य वर्ष के लिए ४५ लाख टन का लक्ष्य रखा गया है, जिसके पूरा होने की आशा है।

लाख

मिर्जापुर, वाराणसी, बाराबंकी तथा लखीमपुर-खीरी के जिलों में चार नये फार्म स्थापित करने का कार्य चलता रहा। १९६५–६६ तक १०,००० मन अतिरिक्त लाख के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

अन्नेतर फसलें

प्रदेश में फलों तथा तरकारियों का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं और देश में संकटकालीन स्थिति की घोषणा होने के बाद इस दिशा में अधिक ध्यान दिया जाने लगा है। फलों तथा तरकारियों के उत्पादन से एक ओर जहाँ पोषक तत्व अधिक मात्रा में उपलब्ध होते हैं वहाँ अनाज की खपत भी काफी कम हो जाती है। अतएव वर्ष १९६३–६४ में ०·२० लाख एकड़ में नये उद्यानों की स्थापना करने, ०·१५ लाख एकड़ क्षेत्र के उद्यानों का जीर्णोद्धार करने, ०·६० लाख मन रोग-मुक्त आलू के बीजों तथा ०.०६ लाख पौंड अन्य तरकारियों के बीजों का वितरण करने और ८ लाख कलमों तथा पौधों को बांटने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। तरकारियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य के १७ जिलों में इस वर्ष एक योजना चालू की गयी। साथ ही तरकारियों के उन्नतिशील बीजों का उत्पादन बढ़ाने और उनके वितरण की समुचित व्यवस्था करने के लिए भी इस वर्ष एक और योजना चालू की गयी। इस वर्ष पौधशाला स्थापित करने के लिए भी किसानों को एक हजार रुपये प्रति पौधशाला के हिसाब से ऋण देने की व्यवस्था की गयी।

कृषि-अनुसंधान

कृषि-प्रसार कार्य को बढ़ाने के लिए अनुसन्धान भी अपेक्षित है। इसके लिए जरूरत इस बात की है कि अनुसंधान कार्यों के लिए पर्याप्त सुविधाएँ प्रदान

की जायँ, जिससे क्षेत्रों की सभी समस्याओं का समाधान हो सके। इसी उद्देश्य से चालू वर्ष में कल्याणपुर स्थित अनुसंधान केन्द्र तथा पाँच क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्रों को और सुसज्जित किया गया। साथ ही इक्नामिक बोटनी (लिग्यूम्स) के नये उप-विभाग की भी स्थापना की गयी है।

गन्ने के विकास के लिए शाहजहाँपुर, मुजफ्फरनगर तथा गोरखपुर के अनुसंधान केन्द्रों को सुविधाएँ प्रदान की गयीं और गोला गोकर्णनाथ के क्षेत्र की विशेष समस्याओं का समाधान करने के लिए एक नये उपकेन्द्र की स्थापना की गयी।

सहारनपुर स्थित औद्योगिक अनुसंधानकेन्द्र के कार्य का विस्तार किया गया। इसके अतिरिक्त मैदानी क्षेत्रों में फलों के अनुसंधान के लिए ५ क्षेत्रीय उपकेन्द्रों की स्थापना करने की योजना के अंतर्गत नगऊ (चकराता) तथा इलाहाबाद में दो केन्द्रों की स्थापना की गयी। साथ ही बस्ती के फल अनुसंधान केन्द्र का और विस्तार किया गया। इक्नामिक बोटनी (धान) के अनुविभाग की स्थापना तथा कपास और अन्य रेशों के संबंध में अनुसंधान की व्यवस्था भी की गयी।

शिक्षा

कृषि संबंधित विभिन्न योजनाओं को सुचारु रूप से चलाने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों की अपेक्षा स्वयंसिद्ध है। इन कर्मचारियों की पूर्ण व्यवस्था करने के लिए कृषि महाविद्यालय के विस्तार का कार्य चालू किया गया और पशुपालन एवं डेरी तथा भूमि संरक्षण में एम० एस-सी० का पाठ्यक्रम शुरू किया गया। साथ ही कृषि इंजीनियरिंग और कृषि प्रसार की कक्षाएँ भी खोली गयीं। बड़ौत, नैनी, वाराणसी तथा हमीरपुर में कृषि प्रसार की चार कक्षाएँ चालू की गयीं। गैर-सरकारी विद्यालयों को आर्थिक सहायता देने का प्रबंध जारी रहा।

प्रशिक्षण

कर्मचारियों को आधुनिक कृषि विज्ञान की अधिकाधिक जानकारी हो और वे किसानों की कठिनाइयों को हल करने में समर्थ हो सकें, इस उद्देश्य से प्रदेश में उनके लिए रिफ्रेशर कोर्स चालू किये गये : किसानों को बागवानी में प्रशिक्षित करने की व्यवस्था बस्ती तथा रामपुर में की गयी तथा चार और सरकारी उद्यानों में इसका विस्तार करने की योजना बनायी गयी।

वन

अनादि काल से हमारे देश में वनों और वृक्षों का बड़ा महत्व रहा है। वन हमारी संस्कृति के मूल-स्रोत हैं। वनों में और वनों से होकर बहने वाली नदियों के सुरम्य तटों पर आश्रम बनाकर हमारे त्रिकालदर्शी ऋषियों ने तपस्या की, वेद-वेदांगों की रचना की और तत्वज्ञान का दिव्य संदेश देकर जगत का कल्याण किया। 'तमसो मा ज्योतिर्गमय' का आदर्श वाक्य आज भी हमारा पथ-प्रदर्शक है और मानव के विकास की प्रेरणा देता है।

नैतिकता और संस्कृति के अतिरिक्त दैनिक जीवन से भी वनों का अटूट संबन्ध है। राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था अनेक अंशों में उन पर निर्भर है। कच्चे माल के रूप में हमें अनेक प्रकार की वनोपज मिलती हैं, जिनसे बहुत से छोटे-बड़े उद्योग-धंधे चलते हैं और हजारों-लाखों व्यक्तियों को रोजगार मिलता है।

वैज्ञानिकों का मत है कि किसी देश की सुख-समृद्धि के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में ६० प्रतिशत तथा मैदानी क्षेत्रों में २० प्रतिशत भूमि में वन होना नितान्त आवश्यक है। हमारे प्रदेश में वन-क्षेत्र का औसत प्रतिशत केवल १४ है। पर्वतीय अंचल में कुल क्षेत्र के केवल ४९ प्रतिशत और मैदानी क्षेत्रों में ५ प्रतिशत भूमि में वन हैं। विन्ध्याचल की श्रेणियों में वन-क्षेत्र का यह प्रतिशत केवल १८ है। प्रदेश के ५४ जिलों में से केवल २२ जिलों में प्राकृतिक वन हैं। इनमें १६ जिले उत्तरांचल में और ६ जिले दक्षिणी भाग में स्थित हैं। शेष ३२ जिलों में, जो प्राय: गंगा, यमुना, घाघरा तथा गोमती नदियों के किनारे स्थित हैं, नाममात्र के वन हैं।

स्पष्ट है कि हमारे प्रदेश में वन-क्षेत्र काफी कम है, जिसका दुष्परिणाम यह हो रहा है कि प्रति वर्ष हजारों एकड़ भूमि का क्षरण हो रहा है, प्राय: हर वर्ष बाढ़ आने के कारण जान-माल की भारी क्षति होती है और हमारी खेती-बारी को काफी नुकसान पहुँचता है। अतएव जरूरी यह है कि हम न केवल मौजूदा वनों का संरक्षण करें अपितु वन-क्षेत्र का यथाशीघ्र विस्तार करें।

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद लोकप्रिय सरकार ने वनों के विकास के लिए अनेक योजनाएँ बनायीं। सन् १९४५ में भूमि-प्रबन्धक वृत्त की स्थापना हो जाने पर वैज्ञानिक ढंग पर वन क्षेत्रों के विकास की दिशा में उल्लेखनीय कार्य हुआ। इन

योजनाओं के अधीन १९४७ से लेकर १९६१ की अवधि में सुरक्षित वन क्षेत्रों, बंजर भूमि तथा उपनिवेश क्षेत्रों में ६०,००० एकड़ भूमि में वनरोपण कार्य सम्पन्न हुआ, नहरों के किनारे प्रायः १०,००० एकड़ में और लगभग १,३०० मील लम्बी सड़कों के किनारे पेड़ लगाये गये। इस प्रकार जहाँ १९१३ से १९४६ तक की ३३ वर्षों की अवधि में प्रदेश में कुल २५,००० एकड़ क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया वहाँ १९४७ से १९६० तक के १३ वर्षों में ७०,००० एकड़ से अधिक क्षेत्र में यह कार्य सम्पन्न हुआ।

योजनाबद्ध कार्यक्रम

अन्य विकास विभागों की भांति वनों के उद्धार और वन-क्षेत्र के विस्तार के लिए वन विभाग ने भी योजनावद्ध कार्यक्रम वनाया। तदनुसार विधिवत् कार्य आरम्भ हुआ।

पहली पंचवर्षीय आयोजना के पूर्व प्रदेश का वन-क्षेत्र ९,५४५ वर्गमील था, जो आयोजना के अन्त में अर्थात् १९५५–५६ तक बढ़कर १३,३०६ वर्गमील हो गया। वन-क्षेत्र में यह वृद्धि निजी वनों तथा भूतपूर्व जमींदारों की बंजर भूमि को, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के उपबन्धों के के अधीन, सरकार द्वारा अपने हाथ में ले लेने से हुई। १९५१–५२ से १९५५–५६ के पाँच वर्षों की अवधि में वनों के विकास के लिए सरकार ने जो सक्रिय कदम उठाये उनके फलस्वरूप वनोपज में भी पर्याप्त वृद्धि हुई। इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि १९५०–५१ में जहाँ ९७,२३,००० घनफुट इमारती लकड़ी का उत्पादन हुआ वहाँ १९५४–५५ में १,२१,९०,००० घनफुट लकड़ी का उत्पादन हुआ। इसी प्रकार इस अवधि में लीसे का उत्पादन १,५६,००० मन से बढ़कर ३,०४,००० मन हो गया।

वन विकास योजना के अन्तर्गत जो एक अत्यन्त महत्वपूर्ण काम किया गया वह था बड़े पैमाने पर औद्योगिक महत्व के वृक्ष लगाना। आयोजनावधि में कुल १६,२५० एकड़ क्षेत्र में इन वृक्षों को लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जो १९५५–५६ तक पूरा कर लिया गया। इस योजना पर २२ लाख २८ हजार रुपये व्यय किये गये।

वनों में गमनागमन की समुचित व्यवस्था करने के लिए पहली आयोजनावधि में ७३७ मील लम्बी सड़कों का निर्माण किया गया। जमींदारी विनाश के फल-स्वरूप गाँव समाजों में निहित बंजर भूमि में वन रोपण कार्य किया गया। इस प्रकार

१९५५–५६ के अन्त तक प्रदेश के ३,८८० गाँवों में २४,९७२ एकड़ क्षेत्र को ईंधन और चारे के लिए सुरक्षित किया गया और ४,६०८ गाँवों की ५,६०५ एकड़ भूमि में बाग लगाये गये ।

पहली आयोजना में वन-विकास की पाँच योजनाओं पर जहां १३८.८२ लाख रुपये खर्च हुए वहाँ दूसरी पंचवर्षीय आयोजना में १५ योजनाओं पर २६८.३९ लाख रुपये खर्च किये गये । इस आयोजना के अधीन कुमाऊँ में लगभग दो लाख फलदार वृक्ष लगाये गये और खेल कूद के सामान बनाने के लिए ३,५७५ एकड़ में शहतूत तथा 'ऐश' के वृक्ष लगाये गये । साथ ही ९,७०० एकड़ नहरी तथा वन-भूमि में और ४०० मील लम्बी सड़कों के किनारे पेड़ लगाये गये । बहराइच, देहरादून तथा यमुना डिवीजनों के 'वर्किंग प्लान' पूरे किये गये । प्रदेश में ६०,३६४ एकड़ क्षेत्र में औद्योगिक महत्व के वृक्ष लगाये गये और १४,६३२ एकड़ क्षेत्र के साल के वनों का जीर्णोद्धार किया गया । कुमाऊँ में लगभग ७३,००० एकड़ क्षेत्र के प्रथम श्रेणी के वनों को द्वितीय श्रेणी के अधीन करके वन-विभाग की प्रबन्ध व्यवस्था के अन्तर्गत लाया गया । साथ ही वन विभाग द्वारा कुमाऊँ में १,७३,००० एकड़ क्षेत्र के प्रथम श्रेणी के वनों में विकास कार्य किया गया । वनों में गमनागमन की व्यवस्था में और सुधार करने के लिए ६९७ मील लम्बी मोटर सड़कों का निर्माण किया गया और ८८९ मील लम्बी टेलीफोन की लाइनें बिछायी गयीं । निजी वनों की प्रबन्ध-व्यवस्था में विस्तार करने के लिए १८,९९२ एकड़ निजी वन क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य किया गया । भूमि संरक्षण योजना के अन्तर्गत गंगा तथा यमुना के खोलों में १०,००० एकड़ क्षेत्र में वन लगाये गये । पिछड़े क्षेत्रों की वन-विकास योजना के अधीन ६३७ एकड़ में औद्योगिक महत्व के वृक्ष लगाये गये । २५ एकड़ में जड़ी-बूटियाँ उगायी गयीं और १८१ मील लम्बी सड़कों तथा १०१ पुलों का निर्माण किया गया ।

प्रदेश में वन्य-जन्तुओं के संरक्षण के लिए दूसरी आयोजना में पहली बार एक संगठन की स्थापना की गयी ।

वन-विकास सम्बन्धी दो पंचवर्षीय आयोजनाओं को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने पर तीसरी पंचवर्षीय आयोजना के अधीन वन विकास कार्यों को और तेजी से सम्पन्न करने के लिए ७८७ लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है जिसमें से ७५लाख रुपये उत्तराखण्ड में वनों के विकास पर खर्च किये जायंगे । तीसरी आयोजना में मुख्यतः औद्योगिक महत्व के वृक्ष लगाने पर विशेष बल दिया गया है ।

वनोपज

जैसा कि पहले कहा जा चुका है वनों की मुख्य उपज इमारती लकड़ी और ईंधन है। निर्माण-कार्यों के लिए साल, चीड़, देवदारु तथा सई की लकड़ी काम में आती है। इसमें से अधिकांश लकड़ी रेलवे के 'स्लीपर' बनाने के काम में लायी जाती है। इसके अतिरिक्त चीड़ से लीसा भी निकाला जाता है, जिससे राल और तारपीन तैयार होता है। शीशम की लकड़ी का उपयोग फर्नीचर बनाने के लिए किया जाता है, खैर के वृक्षों से कत्था तैयार होता है। दियासलाई की तीलियां बनाने के लिए सेमल की लकड़ी सर्वोत्तम समझी जाती है और कांजू का उपयोग प्लाइउड उद्योग में किया जाता है। इसी प्रकार बबूल के वृक्षों की छाल का उपयोग चमड़ा कमाने में किया जाता है और इसकी लकड़ी कृषि-औजार बनाने के काम में लायी जाती है। घास और बाँस का उपयोग कागज उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। तेंदू की पत्तियों का उपयोग बीड़ी उद्योग में किया जाता है। इसी प्रकार बेंत फर्नीचर आदि बनाने के काम में आता है। इनके अतिरिक्त और भी कई प्रकार के वृक्ष हैं, जिनका उपयोग उद्योगों में या अन्यत्र किया जाता है।

औद्योगिक महत्व के वृक्ष

तीसरी आयोजना के दो वर्षों में औद्योगिक महत्व के वृक्ष लगाने की दिशा में भरपूर प्रयास किये गये। वृक्षारोपण की तीन महत्वपूर्ण योजनाओं के अन्तर्गत जहाँ १९६२ में १७,९५७ वृक्ष लगाये गये वहाँ सन् १९६३ में नियोजित रूप से २३,७५९ एकड़ में वृक्षारोपण की चार योजनाओं के अधीन वृक्ष लगाये गये। इस प्रकार सन् १९६३ के अन्त तक कुल ८३,२५० एकड़ में यह कार्य सम्पन्न हुआ।

लीसा-उद्योग

हमारे प्रदेश की वनोपज में चीड़ के वृक्षों से निकलने वाले लीसे का विशेष महत्व है क्योंकि इससे राल और तारपीन तैयार होता है जो मुख्यतः साबुन, पेंट, वार्निश आदि बनाने के काम आता है। कपूर आदि बनाने के लिए तारपीन का उपयोग अधिक लाभकारी सिद्ध हुआ है। लीसे की सबसे अधिक खपत बरेली की टरपेन्टाइन फैक्टरी में होती है, जहाँ प्रति वर्ष लगभग दो लाख मन राल और दो लाख गैलन तारपीन का उत्पादन होता है। इसके अतिरिक्त ऋषिकेश, कोटद्वार तथा रानीखेत स्थित सहकारी कारखानों में भी लीसे की खपत होती है।

कुमाऊँ वृत्त में लीसा-उद्योग विशेष महत्त्वका है क्योंकि चीड़ के वन वहीं हैं। वर्ष १९६०–६१ के आँकड़ों से पता चलता है कि उस वर्ष कुमाऊँ के ३,१२,००० एकड़ क्षेत्र में चीड़ के ५४,७६,००० पेड़ों से २,८०,००० मन लीसा निकाला गया, जिसका मूल्य ९२,४०,००० रु० आँका गया। वर्ष १९६२ में लीसा उत्पादन बढ़ाने की योजना के अधीन २८,९७० मन अतिरिक्त लीसा एकत्र किया गया। आलोच्य वर्ष में ५८,६८९ मन अतिरिक्त लीसे का उत्पादन हुआ। यह उल्लेखनीय है कि लीसे के रूप में जहाँ अनेक उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध होता है वहाँ यह पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों के लिए अतिरिक्त आय का अच्छा साधन भी है।

संचार-साधनों की व्यवस्था

वनों के विकास और वनोपज के समुचित उपयोग के लिए यातायात व्यवस्था का होना नितान्त आवश्यक है। यदि हमारी यातायात व्यवस्था अच्छी होगी तो वनों से अधिक आय भी होगी। साथ ही नयी सड़कें बन जाने से वनों की प्रबन्ध-व्यवस्था में भी सुगमता होगी। गत वर्ष दिसम्बर १९६२ तक ३३ मील लम्बी नयी सड़कों का निर्माण हुआ था और १७५ मील लम्बी पुरानी सड़कों का जीर्णोद्धार किया गया था। साथ ही ६३ मील लम्बी टेलीफोन की लाइनें बिछायी गयी थीं। आशा है कि मार्च १९६४ तक प्रदेश के वन-क्षेत्रों में २०२ मील लम्बी नयी सड़कों का निर्माण और ३४७ मील लम्बी पुरानी सड़कों का जीर्णोद्धार हो जायगा। इसी प्रकार जहाँ १९६२–६३ में सात भवनों का निर्माण-कार्य पूरा हुआ वहाँ मार्च १९६४ तक ६८ भवन बन जायेंगे।

सर्वेक्षण कार्य

उद्योग एवं व्यापार के विकास के लिए हमारे वनों में क्या-क्या साधन उपलब्ध हैं और किस प्रकार वनोपज का उचित वितरण किया जा सकता है यह जानने के लिए तीसरी आयोजना में एक वन-साधन-सर्वेक्षण डिवीजन की स्थापना की गयी है। इस योजना के अधीन गत वर्ष दिसम्बर महीने तक कालागढ़, उत्तरी अल्मोड़ा, दक्षिणी अल्मोड़ा, सहारनपुर, देहरादून, रामनगर तथा सोन वन खण्डों में २,००,००० एकड़ से अधिक क्षेत्र में सर्वेक्षण-कार्य किया गया। आलोच्य वर्ष में २,८२,२८० एकड़ में यह कार्य सम्पन्न किया गया।

वन्य-पशु

वन्य पशु हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं और प्रकृति के सन्तुलन को बनाये रखने के लिए उनका संरक्षण आवश्यक है। इस बात को ध्यान में रखकर

दूसरी आयोजना मं प्रदेश में वन्य पशुओं की सुरक्षा के लिए एक संगठन कायम किया गया। प्रदेश में मार्च १९६३ तक वन्य-पशुओं के संरक्षण के लिए १० वन-क्षेत्र बनाये जा चुके थे। इस योजना के अधीन कार्बेट नेशनल पार्क का भी पर्याप्त विस्तार किया गया है। वहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या में भी काफी वृद्धि हुई है, जिससे राज्य सरकार के राजस्व में वृद्धि हुई।

भूमि-संरक्षण

भूमि तथा जल-संरक्षण की समस्या यद्यपि अखिल भारतीय है तथापि हमारे प्रदेश में प्राकृतिक साधनों पर जनसंख्या का भार अधिक होने के कारण यह जटिल हो गयी है। इसका अन्दाजा इस बात से किया जा सकता है कि प्रदेश में भू-क्षरण आदि से प्राय: एक करोड़ ६३ लाख एकड़ भूमि प्रभावित है। यह समस्या सच पूछा जाय तो इस कारण और भयावह हो गयी है कि एक लम्बे अर्से से वृक्षों के महत्व को भुला दिया गया था। पिछले महायुद्धों में विदेशी शासकों द्वारा लड़ाई की जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़ी बेरहमी से पेड़ों को काटा गया और फिर उसके बाद जमींदारी समाप्त होने के समय भूतपूर्व जमींदारों द्वारा भी निजी वनों तथा बागों की धुआँधार कटाई की गयी।

सन् १९५२ से लेकर मार्च १९६१ तक प्रदेश में लगभग ३९,०५२ एकड़ क्षेत्र में वनरोपण कार्य किया गया और १४६.६ मील लम्बी सड़कों के किनारे वृक्ष लगाये गये। पहली तथा दूसरी आयोजना में इस योजनाओं पर कुल ७१,६४,२४९ रु० खर्च किये गये। वर्ष १९६२–६३ में भूमि-संरक्षण योजना के अन्तर्गत प्रदेश में ६,२४१ एकड़ क्षेत्र में वृक्षारोपण-कार्य किया गया था। आलोच्य वर्ष में यह कार्य ७,६३७ एकड़ में सम्पन्न किया गया। भूमि का कटाव सबसे अधिक पर्वतीय क्षेत्रों तथा मैदानी क्षेत्रों में यमुना, चम्बल, बेतवा और धसान नदियों के आसपास के इलाकों में हो रहा है। यही कारण है कि आगरा, इटावा, मथुरा, एटा, मैनपुरी आदि जिलों की खारों में तथा पर्वतीय जिलों में वनरोपण कार्य तेजी से किया जा रहा है।

सन् १९६२ में चालू की गयी एक योजना के अन्तर्गत रामगंगा जलाशय की सुरक्षा के लिए उसके आवाह (कैचमेंट) क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर भूमिसंरक्षण कार्य किया जा रहा है। आलोच्य वर्ष में ४०,००० एकड़ क्षेत्र में इस प्रयोजन के लिए सर्वेक्षण-कार्य सम्पन्न हुआ तथा १,००० एकड़ से अधिक भूमि में वन लगाये गये।

कागज तथा रेयन उद्योग

जनसंख्या में वृद्धि होने तथा शिक्षा के अधिकाधिक प्रसार के कारण कागज तथा रेयन उद्योगों के लिए लकड़ी की लुग्दी की माँग बढ़ती जा रही है। इस बात को ध्यान में रखकर ही गत वर्ष एक नयी योजना चलायी गयी, जिसके अन्तर्गत तेजी से बढ़ने वाले ऐसे वृक्ष लगाने का कार्य प्रारम्भ किया गया, जिनसे लुग्दी तैयार की जाती है। साथ ही ३,५०० एकड़ में बाँस आदि का उत्पादन किया गया। आशा है कि मार्च १९६४ तक ६,७०० एकड़ क्षेत्र में इस प्रकार के वृक्ष लगा दिये जायेंगे। योजना का उद्देश्य कागज तथा रेयन उद्योगों के लिए कच्चे माल की कमी को पूरा करना है।

तीसरी आयोजनावधि में वनों के विकास की योजनाओं पर कुल ७८७ लाख रुपये खर्च करने का प्राविधान है। इस धनराशि में से ७५ लाख रुपये उत्तराखण्ड में चल रही योजनाओं पर खर्च किये जायेंगे। औद्योगिक महत्व के वृक्ष लगाने की योजना के अन्तर्गत १०० लाख रुपये खर्च करके ४६,००० एकड़ क्षेत्र में ये वृक्ष लगाये जायेंगे। साथ ही १२० लाख रुपये व्यय करके घटिया किस्म के वनों को अच्छे वनों में परिवर्तित किया जायगा। लगभग ४५,१६० एकड़ वनों के जीर्णोद्धार की भी योजना है जिस पर ३० लाख रुपये खर्च होंगे। चीड़ के वनों से लीसे का अधिकाधिक उत्पादन किया जायगा। एक करोड़ रुपये की लागत की इस योजना के अधीन, आशा है कि आयोजनावधि में कुमाऊँ तथा टिहरी वृत्तों के वनों से ३.८५ लाख मन अतिरिक्त लीसे का उत्पादन होगा। वनक्षेत्रों में सड़कों के निर्माण तथा संचार-साधनों की व्यवस्था करने पर ६० लाख रुपये व्यय करके कुल १,३०० मील लम्बी सड़कों का निर्माण किया जायगा और ४७५ मील लम्बी टेलीफोन की लाइनें बिछायी जायँगी। भूमि-संरक्षण कार्यक्रम के अधीन पर्वतीय जिलों, पश्चिमी अंचल के जिलों और बुन्देलखण्ड में ३२,५०० एकड़ क्षेत्र में वनरोपण-कार्य किया जायगा।

वन विभाग द्वारा तीसरी आयोजना में गाँव-गाँव में वन लगाने की एक विशेष योजना चालू की गयी है, जिसका उद्देश्य गाँव वालों को ईंधन, इमारती लकड़ी तथा पशुओं के लिए चारे के सम्बन्ध में आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के अधीन चालू आयोजनावधि में ६० लाख रुपये खर्च करके गाँवों में २,४०,००० एकड़ क्षेत्र में वृक्षारोपण-कार्य किया जायगा। इस योजना की सफलता के लिए पंचायतों को महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद वनों का विकास बड़ी तेजी से हुआ है। सरकार की वन-नीति से एक ओर जहाँ वन-क्षेत्र १९४५ में ६,१९७ वर्गमील तथा १९५६ में १३,०१३ वर्गमील से बढ़कर १९६१ में १३,५७९ वर्गमील हुआ वहाँ दूसरी ओर राजस्व प्राप्ति में भी आशातीत वृद्धि हुई है। वर्ष १९३६–३७ में वनों में केवल ४४.३५ लाख रुपये के राजस्व की प्राप्ति हुई थी जो १९४७–४८ में बढ़कर २००.१६ लाख रु० तथा १९६०–६१ में ६४५.६१ लाख रु० हो गयी। वर्ष १९५९–६० को आधार मानकर यह बात प्रकाश में आयी है कि प्रदेश में प्रति एकड़ वन-क्षेत्र से जहाँ ७ रु० ४६ पै० के राजस्व की प्राप्ति होती है वहाँ प्रति एकड़ कृषि भूमि का यह औसत केवल ३ रु० ४१ पै० बैठता है। आशा है कि आने वाले वर्षों में वनों के व्यापक विकास के फलस्वरूप इस आय में कई गुनी वृद्धि होगी।

पशुपालन

कृषि और पशुधन का गहरा संबंध है। अतः कृषि के विकास के लिए पशुधन का विकास जरूरी है। उत्तर प्रदेश जैसे कृषि प्रधान प्रदेश के लिए, जहाँ की ८७ प्रतिशत से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, पशुधन का वैज्ञानिक ढंग पर विकास सर्वोपरि आवश्यक है क्योंकि तभी हमारी ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था की नींव मजबूत हो सकेगी।

देश की कुल पशु-संख्या के १४ प्रतिशत पशु उत्तर प्रदेश में हैं अर्थात् अन्य राज्यों के मुकाबले इस प्रदेश में पशुओं की संख्या अधिक है। इस दृष्टि से भी पशुधन के विकास की सबसे अधिक जिम्मेदारी हम पर ही है।

खेती-बारी में पशुओं का कितना अधिक योग है इसका अनुमान केवल इस बात से लगाया जा सकता है कि अकेले उत्तर प्रदेश में पशुओं से गोबर के रूप में प्रति वर्ष ४४ करोड़ रुपये मूल्य का नाइट्रोजन भूमि को मिलता है, जिससे १३२ करोड़ रुपये मूल्य का गेहूँ पैदा हो सकता है। इसके अतिरिक्त खाल का सबसे अधिक उत्पादन हमारे प्रदेश में ही होता है। ऊन उद्योग, पर्वतीय जिलों के लोगों की जीविका का एक मुख्य साधन है। अतएव पशुओं की उन्नति से हमारी आर्थिक स्थिति बहुत कुछ सुदृढ़ हो सकती है।

हमारे पशु अच्छे हों, उनकी नस्ल में सुधार हो, उनकी दूध देने की क्षमता बढ़े और वे हमारे लिए अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकें, इसके लिए यह जरूरी है कि उनके लिए पौष्टिक चारा-दाना, उनके रोगों की रोकथाम और उनकी चिकित्सा की समुचित व्यवस्था की जाय। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य सरकार ने आयोजनाबद्ध कार्यक्रम के अधीन अनेक योजनाएँ प्रारम्भ की हैं तथा उनमें उसे उत्साहवर्द्धक सफलता मिली है। इससे प्रोत्साहित होकर तीसरी आयोजना में पशुधन के विकास के लिए ५९३.७१९ लाख रुपये की धनराशि का प्राविधान किया गया है। यह धनराशि पहली आयोजना और दूसरी आयोजना के तत्सम्बन्धी व्यय से क्रमशः पांच गुनी तथा दुगुनी है।

पहली और दूसरी योजना

उत्तर प्रदेश में पहली पंचवर्षीय आयोजना से ही पशुधन-विकास कार्यक्रम पर अधिक बल दिया गया। केन्द्र ग्राम पद्धति पर पशु-प्रजनन कार्य सम्पन्न किया

गया। प्रदेश के चुने हुए विकास खण्डों में पशु-अस्पताल तथा कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र स्थापित किये गये और निजी पशुपालकों को पशुओं के नस्ल-सुधार कार्य के लिए प्रोत्साहित किया गया। पहली आयोजनावधि में पशु-पालन कार्यक्रमों पर कुल १०५.५ लाख रुपये व्यय किये गये।

दूसरी आयोजना में पशुपालन विकास संबंधी योजनाओं पर लगभग २१९.०८३ लाख रुपये व्यय हुए जबकि ४३७.८६ लाख रुपये का प्राविधान था। निर्धारित धनराशि व्यय न हो सकने के मुख्य कारण थे प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी, भूमि अधिग्रहण संबंधी कारंवाई तथा निर्माण सामग्री प्राप्त होने में विलम्ब और विदेशी मुद्रा की कमी। दूसरी आयोजना की एक उल्लेखनीय उपलब्धि यह थी कि कृत्रिम गर्भाधान के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में पर्याप्त परिवर्तन हुआ। आयोजना के अन्त तक प्रदेश में ८३ कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र स्थापित हो चुके थे।

पशुओं को रोगमुक्त करने के सम्बन्ध में पहली आयोजना में बड़े पैमाने पर टीके लगाने की जो योजना चालू की गयी थी वह दूसरी आयोजना में भी चालू रही और प्रदेश के ३० जिलों में ४५ लाख से अधिक पशुओं को टीके लगाये गये। दूसरी आयोजना के अन्त तक प्रदेश में २९० और पशुचिकित्सालयों की स्थापना हुई और इनकी कुल संख्या बढ़कर ५५५ हो गयी थी। आयोजनावधि में तीन राजकीय और पाँच निजी गोसदनों की भी स्थापना की गयी। साथ ही २५ गोसदनों के लिए धन की व्यवस्था की गयी, जिनमें से १६ गोसदनों की स्थापना आयोजनावधि में हुई।

सुअर विकास-कार्य के लिए जहाँ पहली आयोजना में केवल कुछ ही सुअरों का वितरण किया गया वहाँ दूसरी आयोजना में इस कार्य में और तेजी लायी गयी और चार सुअर विकास खण्डों की स्थापना की गयी।

प्रदेश में दुग्धशाला के कार्य तथा प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधाओं के विस्तार के लिए दूसरी आयोजना में १५ शिक्षण संस्थाओं में से प्रत्येक को २,००० रु० की आर्थिक सहायता दी गयी। अस्थिपंजर उपयोग संबंधी कार्य का विस्तार करने के लिए प्रदेश के विभिन्न भागों में ५१ सहकारी समितियाँ स्थापित की गयीं और बक्शी का तालाब केन्द्र में २५० प्रशिक्षार्थियों को ट्रेनिंग दी गयी।

प्रशिक्षित पशु चिकित्सकों की सम्यक् व्यवस्था करने के लिए दूसरी आयोजना में पशुचिकित्सा महाविद्यालय, मथुरा, में २७९ पशुचिकित्सकों को ट्रेनिंग दी

गयी तथा पशुलोक, हस्तिनापुर और चक गंजरिया में तीन कक्षाएँ आयोजित करके ७७१ स्टाकमैनों को प्रशिक्षित किया गया। आयोजनावधि में ३८५ सुपरवाइजरों को भी ट्रेनिंग दी गयी और इस प्रकार इस क्षेत्र में प्रशिक्षित कर्मचारियों के उपलब्ध होने से बड़ी सहायता मिली। इस आयोजना में मथुरा स्थित पशुचिकित्सा महाविद्यालय में स्नाकोत्तर कक्षाएँ भी खोली गयीं और ४७ पशुचिकित्सकों को स्नातकोत्तर डिग्रियाँ दी गयीं। प्रशिक्षण की इस व्यवस्था के फलस्वरूप राज्य के विकास खण्डों में पशुधन-विकास कार्यक्रम को तेजी से सम्पन्न करने में पर्याप्त सहायता मिली।

पहली आयोजना की अपेक्षा दूसरी आयोजना में मत्स्य-पालन योजनाओं को सम्पन्न करने पर अधिक बल दिया गया। फलस्वरूप जहाँ १९५५–५६ में कुल २.२४ करोड़ छोटी मछलियाँ तथा बीज मछलियाँ एकत्र की गयीं थीं वहाँ १९६०–६१ में ४.६६ करोड़ एकत्र की गयीं। इसी प्रकार १९६०–६१ में ६८.८४ लाख बीज मछलियाँ विभागीय तालाबों आदि में छोड़ी गयीं, जबकि १९५५–५६ में ४० लाख बीज मछलियाँ छोड़ी गयीं थीं। दूसरी आयोजनावधि में निजी मत्स्य-पालकों में भी मत्स्य-पालन के लिए अपेक्षाकृत अधिक उत्साह था। अतः उन्हें १९५५–५६ के २.७९८ लाख की तुलना में १९६०–६१ में २९ लाख बीज मछलियाँ दी गयीं।

तीसरी पंचवर्षीय योजना

तीसरी पंचवर्षीय आयोजना में पशुपालन कार्यक्रम को समुचित वरीयता दी गयी है। इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि तीसरी आयोजना में पशुपालन योजनाओं के लिए जो धनराशि निर्धारित की गयी है वह पहली आयोजना के तत्सम्बन्धी व्यय की लगभग पाँच गुनी और दूसरी आयोजना में हुए व्यय की दुगुनी है।

तीसरी आयोजना में पशुपालन योजनाओं के लिए ५९३.७१९ लाख रुपये का प्राविधान है। आयोजना के पहले दो वर्षों में १२४.३१९ लाख रुपये व्यय किये गये और आशा है कि मार्च १९६४ तक १०१.९७० लाख रुपये की धनराशि खर्च कर ली जायगी।

वर्ष १९६१–६२ में पशुपालन-कार्य की प्रगति संतोषजनक रही। मेरठ तथा लखनऊ में वीर्य एकत्रीकरण केन्द्र, मथुरा में चारा अनुसन्धान केन्द्र और पशुलोक में भेड़ प्रजनन अनुसन्धान केन्द्र की स्थापना उक्त वर्ष के उल्लेखनीय कार्यक्रम थे।

इसके अतिरिक्त प्रदेश के १० जिलों में रोग-निरोध का जो व्यापक कार्यक्रम चलाया गया था उसे पूरा किया गया और ३४ लाख टीके लगाये गये।

अनुसन्धान

पशुपालन अनुसन्धान कार्यक्रम पर विशेष बल दिया जा रहा है। यह कार्यक्रम पशु महाविद्यालय, मथुरा में भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद से प्राप्त वित्तीय सहायता से चालू किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चार क्षेत्रीय अनुसन्धान उप-केन्द्रों की स्थापना की जा रही है। तीसरी आयोजना के पहले दो वर्षों में पशुलोक (ऋषिकेश) तथा चकगंजरिया (लखनऊ) में दो केन्द्रों की स्थापना की गयी। आगामी वर्ष अलीगढ़ में सुअर प्रजनन अनुसन्धान केन्द्र की स्थापना भी कर ली जायगी।

प्रशिक्षण

ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन विकास कार्यक्रम का उद्देश्य केवल लोगों को पशुपालन के संबंध में आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करना ही नहीं है बल्कि उन्हें प्रशिक्षित करना तथा उनकी सामाजिक एव आर्थिक दशाओं में परिवर्तन लाना है। एतदर्थ विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया गया है। इस कार्यक्रम में पशु-चिकित्सा के स्नातकों को प्रशिक्षण प्रदान करना, पशुचिकित्सा महाविद्यालय, मथुरा में पशु चिकित्सकों को विभिन्न विषयों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण देना तथा चकगंजरिया और हस्तिनापुर में स्टाकमैनों को ट्रेनिंग देना सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर चरवाहों, ग्वालों, गड़रियों और कुक्कुट पालकों के लिए भी अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम चालू किये गये हैं।

रोग-नियंत्रण तथा चारे दाने की व्यवस्था

पशुधन के सुधार के लिए पशुओं के रोगों की रोकथाम अनिवार्य है। पोंकनी रोग के उन्मूलन के लिए आयोजना के पहले दो वर्षों में ८४.३८२ लाख टीके लगाये गये। अगस्त १९६३ तक १८.२६ लाख टीके और लगाये जा चुके थे। आशा है कि मार्च १९६४ तक राज्य के सभी जिलों में टीके लगाने का कार्य पूरा हो जायगा। आयोजना के दो वर्षों में प्रदेश में १४८ पशु चिकित्सालयों की स्थापना की जा चुकी थी। वर्ष १९६३ में ५५ और चिकित्सालय खोले गये।

प्रदेश में चारे-दाने की समुचित व्यवस्था करने के उद्देश्य से गत वर्ष अलीगढ़ तथा जालौन जिलों में बीज का उत्पादन बढ़ाने के लिए दो फार्मों की स्थापना की गयी। साथ ही १,१९८ एकड़ क्षेत्र के लिए चारे के बीज का वितरण किया

गया और १६२ दुधारू पशुओं की खरीद के लिए ऋण दिया गया। वर्ष १९६३ में ५,००० एकड़ क्षेत्र के लिए चारे के बीज दिये गये और ४०० दुधारू पशुओं की खरीद के लिए तकावी दी गयी। इसके अतिरिक्त वन विभाग की सहायता से मार्च १९६३ तक ८०५ एकड़ में पुनः घास के बीज बोये गये। आशा है कि मार्च १९६४ तक ५०० एकड़ अतिरिक्त क्षेत्र में घास के बीज पुनः बो दिये जायँगे।

आयोजना के पहले दो वर्षों में मेरठ, चक गंजरिया (लखनऊ), कानपुर, देवरिया तथा कृषि फार्म, अलीगढ़ में वीर्य एकत्रीकरण केन्द्र स्थापित किये गये। वर्ष १९६३ में एक और केन्द्र की स्थापना पशुचिकित्सालय, मऊ (आजमगढ़) में की गयी। इस वर्ष वित्त पोषित दर पर ५० घोड़ियाँ भी दी गयीं।

कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र

तीसरी आयोजना में ४५० कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र स्थापित करने की योजना है। १९६२-६३ के वर्ष में विकास खण्डों के पशु चिकित्सालयों में ५० केन्द्रों की स्थापना की गयी, जिससे इनकी संस्था बढ़कर १३३ हो गयी। आलोच्य वर्ष में १०० कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र और खोले गये।

भेड़ एवं ऊन-विकास

प्रदेश में ११ भेड़ फार्म, ३६ भेड़ एवं ऊन प्रसार केन्द्र और ४७ मेढ़ा केन्द्र हैं। तीसरी आयोजना में मौजूदा २८ भेड़ एवं ऊन प्रसार केन्द्रों का सुधार और ३२ मेढ़ा केन्द्रों को समुन्नत भेड़ एवं ऊन प्रसार केन्द्रों में परिवर्तित करने की योजना है। इनमें से १४ भेड़ एवं ऊन प्रसार केन्द्रों का सुधार किया गया और १४ मेढ़ा केन्द्रों को भेड़ एवं ऊन प्रसार केन्द्रों में बदला गया। एक कार्यक्रम के अधीन विदेशी भेड़ों का आयात करके विभिन्न भेड़ फार्मों में अच्छी नस्ल की भेड़ों की तादाद बढ़ाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है।

सुअर विकास कार्यक्रम के विस्तार के लिए आयोजना के पहले दो वर्षों म सहारनपुर, मेरठ, बरेली, फैजाबाद, सीतापुर तथा देवरिया में ६ सुअर विकास खण्डों की स्थापना की गयी और २७० सुअरों का वितरण किया गया। आशा है मार्च १९६४ तक ऐसे तीन और खण्डों की स्थापना हो जायगी।

कुक्कुट-विकास

देश में आपातकालीन स्थिति की घोषणा होने के बाद कुक्कुट-विकास कार्यक्रम को तेजी से सम्पन्न किया जा रहा है। आयोजना के पहले दो वर्षों में कुक्कुट फार्मों

की संख्या बढ़ाकर, कुक्कुट प्रसार केन्द्रों का विस्तार किया गया। वर्ष १९६३ में ५.७२ लाख एक दिन के मुर्गी के बच्चों, १.२६ लाख तीन महीने की मुर्गियों और २.०६ लाख अंडों का वितरण किया गया। इस प्रकार यह लक्ष्य पूर्व वर्ष की तुलना में प्रायः चौगुना था। विकास खण्डों में कुक्कुट पालकों को प्रशिक्षण देने के साथ-साथ सस्ती दर पर मुर्गियाँ भी दी गयीं और साथ ही कुक्कुट गृह बनाने के लिए सहायतार्थ अनुदान दिये गये।

इस वर्ष संयुक्त राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय बाल-कोष की सहायता से बच्चों तथा जच्चाओं के लिए अधिक पौष्टिक भोजन की व्यवस्था करने के उद्देश्य से मुर्गी-पालन का एक कार्यक्रम और चालू किया गया। वर्ष १९६३ में तीन अन्य महत्वपूर्ण योजनाएँ भी चालू की गयीं। इनमें से एक योजना के अन्तर्गत रक्षा-सेवाओं के लिए कुक्कुट-उत्पादन तथा वितरण की व्यवस्था की गयी। दूसरी योजना के अधीन कुक्कुट परियोजना तथा राज्य पशुधन एवं कृषि फार्म, बाबूगढ़ की स्थापना की गयी। तीसरी योजना के अधीन विश्व खाद्य कार्यक्रम की सहायता से संतुलित कुक्कुट आहार की व्यवस्था की गयी।

मत्स्य-पालन

तीसरी आयोजना में मत्स्य-पालन योजनाओं के क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया गया है ताकि लोगों को प्रोटीनयुक्त भोजन अधिक मात्रा में उपलब्ध हो सके।

अनुमान लगाया गया है कि राज्य में उपलब्ध २६ लाख एकड़ जल-क्षेत्र में से ८ लाख एकड़ में मत्स्य पालन सम्भव है। अतः तीसरी आयोजना में विभाग द्वारा बड़े और मध्यम जलाशयों में मत्स्य विकास के लिए सभी प्रयास किये जा रहे हैं। इस दिशा में विकास खण्डों, गाँव सभाओं, मछुओं तथा सहकारी समितियों को राज्य में बिखरे हुए छोटे-छोटे जल-क्षेत्रों को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

मत्स्य-विकास योजनाओं के लिए तीसरी आयोजना में १०१.७५० लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है। यह धनराशि दूसरी आयोजना में हुए व्यय से प्रायः चौगुनी है। आयोजना के पहले दो वर्षों में मत्स्य-विकास योजनाओं पर कुल ९.३३७ लाख रुपये खर्च हुए और आशा है कि मार्च १९६४ तक ११.८०८ लाख रुपये और खर्च हो जायँगे।

मत्स्य-पालन के लिए जलाशयों के विकास की योजना के अधीन तीसरी आयोजनावधि में १० जलाशयों का विकास करके उनमें ७४० लाख बीज-मछलियाँ

छोड़ने और ३४,०००मन मछली का उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आयोजना के पहले वर्ष में शारदा सागर तथा माताटीला जलाशयों का विकास किया गया और इनमें ६.२५ लाख बीज मछलियाँ डाली गयीं। वर्ष १९६२-६३ में चन्द्रप्रभा, सिरसी तथा पर्वती जलाशयों में १६ लाख से अधिक बीज मछलियाँ डाली गयीं। आलोच्य वर्ष में मिर्जापुर में दो जलाशयों का विकास किया गया और उनमें तथा मौजूदा पाँच जलाशयों में कुल ९० लाख बीज-मछलियाँ डाली गयीं।

तीसरी आयोजनावधि में प्रदेश के १० जिलों में २० मध्यम जल-क्षेत्रों के विकास की योजना है। राज्य में उपलब्ध ५५ मध्यम तालाबों में से वर्ष १९६२-६३ में गोंडा जिले में अरगा ताल तथा आगरा जिले में कीथम ताल का विकास किया गया और उनमें १०.९७ लाख बीज मछलियाँ डाली गयीं। वर्ष १९६३ में गोंडा, झाँसी तथा हमीरपुर के चार मध्यम तालाबों का विकास किया गया और उनमें ७० लाख बीज मछलियाँ डाली गयीं।

मत्स्य विकास के लिए प्रदेश के छोटे-छोटे जल-क्षेत्रों का भी विकास किया जा रहा है और इस प्रयोजन के लिए १०० विकास खण्डों को मछली पकड़ने के उपकरण दिये गये हैं जिनका उपयोग पंचायतें, गाँव सभाएँ, मछुए और उनकी सहकारी समितियाँ कर सकती हैं। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष १९६१-६२ में ३९.७२ लाख तथा १९६२-६३ में ५०.३० लाख बीज मछलियों की सप्लाई की गयी। आशा है कि मार्च १९६४ तक छोटे-छोटे जल-क्षेत्रों में छोड़ने के लिए एक करोड़ बीज-मछलियों की सप्लाई का लक्ष्य पूरा कर लिया जायगा।

सहकारिता विभाग की दुग्धशाला तथा दुग्ध-वितरण योजनाओं के अतिरिक्त पशुपालन विभाग ने सेन्ट्रल डेरी फार्म, अलीगढ़ में एक 'क्रीमरी' की स्थापना की है, जिस पर वर्ष १९६३-६४ में ७.१९२ लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है। वर्ष १९६२-६३ में 'क्रीमरी' में प्लान्ट लग चुके थे और अगस्त १९६३ तक वहाँ ४६ टन मक्खन तथा १३ टन घी का उत्पादन हो चुका था।

सिंचाई

कृषि हमारे देश के अधिकांश लोगों की जीविका का मुख्य साधन है। अनुमान है कि प्रति दस में से आठ व्यक्ति कृषि पर ही निर्भर हैं यद्यपि हमारे प्रदेश का औसत इससे अधिक है। हमारी राष्ट्रीय आय का ५० प्रतिशत भाग कृषि से ही मिलता है। यही कारण है कि आजादी मिलने के बाद लोकप्रिय सरकार का ध्यान सबसे अधिक कृषि के विकास की ओर गया।

कृषि की उन्नति के लिए अच्छे बीज तथा अच्छी खाद के साथ-साथ सिंचाई की समुचित व्यवस्था का होना नितांत आवश्यक है क्योंकि बिना पानी के खेती नहीं पनपती। बहुधा किसान अपने खेतों की सिंचाई के लिए वर्षा काल में बादलों की प्रतीक्षा करता रहा है। यदि वर्षा कभी वांछित समय पर न हुई तो सूखा पड़ गया और यदि कभी वर्षा अधिक हो गयी तो नदी-नाले उफन पड़े और उसकी लहलहाती खेती ले डूबे। इस प्रकार दोनों दशाओं में उसे हताश होना पड़ता था। अतः किसान को इस स्थिति से बचाने और खेती की पैदावार में अधिकाधिक वृद्धि करने के लिए स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद लोकप्रिय सरकार ने सिंचाई की सम्यक व्यवस्था करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाये, जिससे किसान को अभीप्सित लाभ हुआ।

उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल ७४४ लाख एकड़ है जिसम से कृषि-योग्य अनुमानित क्षेत्र ५७६ लाख एकड़ है। इस समय ४३२ लाख एकड़ भूमि में खेती की जा रही है तथा कृषि का क्षेत्र प्रतिवर्ष लगभग तीन लाख एकड़ के हिसाब से बढ़ रहा है। आशा है कि तीसरी आयोजना के अन्त तक यह क्षत्र बढ़कर ४७५ लाख एकड़ हो जायगा।

स्वतंत्रता-प्राप्ति के पूर्व हमारे राज्य में कुल ४०१ लाख एकड़ में खेती की जाती थी लेकिन सिंचाई की समुचित व्यवस्था न होने के कारण उत्पादन कम होता था। प्रतिवर्ष बाढ़ से लगभग ५० लाख एकड़ की क्षति होती थी। साथ ही सात हजार गाँव जलमग्न हो जाते थे। अतः गाँवों की अर्थ-व्यवस्था सुधारने की दृष्टि से इस समस्या को हल करना आवश्यक था। इसके लिए सभी उपलब्ध साधनों का प्रयोग कर सिंचाई की सुविधाएँ बढ़ाने का तथा राज्य के ज्यादातर भागों की अकाल और बाढ़ से रक्षा करने का निश्चय किया गया।

देश में नियोजित अर्थ-व्यवस्था स्वीकृत हो जाने के बाद सिंचाई योजनाओं को विकास कार्यक्रमों में एक प्रमुख स्थान मिला। १९५१ में पहली पंचवर्षीय आयोजना शुरू होने के समय राज्य में १९,०६९ मील लम्बी नहरें और २,३०५ नलकूप थे, जिनसे ४०१ लाख एकड़ कृषि योग्य भूमि में से ७८ लाख एकड़ की सिंचाई होती थी।

पहली आयोजना में अनेक बड़ी और छोटी सिंचाई योजनाएँ चालू की गयीं और इनके लिए कुल ३५.४४ करोड़ रु० की व्यवस्था की गयी। फलस्वरूप राज्य के सिंचित क्षेत्र में २०.१० लाख एकड़ की वृद्धि हुई। नलकूपों के अतिरिक्त पहली आयोजनावधि में झाँसी, जालौन और हमीरपुर जिलों के लाभार्थ माताटीला बाँध (प्रथम चरण), बाराबंकी, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और जौनपुर जिलों के लिए शारदा सागर (प्रथम चरण), बाँदा जिले के लिए रँगवा बाँध, वाराणसी जिले के लिए चन्द्रप्रभा बाँध और नौगढ़ बाँध तथा हमीरपुर जिले के लिए अर्जुन बाँध आदि जैसी बड़ी सिंचाई योजनाएँ चालू हुईं। उक्त अवधि म अनेक छोटी योजनाएँ भी चालू की गयीं। पूर्वी जिलों की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया गया क्योंकि उक्त जिलों में सिंचाई की समुचित व्यवस्था न होने के कारण लगभग ३० लाख एकड़ भूमि बेकार पड़ी थी। साथ ही पर्वतीय जिलों में 'कंटूर', गूलों और छोटी-छोटी नहरों के निर्माण का कार्य भी आरम्भ किया गया।

पहली आयोजना आरम्भ होने के समय प्रदेश के दक्षिणी भाग बुन्देलखण्ड और बघेलखण्ड में सिंचाई की सुविधाएँ प्रायः नहीं के बराबर थीं। इन क्षेत्रों को केवल जलाशयों तथा नहरों का निर्माण करके ही सिंचाई की सुविधाएँ दी जा सकती थीं। अतएव गंगा और यमुना नदियों की मुख्य सहायक नदियों पर बाँध बनाने का निश्चय किया गया और अहरौरा, रंगवा, चन्द्रप्रभा, माताटीला, नौगढ़ तथा अर्जुन बाँधों के निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ।

इस प्रकार पहली आयोजनावधि में राजकीय सिंचन सुविधाओं के विस्तार के नियोजित प्रयास किये गये जिनके फलस्वरूप आयोजनावधि के अन्त (१९५५-५६) तक प्रदेश में नहरों की लम्बाई बढ़कर २२,१२३ मील हो गयी। साथ ही नलकूपों की संख्या बढ़कर ४,५१५ और सिंचित क्षेत्र बढ़कर १०६ लाख एकड़ हो गया।

सिंचन सुविधाओं के विस्तार के फलस्वरूप प्रदेश में अनाज की पैदावार में भी वृद्धि हुई। १९५०-५१ के पूर्व राज्य में अनुमानित वार्षिक उत्पादन १ करोड़

१५ लाख ९० हजार टन था जब कि पहली आयोजनावधि में ९ लाख ८३ हजार टन अतिरिक्त खाद्योत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। आयोजना के चौथे वर्ष में लक्ष्य से भी ज्यादा उत्पादन अर्थात् १ करोड़ २४ लाख ५० हजार टन अनाज पैदा हुआ। लेकिन दैवी आपदाओं के कारण आयोजना के अन्तिम वर्ष में उत्पादन गिर कर १ करोड़ १८ लाख ६७ हजार टन ही रह गया।

दूसरी आयोजना में सिंचाई कार्यक्रमों के अन्तर्गत ११ बड़ी और २३ छोटी योजनाएँ कार्यान्वित की गयीं, जिन पर ३८ करोड़ ८ लाख रुपये व्यय हुए और फलस्वरूप सिंचित क्षेत्र में प्राय: २१ लाख ४४ हजार एकड़ की वृद्धि हुई। इस प्रकार दूसरी आयोजनावधि के अन्त तक प्रदेश में राजकीय सिंचाई साधनों से ११८ लाख २३ हजार एकड़ भूमि को सिंचाई सुविधाएँ मिल गयी थीं। इसका अर्थ यह हुआ कि जहाँ पहले कृषि योग्य केवल १७ प्रतिशत क्षेत्र को सिंचन सुविधाएँ उपलब्ध थीं वहाँ दूसरी आयोजना में २०.७ प्रतिशत क्षेत्र को लाभ पहुँचने लगा।

दूसरी आयोजनावधि में, पहली आयोजना के अपूर्ण कार्यों को पूरा करने पर बल दिया गया। इस श्रेणी के कार्यक्रमों में नौगढ़ बाँध, शारदा सागर (प्रथम चरण), दोहरीघाट पम्प नहर, टाँडा पम्प नहर, ऊपरी गंगा नहर की क्षमता में वृद्धि, पूर्वी यमुना और आगरा नहरों के पुर्ननिर्माण की योजनाएँ शामिल थीं। कुछ नयी योजनाएँ भी कार्यान्वित की गयीं जिनमें माताटीला बाँध (द्वितीय चरण), रामगंगा नदी योजना, बाल्मीकि सरोवर, जिरगो जलाशय, नानक सागर, तुमरिया जलाशय, मेजा जलाशय, शारदा सागर (द्वितीय चरण), कुआनो पम्प नहर, ऊपरी खजुरी जलाशय, पश्चिमी गंडक नहर का प्रारंभिक कार्य, १,५०० नलकूपों का निर्माण, नलकूपों से सम्बद्ध गूलों का विस्तार, पर्वतीय जिलों में कंटूर, गूलों और छोटी नालियों का निर्माण, मैदानों में छोटी सिंचाई योजनाएँ, दक्षिणी उत्तर प्रदेश में छोटे बाँध और बंधियाँ तथा पिछड़े क्षेत्रों में छोटी सिंचाई योजनाओं के कार्यक्रम सम्मिलित थे।

इस प्रकार दूसरी आयोजनावधि में टाँडा, दोहरीघाट तथा कुआनो पम्प नहरों और ओहन एवं ऊपरी खजूरी जलाशयों के पूरे हो जाने तथा अनेक नयी योजनाओं का निर्माण-कार्य लगभग पूर्ण हो जाने के फलस्वरूप राजकीय सिंचाई कार्यों द्वारा सिंचित क्षेत्र में २१ लाख एकड़ से अधिक कृषि भूमि की वृद्धि हुई। ३१ मार्च, १९६१ को अर्थात् दूसरी आयोजना के अन्त में, प्रदेश में नहरों की कुल लम्बाई २६,००० मील थी।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, कृषि अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ आधार प्रदान करने के लिए बड़ी तथा छोटी सिंचाई योजनाओं के द्वारा सिंचन सुविधाओं

का तेजी से विस्तार करना नितान्त आवश्यक है और यही कारण है कि सिंचाई विभाग की तीसरी आयोजना पहली और दूसरी आयोजनों की तुलना में काफी बड़ी है ।

बड़े तथा मध्यम सिंचाई-कार्य

राज्य की तीसरी आयोजना में बड़ी तथा मध्यम सिंचाई-योजनाओं पर ५१.७१ करोड़ रुपये खर्च करने का प्राविधान है। तीसरी आयोजना के प्रारंभ में गंडक नहर तथा सरजू नहर की दो बड़ी योजनाएँ तथा ३१ नयी मध्यम योजनाओं के निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया गया था लेकिन संकटकालीन स्थिति के कारण सरजू नहर का कार्य स्थगित कर देना पड़ा । विस्तृत जाँच-पड़ताल के बाद ९ मध्यम सिंचाई योजनाओं और तीन अन्य योजनाओं का कार्य भी अलाभकर होने तथा अन्य कारणवश बन्द कर देना पड़ा ।

दूसरी आयोजना के अन्त में प्रदेश में बड़ी तथा मध्यम राजकीय सिंचाई योजनाओं के फलस्वरूप ७७.९२६ लाख एकड़ भूमि सींचने की क्षमता पैदा की गयी थी । लेकिन इसमें से केवल ७३.५४३ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकी । राज्य में सिंचन क्षमता तथा उसके उपयोग के सम्बन्ध में इस वर्ष नियोजन आयोग से परामर्श करने के बाद पुनः विचार किया गया और फलस्वरूप संशोधित तखमीनों के अनुसार तीसरी आयोजनावधि में ७.०४९ लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि के लिए सिंचन क्षमता पैदा करने का प्रस्ताव किया गया है । तीसरी आयोजना के पहले दो वर्षों में २.३४७ लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि के लिए सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था की गयी और इस प्रकार मार्च १९६३ तक कुल ८०.२७३ लाख एकड़ भूमि के लिए सिंचाई सुविधाएँ उपलब्ध थीं लेकिन कुल ७६.७३९ लाख एकड़ भूमि में सिंचाई की गयी। सिंचन क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग हो इसके लिए १९६३ में नार्दर्न इंडिया कनाल एन्ड ड्रेनेज ऐक्ट में संशोधन किया गया। परिणाम-स्वरूप अधिशासी अभियन्ताओं को यह अधिकार दिया गया कि यदि किसान अथवा ग्राम सभाएँ गूलों का निर्माण नहीं करती हैं तो वे स्वयं उनका निर्माण करवायें और इस प्रकार गूलों के निर्माण पर विभाग का जो खर्च होगा उसकी वसूली मालगुजारी के बकाये के रूप में गूलों से लाभान्वित होने वालों से की जाय ।

तीसरी आयोजना के पहले दो वर्षों में ऐसे कार्यों पर १२.७७१ करोड़ रुपये खर्च किये गये । १९६३-६४ के बजट में इस प्रयोजन के लिए ९.४६३ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी और रामगंगा परियोजना तथा नरोरा वेयर के पुन-

निर्माण के कार्य में तेजी लायी गयी। आशा है, इन योजनाओं से मार्च १९६४ तक १.५३५ लाख एकड़ भूमि के लिए सिचाई की व्यवस्था हो जायगी।

प्रदेश में कुछ महत्वपूर्ण बड़ी तथा मध्यम सिंचाई योजनाओं के अधीन की गयी प्रगति का विवरण नीचे प्रस्तुत है:

रामगंगा बहुधंधी योजना––यह परियोजना दूसरी आयोजना से चल रही है और आशा है कि चौथी आयोजना में पूर्ण हो जायगी। कुल ३८.५३ करोड़ रुपये लागत की इस परियोजना पर तीसरी आयोजना में १८.०६१ करोड़ रुपये खर्च होने की आशा है। इस परियोजना के पूर्ण हो जाने पर १७.०६ लाख एकड़ भूमि को सिंचाई की सुविधाएँ उपलब्ध हो जायँगी। तीसरी आयोजना के पहले दो वर्षों में इस पर ३.६०८ करोड़ रुपये खर्च किये गये और आशा है कि मार्च १९६४ तक ४.०३४ करोड़ रुपये और खर्च हो जायँगे। १९६३ में इस परियोजना के अधीन भवनों, सहायक मार्गों, टनलों तथा सिंचाई नालियों के निर्माण का कार्य प्रगति पर था। साथ ही विदेशी मुद्रा और मशीनें प्राप्त करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई की गयी।

माताटीला बांध––यह योजना भी दूसरी आयोजना से चल रही है। कुल ११.९९४ करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस बाँध पर दूसरी आयोजना में ४.७१४ करोड़ रु० खर्च किये गये। तीसरी आयोजना में इस पर १.५४६ करोड़ रु० खर्च करने की योजना है, जिसमें से ०.९७५ करोड़ रुपये तीसरी आयोजना के पहले दो वर्षों में खर्च किये जा चुके हैं। मार्च १९६४ तक ०.४५९ करोड़ रुपये और व्यय हो जाने पर इस बाँध पर 'स्पिल वे' फाटकों के निर्माण के अतिरिक्त अन्य सभी कार्य पूरा हो जायगा। इस बाँध के बन जाने पर बुन्देलखण्ड के पिछड़े इलाकों तथा मध्य प्रदेश में ४.१० लाख एकड़ क्षेत्र की सिंचाई होगी। मार्च १९६४ तक, आशा है, वहाँ ०.३५५ लाख एकड़ भूमि के लिए सिंचन सुविधाएँ उपलब्ध हो जायँगी।

शारदा सागर (द्वितीय चरण)––दूसरी आयोजना से चलने वाली यह तीसरी बड़ी परियोजना है जिस पर ६.७१ करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। दूसरी आयोजना में इस परियोजना पर ४.४७४ करोड़ रुपये खर्च हुए। तीसरी आयोजना में १.७७५ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है, जिसमें से ०.८१२ करोड़ रुपये आयोजना के दो वर्षों में खर्च हो चुके हैं और आशा है कि मार्च १९६४ तक ०.२९ करोड़ रुपये और खर्च हो जायँगे। इस बाँध पर प्रायः सभी कार्य पूरा कर लिया गया है और शेष कार्य आशा है मार्च १९६५ तक पूरा कर लिया जायगा। सिंचाई

नहरों के निर्माण आदि का लगभग ९० प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। बाँध के बन जाने पर रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, शाहजहाँपुर, फैजाबाद, जौनपुर, बाराबंकी, सीतापुर और उन्नाव जिलों को १.८५२ लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि के लिए सिंचाई की सुविधाएँ उपलब्ध हो जायँगी। आशा है कि मार्च १९६४ तक इस परियोजना से ०.२०० लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि के लिए सिंचाई की व्यवस्था हो जायगी।

गंडक नहर—राज्य की तीसरी पंचवर्षीय आयोजना में यह एक नयी बड़ी सिंचाई योजना सम्मिलित की गयी है जिस पर १५.१५७ करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इस परियोजना के पूर्ण हो जाने पर आशा है कि गोरखपुर तथा देवरिया जिलों की ५.९२८ लाख एकड़ भमि के लिए सिंचाई की सुविधाएँ उपलब्ध हो जायँगी। उत्तर प्रदेश तथा बिहार सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित की गयी इस परियोजना के लिए तीसरी आयोजना में ८.०३० करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। इस धनराशि में से ०.८३४ करोड़ रुपये पहले दो वर्षों में खर्च किये गये। मार्च १९६४ तक १.१३० करोड़ रुपये और खर्च होने की आशा है। इस परियोजना के अधीन अधिकांश प्रारंभिक कार्य, जैसे अस्थायी भवनों तथा सहायक मार्गों का निर्माण, हो चुका है लेकिन भूमि उपलब्ध न होने और नेपाल सरकार से नेपाल बाँध के निर्माण की स्वीकृति न मिलने के कारण मुख्य नहर का निर्माण-कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका। भूमि प्राप्त करने के सम्बन्ध में नेपाल सरकार के पास सभी आवश्यक कागजात भेज दिये गये हैं और साथ ही जमीन की कीमत भी जमा कर दी गयी है। नेपाल सरकार से जमीन प्राप्त हो जाने पर बाँध तथा नहर का निर्माण कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ कर दिया जायगा।

नानक सागर—दूसरी आयोजना से चल रही इस परियोजना की लागत ३.७७४ करोड़ रुपये कूती गयी है। तीसरी आयोजना में इस पर ०.६८४ करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इस परियोजना का अधिकांश कार्य पूरा कर लिया गया है। इससे सीतापुर, शाहजहाँपुर, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी, फैजाबाद और जौनपुर जिलों की १.३३ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी। आशा है कि मार्च १९६४ तक ०.३०० लाख एकड़ भूमि के लिए सिंचाई की व्यवस्था हो जायगी।

मेजा जलाशय—इस परियोजना का निर्माण-कार्य यद्यपि दूसरी आयोजना से चल रहा है तथापि इसका अधिकांश निर्माण कार्य २.८९९ करोड़ रुपये की लागत से तीसरी आयोजना में पूरा किया जा रहा है। इस धनराशि में से ०.८९८ करोड़

रुपये आयोजना के पहले दो वर्षों में खर्च किये गये और मार्च १९६४ तक ०.३४५ करोड़ रुपये और खर्च होने की आशा है। बाँध पर मिट्टी का काम तेजी से हो रहा है और शेष मिट्टी का काम मशीनों द्वारा किया जायगा, जिनकी व्यवस्था की जा रही है। परियोजना के पूर्ण होने पर इलाहाबाद और मिर्जापुर जिलों की ६४,८६७ एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी।

नरौरा वेयर का पुनर्निर्माण—प्रदेश में चालू की गयी इस नयी मध्यम सिंचाई परियोजना पर तीसरी आयोजना में कुल ३.४३० करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है। इस धनराशि में ०.५१३ करोड़ रुपये पहले दो वर्षों में खर्च किये गये और आशा है कि मार्च १९६४ तक १ करोड़ रुपये की धनराशि और खर्च हो जायगी। परियोजना का कार्य तेजी से चल रहा है और प्रस्तावित ढाँचे के लिए नदी के पेटे में इस्पात के लट्ठे डाले जा रहे हैं तथा बाँध के एक हिस्से में कंकरीट भी डाली जा रही है।

राजकीय छोटे सिंचाई-कार्य

तीसरी आयोजना में राजकीय छोटी-सिंचाई योजनाओं के लिए २० करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था की गयी थी लेकिन १९६३ में दो नयी योजनाओं के चालू होने के फलस्वरूप इस धनराशि में वृद्धि होने की आशा है। सभी राजकीय छोटी सिंचाई योजनाओं से तीसरी आयोजना में सिंचन क्षमता में ८.०५१ लाख एकड़ की वृद्धि होगी। आयोजना के पहले दो वर्षों में इन योजनाओं पर ७.०१ करोड़ रुपये खर्च हुए और १.४८२ लाख एकड़ भूमि के लिए सिंचाई की व्यवस्था की गयी।

वर्ष १९६३-६४ के बजट में इन योजनाओं के लिए ३.७३५ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी। साथ ही इस वर्ष से दो और नयी योजनाएँ चालू की गयीं। इनमें से एक योजना के अधीन २.५९ करोड़ रुपये खर्च करके चीनी मिलों के सुरक्षित क्षेत्रों में ३२४ नलकूपों को गलाया जायगा। दूसरी योजना के अधीन २.८४९ करोड़ रुपये की लागत से राजकीय नलकूपों से १,२५० मील लम्बी पक्की तथा ४,२०० मील कच्ची गूलें निकाली जायँगी। १९६३ में एक और योजना सरकार के विचाराधीन थी, जिसके अन्तर्गत एक करोड़ रुपये की लागत से प्रदेश के पूर्वी अंचल के जिलों में ११० नलकूपों का निर्माण किया जायगा।

आलोच्य वर्ष (१९६३) में राज्य सरकार ने सिंचन क्षमता के पूर्ण उपयोग के लिए निम्नलिखित अनेक महत्वपूर्ण कदम भी उठाये :—(१) खरीफ फसलों

के लिए, १ जुलाई से ३० नवम्बर तक की अवधि में, नलकूप के पानी की दरें १६,००० गैलन से घटाकर २४,००० गैलन प्रति रुपये की गयीं, (२) नलकूपों का क्षेत्र पश्चिमी जिलों में घटाकर ६०० से ७०० एकड़ तक तथा अन्य भागों में ७५० से ९०० एकड़ तक किया गया ताकि पानी की बरबादी को रोका जा सके और अधिक क्षेत्रों को पानी मिल सके, (३) सिंचनक्षमता का अधिकाधिक उपयोग हो सके इसके लिए नलकूप आपरेटरों को बोनस देने की एक योजना चालू की गयी, (४) ऊसरबंदियों का कार्य तेजी से सम्पन्न करने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों को लगाया गया (५) गाँवों में रक्षा श्रम बैंक संघटित किये गये और पंचायतों को यह अधिकार दिया गया कि वे १८ और ४५ वर्ष के बीच की अवस्था के प्रत्येक पुरुष पर वर्ष में ९६ कार्य के घंटों तक श्रमकर लगा सकते हैं। इस जनशक्ति का उपयोग गूलों के निर्माण-कार्य के लिए किया जा रहा है, और (६) रबी की सिंचाई के लिए नलकूपों को, मरम्मत आदि के बाद, पूर्णरूप से तैयार रखने के लिए सक्रिय कदम उठाये गये।

प्रदेश में कतिपय महत्वपूर्ण राजकीय अल्प सिंचाई योजनाओं के अधीन की गयी प्रगति का विवरण इस प्रकार है:

राजकीय नलकूप--दूसरी आयोजना के १,५०० नलकूपों और तीसरी आयोजना के १,०२० नलकूपों के निर्माण कार्यक्रम के अधीन मार्च १९६३ तक १,६५९ नलकूपों को गलाया जा चुका था और इनमें से १,१८८ नलकूपों को बिजली से चालू भी किया गया। आयोजना के पहले दो वर्षों में ५२५ राजकीय नलकूपों को बिजली देकर चालू किया गया। शेष नलकूपों के निर्माण का कार्य १९६३ में प्रगति पर था।

राजकीय नलकूपों से पक्की तथा कच्ची गूलों का निर्माण--नलकूप कार्यक्रम के अधीन पैदा की गयी सिंचन क्षमता का समुचित उपयोग करने के लिए राज्य सरकार ने प्रत्येक राजकीय नलकूप से तीन मील कच्ची और दो मील पक्की गूलों के निर्माण की योजना बनायी है। इस प्रकार मार्च १९६३ तक प्रदेश में ९६२ मील पक्की और २,०४९ मील कच्ची गूलों का निर्माण हो चुका था। राज्य सरकार ने गूलों के निर्माण की योजना को तेजी से सम्पन्न करने के लिए १९६३ में सक्रिय कदम उठाये। १९६३-६४ के वित्तीय वर्ष में इस प्रकार २.८४९ करोड़ रुपये की लागत से ५,४५० मील लम्बी गूलों (१,२५० मील लम्बी पक्की) के निर्माण की एक नयी योजना चालू की गयी, जिस पर मार्च १९६४ तक आशा है ०.५०० करोड़ रुपये खर्च हो जायेंगे।

पिछड़े क्षेत्रों के विकास कार्यक्रम के अधीन तीसरी आयोजनावधि में १.२६५ करोड़ रुपये व्यय करने का प्राविधान है। आशा है कि मार्च १९६४ तक आयोजना के तीन वर्षों में इस योजना पर कुल १.२०४ करोड़ खर्च हो जायँगे। इस योजना के अधीन पर्वतीय जिलों, बुन्देलखण्ड तथा प्रदेश के पूर्वी अंचल के जिलों में किये गये सिंचाई-कार्यों से ८०,७३० एकड़ भूमि की सिंचाई सम्भव होगी। इन योजनाओं का कार्य १९६४–६५ के वर्ष में समाप्त हो जायगा। प्रदेश के दक्षिण भाग में छोटे-छोटे बंधों और बंधियों के निर्माण की उन सभी योजनाओं का कार्य पूर्ण कर लिया गया है जो दूसरी आयोजना में आरम्भ की गयी थीं। मार्च १९६४ तक इस योजना पर एक लाख रुपये की धनराशि और व्यय हो जायगी और आशा है कि शेष कार्य १९६४-६५ तक पूर्ण हो जायगा।

निजी छोटे सिंचाई-कार्य

निजी लघु सिंचाई योजनाओं को 'अधिक अन्न उपजाओ' के बजट तथा सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय प्रसार सेवा खण्डों के बजट से कार्यान्वित किया जाता है। इन योजनाओं से ३५.००५ लाख एकड़ क्षेत्र के लिए सिंचन सुविधाएँ उपलब्ध होने की आशा है।

कार्यक्रम के अधीन पक्के कुएँ बनाने, बेकार कुओं की मरम्मत, गहरी बोरिंग, रहट और पंपिंग सेट लगाने, पुरानी बंधियों की मरम्मत करने और पर्वतीय क्षेत्रों में गूलों तथा पोखरों के निर्माण के लिए तकावी ऋण देने की व्यवस्था है। ऋण के वितरण में कठिनाइयाँ तथा विलम्ब न हो इस दृष्टि से १९६३ में तकावी नियमों को और उदार बनाया गया। साथ ही नियोजन तथा विकास कार्यों के लिए बनाये गये ऋण संबंधी नियमों को, जहाँ तक उनका संबंध निजी लघु सिंचाई योजनाओं से है, उत्तर प्रदेश तकावी नियमावली के अधीन किया गया। इस प्रकार पक्के कुओं के निर्माणार्थ तकावी की धनराशि, पानी मिलने के स्तर के आधार पर, बढ़ा कर २,००० रु० तक की गयी। पंपिंग सेटों तथा रहट के लिए भी तकावी की धनराशि क्रमशः २,५०० रु० से बढ़ाकर ६,५०० रु. और ४०० रु० से बढ़ाकर ६५० रु० की गयी।

तीसरी आयोजना के पहले दो वर्षों में 'अधिक अन्न उपजाओ' योजनाओं पर ९.०२७ करोड़ रुपये खर्च किये गये और फलस्वरूप इन योजनाओं तथा निजी साधनों से चलायी गयी अन्य योजनाओं से ७.८७७ लाख एकड़ क्षेत्र के लिए सिंचाई की व्यवस्था की गयी। १९६२–६३ में कुओं की गहरी बोरिंग करने के

कार्यक्रम के अधीन प्रदेश में १४,४१५ कुओं की कुल ६,२५,३३७ फुट बोरिंग हुई। साथ ही मार्च १९६३ तक २९,१०५ पक्के कुओं तथा १,८५५ निजी नलकूपों का निर्माण किया गया और १९,०९० रहटों तथा २,३५६ पंपिंग सेटों को लगाया गया।

१९६३–६४ के बजट में निजी अल्प सिंचाई योजनाओं के लिए २९२ लाख रुपये की व्यवस्था है। आशा है कि इस धनराशि में से २६६.३०० लाख रुपये के ऋणों का वितरण मार्च १९६४ तक हो जायगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अधीन, आशा है वित्तीय वर्ष में अर्थात् मार्च १९६४ तक ४८,१८१ पक्के कुओं तथा १,८७८ निजी नलकूपों का निर्माण हो जायगा तथा २६,९४४ रहट और २,६९८ पंपिंग सेट लगा दिये जायँगे। साथ ही २४,३९७ कुओं की गहरी बोरिंग करने का लक्ष्य भी मार्च १९६४ तक प्राप्त कर लिया जायगा।

बाढ़-नियंत्रण

हमारे प्रदेश में अति वृष्टि के कारण नदी-नालों में भयंकर बाढ़ों के आने से अनेक भागों में कृषि को भारी नुकसान पहुँचता है। अनुमान है कि मध्यम बाढ़ों से प्रतिवर्ष लगभग ८३ लाख एकड़ भूमि प्रभावित होती है। सर्वाधिक क्षति गंगा, घाघरा, राप्ती और बड़ी गंडक नदियों की बाढ़ों से होती हैं। इन बाढ़ों से हमारी कृषि को कितना नुक्सान पहुँचता है इसका अनुमान केवल इस बात से लगाया जा सकता है कि १९५३ से १९५६ तक लगभग ८५ करोड़ रुपये की लागत की फसलें और सम्पत्ति प्रदेश में बाढ़ से नष्ट हुईं। अकेले १९५५ में ही बाढ़ों के कारण हमें प्राय: ४० करोड़ रुपये की क्षति पहुँची। अतएव बाढ़ों को रोकने और प्रदेश को इनसे होने वाली हानि से बचाने के लिए राज्य सरकार ने अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाये।

पहली आयोजना में बाढ़-नियंत्रण कार्यों पर लगभग २.७६ करोड़ रुपये खर्च किये गये। इस अवधि में गंडक, सोंग, सिसवा और नागदेव नदियों से होने वाले भूमि के कटाव को रोकने के लिए कार्रवाई की गयी। घाघरा, टोंस, गंगा, गंडक और राप्ती नदियों के किनारे पुश्ते बनाये गये तथा प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित होने वाले गाँवों की सतह ऊँची की गयी।

दूसरी आयोजना के अन्तर्गत बाढ़-नियंत्रण कार्यों पर ८ करोड़ रुपये से अधिक खर्च हुए। इस आयोजनावधि में घाघरा, गंगा, टोंस, गंडक, राप्ती तथा अन्य

नदियों के किनारे पुश्ते बनाये गये, घाघरा, गंडक, गंगा, यमुना, सोंग, नागदेव तथा अन्य नदियों के कटाव को रोकने के लिए आवश्यक कार्य किये गये, ग्रामों की सतहें ऊँची की गयीं, राजापुर, इलाहाबाद, बलिया, आजमगढ़, वाराणसी तथा अन्य नगरों की सुरक्षा की गयी और पुलों तथा नालियों का सुधार किया गया।

इस प्रकार पहली तथा दूसरी पंचवर्षीय आयोजनाओं में बाढ़ नियंत्रण योजनाओं पर कुल १०.८४९ करोड़ रुपये खर्च किये गये और फलस्वरूप १०.७२ लाख एकड़ भूमि की सुरक्षा की गयी।

राज्य की तीसरी आयोजना में बाढ़-नियंत्रण कार्यों तथा नाले-नालियों की योजनाओं के लिए पहले ५.७५२ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी थी लेकिन संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अब ७.२७५ करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। तीसरी आयोजना के कार्यक्रम के अधीन बाढ़ नियंत्रण योजनाओं से १.४३ लाख एकड़ भूमि की सुरक्षा का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से मार्च १९६४ तक ९५,५०० एकड़ की सुरक्षा हो जायगी। तीसरी आयोजना के पहले दो वर्षों में इस कार्यक्रम पर २.०७३ करोड़ रुपये व्यय हुए, जिससे लगभग ६९,००० एकड़ भूमि को बाढ़ तथा पानी लगने से सुरक्षित किया गया। आशा है कि वित्तीय वर्ष में मार्च १९६४ तक बाढ़-नियंत्रण योजनाओं पर १.४५२ करोड़ रुपये की धनराशि खर्च हो जायगी। आयोजना के शेष दो वर्षों में ३.१० करोड़ रुपये व्यय करने की व्यवस्था है। १९६३ में बाढ़ नियंत्रण तथा नाले-नालियों के निर्माण की चार नयी योजनाएँ सरकार के विचाराधीन थीं।

इस प्रकार हमारे प्रदेश में एक ओर सिंचन-सुविधाओं का अधिकाधिक विस्तार करके और दूसरी ओर बाढ़-नियंत्रण योजनाओं को तेजी से सम्पन्न करके कृषि के विकास तथा कृषि योग्य भूमि की सुरक्षा के लिए सभी सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं।

सामुदायिक विकास

भारत गाँवों में बसता है, इसलिए गाँवों की समृद्धि पर ही समूचे राष्ट्र की समृद्धि निर्भर है। हमारे गाँव यदि आगे बढ़ते हैं तो हमारा राष्ट्र आगे बढ़ता है, उसकी दौलत बढ़ती है, उसकी ताकत बढ़ती है। गाँवों की आधार-शिला पर ही हमारा राष्ट्र खड़ा है। अतएव स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद लोकप्रिय सरकार का ध्यान सबसे पहले गाँवों की ओर गया और सदियों से पीड़ित ग्रामीण जनता के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं नैतिक विकास के लिए सामुदायिक विकास योजना चालू की गयी।

इस योजना का सूत्रपात करने का श्रेय हमारे प्रदेश को है। सन् १९४८ में वस्तुतः प्रयोगात्मक आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने इटावा में एक अग्रगामी परियोजना चालू करके समग्र राष्ट्र का इस दिशा में मार्ग-दशन किया। इटावा परियोजना की ख्याति इतनी बढ़ी कि न केवल देश के कोने-कोने से अपितु दूसरे देशों से भी आकर लोगों ने इसका अध्ययन किया और इसकी प्रशंसा की। इस परि-योजना की सफलता से प्रोत्साहित होकर हमारे प्रदेश में १९५२ में २६ सामुदायिक विकास परियोजनाएँ चालू की गयीं और बाद में पहली आयोजनावधि ही में १३५ राष्ट्रीय प्रसार सेवा खण्डों की स्थापना हुई।

इस कार्यक्रम से ग्रामीण जनता में नयी चेतना आयी, उसका उत्साह बढा और इसकी सफलता के लिए उसने सहयोग दिया। पहली आयोजना में जहाँ सरकार ने सामुदायिक विकास-कार्यों पर ८५१.०७ लाख रु० खर्च किये वहाँ जनता ने श्रम, धन तथा सामग्री के रूप में ५.६० करोड़ रुपये मल्य का स्वैच्छिक योगदान किया। आयोजनावधि के अन्त तक प्रदेश के २४,८४५ गाँवों की प्रायः १,१०,३६, ७५३ जनसंख्या सामुदायिक विकास खण्डों और राष्ट्रीय प्रसार सेवा खण्डों से लाभान्वित होने लगी थी। कृषि-उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को १५.३६ लाख मन उन्नत बीज, ५.५० लाख मन से अधिक उर्वरक और ३०,६६० सुधरे कृषि उपकरण दिये गये। साथ ही पक्के कुओं और नलकूपों का निर्माण तथा तालाबों, पोखरों आदि को गहरा कर के प्रदेश की, ५,७३,७३५ एकड़ अतिरिक्त भूमि में सिचाई-सुविधाओं का विस्तार किया गया। विकास खण्ड क्षेत्रों में पंचायतघरों, स्कूलों तथा बीज गोदामों के निर्माण के अतिरिक्त ८१३ सामुदायिक केन्द्रों तथा

पुस्तकालयों की स्थापना की गयी और गमनागमन की सुविधाओं के विस्तार के लिए २,४०२ मील लम्बी कच्ची और २७५ मील लम्बी पक्की सड़कों का निर्माण किया गया। इस अवधि में सामुदायिक विकास खण्डों में ७७९ प्रौढ़-शिक्षा केन्द्र भी चलने लगे। साथ ही इन क्षेत्रों में चमड़ा तथा रेशम के कीड़े पालने के उद्योग और खादी कताई-बुनाई से संबंधित अनेक उद्योग चालू किये गये। इसी काल में सामुदायिक खण्डों में १०३ प्रशिक्षण एवं उत्पादन-केन्द्र खोले गये।

दूसरी योजना में प्रगति

दूसरी पंचवर्षीय आयोजना में सामुदायिक विकास-योजनाओं के लिए २७.८० करोड़ रुपये का प्राविधान करके समूचे प्रदेश को १९६१ तक विकास खण्डों के अधीन करने का लक्ष्य था। लेकिन सीमित वित्तीय साधनों और प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी के कारण इस कार्यक्रम को अक्तूबर १९६३ तक पूरा करने की योजना बनायी गयी। वर्ष १९६३ के आरम्भ में ही प्रदेश का सम्पूर्ण ग्राम-क्षेत्र विकास-खण्डों के अधीन हो गया था।

दूसरी आयोजना के अन्त में हमारे प्रदेश में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अधीन विकास खण्डों की संख्या बढ़कर ६१० हो गयी थी, जिनमें से ३९८ खण्ड प्रथम चरण के, १०० द्वितीय चरण के, २० प्रगाढ़ विकास चरण के और ९२ पूर्व प्रसार खण्ड थे। आयोजनाकाल में इस कार्यक्रम के अधीन कुल २७.६३८ करोड़ रुपये व्यय किये गये थे। इस धनराशि में से कृषि तथा पशुपालन पर १.३५० करोड़, सिंचाई पर ८.३५२ करोड़, स्वास्थ्य एवं ग्रामीण स्वच्छता पर २.२९२ करोड़, शिक्षा पर १.५७१ करोड़, सामाजिक शिक्षा पर १.२९९ करोड़, संचार साधनों पर १.७५० करोड़, ग्रामीण दस्तकारियों तथा उद्योगों पर ०.८०९ करोड़ और गृह निर्माण योजनाओं पर १.२९३ करोड़ रुपये खर्च किये गये। शेष धनराशि विकास खण्डों के कर्मचारियों तथा अन्य प्रकार की प्रबन्ध-व्यवस्था पर व्यय हुई। इस आयोजनाकाल की सबसे उल्लेखनीय घटना यह थी कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम को कृषि-उत्पादन कार्यक्रम से पूर्ण रूप से समन्वित किया गया और इस प्रकार विकास खण्डों में कृषि मुख्य कार्य रहा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह हुई कि इस कार्यक्रम में जनता का अधिकाधिक सहयोग प्राप्त करने के लिए शक्ति एवं कार्यों का तेजी से विकेन्द्रीकरण किया गया। साथ ही स्थानीय योजनाएं बनाने और उनके क्रियान्वयन के लिए विकास खण्ड को मुख्य इकाई बनाया गया।

दूसरी आयोजना में सामुदायिक विकास खण्डों में कृषि को कितना अधिक महत्व दिया गया, इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि सामुदायिक

विकास कार्यक्रम के कुल व्यय का ३५ प्रतिशत धन कृषि संबंधी योजनाओं पर खर्च किया गया। विकास खण्ड के कर्मचारियों ने सन् १९५८ से चालू किये गये खरीफ तथा रबी आन्दोलनों की सफलता के लिए प्रतिवर्ष प्रायः १० लाख ग्राम सहायकों को प्रशिक्षित करके प्रशंसनीय कार्य किया। फलतः दूसरी आयोजना के अन्त में सामुदायिक विकास खण्ड क्षेत्रों में जापानी पद्धति की धान की खेती तथा उत्तर प्रदेशीय ढंग की गेहूँ की खेती का क्षेत्र क्रमशः १०.९६ लाख एकड़ और ११.९४ लाख एकड़ था। इसके अतिरिक्त आयोजनावधि में २२.४८ लाख मन उन्नत बीज, एक लाख से अधिक सुधरे कृषि-यंत्र तथा ३०.८३ लाख मन उर्वरक का वितरण किया गया। साथ ही विकास खण्ड क्षेत्रों में ७.३९ लाख एकड़ क्षेत्र में हरी खाद डाली गयी और ०.८७ लाख एकड़ क्षेत्र में भूमि-संरक्षण कार्य किया गया।

तीसरी योजना के लक्ष्य और उपलब्धियाँ

तीसरी आयोजना जनता की राय और सहयोग से बनायी गयी है। दिसम्बर १९६१ से जनता को इस आयोजना को कार्यान्वित करने का अधिकार भी सौंप दिया गया। नयी व्यवस्था के अन्तर्गत पंचायतों का निर्माण गाँव की वयस्क जनता और गाँव-सभाएँ चुनाव द्वारा करती हैं। पंचायतें अपने सरपंचों को पंचायत समिति में भेजती हैं, जो खण्ड के विकास-कार्यों के लिए जिम्मेदार होती हैं। विकास खण्ड के प्राविधिक तथा अन्य कर्मचारी पंचायत समिति के निर्देशन में काम करते हैं। स्वायत्त शासन की इस पद्धति के अधीन जिले की सर्वोच्च समिति जिला परिषद् है, जिसके सदस्य विकास खण्ड समितियों के अध्यक्ष और संसद एवं विधान मंडल के स्थानीय सदस्य होते हैं।

प्रदेश के सामुदायिक विकास के इतिहास में वर्ष १९६२ का महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि इसी वर्ष उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति और जिला परिषद् अधिनियम लागू किया गया, जिसने पंचायतों से खण्ड विकास समितियों को अपने स्तर पर विकास-कार्य सम्पन्न करने और सरकारी विभागों को नियंत्रित करने के अधिकार प्रदान कर ग्राम-गणराज्य की स्थापना की।

प्रदेश की तीसरी आयोजना में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के लिए कुल ५०.२१ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। इस धनराशि में से १९६१-६२ तथा १९६२-६३ के वर्षों में १९.०४ करोड़ रुपये खर्च किये गये, जो कि कुल धन राशि का ३७.९ प्रतिशत है।

तीसरी आयोजना के प्रथम वर्ष अर्थात् १९६१-६२ के अन्त तक उन्नत कृषि-प्रणालियों द्वारा खरीफ तथा रबी फसलों की ८६.७२ लाख एकड़ भूमि में खेती की गयी। प्रायः १४.६२ लाख एकड़ में जापानी ढंग से धान की खेती करके उत्पादन में वृद्धि की गयी। किसानों को बड़ी संख्या में कृषि-यंत्रों के अतिरिक्त २८.३० लाख मन उन्नत बीज भी दिया गया। कृषि विकास के लिए सिंचन साधनों की व्यवस्था करन के निमित्त २१,५८७ कुओं का निर्माण किया गया और १२,६६० रहट लगाये गये। इसी प्रकार सहकारिता, पशुपालन, शिक्षा आदि के क्षेत्रों में भी पर्याप्त प्रगति हुई।

वर्ष १९६२-६३ के प्रारंभ में प्रदेश में ७१० सक्रिय विकास खण्ड थे लेकिन वर्ष १९६३-६४ के प्रारंभ में ही राज्य में ८७५ सक्रिय विकास खण्ड खोले जा चुके थे। सामुदायिक विकास योजनाओं के लिए १९६२-६३ के बजट में पहले ११.१३ करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गयी थी। संकटकालीन स्थिति की घोषणा होने पर मितव्ययिता पर विशेष बल दिया गया। फलस्वरूप लगभग एक करोड़ रुपये की बचत हुई। सामुदायिक विकास कार्यक्रम संबधी १९६२-६३ के बजट में कार्यक्रमों के अधीन निर्धारित कुल धनराशि का लगभग ५० प्रतिशत उत्पादन-कार्यों पर खर्च किया गया।

प्रशिक्षण

आपद्कालीन स्थिति की घोषणा होने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में नयी चेतना पैदा हुई है। जनता में ग्राम-सुरक्षा तथा आर्थिक विकास के लिए जो अदम्य उत्साह पैदा हुआ उसे सही दिशा में लगाने के लिए प्रान्तीय रक्षक दल को प्रभावकारी माध्यम बनाया गया और उसे नये दायित्व सौंपे गये हैं। प्रान्तीय रक्षक दल को मुख्यतः ग्राम-सुरक्षा तथा उत्पादन में वृद्धि करने और जनता को नये दायित्वों का भार सँभालने के लिए प्रशिक्षित और तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रान्तीय रक्षक दल के स्वयं सेवकों को ट्रेनिंग देने के लिए ५ लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है और ग्राम-सेवकों को आदेश दिये गये हैं कि वे अब अपना पूरा समय कृषि-कार्यक्रमों में ही लगायें। प्रदेश में २५ पंचायती राज प्रशिक्षण केन्द्रों पर गाँव पंचायतों के २० हजार से अधिक सदस्यों को ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की गयी है।

विकास खण्ड क्षेत्रों के स्कूलों में बालक-बालिकाओं को भर्ती करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के अधीन प्रौढ़ों को शिक्षा दी जा

रही है और इस प्रकार तीन लाख व्यक्तियों को साक्षर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। विकास खण्ड क्षेत्रों में बड़ी संख्या में युवक क्लबों, सामूहिक श्रवण क्लबों और ग्रामीण पुस्तकालयों की स्थापना की गयी है।

राज्य के २८ सामुदायिक विकास खण्डों में अन्तर्राष्ट्रीय बालकोष (यू० एन० ई० सी० ई० एफ०), खाद्य एवं कृषि संगठन (एफ० ए० ओ०) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू० एच० ओ०) की सहायता और सहयोग से पोषक तत्वों से युक्त भोजन के उत्पादन और तत्सम्बन्धी शिक्षा का एक व्यापक कार्यक्रम भी १९६२-६३ में चालू किया गया। वर्तमान संकटकालीन स्थितियों में, इस कार्यक्रम के अधीन फलों, शाक-सब्जियों, अंडों, मछलियों और दूध के अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन से गल्ले की बचत में भी बड़ी सहायता मिलेगी।

सरकार का विकास अन्वेषणालय सामुदायिक विकास संबंधी विभिन्न पहलुओं पर शोध-कार्य करता रहा। इस अन्वेषणालय ने ग्रामीण उद्योग, सहकारिता, ग्रामीण स्वास्थ्य, युवक कार्य, पंचायत, सामाजिक शिक्षा, भू-संरक्षण और महिला कार्यक्रमों से संबंधित ८८ परियोजनाएँ संचालित कीं। हल्द्वानी स्थित 'पीपुल्स कालेज' में विभिन्न व्यवसायों के ५८४ व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया। पंचायत उद्योग, चिनहट (लखनऊ) ने उल्लेखनीय प्रगति की है। गत वर्ष इसने ८०,००० रु० मूल्य की वस्तुओं का व्यापार किया और फलस्वरूप २० हजार रुपये का मुनाफा उठाया।

उत्पादन बढ़ाने पर बल

सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि-उत्पादन को शुरू से ही प्राथमिकता दी गयी है ताकि देश को अन्न के लिए दूसरे देशों पर निर्भर न रहना पड़े। संकटकालीन स्थिति की घोषणा होने के बाद इस पर और अधिक बल दिया गया। सरकार ने ग्राम-सेवकों को आदेश दिये हैं कि वे अपना पूरा समय और शक्ति कृषि-उत्पादन, पशुपालन और सहकारिता संबंधी कार्यक्रमों को सफल बनाने में लगायें। वर्ष १९६३-६४ में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के लिए ८.३० करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है और आशा है कि मार्च १९६४ तक इसमें से २७१ लाख रुपये की धनराशि कृषि-विकास, पशुपालन तथा सिंचाई योजनाओं पर खर्च कर ली जायगी।

कृषि-उत्पादन को तेजी से बढ़ाने के लिए वर्ष १९६३ में प्रत्येक विकास खण्ड के लिए उर्वरक, बीज आदि के वितरण तथा सिंचाई की नालियों के निर्माण संबंधी

लक्ष्य निर्धारित किये गये। विकास खण्डों के अधिकारियों से कहा गया है कि वे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार मुख्य कार्यक्रम चुन लें और उन्हें कार्यान्वित करें। मुख्य कार्यक्रमों में नाइट्रोजन तथा फास्फेटिक उर्वरकों का उपयोग, खण्ड ग्राम बीज सहायकों द्वारा उन्नत बीजों का वितरण, मौजूदा सिंचाई साधनों और स्थानीय खाद का पूरा-पूरा उपयोग सम्मिलित है।

विकास खण्डों के कार्यकलाप और कृषि तथा सिंचाई विभागों के कार्यों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए इस वर्ष मंत्रिमंडल की एक उच्चस्तरीय कृषि उत्पादन उपसमिति भी गठित की गयी।

सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के लिए तीसरी आयोजना के शेष दो वर्षों में २० करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें से ९.५० करोड़ रुपये वर्ष १९६४-६५ में व्यय किये जायँगे। सामुदायिक विकास योजना के सफल कार्यान्वय से हमारे प्रदेश के ग्राम-क्षेत्रों में नवजीवन की एक नयी लहर दौड़ गयी है और ग्रामवासियों में ग्रामोत्थान के कार्यक्रमों के प्रति रुचि बढ़ रही है। वे उसमें सक्रिय सहयोग दे रहे हैं।

सहकारिता

सहकारिता एक रीति है, एक तरीका है--मिल-जुलकर तथा एक-दूसरे का हाथ बँटाकर काम करने का। इसका उद्देश्य उन सभी लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन को ऊँचा उठाना है जो पारस्परिक हित को दृष्टि में रखकर कार्य करते हैं। वस्तुतः सहकारिता एक विकेन्द्रित अर्थ-व्यवस्था है, जिसमें शक्ति तथा प्रबन्ध ऐसे जन-समुदायों में बँटा होता है जहाँ 'एक सबके लिए और सब एक के लिए' होते हैं।

संसार के अनेक उन्नतिशील एवं प्रजातांत्रिक देशों में सहकारी-पद्धति के प्रयोग सफल सिद्ध हुए हैं और हमारे देश में भी जन-साधारण की आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति तथा राष्ट्रीय आय में अधिकाधिक वृद्धि करने के लिए सहकारी पद्धति अपनायी गयी है। हमने अपने देश में एक ऐसे समाजवादी सहकारी समाज (सोशलिस्ट कोआपरेटिव कामन वेल्थ) की स्थापना का लक्ष्य रखा है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को सुखमय जीवन व्यतीत करने के समान अवसर और संभावनाएँ उपलब्ध हों। इसी उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में व्यापक सहकारिता अभियान चल रहा है।

पूर्व स्थिति

उत्तरप्रदेश में सहकारिता का इतिहास सन् १९०४ से प्रारम्भ होता है जब कि सर्वप्रथम कुछ ऋण समितियों को संघटित किया गया था। कुछ समय बाद अन्य प्रकार की सहकारी समितियों को भी स्थापित करने की आवश्यकता महसूस हुई। अतः भारत सरकार के एक अधिनियम के अधीन, जो कि सन् १९१२ से हमारे प्रदेश में भी लागू है, आर्थिक क्रियाकलाप के प्रत्येक क्षेत्र में, जैसे उत्पादन, वितरण, क्रय-विक्रय तथा उपभोग्य सामग्रियों के वितरण आदि के लिए, सहकारी समितियों की स्थापना की व्यवस्था की गयी। यद्यपि कहने के लिए अन्य कार्यों के लिए भी समितियाँ गठित की गयी थीं तथापि १९४६-४७ तक सहकारिता के अधीन ऋण-वितरण का ही कार्य होता था।

स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद लोकप्रिय सरकार ने सहकारी समितियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया, जिसके अधीन प्रत्येक गाँव में एक बहुधंधी सहकारी समिति तथा कुछ गाँवों के बीच एक

सहकारी विकास यूनियन की स्थापना की गयी। जिला-स्तर पर जिला सहकारी संघ की स्थापना की गयी, जिसे प्रदेशीय सहकारी विकास एवं क्रय-विक्रय संघ से सम्बद्ध किया गया। साथ ही चुने हुए विकास खण्डों में, जिनका क्षेत्र प्रायः १५ गाँवों तक था, सहकारिता, कृषि तथा पशुपालन विभागों को मिल-जुलकर काम करने का निर्देश किया गया।

कृषि-उत्पादन कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए सरकार ने जून १९४८ में कृषि-विभाग के ५६७ बीज गोदाम विकास खण्ड सहकारी यूनियनों को हस्तान्तरित कर दिये। इसी प्रकार नियंत्रित खाद्यान्न के वितरण के लिए राज्य के शहरी क्षेत्रों में १९४८-५० में ५१० से अधिक सहकारी उपभोक्ता दूकानों की स्थापना की गयी। सहकारी खेती का शुभारंभ १९४८-४९ में झाँसी जिले के दो गाँवों में किया गया, जहाँ सहकारिता के आधार पर ९०० एकड़ भूमि में खेती की गयी। इस प्रकार स्वतंत्रता के युग में अच्छे उत्पादन, अच्छे व्यवसाय और अच्छे जीवन के त्रिसूत्री कार्यक्रम को लेकर हमारे प्रदेश में सहकारिता का शुभारंभ हुआ। सहकारिता के सुनियोजित विकास का कार्य वास्तव में प्रथम पंचवर्षीय आयोजना के साथ शुरू हुआ। १९५१ से १९५६ तक की अवधि में सभी स्तरों पर ऋणदात्री संस्थाओं की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने तथा प्राइमरी सहकारी समितियों को ऋण देने के अतिरिक्त उत्पादन तथा वितरण कार्य करने के लिए भी प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया। साथ ही ऐसी गैरसहकारी ऋण समितियों के कार्यक्षेत्र के विस्तार पर भी बल दिया गया, जो उत्पादन तथा वितरण-कार्य में लगी हों और जिनके द्वारा सहकारी खेती तथा दुग्ध-वितरण-व्यवस्था को प्रोत्साहित किया जा सके।

प्रथम पंचवर्षीय आयोजना में हमारे प्रदेश में सहकारी क्रय-विक्रय और सहकारी खती की दो बड़ी योजनाओं के अधीन तेजी से कार्य किया गया। सभी स्तरों पर सहकारी समितियों के पुनर्गठन की आवश्यकता अनुभव की गयी। गाँव-स्तर पर प्रारंभिक सहकारी समितियों के स्थान पर बहुधंधी समितियाँ संघटित की गयीं क्योंकि यह महसूस किया गया कि ग्रामीण जनता की समृद्धि के लिए केवल ऋण की व्यवस्था करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसके लिए जरूरत इस बात की है कि गाँव वालों को बीज, खाद, खेती-बारी के औजार तथा ऐसी ही अन्य वस्तुएँ सुलभ की जायँ ताकि पैदावार में ज्यादा-से-ज्यादा बढ़ोतरी हो। अतः पहली आयोजना में ५,००० बहुधंधी समितियाँ स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन वस्तुतः १८,२५० समितियों की स्थापना हुई। इस प्रकार वर्ष १९५६ तक

प्रदेश में सभी प्रकार की सहकारी समितियों की संख्या बढ़कर ४४,००६ हो गयी, जिनकी सदस्य-संख्या १४ लाख ५० हजार और हिस्से की पूँजी २६९ लाख रुपये थी। इसी प्रकार जहाँ १९५१-५२ में प्रदेश में कुल ९५० बीज गोदाम थे वहाँ पहली आयोजना के अन्त में इनकी संख्या बढ़कर १,२०३ हो गयी। १९५१-५६ की अवधि में इन समितियों ने प्रदेश में १८.२७ लाख मन बीज, ३९,६८० टन उर्वरक और १२.९१ लाख मन प्रथम श्रेणी के बीजों का वितरण किया। साथ ही बड़ी संख्या में उन्नत कृषि-औजार भी किसानों को दिये गये। फलस्वरूप पैदावार में काफी वृद्धि हुई।

प्रथम आयोजना में सम्मिलित की गयी दूसरी बड़ी योजना सहकारी खेती की थी। इसमें दो राय नहीं कि अलाभकर जोतों को समाप्त करने और पैदावार बढ़ाने के लिए खेतीबारी का सहकारी तरीका सर्वोत्तम है। यही कारण था कि हमारे प्रदेश में १९५०-५१ में प्रयोगात्मक आधार पर सहकारी खेती की योजना शुरू की गयी। आयोजना के अन्त तक प्रदेश में सहकारी खेती की, विभिन्न प्रकार की, २१६ समितियाँ संघटित की गयीं, जिनकी सदस्य संख्या बढ़कर ४,३७५, हिस्से की पूँजी १३,८४,६९० रु० और कारोबारी पूँजी ३८,३१,३७२ रु० हो गयी। इन समितियों का कृषि-क्षेत्र १९५१-५६ की अवधि में ५०,६९२ एकड़ हो गया।

सहकारिता के क्षेत्र में पहली आयोजना की उपलब्धियों से प्रोत्साहित होकर राज्य सरकार ने दूसरी पंचवर्षीय आयोजना को और व्यापक बनाया। यही कारण था कि सहकारिता संबंधी पहली आयोजना में जहाँ प्रारंभिक सहकारी समितियों की संख्या, उनकी सदस्य संख्या और हिस्से की पूँजी में वृद्धि करके भावी नियोजन के लिए सुदृढ़ आधार प्रदान करने की ओर विशेष ध्यान दिया गया वहाँ दूसरी आयोजना में सहकारिता आन्दोलन के चतुर्दिक विकास और विस्तार का लक्ष्य रखा गया। समूचे प्रदेश में सहकारी समितियों की भरपूर व्यवस्था करके ५० प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को सहकारिता की परिधि में लाने की योजना बनायी गयी और साथ ही ३६ करोड़ रुपये के सहकारी ऋण के वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया।

वस्तुतः दूसरी पंचवर्षीय आयोजना में सहकारी ऋण, सहकारी क्रय-विक्रय, प्रशिक्षण, सहकारी खेती और सहकारी दुग्ध-वितरण व्यवस्था संबंधी पाँच प्रमुख योजनाएँ सम्मिलित की गयी थीं। इस अवधि में सहकारिता के विकास की दिशा में जो महत्वपूर्ण कदम उठाये गये उनमें ऋण को क्रय-विक्रय से सम्बद्ध करने, सहकारी

ऋण तथा क्रय-विक्रय समितियों में सरकार की हिस्सेदारी और ऋण की व्यवस्था हैसियत के बजाय उत्पादन आवश्यकताओं को आधार मानकर करना सम्मिलित था। इनके अतिरिक्त मार्च १९५९ में उत्तर प्रदेश राज्य गोदाम निगम और उत्तर प्रदेश राज्य भूमि बंधक बैंक की स्थापना हो जाने पर प्रदेश में गल्ला रखने की सुविधाओं और दीर्घकालीन ऋण देने की व्यवस्था की गयी।

दूसरी आयोजना में सहकारी ऋण योजनाओं के लिए २१६.४९२ लाख रुपये की व्यवस्था की गयी। आयोजना के आरम्भ में ऋण-समितियों द्वारा कुल छ: करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया था, लेकिन आयोजनावधि में यह धनराशि बढ़कर ३६ करोड़ रुपये हो गयी। कुल ३०·९७ रुपये के अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण बाँटे गये। प्रदेश की ७२,३९० ग्राम-सभाओं में से ६९,९१८ ग्राम सभाएँ प्रारंभिक सहकारी समितियों की परिधि में आ गयीं। साथ ही १४,९०९ ग्राम-सभाएँ बड़ी समितियों के अन्तर्गत १८,३१९ साधन सहकारी समितियों के और ३६,७०० ग्राम-सभाएँ बहुधंधी सहकारी समितियों के अन्तर्गत थीं। प्रारंभिक सहकारी समितियों की सदस्य संख्या बढ़कर ३३.४० लाख हो गयी। सहकारी क्रय-विक्रय, प्रोसेसिंग तथा गोदाम योजना के अधीन १९६०–६१ के अन्त तक १७० क्रय-विक्रय समितियाँ तथा २३ प्रोसेसिंग इकाइयाँ गठित की गयीं, जिन्होंने १३ प्रतिशत खाद्य फसलों तथा दो प्रतिशत नकदी फसलों का क्रय-विक्रय किया। इन क्रय-विक्रय समितियों की सदस्य संख्या ३० जून १९६१ को ४.७२ लाख थी। इन समितियों ने अपने सदस्यों के १९०६.७०लाख रुपये मूल्य के १३७ लाख मन कृषि-उत्पादन का क्रय-विक्रय किया और मंडियों में आने वाले रबी में १३.७१ और खरीफ में. ११.६ प्रतिशत गल्ले पर उनका कब्जा रहा। दूसरी आयोजना में कुल १०० सहकारी कृषि समितियों की स्थापना का लक्ष्य था लेकिन १७१ समितियाँ गठित की गयीं और इस प्रकार ऐसी समितियों की संख्या मार्च १९६१ तक बढ़कर ३८७ हो गयी। बीज गोदामों की संख्या भी इस अवधि में बढ़कर १,६१० हो गयी। इन बीज गोदामों ने जहाँ १९५५–५६ में १८.२७ लाख मन रबी तथा खरीफ के बीजों, ३९,६८० टन उर्वरक और १९७१ कृषियंत्रों का वितरण किया था वहाँ १९६०–६१ में २५.५० लाख मन बीज ८३,३४३ टन उर्वरक और ३,२०८ कृषि औजारों का वितरण किया। सहकारी समितियों के कार्यों की देखभाल करने के लिए आयोजनावधि में ३७२ सुपरवाइजरों तथा १.४९ लाख गैरसरकारी व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया।

इस प्रकार वर्ष १९६१ के अन्त तक समूचे प्रदेश में सभी प्रकार की ६५,४८३ समितियाँ थीं, जिनसे ४५ लाख से अधिक परिवार लाभान्वित हो रहे थे। इन समितियों की कारोबारी पूँजी ११७ करोड़ रुपये थी जिसमें उनकी निजी पूँजी ३१.४९ करोड़ रुपये थी।

तीसरी पंचवर्षीय आयोजना वर्ष १९६१–६२ से प्रारंभ की गयी। इस में सहकारिता सम्बन्धी दूसरी आयोजना की पाँच योजनाओं के अतिरिक्त तीन नयी योजनाएँ सम्मिलित की गयीं। ये योजनाएँ उपभोक्ता सहकारी समितियों, श्रमिक सहकारी समितियों और सहकारिता को जन-आन्दोलन का रूप देने के लिए प्रचार से सम्बन्धित हैं।

साधन सहकारी समितियाँ

तीसरी आयोजना के प्रथम तीन वर्षों में ३,००० नयी साधन सहकारी समितियों की स्थापना करके समूचे प्रदेश को सहकारी समितियों से आपूर कर देने का कार्य-क्रम था, लेकिन यह लक्ष्य आयोजना के पहले ही वर्ष अर्थात् १९६१–६२ में प्राप्त कर लिया गया जब कि ३,८०८ नयी सहकारी समितियों की स्थापना हुई जिससे उनकी कुल संख्या बढ़कर १९,०३५ हो गयी। वर्ष १९६३–६४ में साधन सहकारी समितियों के आकार को विस्तार देने की योजना बनायी गयी। वर्ष के आरम्भ में इनकी संख्या २२,००० तक पहुँच चुकी थी। आशा है कि मार्च १९६४ तक २,००० ऐसी और समितियों को संगठित करने का लक्ष्य पूरा कर लिया जायगा और इन समितियों की सदस्य संख्या में ७ लाख की और बढ़ोतरी हो जायगी।

अनुमान लगाया गया है कि हमारे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एक करोड़ से अधिक परिवार बसते हैं जिनमें से प्राय: ५० प्रतिशत परिवार विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियों के अन्तर्गत आ गये हैं। केवल प्रारंभिक कृषि ऋण समितियों से ही ४० प्रतिशत ग्रामीण परिवार लाभान्वित हो रहे हैं।

सहकारी बैंक

जहाँ तक ऋणों की वसूली का सम्बन्ध है उत्तर प्रदेश में वह देश भर में सबसे अधिक रही है और प्रबन्ध-व्यवस्था की लागत भी अन्य राज्यों से कम है। इस दृष्टि से हमारा प्रदेश अगुआ माना जायगा। वर्ष १९६३ में सभी प्रकार की सहकारी समितियों की संख्या ६५,००० से अधिक थी। इनकी सदस्य संख्या ५१ लाख तथा कारोबारी पूंजी १३९ करोड़ रुपये के लगभग थी। साथ ही ऋण देनेवाली संस्थाओं की हिस्से की तथा जमा पूंजी इस प्रकार थी: प्रारंभिक कृषि समितियाँ—१४.५५

करोड़ रुपये, केन्द्रीय सहकारी बैंक १६.४३ करोड़ रुपये तथा उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक १५.९८ करोड़ रुपये। आलोच्य वर्ष में प्रदेश की सभी ७२,३३० ग्राम-सभाएँ कृषि-समितियों के अन्तर्गत आ गयी थीं। प्रदेश में बड़ी समितियों की संख्या ७३० और बहुधंधी सहकारी समितियों की संख्या ३२,००० थी।

प्रदेश में पैदावार में अपेक्षित वृद्धि करने के लिए राज्य सरकार ने नयी सहकारी नीति अपनायी, जिसके अन्तर्गत केवल उत्पादन कार्यों के लिए ही ऋण देने की व्यवस्था की गयी। कृषि-उत्पादन कार्यक्रम को तेजी से बढ़ाने के लिए साधन सहकारी समितियों द्वारा हैसियत के बजाय उत्पादन योजनाओं के आधार पर उर्वरक, उन्नत बीज, कृषि-यंत्रों आदि के रूप में ऋण देने की व्यवस्था की गयी।

ऋण-व्यवस्था

जैसा कि ऊपर कहा गया है तीसरी आयोजना के अन्त तक ऋण कार्यक्रम को बढ़ाकर ८० करोड़ रुपये कर देने का लक्ष्य है। अनुमान है प्रदेश में ऋण लेने वाले प्रत्येक सदस्य का ऋण का औसत (अल्प तथा मध्यकालीन) १७५ रु० तक पहुँच गया है। आयोजना के अधीन प्रत्येक जिले में एक सहकारी बैंक स्थापित करने की योजना है। साथ ही तहसीलों के सदर मुकामों पर इन बैंकों की ५४ शाखाएँ खोलने का भी प्रस्ताव है, ताकि सदस्यों को ऋण सम्बन्धी अपनी जरूरतों के लिए अधिक दूर न जाना पड़े। आशा है कि मार्च १९६४ तक सभी केन्द्रीय बैंकों की हिस्से की पंजी में ८० लाख रुपये और जमा पूँजी में ९० लाख रुपये की वृद्धि हो जायगी। भूमि बंधक बैंक ने अपनी स्थापना के समय से फरवरी १९६३ तक की छोटी सी अवधि में ७५.५ लाख रुपये के ऋण स्वीकृत किये और ४७ लाख रुपये के ऋणों का वितरण किया। जनवरी १९६३ में इस बैंक ने ४½ प्रतिशत की दर से ३५ लाख रुपये के ऋण-पत्र जारी किये और सरकार की गारंटी पर राज्य भूमि बंधक बैंक को एक करोड़ रुपये मूल्य के ऋण-पत्र जारी करने की अनुमति दी गयी। इस बैंक की हिस्से की पूंजी में सरकार ने वर्ष १९६३ में तीन लाख रुपये के हिस्से खरीदे। आशा है कि मार्च १९६४ तक प्रदेश में भूमि बंधक बैंक की ५४ शाखाएँ खुल जायँगी और इस प्रकार इस वर्ष इस बैंक को ३.५० करोड़ रुपये के दीर्घकालीन ऋण देने की सुविधाएँ मिल जायँगी। साथ ही सहकारी संस्थाओं द्वारा, जिनमें जिला तथा केन्द्रीय सहकारी बैंक की ३० नयी शाखाएँ भी सम्मिलित हैं, मार्च १९६४ तक ४८ करोड़ रुपये के अल्प कालीन ऋण तथा ५ करोड़ रुपये के मध्यकालीन ऋण वितरित करने का लक्ष्य पूरा कर लिया जायगा।

दीर्घकालीन ऋण सम्बन्धी कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए वर्ष १९६३ में राज्य सरकार, भारत सरकार द्वारा नियुक्त पटेल समिति की सिफारिशों पर भी विचार करती रही और अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन ऋणों की आवश्यकताओं की पूर्त्ति के लिए सहकारी ऋण के ढाँचे को और सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया जाता रहा। सीरदारों को भी भूमि बंधक बंक द्वारा दीर्घकालीन ऋण देने के लिए नियम बनाये गये।

श्रमिक सहकारी समितियाँ

श्रमिकों को ठीकेदारों के शोषण से मुक्त करने के लिए राज्य सरकार ने सर्व-प्रथम तीसरी पंचवर्षीय आयोजना में श्रमिक सहकारी समितियां संघटित करने की योजना बनायी। तीसरी आयोजनावधि में ऐसी १५० समितियाँ संघटित की जायँगी और १०,००० श्रमिकों को सहकारी संगठन के अन्तर्गत लाया जायगा। बर्ष १९६३ से प्रदेश में रजिस्टर्ड श्रमिक सहकारी समितियों की संख्या १२५ थी। इनमें से ८ समितियों को पिछले एक वर्ष में ७८,००० रु० मूल्य के ठीके मिले। इसी प्रकार रिक्शा चालकों की सहकारी समितियाँ भी तीसरी आयोजना के अधीन बनायी जा रही हैं।

सहकारी क्रय-विक्रय

हमारे प्रदेश ने क्रय-विक्रय के क्षेत्र में काफी ख्याति प्राप्त की है। तीसरी आयोजना में १०० प्रारंभिक सहकारी क्रय-विक्रय समितियाँ, १०० प्रोसेसिंग समितियाँ तथा पाँच सहकारी शीतागार स्थापित करने की योजना है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में १,३०० गोदामों और प्रारंभिक क्रय-विक्रय समितियों के १०० गोदामों का निर्माण भी किया जायगा। वर्ष १९६३ तक प्रदेश में २०० रजिस्टर्ड क्रय-विक्रय समितियाँ थीं, जिनकी सदस्य संख्या ५.६० लाख और हिस्से की पूंजी ५३ लाख रुपये थी। वर्ष १९६१–६२ में १९० क्रय-विक्रय समितियों ने ९५७.३१ लाख रुपये मूल्य के २३.९२ लाख क्विन्टल कृषि-उत्पादन की कमीशन के आधार पर बिक्री की। वर्ष के अन्त में ये समितियाँ अपनी मंडियों में आने वाले कुल गल्ले के १२ प्रतिशत का क्रय-विक्रय कर रही थीं। लेकिन कुछ समितियाँ इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति कर रही थीं जैसे अहरौरा की क्रय-विक्रय समिति ने ६२ प्रतिशत गल्ले का क्रय-विक्रय किया जबकि कासगंज, मैनपुरी तथा जसवन्तनगर की समितियों का यह प्रतिशत क्रमशः ४५, ४६ और ४५ था।

आशा है कि मार्च १९६४ तक १० सहकारी क्रय-विक्रय समितियों, ५ प्रोसेसिंग समितियों तथा ५ खाद मिश्रण इकाइयों की स्थापना हो जायगी और साथ

ही एक शीतागार का निर्माण कार्य पूर्ण हो जायगा। आलोच्य वर्ष के अन्त में प्रदेश में प्रोसेसिंग इकाइयों की संख्या ५३ थी।

सहकारी कृषि समितियाँ

किसानों की दशा सुधारने और कृषि-उत्पादन में अधिकाधिक वृद्धि करने के लिए सहकारी खेती ही एकमात्र उपाय है। वर्ष १९६३ के आरम्भ में प्रदेश में ६५० सहकारी कृषि समितियाँ थीं, जिनकी सदस्य-संख्या १३,५०० और कृषिक्षेत्र लगभग एक लाख एकड़ था। साथ ही इन समितियों की हिस्से की पूँजी २७·८० लाख रुपये थी। आशा है कि मार्च १९६४ तक १५ अग्रगामी परि-योजनाओं से अधीन तथा अग्रगामी क्षेत्रों में १५० और कृषि समितियों की स्थापना हो जायगी। सामान्य क्षेत्रों में भी ऐसी ५० और समितियों को इस अवधि में संघटित करने की योजना है।

प्रशिक्षण-कार्य

सहकारिता-आन्दोलन में लगे कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए तीसरी आयोजना के प्रारंभ में ९ प्रशिक्षण संस्थाएँ थीं। तीसरी आयोजना में यद्यपि इस प्रकार की और संस्थाएँ स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है, तथापि गैर-सरकारी व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए सचल इकाइयाँ कार्य करती रहेंगी। मार्च १९६३ तक प्रदेश में १०४ सचल इकाइयाँ कार्यरत थीं और आशा है कि मार्च १९६४ तक इस प्रकार की १०४ नयी इकाइयों की स्थापना हो जायगी।

दुग्ध-वितरण

सहकारी दुग्ध-वितरण की योजना दिन-प्रतिदिन लोकप्रिय होती जा रही है इस लिए इसके विकास की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। तीसरी आयो-जना में इस योजना के अधीन ४५० लाख रुपये व्यय करने का प्राविधान है।

मार्च १९६३ तक प्रदेश में सहकारी दुग्ध-वितरण संघों की संख्या १६ हो गयी थी। इनमें से ६ संघ मेरठ में संघटित किये गये थे जो दिल्ली दुग्ध वितरण योजना के अधीन दिल्ली शहर को कच्चे दूध की सप्लाई करते रहे। अन्य संघ इलाहाबाद, अल्मोड़ा, लखनऊ, हल्द्वानी, कानपुर, मेरठ, वाराणसी, अलीगढ़, देहरादून और बरेली में चलते रहे। इन सभी दुग्ध संघों ने १९६१–६२ के ३.०५ लाख मन की तुलना में १९६२–६३ में ३.६३ लाख मन दूध का कारोबार किया। वर्ष १९६३ में राज्य सरकार ने आगरा में जनता को दूध की माँग को

पूरा करने के लिए एक दुग्धशाला की स्थापना भी की। अन्तरराष्ट्रीय बाल-कोष (यूनीसेफ) की सहायता से कानपुर में दुग्ध-वितरण की एक विशेष योजना के अन्तर्गत कार्यारंभ हुआ। साथ ही देहरादून की दुग्ध-वितरण-योजना के लिए विदेशी मुद्रा का आश्वासन मिला। बरेली में भी एक नयी दुग्धशाला खोलने की योजना के सम्बन्ध में आलोच्य वर्ष में आवश्यक कार्रवाई की जाती रही।

उपभोग्य सामग्रियों की व्यवस्था

प्रदेश में उपभोग्य सामग्रियाँ उचित मूल्य पर उपलब्ध हो सकें और मूल्य न बढ़ें, इस उद्देश्य से सहकारी उपभोक्ता दूकानें खोलने की भारत सरकार की एक योजना हमारे प्रदेश में भी शुरू की गयी। यह योजना मार्च १९६३ तक प्रदेश में ५०,००० से अधिक आबादी वाले आठ नगरों यथा लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, आगरा, मेरठ, गोरखपुर, वाराणसी तथा बरेली में चल रही थी जहाँ थोक दूकानों की व्यवस्था की गयी। ऐसे प्रत्येक नगर में २० प्रारंभिक उपभोक्ता दूकानें (प्राइमरी कंज्यूमर्स स्टोर) भी खोली गयीं। राष्ट्रीय संकट के इस अवसर पर मूल्यों को न बढ़ने देने के लिए सरकार ने वर्ष १९६३ में इस योजना का और विस्तार किया और आशा है कि मार्च १९६४ तक प्रदेश में १९ और थोक दूकानों तथा ३८० प्रारंभिक उपभोक्ता दूकानों की स्थापना का कार्य पूर्ण हो जायगा। ग्रामीण क्षेत्रों में भी जनता को उचित मूल्य पर उपभोग्य सामग्रियाँ देने के लिए मार्च १९६४ तक ७,५०० डिपो की स्थापना हो जायगी। ऐसे औद्योगिक संस्थानों में भी, जहाँ ३०० से अधिक श्रमिक काम करते हैं प्रारंभिक उपभोक्ता दूकानें खोलने की योजना सरकार ने बनायी है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे प्रदेश में सहकारिता आन्दोलन धीरे-धीरे जन-आन्दोलन का रूप धारण कर रहा है और उसके द्वारा समाजवादी समाज के अभ्युत्थान के निमित्त व्यापक क्षेत्र तैयार हो रहा है।

विद्युत्

आधुनिक युग में विद्युत्-साधनों का विकास अनेक कारणों से अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। उद्योग और कृषि की उन्नति के लिए, जो हमारे आर्थिक विकास की आधार-शिला हैं, बिजली की सबसे अधिक जरूरत है। हमारे देश और प्रदेश में बड़े-बड़े कल-कारखानों और छोटे-छोटे उद्योग-धंधों को बिजली की जरूरत होती है। इसी प्रकार खेती-बारी में भी बिजली का विशेष महत्व है। नलकूपों और पानी के पम्पों के लिए बिजली चाहिए ताकि समय पर सिंचाई हो सके। क्योंकि 'भारत गाँवों में बसता है' इसलिए गाँवों के लिए अन्य बातों के साथ-साथ बिजली की भी व्यवस्था करनी है ताकि न केवल गाँवों की गलियों तथा सड़कों और घरों में प्रकाश की व्यवस्था हो अपितु वहाँ छोटे-छोटे उद्योग-धंधों के लिए बिजली सुलभ हो, जिससे गाँवों की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त हो सके।

स्पष्ट है कि जितनी जल्दी और जितनी ज्यादा हम बिजली पैदा करेंगे उतनी ही जल्दी और तेजी से उद्योगों और कृषि का विकास हो सकेगा। उत्पादन बढ़ने से जीवन-यापन के लिए जरूरी चीजें अधिक होंगी, सहूलियतें अधिक होंगी और हमारा देश सशक्त और समृद्ध होगा। इस तरह बिजली हमारी उन्नति, समृद्धि और खुशहाली की कुंजी है।

नियोजित अर्थ-व्यवस्था के अधीन कार्य प्रारंभ होने के समय उत्तर प्रदेश में विद्युत्-उत्पादन की स्थिति सन्तोषजनक न थी। प्रदेश में सरकारी तथा निजी बिजलीघरों की विद्युत् उत्पादन संबंधी प्रतिष्ठापित क्षमता कुल १,७१,१८४ किलोवाट थी।

पहली आयोजनावधि में पूर्ण हुई बिजली योजनाओं से राज्य की प्रतिष्ठापित विद्युत् क्षमता बढ़कर ३,७०,२३६ किलोवाट हो गयी। गंगा ग्रिड (३६,३०० किलोवाट) शारदा सागर ग्रिड (४४,३३६ किलोवाट), रिहन्द क्षेत्र (१२,९८६ किलोवाट), कानपुर माताटीला क्षेत्र (१२,००० किलोवाट), निजी संस्थान (१०,६३९ किलोवाट) और अलाभप्रद संस्थानों (८२,७९१ किलोवाट) में विद्युत् उत्पादन काफी बढ़ा।

राज्य सरकार ने दूसरी आयोजना में विद्युत्-विकास के लिए यमुना जल विद्युत् योजना, माताटीला जल विद्युत् परियोजना, हरदुआगंज-विस्तार परि-

योजना और रिहन्द बाँध परियोजना सम्मिलित की थीं, लेकिन इनमें से केवल रिहन्द बाँध परियोजना के अधीन प्रगति हुई। सबसे बड़ी कठिनाई विदेशी मुद्रा की थी, जिसके अभाव में न केवल विद्युत् योजनाओं के विकास अपितु नये उद्योगों की स्थापना में भी बाधा पड़ी। यही नहीं, राजकीयत था निजी नलकूपों के लिए पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध न होने से १९५९–६० में रबी की सिंचाई के लिए समुचित व्यवस्था न हो सकी, जिसके कारण खाद्योत्पादन पर भी प्रभाव पड़ा।

विद्युत्-उत्पादन का कार्यक्रम

दूसरी आयोजना के अन्त में राज्य में विद्युत् उत्पादन की कुल क्षमता ४३८ मेगावाट थी जिसमें से राजकीय बिजली-घरों की क्षमता २३७.११ मेगावाट थी। १९६०–६१ के अन्त में हमारे प्रदेश में कुल ६८८ मेगावाट बिजली की माँग थी। इस प्रकार तीसरी आयोजना के प्रारम्भ में प्रदेश में २५० मेगावाट बिजली की कमी थी। अतः तीसरी आयोजना में राज्य पर न केवल बिजली की इस कमी को पूरा करने का दायित्व था, अपितु तीसरी आयोजना में विभिन्न परियोजनाओं के लिए बिजली की समुचित व्यवस्था करने के निमित्त ५३० मेगावाट अतिरिक्त बिजली की माँग को भी पूरा करना था। सीमित वित्तीय साधनों के बावजूद तीसरी आयोजना में विद्युत् उत्पादन का एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया गया, जिस पर १०७.९६ करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

इस कार्यक्रम के अनुसार तीसरी आयोजना के अन्त तक सरकारी बिजली घरों की विद्युत् उत्पादन की प्रतिष्ठापित क्षमता बढ़ाकर ९८१.५२८ मेगावाट करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही ९ करोड़ रुपये की लागत से १,५०० ग्रामीण बस्तियों के विद्युतीकरण की योजना भी तीसरी आयोजना में सम्मिलित की गयी है।

तीसरी आयोजना के अधीन १९६१–६२ में मिर्जापुर में रिहन्द तथा गाजियाबाद में डीजल बिजलीघर और १९६२–६३ में हरदुआगंज प्रथम चरण तथा कानपुर बिजली सप्लाई प्रशासन की प्रसार परियोजनाओं के चालू हो जाने के फलस्वरूप सरकारी बिजलीघरों की प्रतिष्ठापित क्षमता में ३३०.९१४ मेगावाट की वृद्धि हुई। इस प्रकार सरकारी बिजलीघरों की विद्युत्-उत्पादन संबंधी कुल प्रतिष्ठापित क्षमता मार्च १९६३ तक बढ़कर ५६८.०२४ मेगावाट हो गयी थी। आयोजना के पहले दो वर्षों में प्रदेश की १८८ ग्रामीण बस्तियों में बिजली की व्यवस्था हो गयी थी।

१९६३–६४ के वित्तीय वर्ष में विद्युत् विकास योजनाओं के लिए २०.२४३ करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है और आशा है कि मार्च १९६४ तक सरकारी बिजली घरों की विद्युत् उत्पादन संबंधी प्रतिष्ठापित क्षमता में ३३.१२५ मेगावाट की और वृद्धि हो जायगी और इस प्रकार सरकारी बिजली घरों की यह क्षमता ६०१.१४९ मेगावाट हो जायगी। आशा है, मार्च १९६४ तक ७,३०० लाख किलोवाट-घंटे बिजली पैदा करने और ५८४ ग्रामीण बस्तियों के विद्युतीकरण का लक्ष्य पूरा हो जायगा।

यहाँ प्रदेश में विद्युत् उत्पादन की कतिपय महत्वपूर्ण योजनाओं के अधीन वर्ष १९६३ तक हुई प्रगति का विवरण दिया जा रहा है—

यमुना जल-विद्युत् परियोजना–प्रथम तथा द्वितीय चरण

प्रथम चरण के अधीन मुख्य बिजली प्लांट के निर्माण तथा ढकरानी और ढालीपुर स्थित इसके दो सहायक बिजली घरों के निर्माण का कार्य प्रगति पर था 'पेनस्टाकों' के निर्माण के लिए निर्माण-स्थल पर लगभग ४० प्रतिशत इस्पात के प्लांट प्राप्त हो चुके थे। आशा है कि उपर्युक्त दोनों बिजलीघरों में पहली मशीनें व्यावसायिक उपयोग के लिए १९६५ की पहली तिमाही तक तथा दूसरी मशीनें उसके तीन महीने बाद चालू हो जायँगी।

द्वितीय चरण के अधीन जल-विद्युत् तथा सिंचाई विभागों ने, परियोजना के कार्यों के लिए डिजाइन, नियोजन तथा निर्माण संगठनों की स्थापना कर ली है। इस वर्ष निर्माण-स्थल तक सड़क का निर्माण भी पूरा कर लिया गया। आशा है कि यदि कोई विशेष बाधा न पड़ी और विदेशी मुद्रा समय प्राप्त होती रही तो इस परियोजना का काम १९७१–७२ तक पूरा कर लिया जायगा।

माताटीला जल-विद्युत् परियोजना

तीस मेगवाट की इस परियोजना के लिए निर्माताओं से मशीनें तथा अन्य उपकरण इस वर्ष प्राप्त होने लगे। विद्युत् प्लांट का जापान में निर्माण हो चुका है। इस वर्ष निर्माण-स्थल पर तीन टरबाइनों तथा तीन आल्टरनेटरों के अधिकांश हिस्से भी प्राप्त हो चुके थे। तीसरी आयोजना के पहले दो वर्षों में इस परियोजना पर १.२०८ करोड़ रुपये खर्च किये गये और आशा है कि मार्च १९६४ तक १.१०० करोड़ रुपये की धनराशि और खर्च हो जायगी। इस वर्ष बिजली घर की नींव की खुदाई का कार्य पूरा किया गया और कंकरीट बिछाने का कार्य प्रारंभ हुआ। आशा है कि मई १९६४ से बिजलीघर के 'क्रेन' का काम शुरू हो जायगा

और मौजूदा कार्यक्रम के अनुसार १९६६ के मध्य तक बिजली घर व्यावसायिक उपयोग के लिए तैयार हो जायगा।

हरदुआगंज प्रथम चरण

साठ मेगावाट की इस परियोजना के अधीन अधिकांश कार्य पूरा किया गया और १९६२–६३ में बिजली घर चालू हुआ। तीसरी आयोजना के पहले दो वर्षों में २.६१ करोड़ रुपये की धनराशि इस बिजली घर पर खर्च हुई। मार्च १९६४ तक ०.५४९ करोड़ रुपये और खर्च होने की आशा है।

रिहन्द बांध परियोजना

इस परियोजना के अधीन ५०–५० मेगावाट क्षमता की पाँच इकाइयों का कार्य पूरा होने के बाद १ फरवरी १९६२ को उन्हें चालू किया गया। साथ ही स्थायी रिहन्द ग्रिड के राबर्ट्सगंज, मिर्जापुर तथा साहुपुरी स्थित उपकेन्द्रों का कार्य पूरा हुआ और उन्हें चालू किया गया। इस परियोजना पर तीसरी आयोजना में कुल ९.१३७ करोड़ रुपये खर्च होने की आशा है, जिसमें से ४.८६ करोड़ रुपये की धनराशि आयोजना के पहले दो वर्ष में खर्च की गयी। १९६३ में २.३७ करोड़ रुपये की लागत से कुछ विशेष कार्य किये गये, जैसे मध्य प्रदेश तथा कनोड़िया केमिकल्स तक १३२ के० वी० लाइनों का निर्माण तथा इन लाइनों के लिए पिपरी उपकेन्द्रों का विस्तार।

केसा विस्तार परियोजना

पन्द्रह मेगावाट की इस परियोजना का कार्य प्रायः पूरा किया गया और १९६२-६३ में इसे चालू किया गया। आयोजना के पहले दो वर्षों में इस पर ०.७९३ करोड़ रुपये खर्च हुए और आशा है मार्च १९६४ तक ०.७७५ करोड़ रुपये और खर्च हो जायँगे।

हरदुआगंज द्वितीय चरण

तीस मेगावाट क्षमता की इस नयी परियोजना को तीसरी आयोजना में सम्मिलित किया गया है और इस पर ३.१९७ करोड़ रुपये का खर्च कूता गया है। तीसरी आयोजना में इस पर २.४४७ करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। यह उल्लेखनीय है कि यद्यपि १९६२–६३ के वित्तीय वर्ष में इस परियोजना को अन्तिम रूप दिया गया तथापि मार्च १९६३ तक इसके अधीन नींव डालन तथा इस्पात के ढाँचे खड़ा करने के सम्बन्ध में ७० प्रतिशत कार्य समाप्त हो चुका था। बिजली

घर के लिए कार्य-स्थल पर जापान से मशीनें तथा अन्य उपकरण पहुँचाने का कार्य शुरू हो गया था। आशा है कि मार्च १९६४ तक इस परियोजना का अधिकांश कार्य पूरा हो जायगा और यदि कोई बाधा न पड़ी तो आगामी वित्तीय वर्ष में परियोजना का काम समाप्त हो जायगा।

हरदुआगंज तृतीय चरण

ओबरा जल-विद्युत परियोजना, जिसकी क्षमता एक सौ मेगावाट है, को तीसरी आयोजना में सम्मिलित किया गया है और आयोजनाविधि में इस पर ७.२९७ करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। प्रारम्भ में इस परियोजना को तीसरी आयोजना में ही पूर्ण करने का प्रस्ताव था लेकिन कुछ कठिनाइयों के कारण अब यह चौथी आयोजना में पूरी हो सकेगी। आलोच्य वर्ष में इसके अधीन भवनों तथा सड़कों का निर्माण होता रहा और बिजली घर पर खुदाई तथा अन्य कार्यों में और तेजी लायी गयी। आशा है कि १९६५ तक बिजलीघर का निर्माण भी हो जायगा और १९६७ के अन्त तक ओबरा में पहली मशीन व्यावसायिक उपयोग के लिए तैयार हो जायगी।

पर्वतीय जिलों की विद्युत-योजनाएँ

पर्वतीय जिलों में चालू की गयी विद्युत् विकास योजनाओं के अधीन सन्तोष-जनक ढंग पर कार्य होता रहा। दो-दो सौ किलोवाट का रुद्रप्रयाग और चम्पावत जल-विद्युत् परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर था। आशा है कि गढ़वाल जिले में गेंठी छेड़ा योजना का कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ हो जायगा। अन्य विद्युत योजनाओं के सम्बन्ध में जाँच-पड़ताल की जाती रही। मार्च १९६४ तक इन योजनाओं पर ४ लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है।

ग्राणीण क्षेत्रों को बिजली

ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुँचाने की योजना के अधीन तीसरी आयोजना में ९ करोड़ रुपये की लागत से ३,००० या इससे अधिक आबादी की १,५०० ग्रामीण बस्तियों को बिजली देने का प्रस्ताव है। अतः आयोजना के पहले दो वर्षों में २.०९८ करोड़ रुपये खर्च करके १८८ ग्रामीण बस्तियों तक बिजली पहुँचायी गयी। आशा है कि मार्च १९६४ तक ७७२ और बस्तियों का विद्युतीकरण हो जायगा। इनमें से अधिकांश बस्तियाँ प्रदेश के पूर्वी अंचल में हैं।

रिहन्द प्रणाली से इलाहाबाद तथा कानपुर के थर्मल बिजली घरों का अन्तर्सम्बन्ध स्थापित करने के लिए २२० के०वी० डबल सर्किट लाइन का निर्माण-कार्य तेजी से चलता रहा और आशा है कि मार्च १९६४ तक इस परियोजना के पूर्ण हो जाने पर कानपुर तथा इलाहाबाद के ये बिजलीघर और कुशलतापूर्वक तथा कम खर्च पर चलने लगेंगे ।

कानपुर में ६.८१६ करोड़ रुपये की लागत से बन रहे ६० मेगावाट के बिजलीघर की परियोजना के अधीन आयोजना के पहले दो वर्षों में प्रारम्भिक कार्य पूरा हुआ और आलोच्य वर्ष में और तेजी से कार्य किया जाता रहा ।

प्रदेश के पश्चिमी अंचल में उद्योगों की बढ़ती हुई बिजली की माँग को पूरा करने और हरदुआगंज बिजलीघर में उत्पादित बिजली की खपत करने के लिए तीसरी आयोजना में १.४१४ करोड़ रुपये की लागत से गंगा ग्रिड में विभिन्न विद्युत-वाहक लाइनें तथा उपकेन्द्रों का निर्माण किया जा रहा है । वर्ष १९६३ में मेरठ, मुरादाबाद तथा अलीगढ़ में परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना की गयी और आशा है मार्च १९६४ तक इस परियोजना का ८० प्रतिशत कार्य पूरा हो जायगा ।

तीसरी आयोजना के शेष दो वर्षों में विद्युत् विकास के लिए ६१.३८ करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है । इस धनराशि में से २८.९९ करोड़ रुपये १९६४-६५ में खर्च किये जायँगे । मौजूदा कार्यक्रम के अनुसार १९६४–६५ में प्रदेश में १३ मेगवाट की अतिरिक्त प्रतिष्ठापित क्षमता तैयार की जायगी और १३५३०.६१२ लाख किलोवाट बिजली पैदा की जायगी ।

इस प्रकार विद्युत विकास की दिशा में हमारे प्रदेश ने विभिन्न कठिनाइयों के बावजूद पहली और दूसरी पंचवर्षीय आयोजनाओं तथा तीसरी आयोजना में अब तक जो प्रगति की है उस पर हम नम्रतापूर्वक गर्व कर सकते हैं ।

उद्योग

भारत के अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश की आबादी सबसे अधिक है, जिसके परिणामस्वरूप यहाँ भूमि पर अधिक बोझ है। प्रदेश की ८७ प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर करती है जो इस बात का द्योतक है कि औद्योगिक विकास के क्षेत्र में हमारा प्रदेश अभी पीछे है। इस स्थिति को दूर करने के लिए एक गतिशील औद्योगिक कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता महसूस की गयी ताकि अतिरिक्त आबादी को खेतों के बजाय कारखानों में काम पर लगाया जा सके, जिससे उन्हें जीविका का नया साधन मिले और साथ ही राज्य में औद्योगिक विकास का मार्ग प्रशस्त हो।

प्रदेश की प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में यद्यपि औद्योगिक विकास के लिए थोड़ी-बहुत व्यवस्था की गयी थी तथापि इन दोनों योजनाओं का मुख्य उद्देश्य कृषि-अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना था। वस्तुतः तीसरी पंचवर्षीय योजना में तदर्थ सम्यक व्यवस्था की गयी और निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार काम हो रहा है।

उत्तर प्रदेश में उद्योगों का समुचित विकास सम्भव न होने का एक कारण बिजली की कमी थी। तीसरी आयोजना आरम्भ होने पर बिजली की कमी बहुत हद तक दूर हो चुकी है। अनेक जल-विद्युत योजनाओं के पूर्ण हो जाने से उद्योगों को चलाने की अधिकाधिक सुविधाएँ उपलब्ध हो रही हैं। अतएव तीसरी पंचवर्षीय आयोजना के अधीन प्रदेश में उद्योगों के विकास को और समुचित ध्यान दिया जा रहा है और आशा है कि इस आयोजना के अन्त तक प्रदेश में छोटे-बड़े अनेक उद्योग स्थापित हो जायंगे, जिससे हमारे प्रदेश और देश की दौलत बढ़ेगी और लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

औद्योगिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकार ने प्रदेश में उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं जिनसे औद्योगीकरण के लिए स्वस्थ एवं उचित वातावरण तैयार हुआ और अनेक उद्योगों की स्थापना सम्भव हुई है। वर्ष १९६२–६३ में औद्योगिक विकास की दिशा में काफी प्रगति हुई। इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि प्रदेश में जहाँ १९५६ में रजिस्टर्ड कारखानों की संख्या २,०७५ थी वहाँ वह १९६० में २,५९९, १९६१ में २,८७७

और १९६२ के अन्त तक बढ़कर ३,०५९ हो गयी। तृतीय पंचवर्षीय आयोजना काल में दिसम्बर १९६३ तक उद्योग (विकास एवं नियमन) अधिनियम के अधीन १७५ लाइसेंस नयी इकाइयों की स्थापना तथा कार्यरत इकाइयों के विस्तार हेतु प्राप्त हुए।

सार्वजनिक क्षेत्र

चुर्क स्थित राजकीय सीमेंट फैक्टरी के विस्तार का कार्य २९८.२६ लाख रुपये की लागत से प्रारंभ किया गया और जनवरी १९६३ में उसकी प्रति दिन उत्पादन क्षमता को ७०० मीट्रिक टन से बढ़ाकर १,४०० मीट्रिक टन किया गया। इसी प्रकार का एक दूसरा कारखाना लगाने के लिए भी भारत सरकार से लाइसेंस प्राप्त कर लिया गया है और इसकी स्थापना चोपन (जिला मिर्जापुर) में की जा रही है। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग ६ करोड़ रुपया है, जिसमें से ३५ लाख रुपये का प्राविधान १९६४–६५ की वार्षिक योजना में किया गया है। आशा है इस कारखाने के लिए यंत्र तथा उपयंत्र स्थगित भुगतान की शर्तों पर प्राप्त हो जायँगे। चुर्क स्थित सीमेंट के कारखाने में १९६२–६३ में ३,२९,००० मीट्रिक टन सीमेंट का उत्पादन हुआ और आशा की जाती है कि मार्च १९६४ तक यहाँ सीमेंट का उत्पादन बढ़कर ३,७५,००० मीट्रिक टन हो जायगा। अग्रगामी 'फायर ब्रिक' कारखाने में जहाँ गत तीन वर्षों से उत्पादन हो रहा है, वर्ष १९६२–६३ में ५०० मीट्रिक टन ईंटों का उत्पादन हुआ।

तीसरी आयोजना में राजकीय सीमेन्ट फैक्टरी चुर्क में एक रिफ्रेक्टरी इकाई भी स्थापित की जा रही है। इस इकाई की अनुमानित लागत ८५ लाख रुपये है। चालू वर्ष की समाप्ति तक परियोजना के गृह निर्माण कार्य के पूरा हो जाने की आशा है।

लखनऊ स्थित राजकीय सूक्ष्म-यंत्र निर्माणशाला का और अधिक विस्तार किया जा रहा है, ताकि जल मापक यंत्रों और खुर्दबीनों के उत्पादन को बढ़ाकर तिगुना किया जा सके। इस कारखाने की उत्पादन-क्षमता तिगुनी हो जाने पर वहाँ प्रतिवर्ष १,०८,००० जलमापक यंत्र तथा ९०० खुर्दबीनें तैयार की जा सकेंगी। द्वितीय आयोजना में विकसित इकाई ने निर्धारित समय के पूर्व ही वाटर-मीटरों तथा माइक्रोस्कोपों का उत्पादन आरम्भ कर दिया। कारखाने के विस्तार के लिए इस केन्द्र का भवन निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, मशीनें लगायी जा चुकी हैं और आशा है कि केन्द्र शीघ्र ही कार्य प्रारम्भ कर देगा। इस कारखाने में एक अनुसंधान एवं संकल्प केन्द्र की भी स्थापना की जा रही है।

तृतीय पंचवर्षीय आयोजना में लखनऊ में चश्मे बनाने के यंत्रों के एक कारखाने की स्थापना के लिए केन्द्रीय सरकार से लाइसेन्स प्राप्त कर लिया गया है। इस कारखाने के लिए जमीन की खरीद कर ली गयी है। वर्ष १९६३-६४ में कारखाने के लिए भवनों का निर्माण प्रारंभ कर दिया गया। इस कारखाने को एक विदेशी फर्म के साथ चलाने का विचार है, जिसके लिए कार्रवाई की जा रही है।

पहली तथा दूसरी पंचवर्षीय आयोजनाओं में केन्द्रीय सरकार की ओर से कोई भी परियोजना उत्तर प्रदेश को कार्यान्वियन के लिए नहीं मिली थी। तीसरी आयोजना के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र में, १९६१ में भारत सरकार ने इस प्रदेश को चार बड़ी परियोजनाएँ अलाट कीं, जिनके अन्तर्गत तेजी से कार्य हो रहा है।

ऋषिकेश में रूस की सहायता से २० करोड़ रुपये की लागत से बन रहे एन्टीबायोटिक कारखाने का निर्माण तेजी से सम्पन्न हो रहा है और आशा है कि वर्ष १९६५ से इसमें उत्पादन प्रारम्भ हो जायगा।

गोरखपुर में चिलवा ताल के समीप जापान सरकार की सहायता से बन रहे नाइट्रोजनस् फर्टीलाइजर कारखाने का काम भी तेजी से पूरा किया जा रहा है। प्राय: २७ करोड़ रुपये लागत का यह कारखाना, आशा है, वर्ष १९६६ के अन्त तक चालू हो जायगा। इस कारखाने की स्थापना के लिए निर्माण स्थल भी चुन लिया गया है।

ज्वालापुर (सहारनपुर) में बिजली का एक वृहत् कारखाना कायम करने के लिए लगभग ८,००० एकड़ भूमि ले ली गयी है। तीस करोड़ रुपये की लागत से रूस सरकार की सहायता से स्थापित किये जाने वाले इस कारखाने का निर्माण-कार्य प्रारम्भ हो गया है और आशा है कि वर्ष १९६५-६६ के अन्त तक यह चालू हो जायगा। इस कारखाने में बिजली के अन्य भारी उपकरणों के अतिरिक्त टरबाइनों, ए० सी०, डी० सी० मोटरों, आल्टरनेटरों तथा जनरेटरों का निर्माण भी किया जायगा।

वाराणसी में बन रहे डीजल लोकोमोटिव कारखाने की कुल लागत लगभग १०० करोड़ रुपये बैठेगी। इसमें से लगभग २० करोड़ रुपये का व्यय तृतीय पंचवर्षीय आयोजना में अनुमानित है। इस कारखाने की विशालता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि यह उतना ही बड़ा होगा जितना कि चितरंजन का कारखाना। कारखाने का निर्माण-कार्य तेजी से चल रहा है।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा १० करोड़ रुपये की पूँजी से मिर्जापुर के समीप स्थित सिंगरौली की कोयले की खानों का विकास किया जा रहा है।

ओबरा में इस कोयले की सप्लाई के आधार पर एक थर्मल प्लांट की स्थापना की जा रही है जिसकी क्षमता २५० मेगावाट होगी। इन परियोजनाओं के पार्श्व में अनेक सहायक उद्योगों के पनपने की आशा है।

निजी क्षेत्र

द्वितीय आयोजना काल में नये उद्योगों की स्थापना तथा कार्यरत इकाइयों के विस्तार के लिए उद्योग (विकास एवं नियमन) अधिनियम के अन्तर्गत प्रदान किये गये लाइसेन्सों के कार्यान्वयन की प्रगति सन्तोषजनक रही। एलेक्ट्रिक-वाट-आवर मीटर, अल्युमीनियम इंगाट्स, आर्क वेल्डिंग, एलेक्ट्रोड्स, रासायनिक खाद, सल्फ्यूरिक एसिड, शक्कर तथा आटोमोबाइल हिस्सों के उत्पादन संबधी अनेक इकाइयों ने कार्य प्रारंभ किया। औद्योगीकरण की दिशा में वृद्धोत्तर प्रगति की इससे भी पुष्टि होती है कि तृतीय पंचवर्षीय आयोजना के आरंभ से अवतक उद्योग (विकास एवं नियमन) अधिनियम के अन्तर्गत नयी इकाइयों की स्थापना अथवा वर्तमान इकाइयों के विस्तार के लिए १७५ नये लाइसेंस प्रदान किये गये हैं। इन लाइसेंसों के अन्तर्गत अनेक प्रकार के उद्योग आते हैं जैसे रसायन यंत्र तथा उपयंत्र, बिजली के सामान (पेपर इंसुलेटेड पावर केबुल), स्टील एवं मैलेविल कास्टिंग, जड़ी तथा दवाइयाँ, वस्त्र, खाद्य विधायन उद्योग, औद्योगिक यंत्र, वैज्ञानिक औजार एवं विभिन्न प्रकार के इंजीनियरिंग तथा अल्युमूनियम फैब्रीकेशन उद्योग आदि।

वर्ष १९५१ से पूर्व उत्तर प्रदेश में सूती वस्त्र तथा चीनी बनाने के दो ही प्रमुख उद्योग थे लेकिन पहली पंचवर्षीय आयोजनावधि में निजी क्षेत्र में बिजली के सामान, वनस्पति तेल आदि जैसे उद्योगों पर १३.१४ करोड़ रुपये खर्च किये गये। दूसरी आयोजना में निजी क्षेत्र में उद्योगों का और विकास हुआ और १२२ करोड़ रुपये कागज, कागज की लुग्दी, सूती वस्त्र तथा उर्वरक सम्बन्धी उद्योगों पर लगाये गये।

पिपरी में अलुमिनियम कारखाना अप्रैल १९६२ में चालू हुआ और दिसम्बर १९६२ तक वहाँ २.२९ करोड़ रुपये मूल्य का उत्पादन हुआ। इस कारखाने के विस्तार के लिए और इसकी वार्षिक क्षमता को २०,००० मीट्रिक टन से बढ़ाकर ५०,००० मीट्रिक टन करने के लिए जनवरी १९६३ में लाइसेंस प्राप्त हुआ। इस परियोजना से अनेक सहायक उद्योगों को प्रोत्साहन मिला और उनके लिए लाइसेंस दिये गये। बरेली के सिन्थेटिक एवं केमिकल्स लिमिटेड की स्थापना पर १८ करोड़ रुपये खर्च करने का प्राविधान है। मई १९६३ से रबड़ के इस कारखाने में उत्पादन शुरू हो गया है। इस समय इस कारखाने की उत्पादन क्षमता

२०,००० टन प्रतिवर्ष है, जो आगे चल कर ३०,००० टन प्रतिवर्ष कर दी जायगी। बरेली में कैम्फर एवं एलाइड प्रोडक्ट्स का कारखाना भी बनकर तैयार हो गया है और आशा है कि निकट भविष्य में वहाँ उत्पादन प्रारम्भ हो जायगा। परीक्षण के तौर पर कारखाने के कई भागों में मशीनें चालू की जा चुकी हैं।

गाजियाबाद के समीप मोहननगर औद्योगिक आस्थान का उद्घाटन भी हो गया है। यह आस्थान १०० एकड़ से अधिक भूमि में है।

मार्च १९६१ में राज्य सरकार द्वारा ५ करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी और ७५ लाख रुपये (जो बढ़कर अब एक करोड़ रुपये हो गयी है) की चुकता पूंजी से स्थापित किया गया उत्तर प्रदेश राज्य उद्योग निगम प्रशंसनीय कार्य कर रहा है। इस निगम ने बड़े तथा मध्यम उद्योगों की स्थापना के लिए गाजियाबाद, गोरखपुर, हरद्वार, बरेली, वाराणसी, कानपुर, मिर्जापुर तथा लखनऊ में औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना का कार्य कर लिया है। अब तक निगम ने गाजियाबाद में १३००.७५ एकड़ भूमि तथा बरेली में ३६७ एकड़ भूमि ले ली है जबकि हरद्वार, कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर एवं वाराणसी में भूमि प्राप्त करने का कार्य प्रगति पर है। मिर्जापुर में भी भूमि-स्थल चुन लिया गया है। साथ ही निगम ने प्रदेश के ११ औद्योगिक संस्थानों के १९६ लाख रुपये के हिस्सों का निम्नांकन (अन्डरराइट) करने का निश्चय किया है। तीसरी आयोजना के पहले दो वर्षों में निजी क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। १९६१ में इन इकाइयों की संख्या २,३९६ थी जो १९६२ में बढ़कर २,५७२ हो गयी। फलस्वरूप औद्योगिक उत्पादन में भी वर्ष १९६१ की अपेक्षा वर्ष १९६२ में ११.९ प्रतिशत की वृद्धि हुई है अर्थात् १९६१ में जहाँ ३२,५८४.८७ लाख रुपये मूल्य का उत्पादन हुआ वहाँ १९६२ में ३६,४७४.५७ लाख रुपये मूल्य का उत्पादन हुआ। इसी प्रकार इस क्षेत्र के उद्योगों में रोजगार पाने वाले व्यक्तियों की संख्या भी इस अवधि में २,४६,५१४ से बढ़ कर २,६९,३१५ हुई अर्थात् ९.२ प्रतिशत की वृद्धि हुई।

सहकारी क्षेत्र

सहकारी क्षेत्र में चीनी के कारखाने स्थापित करने की योजना दूसरी आयोजना के प्रारम्भ में चालू की गयी थी। चीनी के तीन सहकारी तथा ज्वाइंट स्टाक कारखानों की स्थापना करने का कार्यक्रम बनाया गया और सभी के लिए भारत सरकार ने लाइसेंस दिये। बाजपुर (नैनीताल) स्थित चीनी का कारखाना फरवरी १९५९ में और बागपत (मेरठ) का कारखाना नवम्बर १९६० में चालू हुआ।

तीसरी आयोजना में मझोला (पीलीभीत) में भी चीनी का एक कारखाना स्थापित किया जा रहा है। राज्य सरकार ने अभी तक इस कारखाने की हिस्से की पूंजी में २० लाख रुपये लगाना स्वीकार किया। कारखाने में एक नये प्लांट की व्यवस्था भी की जा रही है।

ग्रामीण एवं लघु उद्योग

गाँवों में छोटे-छोटे उद्योगों की स्थापना करके लोगों के लिए अधिकाधिक रोजगार की व्यवस्था करना तथा नित्य प्रति काम में आने वाली चीजों का, अपेक्षाकृत कम लागत पर, गाँवों में ही उत्पादन करना ग्रामीण एवं लघु उद्योग कार्यक्रम के अधीन चालू की गयी योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य है।

पहली पंचवर्षीय आयोजना में यद्यपि कृषि, सिंचाई, विद्युत् और यातायात को उद्योगों की तुलना में अधिक महत्व दिया गया तथापि राज्य के संतुलित आर्थिक विकास के लिए ग्रामीण एवं लघु उद्योगों के विकास पर २८९.५४ लाख रुपये खर्च किये गये और उक्त आयोजनावधि में कच्चे माल, प्रतिमानीकरण, क्रय-विक्रय तथा वित्त सम्बन्धी यथोचित सुविधाएँ दी गयीं। साथ ही उत्पादन की नयी विधियाँ और उत्तम संकल्पों (डिजाइनों) का प्रयोग हुआ। दूसरी आयोजनावधि में ग्रामीण उद्योगों के विकास की कुल ६७ योजनाओं पर ९१६.२८ लाख रुपये खर्च किये गये और उत्पादन के नये तरीके अपनाने, प्राविधिक कर्मचारियों की व्यवस्था करने, वित्तीय सहायता देने तथा प्रतिमानीकरण पर बल दिया गया।

तीसरी आयोजना में ग्रामीण एवं लघु उद्योग योजनाओं के विकास के लिए कुल १६ करोड़ ३७ लाख रुपये का प्राविधान है। इस धनराशि में से २३२.७४४ लाख रुपये वर्ष १९६१-६२ में तथा २४४.३८८ लाख रुपये १९६२-६३ में खर्च किये गये। आशा है कि चालू वित्तीय वर्ष में कार्यान्वित की गयी योजनाओं पर मार्च १९६४ तक २९१.३२२ लाख रुपये खर्च हो जायँगे। इस प्रकार आयोजना के शेष दो वर्षों अर्थात् १९६४-६५ तथा १९६५-६६ में ग्रामीण एवं लघु उद्योग योजनाओं के लिए ८६८.५४६ लाख रुपये बच रहेंगे।

जैसा कि पहले कहा गया है दूसरी आयोजना में ग्रामीण एवं लघु उद्योग की ६७ योजनाएँ सम्मिलित थीं जब कि तीसरी आयोजना के पहले वर्ष में ७२ योजनाओं के अधीन काम हुआ जिनमें दूसरी आयोजना की १६ अपूर्ण योजनाएँ भी शामिल हैं। वर्ष १९६२-६३ के कार्यक्रम में १९६१-६२ से प्रारम्भ की गयीं ६६ योजनाओं के विस्तार के अतिरिक्त यू० पी० राजकीय हस्तशिल्प का विस्तार और सहारनपुर

में काष्ठ अनुकूलन प्लांट लगाने की दो नयी योजनाएँ भी सम्मिलित की गयीं। वर्ष १९६३ में, यद्यपि सीमित वित्तीय साधनों के कारण ग्रामीण एवं लघु उद्योगों की कोई नयी योजना सम्मिलित नहीं की गयी तथापि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चल रही योजनाओं के समन्वय तथा विस्तार सम्बन्धी कार्य पर बल दिया गया। इन योजनाओं के अतिरिक्त वर्ष १९६४-६५ में दो नयी योजनाएँ (१) निर्यात विकास एवं हस्तशिल्प वस्तुओं की विपणन योजना और (२) राज्य के पूर्वी जिलों में औद्योगिक आस्थानों की स्थापना सम्बन्धी योजना तथा चतुर्थ आयोजना के निमित्त अग्र-कार्यवाही भी सम्मिलित की गयी है।

वस्तुतः तीसरी आयोजना के अधीन ग्रामीण एवं लघु उद्योग कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पिछली दो आयोजनाओं में की गयी प्रगति को सुदृढ़ आधार प्रदान करने, औद्योगिक सहकारी समितियों के माध्यम से संगठनात्मक आधार को मजबूत बनाने, बड़ी संख्या में दस्तकारों को उत्पादन की आधुनिक वैज्ञानिक विधियों में प्रशिक्षित करने और औद्योगिक आस्थानों की स्थापना तथा भूमि एवं कार्य-स्थलों का विकास इस ढंग से करने पर बल दिया गया है कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में समान रूप से औद्योगिक विकास हो सके।

निश्चय ही इन योजनाओं के क्रियान्वयन से उद्योगों के विकास की दिशा में पर्याप्त सहायता मिली है और साथ ही उत्पादन में भी तेजी आयी है। १९६२ में ग्रामीण एवं लघु उद्योग कार्यक्रम के अधीन १,९९२ इकाइयों ने ५,०४१.४१ लाख रुपये मूल्य की वस्तुओं का उत्पादन किया और इन इकाइयों में ५१,४२९ व्यक्तियों को रोजगार मिला जब कि वर्ष १९६१ में १,८५७ इकाइयों में ४,२०५.६८ लाख रुपये मूल्य का उत्पादन हुआ और ४४,५२४ व्यक्तियों के लिए रोजगार की व्यवस्था हुई। वर्ष १९६१ की तुलना में वर्ष १९६२ में उत्पादन के मूल्य में १९.८७ प्रतिशत की तथा रोजगार में १५.५१ प्रतिशत की वृद्धि हुई।

तीसरी आयोजना में ग्रामीण एवं लघु उद्योगों के विकास के लिए कुल १६.३७ करोड़ रुपये का प्राविधान है जिसमें से हथकरघा उद्योग के लिए २७५ लाख रुपये, लघु उद्योगों के लिए ८३२ लाख रुपये, औद्योगिक आस्थान के लिए ३७५ लाख रुपये, दस्तकारियों के लिए ९० लाख रु०, रेशम के कीड़े पालने के उद्योग के लिए ३५ लाख रु० और खादी एवं ग्रामोद्योग के लिए ३० लाख रु० निर्धारित किये गये हैं।

ग्रामीण एवं लघु उद्योगों के क्षेत्र में जो प्रगति अब तक हुई है उसका संक्षिप्त विवरण दिया जा रहा है।

हथकरघा उद्योग

हमारे राज्य में हथकरघा सबसे बड़ा कुटीर उद्योग है। हथकरघा विकास-योजना के क्रियान्वयन से एक ओर जहाँ बढ़ती हुई जनसंख्या की कपड़े की माँग की पूर्ति में बड़ी सहायता मिली है वहाँ दूसरी ओर हथकरघा उद्योग में लगे लोगों का जीवन-स्तर भी ऊँचा उठ रहा है।

अनुमान लगाया गया है कि देश में उत्पादित कुल कपड़े के लगभग २५ प्रतिशत का उत्पादन हथकरघा उद्योग से होता है। साथ ही विदेशी मुद्रा अर्जित करने में यह उद्योग निरन्तर आगे बढ़ता जा रहा है।

हथकरघा उद्योग के विकास के लिए पहली आयोजना में केवल तीन योजनाएं सम्मिलित थी, जिनमें मऊ स्थित हथकरघा कारखाने की योजना भी थी। पहली आयोजना में इन योजनाओं पर कुल २१.५४ लाख रुपये खर्च किये गये। दूसरी आयोजना में हथकरघा सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता देने के अतिरिक्त बिक्री केन्द्रों की व्यवस्था भी की गयी और विशेषज्ञों की सेवाएँ उपलब्ध की गयीं। दूसरी आयोजना के अन्त तक प्रदेश में रजिस्टर्ड करघों की संख्या बढ़कर २,६६,५०१ हो गयी, जिनमें से १,९४,३१८ सहकारी क्षेत्र में थे। कुल ३७.३२ करोड़ रुपये मूल्य का कपड़ा तैयार किया गया। समूचे राज्य में ४८० उत्पादन एवं क्रय-विक्रय समितियाँ स्थापित की गयीं, १६२ बिक्री केन्द्र, ६२ रंगाईघर तथा चार रेशम रंगाईघर खोले गये। इनमें से अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में थे। विद्युत चालित करघा कार्यक्रम के अधीन खलीलाबाद (बस्ती) तथा टाँडा (फैजाबाद) में दो सूत बनाने के कारखाने भी स्थापित किये गये और इटावा में १२,००० तकुवों की एक सहकारी कताई मिल की स्थापना के सम्बन्ध में प्रारंभिक कार्य पूर्ण किये गये। तीसरी आयोजना के अन्तर्गत १९६१-६२ में ही ५,२०४ करघों को सहकारिता के अधीन किया गया जब कि लक्ष्य केवल ५०० करघों का था। इससे प्रोत्साहित होकर इस कार्यक्रम में संशोधन किया गया और जहाँ आयोजनावधि में कुल २,५०० करघों को सहकारी पद्धति के अधीन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था वहाँ अब यह लक्ष्य बढ़ाकर १०,००० कर दिया गया है। हिस्से की पंजी में भाग लेकर, सुधरे उपकरणों को खरीद करके और बिक्री में छूट देकर सरकार ने हथकरघा समितियों की सहायता की। १९६२-६३ में १,४४८ से अधिक करघे रजिस्टर किये गये और २१.२२ करोड़ मीटर कपड़ा तैयार किया गया। वित्तीय वर्ष १९६३-६४ में नवम्बर १९६३ तक ५९८ करघे सहकारी क्षेत्र के अन्तर्गत लाये गये तथा ५.७२ करोड़ मीटर कपड़े का उत्पादन किया गया।

तीसरी आयोजना में समग्र देश में २५६ करोड़ मीटर अतिरिक्त हथकरघे के कपड़े के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से ६० करोड़ ५० लाख मीटर कपड़े का उत्पादन उत्तर प्रदेश में किया जायगा।

औद्योगिक सहकारी समितियों की स्थापना की दिशा में भी काफी प्रगति हुई। वित्तीय वर्ष १९६३-६४ में नवम्बर १९६३ तक ५०६ नयी औद्योगिक सहकारी समितियों को रजिस्टर किया गया। नवम्बर १९६३ तक प्रदेश में इस प्रकार की समितियों की संख्या ४,९०० हो गयी, जिनकी सदस्य संख्या २,०५,२०० थी।

जैसा कि ऊपर कहा गया है आयोजनावधि में स्थापित किये जाने वाले सूत बनाने के चार कारखानों में से दूसरी आयोजना में ही खलीलाबाद और टाँडा के कारखानों की स्थापना की जा चुकी थी। संडीला (हरदोई) और मऊ (आजमगढ़) में दो और कारखाने निर्माणाधीन थे। साथ ही इटावा में सहकारी कताई मिल की स्थापना के सम्बन्ध में काफी प्रगति हो चुकी थी। वर्ष १९६३ में वाराणसी में बुनकरों की बस्ती का निर्माण-कार्य पूरा किया गया और एक दूसरी बस्ती का निर्माण भी अब लगभग समाप्ति पर है।

लघु उद्योग

लघु उद्योगों को मुख्यत: शिक्षित व्यक्तियों की बेरोजगारी को हल करने का एक प्रमुख साधन म ना गया है। पहली आयोजना में लघु उद्योग विकास की सात योजनाओं के अधीन १११.२१ लाख रुपये खर्च किये गये। लघु उद्योग कार्यक्रम के अन्तर्गत चालू की गयी योजनाओं का उद्देश्य छोटे-छोटे उद्योगपतियों को वित्तीय, प्राविधिक, प्रतिमानीकरण तथा क्रय-विक्रय संबंधी सुविधाएँ प्रदान करना है। दूसरी आयोजना में इन उद्योगों के विकास के लिए २४४.०४ लाख रुपये के ऋण और ३.९९ लाख रुपये के अनुदान दिये गये। गुण-चिह्नांकन योजना के अधीन द्वितीय आयोजना के अन्त तक केन्द्रों की संख्या २२ तक पहुँच गयी तथा तृतीय आयोजना में नवम्बर १९६३ तक ९ नये केन्द्र और खोले गये। इस प्रकार कुल मिलाकर ३१ केन्द्र इस योजना के अधीन अभी तक स्थापित किये जा चुके हैं जहाँ पर विभिन्न वस्तुओं पर 'क्यू' सील चिह्नांकित की जाती है। वर्तमान आयोजना के प्रथम दो वर्षों में ८.४८७ लाख रुपये मूल्य के सामान का गुण चिह्नांकन किया गया। बरेली एवं इलाहाबाद में काष्ठ अनुकूलन प्लांट, खुर्जा तथा चुनार में मिट्टी के बर्तन बनाने के विकास केन्द्रों, खुर्जा में हाई तथा लोटेंशन इन्सुलेटरों के परीक्षण की प्रयोगशाला तथा शंकरगढ़ (इलाहाबाद) में बालू साफ करने के कारखाने की स्थापना हुई। इनके अतिरिक्त तीसरी आयोजना में सहारनपुर

में एक अन्य काष्ठ अनुकूलन प्लांट एवं कानपुर में एलेक्ट्रोप्लेटिंग प्लांट स्थापित किया गया तथा मुरादाबाद में एक एलेक्ट्रोप्लेटिंग प्लांट की स्थापना की जा रही है। मेरठ व हाथरस में पहले से चल रहे कटलरी केन्द्रों के अलावा कायमगंज (फर्रुखाबाद) और रामपुर में भी कटलरी केन्द्र खोले गये हैं। इन केन्द्रों पर पारस्परिक सेवा-सुविधाएँ उपलब्ध होने के साथ-साथ इनसे सम्बन्धित उद्योगों की प्राविधिक समस्याओं को हल करने में भी सुविधा हुई है।

लघु उद्योग संबंधी समन्वय समिति की सिफारिशों के अनुसार सामान्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में और मुख्यतः सामुदायिक विकास क्षेत्रों में उद्योगों के विकास पर अधिकाधिक बल दिया गया।

प्रशिक्षण

ग्रामीण कारीगरों तथा दस्तकारों को प्रशिक्षित करने की योजना के अधीन पहली आयोजना में प्रशिक्षण कक्षाएँ एवं अग्रगामी वर्कशाप योजनाएँ चालू की गयीं। दूसरी आयोजना में प्रशिक्षण एवं प्रसार कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षणार्थियों के उत्पादन-कार्यों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों से सम्बद्ध किया गया। इस प्रकार दूसरी आयोजना में प्रशिक्षण एवं प्रसार कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल १३,१८० कारीगरों तथा दस्तकारों को उत्पादन के आधुनिक तरीकों में प्रशिक्षित किया गया। तीसरी आयोजना के अधीन १९६१–६२ में ६७१ व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया तथा १,०१६ व्यक्ति प्रशिक्षणान्तर्गत रहे। वर्ष १९६२–६३ में २,५६० व्यक्तियों ने प्रशिक्षण संबंधी सुविधाओं से लाभ उठाया। वर्ष १९६३–६४ में नवम्बर १९६३ के अन्त तक ४२ केन्द्र खोले जा चुके थे तथा ९४० व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका था। मार्च १९६४ तक निर्धारित लक्ष्य पूरा कर लिये जाने की आशा थी।

विकास खण्ड स्तर पर औद्योगिक व्यवस्था

तीसरी आयोजना में ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों के विकास पर अधिक बल दिया जा रहा है और ग्रामीण औद्योगीकरण संबंधी कार्यक्रम में सामंजस्य स्थापित करने तथा उसके सफल क्रियान्वयन के लिए एक नयी योजना चालू की गयी है, जिसके अधीन विकास खण्ड क्षेत्रों में सहायक विकास अधिकारियों (उद्योग) की नियुक्ति की जा रही है। नवम्बर १९६३ के अन्त तक इस योजना के अधीन विकास खण्ड क्षेत्रों में ४७२ सहायक विकास अधिकारियों की नियुक्ति की जा चुकी थी। ग्रामीण औद्योगीकरण कार्यक्रम में और तेजी लाने के लिए भारत सरकार ने

कुछ चुने हुए ग्रामीण क्षेत्रों में अग्रगामी ग्रामीण औद्योगिक परियोजनाओं को चालू करने के लिए एक विशेष योजना चालू की है, जिसके अन्तर्गत ताड़ीखेत (अल्मोड़ा), देवबन्द (सहारनपुर), फूलपुर (इलाहाबाद), मऊरानीपुर (झाँसी) और गाजीपुर में इन परियोजनाओं की स्थापना की गयी है। वर्ष १९६३ में इन क्षेत्रों में व्यापक सर्वेक्षण कार्य किया गया, जिसके आधार पर इन क्षेत्रों के लिए विस्तृत कार्यक्रम तैयार किये जा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम

छोटे उद्योगपतियों को क्रय-विक्रय की सुविधाएँ प्रदान करने तथा उचित दरों पर उनके लिए कच्चे माल की व्यवस्था करने के निमित्त दूसरी आयोजना-अवधि में (वर्ष १९५८–५९) इस निगम की स्थापना की गयी थी। इस निगम ने वस्तुतः १९६०–६१ से कार्य प्रारम्भ किया। मार्च १९६३ तक राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम के ३५ लाख रुपये मूल्य के हिस्से खरीद लिये थे। इस प्रकार आयोजनावधि के लिए निर्धारित लक्ष्य आयोजना के दूसरे वर्ष में ही पूरा कर लिया गया। निगम ने मेरठ, नैनी (इलाहाबाद), वाराणसी, कानपुर तथा आगरा में छोटे उद्योगपतियों के लाभार्थ कच्चे माल के डिपो खोले। चालू वित्तीय वर्ष में नवम्बर १९६३ तक ३२,३६,३५२ रु० के कच्चे माल की पूर्ति की गयी। इसी प्रकार इस वित्तीय वर्ष में नवम्बर १९६३ तक ३६,५२,०१० रु० की बिक्री हुई। छोटी-छोटी इकाइयों को रियायती दरों पर बिजली उपलब्ध करने की भी व्यवस्था की गयी है। इसके लिए तृतीय पंचवर्षीय आयोजना में १० करोड़ रुपये का प्राविधान है। आयोजना के प्रथम दो वर्षों में २.३८४ लाख रु० की आर्थिक सहायता दी गयी और आशा है कि मार्च १९६४ तक कुल दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता दे दी जायगी।

गुण चिह्नांकन योजना के अधीन केवल १९६२–६३ में ही ४.२३ लाख रुपये मूल्य की वस्तुओं का गुण चिह्नांकन किया गया और चालू वित्तीय वर्ष में नवम्बर १९६३ के अन्त तक १७.२५ लाख रुपये मूल्य की वस्तुओं का इस योजना के अधीन गुण चिह्नांकन किया गया।

ऋण तथा अनुदान

औद्योगिक अधिनियम के अधीन राज्य सरकार ने पहली आयोजना में उद्योगपतियों को उदारतापूर्वक ऋण एवं अनुदान स्वीकृत किये। दूसरी आयोजना-वधि में इस प्रकार उद्योगों के विकास के लिए ऋण एवं अनुदान योजना के अधीन

२४४.०४ लाख रुपये के ऋण और ३.९९ लाख रुपये के अनुदान दिये गये। तीसरी आयोजना के पहले वर्ष अर्थात् १९६१-६२ में ऋण एवं अनुदान योजना के अधीन कुल ५६.६९ लाख रुपये दिये गये। साथ ही उदार ऋण योजना के अधीन छोटे-छोटे उद्योगपतियों को सहायता देने के लिए उत्तर प्रदेश वित्त निगम को ६९.१६ लाख रुपये दिये गये। १९६२-६३ में ७९.२७५ लाख रुपये के ऋण तथा अनुदान का वितरण किया गया और वित्तीय वर्ष १९६३–६४ में नवम्बर १९६३ तक इस योजना के अधीन २४.२५ लाख रुपये के ऋण का वितरण किया गया। नियोजन आयोग के कार्यकारी दल की सिफारिश के अनुसार औद्योगिक सहकारी समितियों की हिस्से की पूंजी तथा कारोबारी पूंजी की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी ऋण देने की व्यवस्था की गयी है।

औद्योगिक आस्थान

हमारे देश में छोटे-छोटे उद्योगपतियों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इनमें पूँजी का अभाव, साधनों की कमी और मामूली प्राविधिक जानकारी की समस्याएँ ऐसी हैं, जो औद्योगीकरण की दिशा में बाधा डालती हैं। औद्योगिक आस्थानों की स्थापना से छोटे उद्योगपतियों की ये समस्याएँ दूर होती जा रही हैं। औद्योगिक आस्थानों में उद्योगपतियों को काफी हद तक आर्थिक लाभ होते रहते हैं। इन आस्थानों में उद्योगपतियों को बिजली, पानी, सड़क, यातायात, बैंक, डाकघर, कच्चे माल के केन्द्र जैसी बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध हो जाती हैं जो उद्योगों के तीव्र विकास में सहायक होती हैं। औद्योगिक आस्थानों में जमीन तथा भवनों की लागत भी बहुत कम बैठती है।

छोटे-छोटे उद्योगपतियों को, उद्योगों के विकास और विस्तार की सभी सुविधाएँ प्रदान करने के लिए हमारे प्रदेश में पहली पंचवर्षीय आयोजना के अन्त में औद्योगिक आस्थानों की स्थापना करने का निर्णय किया गया। द्वितीय आयोजना के अन्त तक आगरा तथा कानपुर में बड़े आस्थानों की तथा लोनी (मेरठ), काशी विद्यापीठ (वाराणसी) और देवबंद में लघु औद्योगिक आस्थानों की स्थापना की गयी। इनके अतिरिक्त पर्वतीय क्षेत्रों में भीमताल, टिहरी, श्रीनगर, कोटद्वार तथा अल्मोड़ा में और पिछड़े क्षेत्रों में बस्ती, बिजनौर, झाँसी, एटा तथा देवरिया में भी औद्योगिक आस्थानों की स्थापना प्रारंभ की गयी। द्वितीय आयोजना के अंत तक भीमताल, टेहरी तथा श्रीनगर के औद्योगिक आस्थान पूर्ण किये जा चुके थे। कोटद्वार, अल्मोड़ा तथा राज्य के पिछड़े हुए क्षेत्रों में आयोजित आस्थानों को तृतीय आयोजना के कार्यक्रम में पूर्ण करने हेतु सम्मिलित किया गया है। इन आस्थानों पर निर्माण-

कार्य प्रगति की ओर है । इस समय कानपुर, आगरा, लोनी (मेरठ), भीमताल, देवबंद (सहारनपुर) और काशी विद्यापीठ में औद्योगिक आस्थान कार्य कर रहे हैं। अब तक राज्य के विभिन्न औद्योगिक आस्थानों में ३१४ इकाइयों का निर्माण किया जा चुका है। २८७ इकाइयों की बँटनी हो चुकी है तथा १९१ इकाइयो ने उत्पादन कार्य प्रारंभ कर दिया है ।

तीसरी आयोजना के अधीन लोनी तथा काशी विद्यापीठ लघु औद्योगिक आस्थानों के विस्तार कार्यक्रम के अतिरिक्त चार बड़े, पांच मध्यम तथा ८ छोटे औद्योगिक आस्थानों, ११ विकसित कार्यस्थलों और २३ ग्रामीण औद्योगिक आस्थानों की व्यवस्था की गयी है । नये औद्योगिक आस्थानों के निर्माण के लिए ४४ स्थानों पर जमीन की खरीद कर ली गयी है तथा इन समस्त स्थानों पर निर्माण-कार्य प्रारंभ हो गया है । ८ औद्योगिक आस्थानों का भवन-निर्माण-कार्य समाप्त किया जा चुका है। इन औद्योगिक आस्थानों के अतिरिक्त १० हरिजन औद्योगिक आस्थान तथा ११ सहकारी औद्योगिक आस्थान भी स्थापित किये जा रहे हैं ।

हस्तशिल्प

लोगों की कलात्मक रुचि को बनाये रखने में दस्तकारियों का विशेष स्थान है और यही कारण है कि सरकार ने इस उद्योग के विकास और विस्तार के लिए अनेक योजनाएँ बनायी हैं जिनके अन्तर्गत नयी आकर्षक डिजाइनें तैयार की जाती हैं, दस्तकारों की सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता दी जाती है, उत्पादित वस्तुओं का प्रतिमानीकरण तथा गुणचिह्नांकन किया जाता है और प्रदर्शन कक्ष तथा ग्रामीण दस्तकारी संग्रहालयों की स्थापना करके क्रय-विक्रय की सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। इनके अतिरिक्त अन्य योजनाओं के अधीन भी काम होता है। पहली आयोजना में चिकन कसीदाकारी की एक प्रमख योजना सम्मिलित थी, जिसके अधीन चार लाख रुपये लागत की वस्तुएँ तैयार की गयीं। दूसरी आयोजना में पुरानी दस्तकारियों को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया और मौजूदा आवश्यकताओं तथा रुचियों के अनुसार दस्तकारियां अपनाने पर बल दिया गया । इस अवधि में विभिन्न कार्यक्रमों के अधीन ८.६१ लाख रुपये मूल्य की वस्तुएँ तैयार की गयीं, ४० दस्तकारी समितियाँ संघटित की गयीं और २०.८५ लाख रुपये मूल्य की वस्तुओं का चार केन्द्रों पर गुण चिह्नांकन किया गया। तीसरी आयोजना के अधीन १९६१-६२ में ११ और १९६२-६३ में २० तथा नवम्बर १९६३ तक १८ समितियाँ संघटित की गयीं। आशा है कि मार्च १९६४ तक २०

और समितियां संघटित करने का लक्ष्य पूरा हो जायगा। वर्ष १९६२-६३ में एक अग्रगामी केन्द्र की भी स्थापना की गयी। गत वर्ष लखनऊ स्थित केन्द्रीय संकल्प केन्द्र ने कुल २४३ नयी डिजाइनें तैयार कीं तथा चालू वर्ष में नवम्बर १९६३ तक १६३ और नयी डिजाइनें तैयार की गयीं। आशा है कि मार्च १९६४ तक २०० डिजाइनें तैयार करने का लक्ष्य पूरा हो जायगा। पारस्परिक सुविधा केन्द्रों से गत वर्ष ४०० दस्तकारों को लाभ हुआ और चालू वर्ष में ५०७ दस्तकार लाभान्वित हुए और आशा है कि मार्च १९६४ तक ६०० दस्तकार लाभान्वित होंगे। वर्ष १९६२-६३ में गोरखपुर में दस्तकारियों के नमूनों के प्रदर्शन के लिए एक कक्ष की स्थापना की गयी। साथ ही गुण चिह्नांकन योजना के अधीन जहाँ १९६२-६३ में २.८१ लाख रुपये मूल्य की वस्तुओं का गुण चिह्नांकन किया गया वहाँ चालू वित्तीय वर्ष में नवम्बर १९६३ तक ३.३० लाख रुपये की वस्तुएँ गुणचिह्नांकित की गयीं। मार्च १९६४ तक आशा है कि ४.३५ लाख रुपये मूल्य का चीजें गुण चिह्नांकित हो जायँगी।

आयोजनाबद्ध कार्यक्रम के अधीन दस्तकारियों का विकास किस तेजी से हो रहा है और हस्तशिल्प की वस्तुओं की माँग किस प्रकार न केवल अपने देश में अपितु बाहरी देशों में भी निरन्तर बढ़ती जा रही है इसका अन्दाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रतिवर्ष लगभग ४ करोड़ रुपये लागत के मिर्जापुर के कालीनों का निर्यात किया जा रहा है, जिससे देश को पर्याप्त विदेशी मुद्रा मिल रही है। मुरादाबाद के पीतल के बर्तनों की माँग भी अमेरिका, इंगलैंड, कनाडा, स्पेन तथा मिस्र में काफी बढ़ गयी है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है तीसरी आयोजनावधि में विभिन्न दस्तकारी उद्योगों के विकास पर कुल ६७.२९४ लाख रुपये खर्च किये जायँगे।

रेशम के कीड़े पालने का उद्योग

इस उद्योग के विकास की योजनाओं के अधीन प्रशिक्षण प्रदान करने के अतिरिक्त गाँवों में शहतूत के वृक्ष लगाने, रेशम के कीड़ों की सप्लाई, नयी विधियां अपनाने और ककून आदि के क्रय-विक्रय की व्यवस्था करने पर बल दिया जा रहा है। हमारे प्रदेश में सर्वप्रथम १९४८ में दून घाटी में यह योजना चालू की गयी थी। पहली आयोजना में इस योजना पर ५.२९ लाख रुपये खर्च किये गये। दूसरी आयोजना में यह योजना सहारनपुर, पौड़ी गढ़वाल, देहरादून, नैनीताल, इटावा तथा गोरखपुर में चालू की गयी। तीसरी आयोजना में विशेषज्ञों की राय के अनुसार केवल बीज उत्पादन पर ही बल दिया जायगा। आयोजना के

पीतल तथा ताँबें के वर्तन बनाने का काम प्रदेश का एक प्रमुख उद्योग है (ऊपर) नैनीताल के भीमताल औद्योगिक आस्थान का एक दृश्य। (नीचे) हथौड़ा और छेनी की सहायता से सुन्दर एवं आकर्षक नमूने गढ़ता हुआ एक कुशल कारीगर

बायें
लखनऊ का चिकन का काम, जिसे
मुख्यतः महिलाएँ करती हैं

नीचे
अलीगढ़ के गुणचिह्नांकित तालों
की मांग विदेशों में बढ़ रही है

पर्वतों की रानी मसूरी

वाराणसी के घाट का एक दृश्य

अपनी नैसर्गिक सुन्दरता और नौका विहार के लिए प्रसिद्ध नैनीताल नगर का एक मनोरम दृश्य

पहले दो वर्षों में २७,९४० किलोग्राम ककून का उत्पादन हुआ और चालू वित्तीय वर्ष में नवम्बर १९६३ तक १३,७३९ किलोग्राम ककून का उत्पादन हुआ। आशा है कि मार्च १९६४ तक २०,००० किलोग्राम ककून तथा ७०,००० डी० एफ० एल० का उत्पादन हो जायगा और ४५ व्यक्ति प्रशिक्षित हो जायँगे।

खादी एवं ग्रामोद्योग

हमारे गाँवों के लोगों का जीविकोपार्जन का मुख्य धंधा खेतीबारी ही रहा है। लेकिन जिस तेजी से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है उसे देखते हुए केवल कृषि पर ही निर्भर नहीं रहा जा सकता। अनुमान है कि खेतिहर मजदूर साल में ८० से १०० दिन तक बेकार रहते हैं। दूसरे शब्दों में हमारे देहात में मजदूरों की एक-चौथाई से लेकर एक-तिहाई जनसंख्या खेतीबारी की आवश्यकताओं से अधिक है। सच पूछा जाय तो कल्याणकारी राज्य के लिए यह एक चुनौती है। इस समस्या के हल के लिए यह अपेक्षित है कि हमारी अर्थव्यवस्था में कृषि एवं औद्योगिक समन्वय हो और कृषि के पूरक के रूप में छोटे-छोटे उद्योग-धंधों का तेजी से विकास किया जाय, ताकि कृषि पर ही निर्भर न रहकर लोगों को जीविकोपार्जन के अतिरिक्त साधन उपलब्ध हो सकें। हमारी पंचवर्षीय आयोजनाओं के अधीन इस दिशा में सक्रिय कदम उठाये गये हैं और गाँवों में ही लोगों को पूर्णकालिक अथवा अल्पकालिक काम देने के प्रयास किये जा रहे हैं।

शासन की बागडोर सँभालने के बाद लोकप्रिय सरकार के उद्योग-विभाग ने पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों में औद्योगिक विकास की अनेक योजनाएँ चालू कीं जिनमें खादी, अम्बर खादी, पर्वतीय ऊन, कम्बल, गुड़-विकास, ताड़-गुड़, चमड़ा कमाने तथा हाथ से कागज बनाने की योजनाएँ मुख्य हैं। इनमें से कुछ योजनाएँ पहली पंचवर्षीय आयोजना से और कुछ दूसरी आयोजना से चालू हैं। तीसरी आयोजना में इनमें से अधिकांश योजनाओं का पुनर्नवीकरण और विस्तार किया जा रहा है, ताकि इनके अधीन पूर्वापेक्षा अधिक संख्या में लोगों को काम मिल सके।

राज्य सरकार के उद्योग विभाग के अतिरिक्त प्रदेश में अनेक संस्थाओं द्वारा अपने साधनों के अनुसार खादी एवं ग्रामोद्योग योजना के अधीन कार्य किया जा रहा है। खादी का कार्य मुख्यत: गांधी आश्रम, स्वराज आश्रम, ग्राम उद्योग ट्रस्ट तथा हरिजन गुरुकुल द्वारा किया जा रहा है। अनुमान है कि ८० प्रतिशत खादी का उत्पादन अकेले गांधी आश्रम द्वारा किया जा रहा है।

पहली आयोजना में खादी एवं ग्रामोद्योग योजनाओं पर ४८.७३ लाख रुपये खर्च किये गये। कुल १४४ प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये और ५०,७५७ व्यक्तियों

को प्रशिक्षित किया गया। गुड़ विकास योजना के अन्तर्गत १३ केन्द्रों की स्थापना की गयी और १,०८५ व्यक्तियों को ट्रेनिंग दी गयी।

दूसरी आयोजना में पर्वतीय ऊन तथा हाथ से कागज बनाने की योजनाओं के अधीन काफी कार्य हुआ। पर्वतीय ऊन योजना के अधीन दूसरी आयोजनावधि में १५,५८२ व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया और ३९,१५८ गज ऊनी कपड़ा तैयार हुआ। कुल ३.५११ लाख रुपये मूल्य का कागज बनाया गया। साथ ही खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की सहायता से खादी विकास, अम्बरचर्खा, कम्बल, ताड़ गुड़, गुड़ विकास तथा अन्य योजनाओं के अधीन पर्याप्त प्रगति हुई। ताड़-गुड़ योजना के अधीन दूसरी आयोजना में कुल २४,६४२ मन गुड़ का उत्पादन हुआ और २,२८,०८२ कम्बल तैयार किये गये। अम्बर चर्खा योजना के अधीन ५,५६,२५० गज सूत तैयार हुआ और ७,६३१ व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया। खादी विकास योजना के अन्तर्गत ९१,१९२ व्यक्तियों को ट्रेनिंग दी गयी और ३५.४५ लाख रुपये के अनुदान दिये गये। इसके अतिरिक्त खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने ग्रामीण उद्योगों को ४६.२४ लाख रुपये के ऋण और २१.७७ लाख रुपये के अनुदान दिये।

सन् १९५६ में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना हो जाने पर गैर सरकारी संगठनों, सहकारी समितियों और सार्वजनिक ट्रस्टों को खादी एवं ग्रामोद्योग योजनाओं का कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस आयोग की सिफारिश के आधार पर इन उद्योगों के विकास के लिए अन्य राज्यों की भाँति उत्तर प्रदेश में भी १५ नवम्बर १९६० को खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना की गयी। खादी आयोग ने तेलघानी, धनकुट्टी तथा आटा चक्की, मिट्टी के बर्तन, साबुन, चमड़ा, गुड़-खण्डसारी, ताड़-गुड़, हस्तनिर्मित कागज, दियासलाई, रेशा, बढ़ईगीरी तथा लोहारगीरी, मधुमक्खी पालन, चूने के पत्थर और खादी तथा अम्बर खादी से संबंधित उद्योगों को चलाने की योजनाएँ बनायीं, जिनके अधीन कार्य किया गया।

तीसरी आयोजना के प्रथम दो वर्षों में राज्य सरकार ने इन उद्योगों के विकास के लिए ७,३४,१०० की व्यवस्था की जब कि खादी आयोग से इन दो वर्षों में कुल ७१,६०,८०१ रु० प्राप्त हुए। चालू वित्तीय वर्ष में सितम्बर १९६३ तक खादी बोर्ड द्वारा ४,६५,६१६ रु० के ऋण तथा २,४९,७६८ रु० के अनुदान वितरित किये गये। राज्य सरकार द्वारा केवल कर्मचारियों आदि पर होने वाला खर्च वहन किया जाता है।

तेलघानी योजना के अधीन तीसरी आयोजना में अभी तक ७२० सहकारी समितियों की स्थापना की गयी है। कुल १.८० करोड़ रुपये मूल्य की खली तथा तेल का उत्पादन हुआ और सितम्बर १९६३ तक १४,५८७ व्यक्तियों को अल्प-कालिक अथवा पूर्णकालिक काम मिला। तेल समितियों को ३५ लाख रुपये के ऋण तथा ११ लाख रुपये के अनुदान दिये गये। इन समितियों को चालू वर्ष में १ अप्रैल १९६३ से सितम्बर १९६३ तक १,०१,५८७ रु. के ऋण और ८०,९८७ रु० के अनुदान दिये गये।

धनकुट्टी तथा आटा चक्की उद्योग के अधीन १६८ सहकारी समितियाँ संगठित की गयीं। इन सहकारी समितियों के कार्यरत होने से १९,००० व्यक्तियों को पूरे समय का काम मिला। इस उद्योग की समितियों को इस अवधि में ७.७२ लाख रुपये के ऋण तथा १.५५ लाख रुपये के अनुदान दिये गये। इस वर्ष सितम्बर तक इन समितियों को २०,२१२ रु० के ऋण और ९,६७१ रु० के अनुदान दिये गये।

उत्तर प्रदेश में, अनुमान है कि खुर्जा तथा चुनार के उद्योगों में काम करने वाले कुम्हारों को छोड़ कर लगभग ३ लाख कुम्हार हैं जिन्हें आयोग से सभी प्रकार की सुविधाएँ प्राप्त होती हैं। अभी तक इनकी ५७ सहकारी समितियाँ बनायी गयी हैं और ९.३१ लाख रुपये मूल्य की वस्तुएँ तैयार हुई हैं। इन उद्योगों में ३,७०० व्यक्तियों को थोड़े समय का और ४,६०० व्यक्तियों को पूरे समय का काम मिला। कुम्हारों की समितियों को २.६७ लाख रुपये के ऋण और ११५ लाख रुपये के अनुदान दिये गये।

साबुन उद्योग के अधीन ९७ सहकारी समितियाँ बनायी गयीं और कुल ८,९२,८७० पौंड साबुन तैयार हुआ। इन समितियों को ऋण तथा अनुदान के रूप में ८.९१ लाख रुपये दिये गये।

चमड़ा कमाने के उद्योग के अधीन आयोग ने ८-१० गाँवों के बीच खाल उतारने तथा अस्थिपंजर उपयोग के लिए एक केन्द्र स्थापित करने का कार्यक्रम बनाया है। तीसरी आयोजना में इस उद्योग के अधीन अभी तक २७१ प्रशिक्षण केन्द्रों तथा २६ खाल उतारने के केन्द्रों की स्थापना की गयी और ५.०७ लाख खाल साफ की गयीं जिनका मूल्य ९० लाख रुपये था। साथ ही १,६७९ व्यक्तियों को इस उद्योग में काम मिला। चमड़ा सहकारी समितियों को अभी तक २१.५६ लाख रुपये के ऋण तथा अनुदान दिये गये हैं। इस वर्ष सितम्बर तक इन समितियों को ३०,००० रु० के ऋण और ६,००० रु० के अनुदान दिये गये। इस उद्योग के अधीन कानपुर में एक अनुसन्धान एवं परीक्षण प्रयोगशाला की भी स्थापना की गयी है।

गुड़ उद्योग का कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र में विशेष महत्त्व है, क्योंकि हमारे देहाती क्षेत्रों में इस उद्योग में लोगों को साल में ४-५ महीने का रोजगार मिल जाता है। इस उद्योग के अधीन आयोजना के दो वर्षों में १७९ सहकारी समितियाँ गठित की गयीं तथा ७.९८ लाख मन गुड़ और ६९,००० मन खण्डसारी का उत्पादन हुआ। इसमें १४,८४९ व्यक्तियों को रोजगार मिला। गुड़ एवं खण्डसारी समितियों को ७.८७ लाख रुपये के ऋण तथा अनुदान दिये गये।

हमारे राज्य में ताड़-गुड़ उद्योग के विकास के लिए निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं और इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस उद्योग को उचित ढंग पर संगठित करने की दिशा में हमारा राज्य अन्य राज्यों का अगुवा बना हुआ है। इस योजना के अधीन एक अनुसन्धान प्रयोगशाला की स्थापना भी कर दी गयी है। १९६०–६२ की अवधि में इस उद्योग के अधीन २८ सहकारी समितियाँ बनायी गयीं, कुल ४.१२ लाख मन का उत्पादन हुआ और २,३२० व्यक्तियों को काम मिला। ताड़-गुड़ समितियों को २.८६ लाख रुपये के ऋण तथा अनुदान भी दिये गये।

उत्तर प्रदेश में हाथ से कागज बनाने के उद्योग ने अच्छी प्रगति की है। कालपी स्थित हाथ से कागज बनाने के केन्द्र ने आशातीत सफलता प्राप्त की है। १९६०-६१ तथा १९६१-६२ में इस उद्योग के अधीन २२ सहकारी समितियाँ गठित की गयीं और कुल ८,३०,५२२ रू० मूल्य के कागज का उत्पादन हुआ तथा १,४५० व्यक्तियों को रोजगार मिला। इस उद्योग के लिए इन दो वर्षों में १,८८,७०० रु० के ऋण तथा अनुदान दिये गये।

दियासलाई कुटीरोद्योग योजना के अधीन इस बात के प्रयास किये जा रहे हैं कि यह उद्योग अच्छे कारखानों से होड़ ले सके। इस उद्योग के विकास के लिए १९ सहकारी समितियाँ गठित की गयीं हैं, जिन्हें ७५,००० रु० के ऋण और १३,००० रु० के अनुदान दिये गये।

ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ईगीरी तथा लोहारगिरी के लिए २६५ सहकारी समितियाँ संघटित की गयी हैं। वर्ष १९६१-६२ में खादी कमीशन ने इन समितियों के लिए ९०,००० रु० दिये।

वर्ष १९६१-६२ के अन्त तक प्रदेश में मधुमक्खी पालन की ४६ इकाइयाँ थीं, जिन्होंने १५,००० रु० मूल्य का लगभग २०,००० पौंड शहद का उत्पादन किया।

खादी तथा अम्बर खादी उद्योग के विकास के लिए १४६ सहकारी समितियों का संगठन हो चुका है। खादी योजना के अधीन १९६०-६२ की अवधि में

२७·५० लाख रुपये मूल्य के सूत तथा ५.१५ लाख रुपये मूल्य के कपड़े का उत्पादन हुआ। साथ ही खादी भंडारों को २१,५६६ रुपये के अनुदान दिये गये।

कम्बल योजना के अधीन पाँच मौजूदा उत्पादन-केन्द्रों के अतिरिक्त १९६२ में ४ और केन्द्र खोले गये जिनमें एक लाख कम्बल बनाने की क्षमता है। पर्वतीय ऊन विकास योजना के अधीन ८,५३५ तकुवों तथा १३७ बुनकरों को प्रशिक्षित किया गया और १४९ बुनकर ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे थे। गत वित्तीय वर्ष में मार्च १९६३ तक ४.८० लाख रुपये मूल्य के ऊनी कपड़े का उत्पादन हुआ तथा ३३४ नयी डिजाइनें तैयार की गयीं।

तीसरी आयोजना में ग्राम इकाइयों की स्थापना के सम्बन्ध में विशेष रूप से कार्य हो रहा है। खादी आयोग ने हमारे प्रदेश के लिए २२० ग्राम इकाइयाँ स्वीकृत की थी, जिनमें से १८० की स्थापना हो चुकी है।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि खादी एवं ग्रामोद्योगों के विकास के लिए किस प्रकार सहकारी संगठन पर विशेष बल दिया जा रहा है। जैसा कि पहले कहा गया है इन उद्योगों को चलाने का उद्देश्य यही है कि अधिकाधिक संख्या में लोगों को रोजगार मिले। आशा है कि आने वाले वर्षों में खादी एवं ग्रामोद्योग कार्यक्रम में और तेजी आयेगी।

इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से औद्योगिक विकास हो रहा है और फलस्वरूप आर्थिक समृद्धि तथा खुशहाली का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। राष्ट्रीय संकट के इस अवसर पर हमारे प्रदेश के उद्योग जिस तरह अंशदान कर रहे हैं वह निश्चय ही सराहनीय है। राज्य सरकार के उद्योग निदेशालय में एक सुरक्षा उत्पादन 'सेल' की व्यवस्था की गयी है जहाँ से उद्योगपतियों को सभी प्रकार की सूचनाएँ दी जाती हैं ताकि वे देश-रक्षा-कार्य में अपने दायित्वों को समझ कर उनका पूरी तौर पर निर्वाह कर सकें। यह उल्लेखनीय है कि गत वित्तीय वर्ष में मार्च १९६३ तक डाइरेक्टर जनरल सप्लाइज एवं डिस्पोजल द्वारा देश की छोटी इकाइयों से रक्षा सम्बन्धी कुल १४.५१ करोड़ रुपये मूल्य की जो वस्तुएँ खरीदी गयीं उनमें उत्तर प्रदेश ने ३.०२ करोड़ रुपये मूल्य की वस्तुओं की सप्लाई करके तीसरा स्थान प्राप्त किया। चालू वित्तीय वर्ष के ८ महीनों में हमारे प्रदेश ने ४.४८ करोड़ रुपये के मूल्य की वस्तुएँ सप्लाई की हैं।

इस प्रकार कृषि के साथ-साथ औद्योगिक विकास के छोटे-बड़े विविध कार्यक्रम अपना कर उत्तर प्रदेश सरकार राज्य की अर्थ-व्यवस्था ठीक करने, बेरोजगारों को रोजगार दिलाने और जन-जीवन के सामान्य स्तर को ऊँचा उठाने के प्रयत्न कर रही है।

दस्तकारियाँ

उत्तर प्रदेश की दस्तकारियाँ देश में ही नहीं, विदेशों में भी प्रसिद्ध हैं। प्रदेश के अनेक नगर परम्परागत दस्तकारियों के केन्द्र हैं। इन परम्परागत दस्तकारियों की कुछ स्थानीय विशेषताएँ भी हैं। सैकड़ों वर्षों से चली आ रही यह दस्तकारियाँ उस काल में पलीं और बड़ी हुईं जब मौन साधना और सौन्दर्य कला के मुख्य आधार थे। इसीलिए ये बहुरंगी कलिकाओं की तरह सुशोभित हैं तथा इनके कण-कण में हमें शिल्पियों की रचना करने की तीव्र अभिलाषा तथा तत्कालीन समाज की झलक मिलती है। विभिन्न दस्तकारियों की परम्पराएँ हमारे यहाँ पीढ़ी-दर-पीढ़ी चली आ रही हैं। दस्तकारियाँ उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत का एक महत्त्वपूर्ण अंग हैं।

वाराणसी के रेशम और जरी उद्योग

वाराणसी के रेशम और जरी उद्योग इतने पुराने हैं कि पुराणों में भी इनका उल्लेख मिलता है। मुगल-काल में फारस की कला का प्रभाव भारतीय कला पर पड़ा। दोनों के सम्मिश्रण से भारतीय कला को एक नयी दिशा मिली। रेशम और जरी उद्योग भी इससे अछूते नहीं रहे। नये डिजाइन और नये पैटर्न इस क्षेत्र में प्रकट हुए जिससे इनका आकर्षण और महत्त्व और भी बढ़ गया।

रेशम और जरी बनाने में सिल्क के सूत और सोने तथा चाँदी के तारों का प्रयोग किया जाता है। इनकी चमक-दमक सदा बनी रहती है। पहले सिल्क के सूत और रंगों का आयात होता था किन्तु अब इस उद्योग की सभी आवश्यकताएँ स्थानीय तथा देशी माल से पूरी होती हैं।

वाराणसी तथा इसके निकटवर्ती क्षेत्रों में लगभग ४०,००० करघे हैं। इनके अतिरिक्त मुफस्सिल क्षेत्र में लगभग १०,००० करघे हैं। इस उद्योग में लगभग २ लाख बुनकर तथा इसके पूरक उद्योगों में भी इतने ही व्यक्ति लगे हुए हैं। इससे हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। अतएव सरकार ने उत्पादन का उच्च स्तर और गुण बनाये रखने के लिए इस उद्योग पर गुण चिह्नांकन योजना लागू कर दी है।

चिकन

चिकन की कढ़ाई लखनऊ में केन्द्रित है। लखनऊ में भी यह शहर के केवल एक विशेष भाग चौक तक ही सीमित है। चिकन की कढ़ाई के अन्तर्गत सफेद

मलमल पर सफेद तागे से जाली का काम किया जाता है और बेलबूटे बनाये जाते हैं। इस सुन्दर, बारीक और नाजुक कढ़ाई का काम अधिकतर महिलाएँ ही करती हैं। कढ़ाई में अनेक प्रकार के फंदों का प्रयोग किया जाता है। कुछ परिवार कुछ विशेष फंदों का प्रयोग करते हैं। आधुनिकता की दृष्टि से अनेक नयी और आकर्षक डिजाइनें इस उद्योग में अब जारी की जा रही हैं। इस प्राचीन दस्तकारी को जीवित रखने के लिए चिकन की कढ़ाई करने वालों को सरकार ने विशेष सुविधाएँ प्रदान की हैं। राज्य को इस उद्योग से भी विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है क्योंकि पर्यटक अपने इष्ट मित्रों को भेंट-उपहार देने के लिए भारी संख्या में चिकन के मेजपोश, ट्रे कवर और रूमाल आदि खरीदते हैं।

पीतल और तांबे के सामान

मुरादाबाद सदियों से अपने चमचमाते बर्तनों के लिए प्रसिद्ध रहा है। सुन्दर डिजाइनों की नक्काशी और आकर्षक रंगों के उपयोग द्वारा साधारण से साधारण चीज को मुरादाबाद के शिल्पी एक कलाकृति बना देते हैं। प्राचीन काल में ये सामान राजमहलों की शोभा बढ़ाते थे। आज भी इनकी काफी मांग है। बर्तनों के अतिरिक्त मुरादाबाद में फूलदान, प्यालियाँ, टेबिल टाप, ऐश ट्रे, डीकैन्टर आदि अनेक चीजें बनायी जाती हैं।

वाराणसी के सामान मुरादाबाद के सामानों से भिन्न हैं। वाराणसी में मुरादाबाद की तरह तांबे और पीतल के बर्तनों पर नक्काशी नहीं की जाती। वाराणसी के शिल्पी बर्तनों के भीतरी भाग को इस कुशलता से ठोंकते हैं कि बाहर की तरफ आकर्षक डिजाइनें उभर आती हैं। बर्तनों पर रंगों का प्रयोग भी नहीं किया जाता। वाराणसी में तैयार होने वाले सामानों में मुख्य हैं फूलदान, टेबिल टाप, प्यालियाँ और दीवार पर टांगने के लिए सजावट के सामान।

मिट्टी के पात्र

मिट्टी के पात्र बनाने की कला का उपयोग मनुष्य प्राचीन काल से करता आ रहा है। यह एक अत्यन्त उपयोगी दस्तकारी है। भांति-भांति की फूल-पत्तियों और डिजाइनों वाले मिट्टी के पात्रों को देखकर यह अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है कि भारत के जन-साधारण का सौन्दर्य-बोध कितना विकसित है।

खुर्जा के मिट्टी के पात्र समूचे देश में प्रसिद्ध हैं। खुर्जा के कलापूर्ण पात्र, विशेष रूप से फूलदान, मुगलों के आगमन के पूर्व भी विख्यात थे। ऐसा लगता है कि फीरोज़ शाह तुगलक के समय में फारस के कुछ कुम्हार भारत आये थे। उनमें से

कुछ खुर्जा में बस गये थे। खुर्जा में उन्होंने मिट्टी के पात्र बनाने का उद्योग शुरू किया था, जो विकसित होकर आज इतना लोकप्रिय हो गया है। इस उद्योग ने अंग्रेजों का ध्यान भी आकृष्ट किया। फलतः विदेशों के बाजारों में भी इसे एक विशेष स्थान मिला। इस उद्योग की वस्तुओं को सर्वप्रथम १९०६ में लन्दन में हुई कारोनेशन प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया। तब से अनेक प्रदर्शनियों में ये वस्तुएँ भारत के सिरेमिक उद्योग का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं।

चुनार और निजामाबाद में भी मिट्टी के पात्र बनाये जाते हैं। निजामाबाद में काली मिट्टी के पात्र बनते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस उद्योग के विकासार्थ एक राजकीय विकास केन्द्र की स्थापना की है। खुर्जा स्थित इस केन्द्र के आस-पास अब कुम्हारों की एक बस्ती बस गयी है। इस केन्द्र में पात्र बनाने के पुराने तरीकों में सुधार किया जा रहा है।

हथकरघा

भारत के हथकरघा बुनकरों का नवांश उत्तर प्रदेश में है। भारतीय कपड़ों की सुन्दरता की सराहना सैकड़ों वर्ष पूर्व भारत आने वाले विदेशी यात्रियों ने भी की थी। ये कपड़े गरीब-अमीर, छोटे-बड़े सभी की रुचियों को सन्तोष देते हैं।

सरकार ने हथकरघा उद्योग का पुनः संगठन किया है तथा इसके सहायतार्थ एक उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ की स्थापना भी की है। बाजारों में हथ-करघा कपड़ों की अब काफी बिक्री होने लगी है। यदि इनकी डिजाइनों आदि में आवश्यक सुधार होते रहे तो यह मिल के बने कपड़ों का डट कर मुकाबला करने में सदा समर्थ रहेंगे।

कालीन और दरियाँ

मिर्जापुर प्रदेश के कालीन उद्योग का केन्द्र है। मिर्जापुर कालीन और दरियाँ विदेशों के बाजारों में लोकप्रिय हो गये हैं। इनकी कोमलता और सुन्दर डिजा-इनें कमरे की सजावट को बना देती हैं। इन कालीनों की सर्वाधिक बिक्री ब्रिटेन के बाजारों में होती है। विदेशों में अपनी प्रसिद्धि बनाये रखने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कालीन उद्योग पर गुण चिह्नांकन योजना लागू की है। कालीनों के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में रंग-बिरंगी दरियाँ और छोटे रग भी बनाये जाते हैं।

लकड़ी का काम

लकड़ी पर नक्काशी करने की कला भारत की प्राचीन कलाओं में है। प्राचीन कालीन मन्दिरों के द्वार और मुख्य द्वार उस समय के शिल्पियों की महान्

कला को आज भी जीवित रखे हैं। उत्तर प्रदेश में लकड़ी पर नक्काशी करने का काम अधिकतर सहारनपुर जिले में किया जाता है। इस जिले में शीशम की लकड़ी पर यह कार्य किया जाता है और यहाँ तैयार होने वाले फर्नीचर तथा अन्य लकड़ी के सामान उपयोगी होने के साथ-साथ सुन्दर कलाकृति भी होते हैं। सहारनपुर में तैयार होने वाले नक्काशीदार लकड़ी के सामानों में मुख्य हैं मेजें, बुक रैक्स, सिगरेट बाक्स, ट्रे, केक स्टैन्ड, विविध फर्नीचर और फायर स्क्रीन।

हाथी दाँत और संगमरमर का काम

हाथी दाँत की चीजें बनाने की कला अत्यन्त कठिन है। इस दस्तकारी में प्रयोग में आने वाले औजारों की संख्या भी कम है। एक चाकू, चिज़ेल और फाइल (रेती) की सहायता से हाथी दाँत का काम करने वाला शिल्पी इतनी सुन्दर और अलंकृत वस्तुएँ तैयार कर देता है कि लोग मुग्ध हो जाते हैं। सदियों का अनुभव हमारे इन शिल्पियों के साथ है, जिससे सम्बल और प्रेरणा प्राप्त कर ये नित्य नयी कृतियाँ प्रस्तुत करते हैं। हाथी दाँत के बक्स, नेक्लेस, चम्मचों के सेट, पेपर कटर्स आदि कुछ ऐसी दैनिक उपयोग की वस्तुएँ हैं, जो इस उद्योग का सौन्दर्य सभी की पहुँच तक ले जाती हैं।

संगमरमर पर नक्काशी करने का काम अधिकतर आगरा में किया जाता है। आगरा में तैयार किये जाने वाले छोटे-छोटे ताजमहलों में, जो आज घर-घर की शोभा बढ़ा रहे हैं, असली ताजमहल का एक-एक फूल और छोटी-से-छोटी जाली तक बना दी जाती है। यह कलाकृतियाँ इतनी उच्च कोटि की होती हैं कि विदेश से आने वाले प्रमुख व्यक्तियों को ये भेंट रूप में दी जाती हैं।

बिदरी का काम

प्रदेश में बिदरी के काम का महत्त्वपूर्ण केन्द्र लखनऊ है। यह कला बिदर (दक्षिण) से यहाँ आयी थी। बिदर आज भी बिदरी के काम का मुख्य केन्द्र है। इस दस्तकारी के अन्तर्गत गन मेटल (वह धातु जिससे बन्दूक बनायी जाती है) पर चाँदी का काम किया जाता है। कहा जाता है कि बिदरी के काम और अरब तथा फारस में इस्पात और ताँबे पर होने वाले सोने के काम का आदि स्रोत एक ही था। बिदरी के काम के अन्तर्गत बुक एन्ड्स, मीनू कार्ड होल्डर, सिगरेट केस, ऐश ट्रे, हुक्का, फूलदान और पनडब्बे बनाये जाते हैं।

खिलौने और गुड़ियाँ

खिलौने हमारी लोक-कला के प्रमुख अंग हैं। गाँव के बढ़ई और कुम्हार अन्य

सामानों के साथ-साथ मिट्टी और लकड़ी के खिलौने भी बनाते रहे हैं। इन खिलौनों पर हमारे दैनिक जीवन की छाप सर्वदा रही है।

उत्तर प्रदेश में लखनऊ और वाराणसी खिलौना उद्योग के केन्द्र रहे हैं। दोनों जिलों में तैयार होने वाले खिलौनों की अपनी-अपनी विशेषताएँ हैं। लखनऊ में मिट्टी के और वाराणसी में लकड़ी के खिलौने बनाये जाते हैं।

वाराणसी में लकड़ी के नाना प्रकार के खिलौने बनते हैं जिनमें रसोई के बर्तनों का सेट बहुत प्रसिद्ध है। विभिन्न पशु-पक्षियों का रूप-रंग भी बड़ी कुशलता से लकड़ी में उतार दिया जाता है।

लखनऊ के खिलौने मिट्टी से बनाये जाते हैं और इनकी सजावट में चटक रंगों का प्रयोग किया जाता है। बैंड वादकों, फलों, तरकारियों, नौकरों, साधु-संतों और विभिन्न पेशे के लोगों के सेट लखनऊ के खिलौनों में प्रमुख हैं। चिड़ियों का सेट तो इतना खूबसूरत और जानदार बनाया जाता है कि लोग इन्हें देखकर आश्चर्य-चकित रह जाते हैं।

राज्य में गुड़िया बनाने की कला को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है तथा इससे महिलाओं को विशेष तौर पर काम मिलता है। प्रदेश में तैयार होने वाली गुड़ियाँ आज शहरों की दूकानों में अपना स्थान बना चुकी हैं। इनकी माँग प्रति दिन बढ़ती जा रही है।

डिजाइन सेण्टर

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद दस्तकारियों के पुनरुद्धार की समस्या भी हमारे सामने आयी। हमारी दस्तकारियों की दशा उस समय अत्यन्त शोचनीय थी। यह प्रतिदिन नष्ट होती जा रही थी। इनके पुनरुद्धार और राष्ट्र की अर्थ-व्यवस्था में इन्हें उचित स्थान दिलाने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में एक डिजाइन सेन्टर की स्थापना की है। यह केन्द्र शिल्पियों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करता है तथा नयी-नयी डिजाइनें चालू करता है, जिससे कि हमारी दस्तकारियाँ समय और बाजार की चुनौती स्वीकार कर सकें।

श्रम

किसान हमारी कृषि अर्थ-व्यवस्था का और श्रमिक औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था के मेरुदंड हैं। इन्हीं पर खेत-खलिहान और कल-कारखानों का उत्पादन निर्भर करता है। देश की खुशहाली और समृद्धि के लिए दिन-रात काम पर जुटे रहने वाले श्रमिकों के लिए स्वतंत्रता से पूर्व न काम करने की शर्तें थीं और न कल्याणकारी योजनाएँ। किसान का जमींदारों और मध्यवर्तियों द्वारा शोषण होता रहा और श्रमिक मिलमालिकों की मनमानी के पाटों के बीच पिसता रहा।

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद लोकप्रिय सरकार ने जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार कानून लागू करके जहाँ किसानों की दशा सुधारने के लिए सक्रिय कदम उठाये वहाँ कल-कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों के आर्थिक, शारीरिक, मानसिक और सांस्कृतिक विकास के लिए भी अनेक योजनाएँ चालू कीं और श्रम कानून बनाये। फलस्वरूप आज किसान अपनी जोत का मालिक है और श्रमिक कारखाने में होने वाले मुनाफे का भागीदार।

आयोजनावद्ध कार्यक्रम के अधीन सरकार ने पहली पंचवर्षीय आयोजना से ही श्रमिकों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएँ कार्यान्वित कीं और इन योजनाओं के अधीन तेजी से कार्य हो रहा है। श्रम-कल्याण केन्द्रों की स्थापना करके श्रमिकों का सांस्कृतिक स्तर ऊँचा उठाया जा रहा है। औद्योगिक नगरों में चिकित्सालय की स्थापना करके श्रमिकों तथा उनके परिवार के सदस्यों के लिए चिकित्सा का समुचित प्रबन्ध करने का प्रयास किया गया है। साथ ही विभिन्न श्रम-कानूनों को सक्रिय रूप से लागू करके श्रमिकों की सेवा-शर्तों में अपेक्षित सुधार करने का भरसक प्रयत्न किया जा रहा है और कारखानों में मालिकों तथा श्रमिकों के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाये रखने के लिए ठोस कदम उठाये गये हैं। आपसी विवादों को समझौतों द्वारा हल करने की दिशा में भी पर्याप्त प्रगति हुई है ताकि कारखानों में शान्ति वनी रहे और औद्योगिक उत्पादन कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन में किसी प्रकार का कोई व्यवधान न पड़े। इस प्रकार आयोजनाबद्ध कार्यक्रम के अधीन श्रम-कल्याण के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है।

पहली पंचवर्षीय आयोजना में श्रमिकों के लाभार्थ राज्य सरकार ने आठ योजनाएँ कार्यान्वित कीं। उन पर १ करोड़ १ लाख ३२ हजार रुपये व्यय किये

गये। ये योजनाएँ कारखानों के विस्तार, दूकान और व्वायलर निरीक्षणालय, असंगठित तथा अत्यधिक श्रमशील उद्योगों में वेतन-सर्वेक्षण, संराधन व्यवस्था तथा ट्रेड यूनियनों के विस्तार, श्रम कल्याण के प्रसार और श्रमिकों के प्रशिक्षण से संबंधित थीं। इनके अतिरिक्त इस काल में केन्द्रीय सरकार को दो योजनाएँ भी कार्यान्वित की गयीं। इनमें से एक योजना का उद्देश्य औद्योगिक नगरों में श्रमिकों के लिए साफ-सुथरे मुहल्लों में उचित किराये पर आधुनिक सुविधा-सम्पन्न मकानों की व्यवस्था करना है। दूसरी केन्द्रीय योजना है कर्मचारी राज्य बीमा योजना, जिसके अधीन श्रमिकों को चिकित्सा सुविधाएँ और आर्थिक लाभ प्राप्त होता है।

द्वितीय योजना

दूसरी पंचवर्षीय आयोजना में श्रम-कल्याण सम्बन्धी चार नयी योजनाएँ प्रारम्भ की गयीं। इस काल में श्रम कल्याण कार्यक्रमों पर एक करोड़ रुपये खर्च हुए।

प्रथम आयोजना काल में अल्मोड़ा तथा गढ़वाल के चाय-बागानों के श्रमिकों और ऊनी कालीन तथा शाल बुनाई उद्योगों के श्रमिकों को छोड़ कर शेष सभी अनुसूचित नौकरियाँ के लिए न्यूनतम वेतन निर्धारित किये गये। दूसरी आयोजना में सभी अनुसूचित नौकरियों के पुराने वेतन-दर संशोधित किये गये तथा जिन नौकरियों की न्यूनतम वेतन दरें पहली आयोजना में निर्धारित नहीं हुई थीं उन्हें भी संबंधित अधिनियम के अन्तर्गत ले लिया गया। खेतिहर श्रमिकों के न्यूनतम वेतन पहले प्रदेश के पूर्वी अंचल के १२ जिलों में और बाद में शेष सभी जिलों में निर्धारित किये गये। पर्वतीय जिलों के खेतिहर श्रमिकों के न्यूनतम वेतन दूसरी आयोजनावधि में निर्धारित किये गये। पहली पंचवर्षीय आयोजना में प्रदेश को सात संराधन क्षेत्रों (कानपुर, मेरठ, बरेली, लखनऊ, गोरखपुर, इलाहाबाद और आगरा) में विभाजित किया गया था। संराधन व्यवस्था के फलस्वरूप आयोजना काल में २०,९४३ मामले निबटाये गये। दूसरी आयोजना में संराधन व्यवस्था का और विस्तार हुआ तथा सहारनपुर, वाराणसी और अलीगढ़ में तीन उप-क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना की गयी।

दूसरी आयोजना में ट्रेड यूनियनों के विकास पर विशेष बल दिया गया। ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण की सुविधाएँ दी गयीं तथा समय-समय पर शिक्षा-शिविर और ट्रेड यूनियन विचार-गोष्ठियों का आयोजन किया गया। साथ ही पुस्तकालय, वाचनालय और औषधालय खोलने के लिए विभिन्न ट्रेड यूनियनों

को वित्तीय सहायता दी गयी। इस प्रकार दूसरी आयोजना में कुल ८३ ट्रेड यूनियनों को वित्तीय सहायता दी गयी।

आयोजनाबद्ध कार्यक्रम के अधीन प्रदेश में श्रमिकों की दशा सुधारने की योजनाओं में श्रम-कल्याण कार्यों को विशेष महत्व दिया गया। पहली आयोजना के लिए निर्धारित कुल १०१.३२ लाख रुपये की धनराशि में से ३६.३४ लाख रुपये इस मद में खर्च किये गये। पहली आयोजना के प्रारंभ में प्रदेश में जहाँ श्रम-कल्याण केन्द्रों की संख्या केवल ३७ थी वहाँ आयोजना के अन्त में बढ़कर ४५ हो गयी। दूसरी आयोजना में २० और श्रम-कल्याण केन्द्रों की स्थापना की गयी और फलस्वरूप मार्च १९६१ तक इनकी संख्या बढ़कर ६५ हो गयी।

श्रमिकों को चिकित्सा की सुविधाएँ प्रदान करने की दिशा में सक्रिय कदम उठाये गये। कानपुर में श्रमिकों के लाभार्थ एक केन्द्रीय टी० बी० क्लिनिक की स्थापना की गयी।

उद्योगों के अभिनवीकरण, स्थायी आदेशों के कार्यान्वयन और चाय बागान श्रमिक अधिनियम, १९५१, को सक्रिय रूप से लागू करने के लिए दूसरी आयोजना में नयी योजनाएँ चालू की गयीं।

श्रमिकों के लिए आवास-व्यवस्था करने की दिशा में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई और सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह-निर्माण योजना के अन्तर्गत दूसरी आयोजना के अन्त तक प्रदेश में २३,७१८ मकानों का निर्माण पूरा हो चुका था।

वर्ष १९५२ में कानपुर में लागू की गयी कर्मचारी राज्य बीमा योजना का पहली आयोजना में लखनऊ, आगरा तथा सहारनपुर में विस्तार किया गया जिसके फलस्वरूप १,१३,००० श्रमिक इस योजना से लाभान्वित हुए। दूसरी आयोजना में यह योजना प्रदेश के १५ औद्योगिक नगरों में चालू थी और १,७८,००० श्रमिकों ने इससे लाभ उठाया।

जनशक्ति एवं रोजगार संबंधी योजनाएँ

दूसरी पंचवर्षीय आयोजना में सम्मिलित की गयीं जन-शक्ति एवं रोजगार संबंधी योजनाओं का उद्देश्य प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों तथा प्रमुख औद्योगिक केन्द्रों में रोजगार सेवा का विस्तार करना था। केन्द्रीय सरकार की इन योजनाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा ४० प्रतिशत धन की व्यवस्था की गयी।

पहली आयोजना के अन्त में प्रदेश में एक क्षेत्रीय, ९ उप-क्षेत्रीय, ११ जिला सेवायोजन कार्यालय और पाँच उप-कार्यालय थे। दूसरी आयोजना में ३० अतिरिक्त

जिला सेवायोजन कार्यालयों और दो उप-कार्यालयों की स्थापना की गयी। साथ ही अलीगढ़ तथा वाराणसी में दो विश्वविद्यालय रोजगार ब्यूरो तथा मंझनपुर (इलाहाबाद) और बड़हलगंज (गोरखपुर) में दो रोजगार सूचना एवं सहायता ब्यूरो की स्थापना की गयी। इस प्रकार मार्च १९६१ तक प्रदेश में ५७ सेवायोजन कार्यालय काम कर रहे थे। इन सेवायोजन कार्यालयों द्वारा दूसरी आयोजनावधि में २,४०,६७४ व्यक्तियों को रोजगार पर लगाया गया।

पहली आयोजना के अन्त में अर्थात् १९५६ में प्रदेश में रजिस्टर्ड कारखानों की संख्या २,०७५ थी जिनमें प्रतिदिन काम करने वाले श्रमिकों की औसत संख्या २,६७,६६३ थी। १९६१ में प्रदेश में कारखानों की संख्या बढ़कर २,६७२ हो गयी और वहाँ काम पर लगे श्रमिकों की प्रतिदिन औसत संख्या भी बढ़कर ३,२७,२६३ हो गयी।

वर्ष १९५७ में लागू की गयी रोजगार बाजार सूचना एकत्रीकरण योजना के अधीन दूसरी आयोजना के अन्त तक सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्योग और निजी क्षेत्र के १७ उद्योग आ गये थे।

तीसरी योजना

तीसरी पंचवर्षीय आयोजना में श्रम कल्याण, जन-शक्ति एवं सेवायोजन और दस्तकारों के प्रशिक्षण संबंधी योजनाओं के लिए कुल ४ करोड़ १४ लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है। इस धनराशि में से ६०.५७१ लाख रुपये आयोजना के पहले दो वर्षों में खर्च किये गये। श्रम कल्याण योजनाओं के अधीन तीसरी आयोजना के पहले दो वर्षों में प्रदेश में तीन श्रम-कल्याण केन्द्र तथा आठ मौसमी केन्द्र स्थापित किये गये और 'ग' श्रेणी के एक श्रम कल्याण केन्द्र को 'ख' श्रेणी का केन्द्र बनाया गया। साथ ही २० युवक क्लबों की स्थापना की गयी और विभिन्न श्रम कल्याण केन्द्रों में प्रौढ़ों के लिए १० स्कूल खोले गये। इसी अवधि में चार विचार-गोष्ठियों का आयोजन किया गया, ४९ श्रमिकों को शिक्षात्मक पर्यटन पर ले जाया गया, ४९ सामाजिक कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की गयी, एक बाल-मनोरंजन केन्द्र तथा पाँच 'हाबी' केन्द्रों की स्थापना की गयी, ७ क्षेत्रीय पुस्तकालय खोले गये और १० श्रम कल्याण केन्द्रों तथा क्षेत्रीय संराधन अधिकारी के कार्यालय के लिए भवन का निर्माण किया गया।

वर्ष १९६३ में 'क' श्रेणी के दो श्रम कल्याण केन्द्रों की स्थापना रेनूकूट (मिर्जापुर) तथा खलीलाबाद (बस्ती) में की गयी। फलस्वरूप वर्ष के अन्त में

प्रदेश में श्रम कल्याण केन्द्रों की संख्या बढ़कर ७० हो गयी, जिनमें २८ 'क' श्रेणी, ३५ 'ख' तथा ६ 'ग' श्रेणी के हैं। हलद्वानी (नैनीताल) के 'क' श्रेणी के श्रमकल्याण केन्द्र को पीलीभीत स्थानान्तरित कर दिया गया है। बलरामपुर (गोंडा) के मौसमी केन्द्र को 'ख' श्रेणी में पुनर्गठित किया गया। साथ ही फर्रुखाबाद के 'ग' श्रेणी के केन्द्र को 'ख' श्रेणी का बनाने के लिए स्वीकृत प्रदान की गयी। वर्ष १९६३ में श्रम कल्याण केन्द्रों से सम्बद्ध सामाजिक कार्यकर्ताओं को मानदेय देने के लिए २०,००० रु० की धनराशि स्वीकृत की गयी। वर्ष १९६३ में श्रम कल्याण केन्द्रों के लिए बजट अनुदान २४ लाख ४७ हजार रुपये तक पहुँच गया। औद्योगिक श्रमिकों की सुविधा के लिए प्रदेश के उन सभी प्रतिष्ठानों में, जहाँ ३०० अथवा इससे अधिक श्रमिक काम करते हैं, उपभोक्ता सहकारी भण्डार तथा सस्ते गल्ले की दूकानें खोलने के लिए आदेश दिये गये। इस प्रकार वर्ष के अन्त तक ३२ उपभोक्ता भण्डारों तथा २३ सस्ते गल्ले की दूकानों की स्थापना हो चुकी थी।

वर्ष १९६३ में प्रदेश की औद्योगिक स्थिति सामान्यतः शान्तिपूर्ण रही तथा देश की संकटकालीन स्थिति को ध्यान में रखते हुए मालिक और श्रमिक दोनों ही उत्पादन बढ़ाने तथा औद्योगिक शांति को बनाये रखने के अपने दायित्वों के प्रति सजग रहे।

प्रदेश में संराधन समितियों द्वारा नवम्बर १९६३ के अन्त तक कुल ४,१२९ विवाद निपटाये गये। इनमें से ९५६ विवादों को इन समितियों ने समझौतों के द्वारा तय किया। श्रम न्यायालयों तथा औद्योगिक न्यायाधिकरणों द्वारा वर्ष के अन्त तक कुल ७९६ निर्णय दिये गये। इनमें से ३१४ निर्णयों को राज्य सरकार ने जून १९६३ तक लागू किया।

इस वर्ष १५ दिसम्बर तक प्रदेश में प्रमाणित ट्रेड यूनियनों की संख्या १,१५१ थी। ट्रेड यूनियनें विकसित होकर राष्ट्रीय पुनरुत्थान में सक्रिय सहयोग दे सकें—इस उद्देश्य से राज्य सरकार ने ट्रेड यूनियनों के शैक्षिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक क्रियाकलाप के लिए १९६३ में १०,००० रु० की आर्थिक सहायता दी। १९६३ में ११४ प्रमाणित ट्रेड यूनियनों के ९३२ पदाधिकारी 'सुरक्षित श्रमिक' घोषित किये गये। साथ ही राजकीय प्रतिष्ठानों, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के प्रतिष्ठानों, कतिपय सहकारी प्रतिष्ठानों तथा नगर महापालिकाओं और नगरपालिकाओं के उन प्रतिष्ठानों में, जहाँ १०० या इससे अधिक कर्मचारी हैं, कार्यपरिषदों के निर्माण का प्रयास जारी था। इस प्रकार वर्ष के अन्त तक प्रदेश के प्रतिष्ठानों में ३३ कार्यपरिषदें संघटित हो चुकी थीं।

वर्ष १९६३ में ५७ प्रतिष्ठानों के स्थानीय आदेश प्रमाणित किये गये और इस प्रकार वर्ष की समाप्ति तक प्रदेश में प्रमाणित स्थायी आदेश वाले प्रतिष्ठानों की कुल संख्या बढ़कर १,०२० हो गयी थी। ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ की धारा ३ के अन्तर्गत प्रदेश के ७१ वैकुअम-पान शक्कर के कारखानों में पहले से ही समान रूप से स्थायी आदेश लागू हैं।

प्रदेश में, भारत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह-निर्माण योजना के ६ चरणों के अधीन बनाये जाने वाले कुल २५,४६६ मकानों में से २५,२१९ मकानों का निर्माण-कार्य १९६३ के अन्त तक समाप्त हो चुका था। इस वर्ष सातवें चरण के अधीन १,६९२ मकानों का निर्माण हो रहा था और आठवें चरण के अधीन १,४२८ मकानों के निर्माण के लिए सरकार से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी थी। राज्य सरकार को चीनी मिलों से संबंधित आवास योजना के अधीन १९६३ के अन्त तक १,५२१ मकान बन चुके थे और १७ मकान निर्माणाधीन थे।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना राज्य के २४ औद्योगिक नगरों में लगभग २,६२,००० बीमाशुल्क श्रमिकों पर लागू रही। इस योजना के अन्तर्गत दिसम्बर १९६३ के अन्त तक २७,८९,४६५ रु० के नकद हित लाभ बीमा शुल्क श्रमिकों को दिये गये, जिनमें से २२,७७,६५७.८९ रु० बीमारी हित लाभ ६८०७.१० रु० मातृका हित लाभ, ४,४५,५०४.४९ रु० का असमर्थता हित लाभ तथा ५९,४९५.५२ रु० आश्रित हित लाभ के रूप में दिये गये।

राज्य में कर्मचारी फण्ड योजना १९६२ के अन्त तक ७० उद्योगों पर लागू थी। १९६३ के अन्त में इस योजना का विस्तार १२ और उद्योगों में किया गया और इस प्रकार वर्ष के अन्त तक यह योजना और कानून ८२ उद्योगों तथा लगभग १,४५४ प्रतिष्ठानों पर लागू था।

वृद्धावस्था पेंशन

इस वर्ष राज्य के बूढ़े एवं असहाय व्यक्तियों को, वृद्धावस्था पेंशन योजना के अधीन, अधिक सुविधाएं दी गयीं। वर्ष १९६३ में प्रदेश २,९३३ असहाय तथा निराश्रित वृद्धों को वृद्धावस्था की पेंशन स्वीकृत की गयी। इस प्रकार आलोच्य वर्ष के अन्त तक वृद्धावस्था पेंशन योजना से प्रदेश के १०,५३९ व्यक्ति लाभान्वित हो रहे थे। इस योजना के अधीन यद्यपि ६५ वर्ष या इससे अधिक अवस्था के निराश्रित वृद्ध व्यक्तियों को १५ रु० मासिक की पेंशन देने की व्यवस्था है तथापि विकलांगों अथवा शारीरिक दृष्टि से असमर्थ वृद्ध व्यक्तियों के संबंध में यह वय-

आगरा-मथुरा मार्ग पर वृक्षारोपण

ऊन-उद्योग के विकास के लिए उन्नत किस्म की भेड़ें पाली जा रही हैं

आगरा जिले में बनी एक नहर, तीसरी पंच वर्षीय योजना में
ऐसी अनेक नहरों का निर्माण हो रहा है

सीमा घटाकर ६० वर्ष की गयी। १ अप्रैल १९६४ से वृद्धावस्था पेंशन की दर १५ रु० मासिक से बढ़ा कर २० रु० मासिक की जा रही है।

वर्ष १९६३ में सरकार ने न्यूनतम वेतन अधिनियम की अनुसूची में होटल एवं रेस्ट्रां, निजी प्रेस, फाउन्ड्रीज़, मेटल (धातु) उद्योग और काँच की चूड़ी बनाने के उद्योग सम्मिलित करने का प्रस्ताव प्रकाशित किया। आलोच्य वर्ष में १२ रोजगारों में वेतन की न्यूनतम दरें निर्धारित की गयीं। वर्ष की समाप्ति तक कुल ३४,८३३ प्रतिष्ठान जिनमें २,९०,१५८ कर्मचारी हैं, इस अधिनियम की परिधि में आये।

इस वर्ष १ मई से उत्तर प्रदेश दूकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, १९६२ को पुराने दूकान अधिनियम, १९४७ के स्थान पर लागू करके सरकार द्वारा दूकानों एवं वाणिज्य प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों को पूर्वापेक्षा अधिक सुविधाएँ प्रदान की गयीं। इस वर्ष जुलाई माह से एटा के नगरपालिका क्षेत्र में, जहाँ दूकान अधिनियम आंशिक रूप से लागू था, और रेलवे स्टेशन गाजियाबाद के क्षेत्र में यह अधिनियम पूर्ण रूप से लागू किया गया। इसके अतिरिक्त पिलखुआ (मेरठ) तथा मंगलौर (सहारनपुर) के नगरपालिका क्षेत्रों में भी दूकान अधिनियम जुलाई १९६३ से आंशिक रूप से लागू किया गया। वर्ष की समाप्ति पर राज्य के ६५ नगरों में यह अधिनियम पूर्ण रूप से और ४७ अन्य नगरों में आंशिक रूप से लागू था।

प्रशिक्षण एवं सेवायोजन

देश की संकटकालीन स्थिति में सरकार के प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय का दायित्व और बढ़ गया है। अतः इस वर्ष अधिकाधिक संख्या में प्राविधिक कर्मचारियों एवं दस्तकारों की व्यवस्था करने की दिशा में यह निदेशालय सक्रिय रूप से काम करता रहा। निदेशालय ने जन-शक्ति एवं सेवायोजन और दस्तकारों के प्रशिक्षण से संबंधित विभिन्न योजनाओं को तेजी से सम्पन्न करने की ओर विशेष ध्यान दिया।

सेवायोजन सेवा से मालिकों और रोजगार की तलाश करने वालों को लाभ पहुँचता रहा। साथ ही इंजीनियरिंग तथा गैरइंजीनियरिंग व्यवसायों में बड़ी संख्या में लोगों को प्रशिक्षित किया गया। राष्ट्रीय संकटकालीन स्थिति में सेना रक्षा प्रतिष्ठानों तथा रक्षा-उत्पादन से सम्बद्ध अन्य विभागों के लिए टेक्नीशियनों तथा अन्य कर्मचारियों की तात्कालिक व्यवस्था करने में सेवायोजन कार्यालयों से बड़ी सफलता मिली।

नवम्बर १९६३ तक उत्तराखण्ड के तीन जिलों को छोड़ कर प्रदेश के अन्य सभी जिलों में कुल ६३ सेवायोजन कार्यालयों की स्थापना हो चुकी थी। साथ ही अलीगढ़, वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ, गोरखपुर तथा रुड़की विश्वविद्यालयों में सेवायोजन सूचना एवं पथप्रदर्शन ब्यूरो खोले गये जहाँ छात्रों को विभिन्न प्रकार की उपयोगी सूचना उपलब्ध होती रही। राज्य के ग्राम क्षेत्रों में वहाँ के निवासियों के लाभार्थ अनेक विकास खण्डों में, विशेषकर उन खण्डों में जहाँ अग्रगामी योजनाएं चालू हैं, ३६ सेवायोजन सूचना एवं सहायता ब्यूरो स्थापित किये गये।

इस वर्ष राज्य के सेवायोजन कार्यालयों के क्रियाकलाप में पर्याप्त वृद्धि हुई। नवम्बर १९६३ तक रोजगार की तलाश करने वाले ८,८२,६३१ व्यक्तियों ने सेवायोजन कार्यालयों में अपने नाम दर्ज करवाये। मालिकों ने १,३६,२५५ रिक्त स्थानों के सम्बन्ध में इन कार्यालयों को सूचना दी। फलस्वरूप इस वर्ष नवम्बर माह तक १,०३,८६० व्यक्तियों को सेवायोजन कार्यालयों द्वारा रोजगार पर लगाया गया। वर्ष के अन्त में रोजगार पाने के इच्छुक ४,४६,१४७ व्यक्तियों के नाम इन कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में दर्ज थे।

प्रदेश के १८ सेवायोजन कार्यालयों में स्थित व्यावसायिक पथ-प्रदर्शक इकाइयों ने युवकों तथा रोजगार की तलाश करने वाले अन्य व्यक्तियों को उनके पेशे चुनने में सहायता प्रदान की।

इस वर्ष सेवायोजन बाजार सूचना कार्यक्रम, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के संबंध में, प्रदेश के सभी जिलों में चालू था लेकिन निजी क्षेत्र में यह योजना केवल ४१ जिलों में लागू थी। सार्वजनिक क्षेत्र के संबंध में इस कार्यक्रम के अधीन शत प्रतिशत सफलता मिली और निजी क्षेत्र के उद्योगों के मालिकों ने ९५ से १०० प्रतिशत तक सूचनाएँ दीं। इस वर्ष राज्य के प्रत्येक जिले के लिए बाजार सूचना संबंधी त्रैमासिक रिपोर्ट प्रकाशित की गयी।

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है देश की संकटकालीन स्थिति में प्राविधिक कर्मचारियों तथा दस्तकारों की बढ़ती हुई माँग की पूर्त्ति के लिए प्रदेश की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में अधिक सीटों की व्यवस्था की गयी और प्रशिक्षण कार्यक्रम को तेजी से चलाया गया।

वर्ष १९६३ के अन्त तक प्रदेश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं की संख्या बढ़कर ४४ हो गयी थी जिनमें १३,१५६ सीटें थीं। इन संस्थाओं में २७ सें इंजीनियरिंग तथा १२ में गैरइंजीनियरिंग व्यवसायों में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था थी।

सशस्त्र सेना, रक्षा प्रतिष्ठानों और आम तौर पर उद्योगों के लिए प्रशिक्षित टेक्नीशियनों की सम्यक् व्यवस्था करने के उद्देश्य से फरवरी १९६३ से ६ माह का एक अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चालू किया गया। इस कार्यक्रम के अधीन अप्रैल १९६३ से मेरठ, लखनऊ तथा वाराणसी स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में ८० रेडियो मेकेनिकों को ट्रेनिंग दी गयी। दस्तकारों के सम्बन्ध में रक्षा प्रतिष्ठानों की माँग की पूर्ति करने में यह कार्यक्रम काफी सफल रहा।

प्रदेश में मार्च १९६२ से लागू किये गये अप्रेन्टिसेज ऐक्ट की व्यवस्थाओं के अधीन सन्तोषजनक ढंग पर कार्य होता रहा। इस अधिनियम के अधीन सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के लिए यह अनिवार्य हो गया है कि वे अप्रेन्टिसों को अपने यहाँ भर्ती करके उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करें। इस प्रकार १९६३ तक प्रायः १,६०० प्रतिष्ठानों का सर्वेक्षण किया गया और ५०० अप्रेन्टिवों को प्रतिष्ठानों ने ट्रेनिंग के लिए अपने यहाँ भर्ती किया। आशा है कि इस योजना के अधीन प्रदेश में प्रशिक्षित दस्तकारों की संख्या में और वृद्धि होगी।

इस प्रकार हम देखते हैं कि इस वर्ष एक ओर जहाँ श्रम-कल्याण योजनाओं की प्रगति सन्तोषजनक थी वहाँ दूसरी ओर देश में संकटकालीन स्थिति की घोषणा होने के बाद राज्य में आयोजित त्रिदलीय श्रम सम्मेलन में मालिकों और श्रमिकों ने आपसी मतभेद भुलाकर औद्योगिक शान्ति बनाये रखने और औद्योगिक उत्पादन में अधिकाधिक वृद्धि करने के लिए जो दृढ़ संकल्प किया था उसका उन्होंने पूरा-पूरा निर्वाह किया।

शिक्षा

शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति की मानसिक, नैतिक शारीरिक शक्तियों का विकास करना और देश की मर्यादाओं तथा आदर्शों के अनुकूल वैयक्तिक और सामुदायिक जीवन को समृद्ध बनाना है। प्रजातांत्रिक शासन में शिक्षा का महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि जनता के शिक्षित होने से एक ओर जहाँ प्रजातंत्र की जड़ें मजबूत होती हैं वहाँ दूसरी ओर लोगों को अपने दायित्व का निर्वाह करने की सामर्थ्य प्राप्त होती है। अतएव स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही हमारे देश और प्रदेश में शिशु शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा और विश्व विद्यालय के स्तर की शिक्षा का सुनियोचित ढंग पर विकास और प्रसार किया जा रहा है। विकास के अन्य क्षेत्रों की भाँति शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारे प्रदेश में पंचवर्षीय आयोजनाओं के अधीन तेजी से प्रगति हो रही है। शिक्षा के विकास पर इन आयोजनाओं के अधीन कितना बल दिया जा रहा है इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि पहली पंचवर्षीय आयोजना में शिक्षा के विकास के लिए जहाँ १७.८६ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी थी वहाँ तीसरी आयोजना में ४६.३८ करोड़ रुपये की गयी है।

पहली योजना में शिक्षा सुविधाओं का विस्तार

पहली पंचवर्षीय आयोजना में शिक्षा कार्यक्रमों के लिए निर्धारित १७.८६ करोड़ रुपये की धनराशि आयोजना की कुल धनराशि का लगभग १३ प्रतिशत थी। इसमें से १०.४६ करोड़ रुपये का प्राविधान ग्रामीण क्षेत्रों में राजकीय प्राथमिक बेसिक स्कूल खोलने के लिए था। इस योजना के अधीन पहली आयोजना के अन्त तक १२,२७६ स्कूल खोले गये। प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों की संख्या १९४५-४६ में १९,०१७ से बढ़कर पहली आयोजना के अन्त में ३१,८९८ हो गयी थी। इन में ६ से ११ वर्ष के आयु के स्कूल जाने वाले छात्रों की संख्या १९५५-५६ में २८.०५ लाख थी जबकि १९४५-४६ में १३.७१ लाख थी।

लड़कियों के शिक्षा के कार्यक्रम के अधीन विशेष प्रगति हुई। १९४५-४६ में में जहाँ बालिका विद्यालयों की संख्या १,४७२ थी वहाँ १९५०-५१ में बढ़कर २,५२० और १९५५-५६ में २,६९६ हो गयी। इसी प्रकार ६ से ११ वर्ष की आयुबर्ग की स्कूल जानेवाली लड़कियों की संख्या भी इस अवधि में १.७५ लाख

से बढ़कर ५.४४ लाख हो गयी। शहरी क्षेत्रों में बालकों और बालिकाओं की अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा योजना क्रमशः ९५ और १० नगर पालिकाओं में लागू की गयी। उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या १९५०-५१ के ९८७ से बढ़कर १९५५-५६ में १,४७४ हो गयी। अनेक गैर-सरकारी स्कूलों का उन्नयन किया गया और उनमें नये वैज्ञानिक एवं रचनात्मक विषयों के अध्यापन की व्यवस्था की गयी। पहली आयोजना में विश्वविद्यालय-स्तर की शिक्षा के प्रसार के लिए प्रदेश के पूर्वी अंचल के जिलों में उच्च शिक्षा के लिए गोरखपुर में एक नये विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी और इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालयों के सहायतार्थ पर्याप्त अनुदान दिया गया।

दूसरी योजना की उपलब्धियाँ

दूसरी पंचवर्षीय आयोजना में शिक्षा विकास योजनाओं के लिए कुल १६४९.०८० लाख रुपये की व्यवस्था की गयी थी, जिसमें से १४३१.२१६ लाख रुपये खर्च हुए।

आयोजना के प्रारम्भ में प्रदेश में जूनियर बेसिक स्कूलों की संस्था ३१,८९८ थी। ६ से ११ वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले छात्रों की संख्या २८.०५ लाख थी अर्थात् ६–११ वयवर्ग के बच्चों की ३३.४५ प्रतिशत। आयोजना के अन्त तक जूनियर बेसिक स्कूलों की संख्या बढ़कर ४०,०८३ हो गयी थी। इस अवधि में खोले गये नये स्कूलों में से ६,०७५ स्कूल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में थे। दूसरी आयोजना में इन स्कूलों में बालकों की संख्या २२.६ लाख से बढ़कर लगभग ३२.२ लाख और बालिकाओं की ५.४४ लाख से बढ़कर लगभग ८.७ लाख हो गयी। इस प्रकार दूसरी आयोजना के अन्त में ६–११ वय-वर्ग के स्कूली बालकों का प्रतिशत लगभग ६४.८० और बालिकाओं का १९.३१ था। दूसरी आयोजना के अन्त में स्कूल जाने वाले बालक-बालिकाओं का प्रतिशत मिलाकर ४३.२२ था अर्थात पहली आयोजना के अन्तिम वर्ष की तुलना में ४२.९ की वृद्धि हुई। दूसरी आयोजना में प्रत्येक जूनियर बेसिक स्कूल को दस्तकारी संबंधी सामग्री, चार्ट, पुस्तकें आदि की खरीद के लिए १०० रु० वार्षिक का आवर्तक अनुदान दिया गया। स्कूल भवनों में सुधार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित २,३३८ जूनियर बेसिक स्कूलों को तथा शहरी क्षेत्रों के ८० स्कूलों को ३१.३८ लाख रुपये के सहायतार्थ अनुदान दिये गये। वर्ष १९५७–५८ में पहली से छठवीं कक्षा तक शिक्षा शुल्क समाप्त किया गया।

प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के फलस्वरूप प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या में भी पर्याप्त वृद्धि करने की आवश्यकता पड़ी। अतः १९५८–५९ में ११ बेसिक ट्रेनिंग स्कूल तथा १९५९–६० में ४८ नये नार्मल स्कूल खोले गये। फलस्वरूप ऐसे स्कूलों की संख्या बढ़कर ११७ हो गयी जिनमें ५,८५० शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की व्यवस्था थी। इनमें से एक बेसिक ट्रेनिंग स्कूल तथा २२ नार्मल स्कूल बालिकाओं के लिए थे।

प्रदेश में सीनियर बेसिक अथवा जूनियर हाई स्कूलों की संख्या १९५५–५६ के ३,६४० से बढ़कर १९६०–६१ में ४,३३५ हो गयी। दूसरी आयोजना में खोले गये ६९५ स्कूलों में से ३० सरकार द्वारा तथा १०२ निजी संस्थाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गये। इन स्कूलों में १९६०–६१ में ११ से १४ वर्ष की आयु वाले ८.२४ लाख छात्र थे। प्रदेश में १९५५–५६ से १९६०–६१ की अवधि में ११–१४ वयवर्ग के स्कूल जाने वाले बालकों का प्रतिशत २३.६४ से बढ़कर २९.०६ और बालिकाओं का ३.१९ से बढ़कर ५.५४ हो गया। इस प्रकार बालक-बालिकाओं को मिलाकर यह प्रतिशत इस अवधि में १४.०१ से बढ़कर १७.८४ हो गया। दूसरी आयोजना में अतिरिक्त विषयों के अध्यापन, पुस्तकालयों के सुधार और सीनियर बेसिक स्कूलों के शिक्षकों की सेवा-दशाओं में सुधार करने की भी व्यवस्था की गयी। इस आयोजनावधि में ४० स्कूलों में कृषि, ३३० स्कूलों में दस्तकारी, ३१३ स्कूलों में सामान्य विज्ञान और २० स्कूलों में बालिकाओं के लिए संगीत विषय के अध्यापन की व्यवस्था की गयी। साथ ही १,०४० स्कूलों के पुस्तकालयों के सुधार के लिए अनुदान दिये गये।

माध्यमिक शिक्षा

माध्यमिक शिक्षा के विस्तार के लिए भी सक्रिय कदम उठाये गये। फलस्वरूप उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की संख्या जहाँ १९५५–५६ में १,४७४ थी वहाँ १९६०–६१ में १,७७१ हो गयी। इसी अवधि में इन स्कूलों में छात्रों की संख्या ३.४ लाख से बढ़कर ४.५ लाख और छात्राओं की ०.३१ लाख से बढ़कर ०.५६ लाख हुई। दूसरी आयोजना के अन्त में स्कूल जाने वाले १४–१८ वयवर्ग के बालकों का प्रतिशत १५.४८ तथा बालिकाओं का २.११ था जब कि पहली आयोजना के अन्त में यह प्रतिशत क्रमशः १२.६५ तथा १.३० था। माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में दूसरी आयोजना के अन्त तक की उपलब्धियाँ थीं ३१० नये स्कूलों का सहायतार्थ अनुदान की नियमित सूची में लाया जाना, ५७५ स्कूलों के भवनों तथा पुस्तकालयों का सुधार तथा २५ स्कूलों में खेल के मैदानों की व्यवस्था। दूसरी

आयोजना में सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों में स्थित तीन गैर सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तथा चार जूनियर हाई स्कूलों को अपने अधिकार में लिया। हाई स्कूलों को वहुवंधी स्कूलों में परिवर्तित करने की योजना के अधीन कुछ राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में ६० पाठ्यक्रमों को चालू किया गया जिनमें से १० पाठ्यक्रम सामान्य इंजीनियरिंग से संबंधित थे।

शैक्षिक पथप्रदर्शन-सेवा के विकास के लिए वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, बरेली तथा मेरठ में क्षेत्रीय मनोविज्ञान केन्द्रों की स्थापना की गयी और चुने हुए राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में २५ मनोवैज्ञानिकों की नियुक्ति की गयी।

दूसरी आयोजना में वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी तथा इलाहाबाद, लखनऊ, आगरा और गोरखपुर विश्वविद्यालयों को सहायतार्थ अनुदान दिये गये। पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं तथा होस्टलों आदि के विस्तार के लिए डिग्री कालेजों को अतिरिक्त अनुदान दिया गया। नैनीताल, ज्ञानपुर तथा रामपुर के राजकीय डिग्री कालेजों में अतिरिक्त अध्यापकों, उपकरणों तथा भवनों की व्यवस्था करके उनका पुनर्गठन किया गया।

साक्षरता आन्दोलन संबंधी विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के फलस्वरूप १९५१ की तुलना में १९६१ में पुरुषों की साक्षरता में ३५ प्रतिशत की तथा महिलाओं की साक्षरता में ५१ प्रतिशत की वृद्धि हुई।

इस प्रकार हम देखते हैं कि पहली तथा दूसरी पंचवर्षीय आयोजनाओं के अधीन शिक्षा के विकास के लिए भरसक प्रयास किये गये। १९५०–५१ में जहाँ शिक्षा के लिए केवल ७·४३ करोड़ रुपये का प्राविधान था वहाँ १९६०–६१ में शिक्षा के लिए २७.७० करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी। यह उल्लेखनीय है कि १९६०–६१ में महाराष्ट्र के वाद अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश का शिक्षा का वजट सवसे अधिक था। १९५१–५२ में जहाँ प्रति व्यक्ति शिक्षा संबंधी व्यय केवल १ रु० २७ न० पै० था वहाँ १९६०–६१ में २ रु० ४१ न० पै० हो गया।

तीसरी योजना के लक्ष्य

दो पंचवर्षीय आयोजनाओं के अधीन शिक्षा प्रसार कार्यक्रमों की सफलताओं से प्रोत्साहित होकर सरकार ने तीसरी आयोजना को और व्यापक बनाया और शिक्षा कार्यक्रमों के लिए कुल ४६.३८० करोड़ रुपये की व्यवस्था की। इस धन

राशि में से ४५३.७८३ लाख रुपये १९६१–६२ में तथा ५९९.२२६ लाख रुपये १९६२–६३ में व्यय किये गये। १९६३–६४ के वर्ष में शिक्षा कार्यक्रमों के लिए बजट में ७४०.७०९ लाख रुपये का प्राविधान किया गया।

देश में संकटकालीन स्थिति की घोषणा होने के बाद यद्यपि कृषि, सड़क, सिंचाई एवं विद्युत् और अन्य कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी गयी तथापि इस बात का ध्यान रखा गया कि प्राथमिक शिक्षा, विज्ञान के अध्यापन, शारीरिक एवं सैनिक शिक्षा के कार्यक्रमों में कोई व्यवधान न पड़े। वर्ष १९६३–६४ का शिक्षा संबंधी कार्यक्रम संकटकालीन स्थिति को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया और तदनुसार विभिन्न स्तरों पर शिक्षा को मौलिक मोड़ दिया गया। छात्रों के बौद्धिक विकास का संतुलन करने के लिए उनके शारीरिक विकास की ओर तथा वड़ी अवस्था के छात्रों को अधिक संख्या में सैनिक शिक्षा देने की ओर विशेष ध्यान दिया गया। माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के स्तरों पर विज्ञान की शिक्षा का अधिक विस्तार करने और विज्ञान के पाठ्यक्रम को घनीभूत करने के लिए सक्रिय कदम उठाये गये, जिससे सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विज्ञान की शिक्षा-प्राप्त युवकों की व्यवस्था की जा सके।

आयोजना के पहले दो वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में सभी स्तरों पर यद्यपि उल्लेखनीय प्रगति हुई तथापि वर्ष १९६३ में प्राथमिक शिक्षा के प्रसार और सुधार के लिए राज्यव्यापी कार्यक्रम का चलाया जाना, छठवीं कक्षा में तीन भाषा के सिद्धान्त का लागू किया जाना, स्वेच्छिक आधार पर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में तीसरी कक्षा में अंग्रेजी विषय के अध्यापन की व्यवस्था तथा राज्य के दस मुख्य नगरों में दक्षिणी भाषाओं के अध्ययन की व्यवस्था करना उल्लेखनीय कार्य थे।

पूर्व प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के प्रसार के लिए तीसरी आयोजना में ६ राजकीय बालिका नार्मल स्कूलों में पूर्व प्राथमिक कक्षाएँ खोलने और १५ नर्सरी तथा मांटेसरी स्कूलों को सहायतार्थ अनुदान की सूची में लाने की योजना है। अतः आयोजना के पहले दो वर्षों में तीन पूर्व-प्राथमिक कक्षाएं खोली गयीं और ६ नर्सरी तथा मांटेसरी स्कूलों को सहायतार्थ अनुदान की सूची में सम्मिलित किया गया।

प्रार्थमिक शिक्षा

सरकार ने ६-११ वर्ष के वच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने के उद्देश्य से तीसरी आयोजना में २३,८७० नये जूनियर बेसिक स्कूल खोलने तथा

ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूदा और नये स्कूलों में १५,५०० अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति करने की योजना बनायी है, ताकि ६–११ वर्ष वय वर्ग के प्राय: ६७ लाख बच्चों के लिए यह शिक्षा उपलब्ध हो सके। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आयोजना के तीन वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में ८,००० मिश्रित जूनियर बेसिक स्कूल तथा बालिकाओं के ३,००० जूनियर बेसिक स्कूल खोले गये और शहरी क्षेत्रों में बालकों के ३५० तथा बालिकाओं के ६५० जूनियर बेसिक स्कूल खोले गये। प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की सम्यक् व्यवस्था करने के लिए इन तीन वर्षों में ८,००० अतिरिक्त अप्रशिक्षित अध्यापकों तथा ६,५०० मुख्य अध्यापकों की नियुक्ति की गयी। प्राथमिक शिक्षा के लिए केन्द्रीय सरकार से पर्याप्त सहायता मिलने के फलस्वरूप १ दिसम्बर १९६३ से ११,२६५ अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति की गयी।

वर्ष १९६३ में प्रदेश में २,६५० और प्राइमरी स्कूल खोले गये। फलस्वरूप इनकी संख्या बढ़कर ५२,०८३ हो गयी। प्राइमरी स्कूलों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए निरीक्षकों की संख्या में भी वृद्धि करना आवश्यक था। अत: आयोजना के पहले दो वर्षों में २२० सब-डिप्टी इंस्पेक्टर तथा १२५ सहायक निरीक्षकाओं की नियुक्ति की गयी। १९६३ में ३५ सहायक निरीक्षकाओं की नियुक्ति हुई।

बालिकाओं की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया गया। वर्ष १९६३ में बच्चों और विशेषकर बालिकाओं को अधिकाधिक संख्या में स्कूलों में भर्ती करने के लिए जनवरी तथा अक्तूबर में विशेष भर्ती अभियान चलाये गये। बालिकाओं की शिक्षा की विशेष योजनाओं के अधीन आयोजना के तीन वर्षों में प्रदेश के १,५०० मिश्रित स्कूलों में स्कूल माताओं की नियुक्ति की गयी। इसी अवधि में १८० प्राइमरी स्कूलों में क्रमोत्तर कक्षाएँ भी खोली गयीं। साथ ही १०,९२१ अध्यापिकाओं को ग्रामीण भत्ता देने तथा मिश्रित स्कूलों में ३,००० शौचालयों के निर्माण के लिए अनुदान स्वीकृत किये गये। अध्यापिकाओं के लिए आवास की व्यवस्था करने हेतु मार्च १९६३ तक २,१२० क्वार्टरों के निर्माणार्थ अनुदान स्वीकृत किये गये और आशा है कि मार्च १९६४ तक ४०० और क्वार्टरों के लिए धन की स्वीकृति दे दी जायगी।

अध्यापकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रगति सन्तोषजनक थी। आयोजना के पहले तीन वर्षों में प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों के लिए १३ राजकीय नार्मल स्कूल तथा दो रिफ्रेशर कोर्स केन्द्र खोले गये।

इस वर्ष की एक महत्त्वपूर्ण घटना यह थी कि प्राइमरी स्कूलों के बच्चों को दुग्ध चूर्ण देने के लिए 'यूनीसेफ' कार्यक्रम के अधीन २ अक्तूबर १९६३ से पूर्वी

अंचल के १० तथा पर्वतीय अंचल के ७ जिलों में एक नयी योजना चालू की गयी। इस योजना से डेढ़ लाख बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं।

पूर्व माध्यमिक शिक्षा

तीसरी आयोजना के पहले दो वर्षों में ४० राजकीय सीनियर बेसिक स्कूल (१६ बालकों के तथा २४ बालिकाओं के) तथा सहायतार्थ अनुदान के आधार पर बालिकाओं के लिए ५२ सीनियर बेसिक स्कूल खोले गये और ३८४ स्कूलों को सहायतार्थ अनुदान की सूची में सम्मिलित किया गया। साथ ही विज्ञान के लिए २३८, पुस्तकालयों के लिए ५५०, फर्नीचर तथा अन्य उपकरणों के लिए १६१ और भवन-निर्माण के लिए १५० स्कूलों को अनावर्तक अनुदान दिये गये। आशा है कि मार्च १९६४ तक २० राजकीय सीनियर बेसिक स्कूल (८ बालकों के तथा १२ बालिकाओं के) और ४७ सीनियर बेसिक स्कूल बालिकाओं के लिए सहायतार्थ अनुदान के आधार पर खुल जायँगे। इस वर्ष १७० सीनियर बेसिक स्कूलों को सहायतार्थ अनुदान की सूची में सम्मिलित किया जायगा और १२० स्कूलों को विज्ञान के लिए, १५० को पुस्तकालयों के लिए, १५० को फर्नीचर तथा उपकरण के लिए और २५ स्कूलों को भवन निर्माण के लिए आवर्तक अनुदान दिये जायँगे।

अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत आयोजना के तीन वर्षों में ६ प्रशिक्षण संस्थाओं को सहायतार्थ अनुदान की सूची में सम्मिलित किया गया और दो जूनियर ट्रेनिंग कालेज लड़कों के लिए खोले गये।

पूर्व माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा की विशेष योजनाओं के अधीन आयोजना के प्रथम दो वर्षों में बालिकाओं के २० छात्रावासों तथा अध्यापिकाओं के लिए ३५० क्वार्टरों का निर्माण-कार्य प्रारम्भ हुआ। साथ ही १,१६१ अध्यापिकाओं को ग्रामीण भत्ता देने तथा १०,००० निर्धन बालिकाओं को पुस्तकों आदि के लिए अनुदान दिये गये। वर्ष १९६३ में ५,००० बालिकाओं को पुस्तकें आदि की खरीद के लिए अनुदान दिये गये तथा अध्यापिकाओं के लिए ६० क्वार्टरों के निर्माण हेतु धन की व्यवस्था की गयी।

तीसरी आयोजना के प्रथम तीन वर्षों में प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के फलस्वरूप अनुमान है कि मार्च १९६४ तक ५वीं कक्षा तक के बच्चों की संख्या बढ़कर ५७.३३ लाख हो जायगी जिनमें १५.५७ लाख बालिकाएँ होंगी। चालू वर्ष के अन्त में ६–११ वय-वर्ग के स्कूली बच्चों का प्रतिशत ५५.४५ जिनमें बालिकाओं का प्रतिशत ३१.७० होने की आशा है। इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर छठवीं से आठवीं कक्षा तक के छात्रों की संख्या मार्च १९६४ तक बढ़कर १०.८६

लाख हो जायगी जिनमें १.६० लाख बालिकाएँ होंगी। प्रदेश में ११–१४ वय-वर्ग के स्कूली बच्चों का प्रतिशत वर्ष के अन्त में २०.६१ था, जिनमें ६.४१ प्रतिशत बालिकाएँ थीं।

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा

माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाने तथा उसमें अपेक्षित सुधार करने के लिए तीसरी आयोजना में भवनों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों तथा फर्नीचर एवं उपकरणों के लिए समुचित अनुदान देकर उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को सुदृढ़ आधार प्रदान करने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। अतएव आयोजना के पहले दो वर्षों में प्रदेश के २९५ उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को सहायतार्थ अनुदान की सूची में सम्मिलित किया गया और २३० स्कूलों को विज्ञान की प्रयोगशालाओं के निर्माण तथा विज्ञान संबंधी सामग्री की खरीद के लिए, ४७१ स्कूलों को उपकरणों तथा फर्नीचर के लिए, ३०३ स्कूलों को भवनों के विस्तार के लिए, ३२७ स्कूलों को पुस्तकालयों के लिए, ५५ स्कूलों को खेल के मैदानों के लिए और १३२ स्कूलों को भवन-निर्माण के लिए अनावर्तक अनुदान स्वीकृत किये गये। इसी प्रकार वर्ष १९६३ में ७० और स्कूलों को सहायतार्थ अनुदान की सूची में सम्मिलित किया गया और १११ स्कूलों को विज्ञान विषय के अध्यापन के लिए, २१० को उपकरणों तथा फर्नीचर की खरीद के लिए, ४० स्कूलों को भवनों के विस्तार के लिए, ८० स्कूलों को पुस्तकालयों के लिए, ५० स्कूलों को खेल के मैदान के लिए और ३० स्कूलों को भवन-निर्माण के लिए अनावर्तक अनुदान दिये गये।

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के प्रसार के लिए आयोजना के तीन वर्षों में प्रदेश में १४ राजकीय हाई स्कूलों का उन्नयन करके उन्हें इंटरमीडिएट स्तर का बनाया गया। इसी अवधि में लड़कों के दो तथा लड़कियों के १४ राजकीय जूनियर हाई स्कूलों का दर्जा ऊँचा करके उन्हें हाईस्कूल बनाया गया। साथ ही १९ राजकीय इंटर कालेजों में विज्ञान विषय के अध्यापन की व्यवस्था की गयी। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर विज्ञान विषय की शिक्षा में यथोचित सुधार करने के लिए वर्ष १९६३ में हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट कालेजों में विज्ञान के प्रसार तथा सुधार की एक नयी योजना चालू की गयी।

माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा के विशेष कार्यक्रमों के अन्तर्गत आयोजना के पहले दो वर्षों में बालिकाओं को विशेष छात्रवृत्तियाँ तथा पुस्तकीय सहायता दी गयी। साथ ही ४० संस्थाओं में जहाँ सह-शिक्षा की व्यवस्था है, सामूहिक कक्षों की व्यवस्था की गयी। माध्यमिक शिक्षा के प्रसार और विकास

के लिए उठाये गये उपर्युक्त कदमों के फलस्वरूप आशा है कि ९वीं से १२वीं कक्षा तक के छात्रों की संख्या मार्च १९६४ तक बढ़कर ६.५४ लाख हो जायगी जिनमें ०.६९ लाख बालिकाएँ होंगी। आलोच्य वर्ष के अन्त में १४–१८ वय-वर्ग के छात्र-छात्राओं का कुल प्रतिशत १०.६७ और बालिकाओं का २.३७ हो जायगा।

वर्ष १९६३ में विज्ञान की शिक्षा के अधिक प्रसार तथा उसे प्रोत्साहन देने के लिए अनेक सक्रिय कदम उठाये गये। राजकीय तथा सहायता प्राप्त विद्यालयों को विज्ञान की कक्षाएँ खोलने के लिए प्रोत्साहन दिया गया और माध्यमिक शिक्षा परिषद से अनुरोध किया गया कि विज्ञान की शिक्षा के स्तर में किसी प्रकार की गिरावट लाये बिना विज्ञान विषय की मान्यता के लिए प्राप्त नये प्रार्थना पत्रों पर सहानुभूतिपूर्वक ध्यान दिया जाय। साथ ही माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान के अध्यापकों की कमी को यथाशीघ्र दूर करने की दिशा में सक्रिय कदम उठाये गये।

विश्वविद्यालयी शिक्षा

प्रदेश में उच्च शिक्षा में अपेक्षित सुधार करने तथा विश्वविद्यालय स्तर पर अध्ययन के स्तर को ऊँचा उठाने के उद्देश्य से मौजूदा डिग्री कालेजों और इलाहाबाद, लखनऊ, गोरखपुर तथा आगरा विश्वविद्यालयों तथा संस्कृत विश्वविद्यालय को, उनकी विस्तार संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप, आयोजना के दो वर्षों में सुदृढ़ आधार प्रदान करने का प्रयास किया गया। पर्वतीय अंचल के जिलों में बी० एस-सी० के स्तर तक छात्रों को विज्ञान के अध्ययन की सुविधाएँ प्रदान करने के लिए श्रीनगर (गढ़वाल) में एक नया राजकीय डिग्री कालेज खोला गया। साथ ही ३८ गैरसरकारी डिग्री कालेजों को सहायतार्थ अनुदान की सूची में सम्मिलित किया गया। वर्ष १९६३ में प्रदेश के विश्वविद्यालयों तथा चुने हुए डिग्री कालेजों को उनके विकास कार्यक्रमों के लिए अनुदान दिये गये और ३० गैरसरकारी डिग्री कालेजों को सहायतार्थ अनुदान की सूची में सम्मिलित किया गया।

अन्य योजनाएँ

संकटकालीन स्थिति की घोषणा होने के बाद प्रदेश के स्कूलों, कालेजों तथा विश्वविद्यालयों में शारीरिक तथा सैनिक शिक्षा पर विशेष बल दिया गया और प्रदेश में सभी अण्डर ग्रेजुएट छात्रों के लिए एन० सी० सी० की ट्रेनिंग अनिवार्य की गयी। युवकों को राष्ट्रीय संकट का मुकाबला करने के लिए अपेक्षित सैनिक शिक्षा देने के निमित्त प्रान्तीय शिक्षा दल, एन० सी० सी० तथा ए० सी० सी० के कार्यक्रमों का और विकास किया गया। आयोजना के पहले तीन वर्षों में प्रान्तीय

शिक्षा दल, एन० सी० सी० तथा ए० सी० सी० के विकास के अतिरिक्त बालिकाओं के लिए कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, लखनऊ और झाँसी में प्रान्तीय शिक्षा दल के एक नये दल की स्थापना की गयी जिसे रानी लक्ष्मीबाई रेजीमेंट की संज्ञा दी गयी। सैनिक कालेजों में भर्ती होने के इच्छुक कुछ चुने हुए कैडेटों को विशेष सैनिक शिक्षा देने के लिए एक नयी योजना भी चालू की गयी। इन योजनाओं के फलस्वरूप प्रदेश में प्राय: तीन लाख छात्र-छात्राओं को सैनिक शिक्षा देने की व्यवस्था हो गयी है। वर्ष के अन्त में एन० सी० सी० कैडटों की संख्या २,२६,००० और प्रान्तीय शिक्षा दल के कैडेटों की संख्या ७२,००० थी। साथ ही भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की गयी संकटकालीन शारीरिक शिक्षा योजना तथा राष्ट्रीय अनुशासन योजना से भी पूरा लाभ उठाने का प्रयत्न किया गया।

शिक्षा के क्षेत्र में चालू की गयी अन्य योजनाओं के अधीन इलाहाबाद में शिक्षा प्रसार विभाग में एक श्रव्य-दृश्य शिक्षा प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की गयी और दो जिला मनोवैज्ञानिक केन्द्र के भवनों का निर्माण-कार्य पूरा किया गया। इनमें से एक केन्द्र की स्थापना आगरा में की गयी और दूसरा केन्द्र १९६४ में गोरखपुर में खोला जायगा। प्रदेश की २९० संस्कृत पाठशालाओं एवं मकतबों को आवर्तक एवं अनावर्तक अनुदान दिये गये। वर्ष १९६३ में पर्वतीय जिलों के छात्रों के लिए एक पृथक शैक्षिक क्षेत्र का निर्माण किया गया जिसका मुख्यालय नैनीताल में है।

सीमा पर दुश्मन से मोर्चा लेते समय घायल हुए अथवा वीरगति प्राप्त सैनिकों के बच्चों के लिए नि:शुल्क शिक्षा प्रदान करने की योजना का और विस्तार किया गया।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों के अधीन अब तक जो प्रगति हुई है वह निश्चय ही उत्साहवर्धक है। आशा है कि तीसरी आयोजना के अन्त तक यह प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े हुए देश के अन्य राज्यों के समकक्ष आ जायगा।

———

चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य

किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिकों का स्वास्थ्य उसकी शक्ति का परिचायक होता है। यदि वहाँ के नागरिक स्वस्थ हैं तो राष्ट्र भी शक्तिशाली होगा। अतएव प्रत्येक स्वतंत्र देश को अपनी जनता के स्वास्थ्य-संवर्द्धन के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करना अनिवार्य है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोकप्रिय सरकार ने आयोजनाबद्ध कार्यक्रम के द्वारा नागरिकों के स्वास्थ्य सुधार के लिए चिकित्सा के स्तर को ऊँचा उठाने के निमित्त अपने सीमित साधनों के अधीन सभी सम्भव उपाय किये।

गांवों में चिकित्सा सुविधाएँ

वस्तुतः १६ वर्ष पूर्व गाँव के लोगों ने यह सोचा भी न होगा कि चिकित्सा की आधुनिक सुविधाएँ कभी उन्हें भी उपलब्ध हो सकेंगी। प्रदेश की इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए, जिसका अधिक भाग गाँवों में रहता है, चिकित्सा और स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था करना बहुत बड़ा काम था। वित्तीय साधनों की कमी और प्रशिक्षित कर्मचारियों के अभाव के कारण यह कार्य और भी कठिन हो गया था। लेकिन सरकार ने इन कठिनाइयों के वावजूद पहली तथा दूसरी पंचवर्षीय आयोजनाओं में नियोजित ढंग से इस दिशा में प्रयास किये जिनके फलस्वरूप स्थिति में आशातीत परिवर्तन हुआ है। इन आयोजनाओं के अधीन प्रदेश के कोने-कोने में अस्पतालों, औषधालयों तथा स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना हुई है, साथ ही स्वास्थ्य के सम्बंध में जनता का दृष्टिकोण भी बदला हमारी जनता आज स्वास्थ्य के प्रति पहले से ज्यादा जागरूक है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य और चिकित्सा सम्बन्धी माँग प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है।

हमारे प्रदेश में आयोजनाबद्ध कार्यक्रम के अधीन ग्रामीण क्षेत्रों को तात्कालिक चिकित्सा सहायता देने पर विशेष बल दिया गया। जनता के लाभार्थ पहले यह सिद्धांत बनाया गया कि नये औषधालय इस प्रकार खोले जायँ कि लोगों को चिकित्सा के लिए अपने घर से पाँच मील से ज्यादा दूर न जाना पड़े। तदनुसार पहली आयोजना के अन्त तक प्रदेश में १४१ एलोपैथिक और ५२ यूनानी तथा आयुर्वेदिक अस्पताल और खोले गये।

पहली योजना की उपलब्धि

पहली आयोजना में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम पर कुल ४.७० करोड़ रुपये खर्च किये गये। आयोजनावधि में अस्पतालों में चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं का विस्तार किया गया और ग्रामीण क्षेत्रों में इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने की दिशा में सक्रिय कदम उठाये गये। पहली आयोजना के अन्त में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार के चिकित्सालयों की संख्या बढ़कर ९९० हो गयी थी। मलेरिया की रोकथाम के लिए पहली आयोजना में कार्य प्रारम्भ किया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय बाल कोष की सहायता से ५५९ मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की गयी। कर्मचारी राज्य बीमा योजना, जो १९५२ में कानपुर में चालू की गयी थी, लखनऊ, आगरा तथा सहारनपुर में भी चालू की गयी।

दूसरी योजना में व्यय की व्यवस्था

दूसरी पंचवर्षीय आयोजना में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य योजनाओं के लिए १२५९.९९३ लाख रु० का प्राविधान था लेकिन कुल ९८२.८२२ लाख रुपये खर्च किये जा सके। इस आयोजना में चिकित्सा-शिक्षा और प्रशिक्षण पर अधिक बल दिया गया जिससे प्रदेश के अस्पतालों और औषधालयों के लिए अधिक संख्या में डाक्टर और प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध हो सकें। दूसरी आयोजना में किये गये प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश में जनता को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की अधिक सुविधाएँ उपलब्ध हुईं और इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि जहाँ १९५०–५१ में प्रति व्यक्ति के स्वास्थ्य पर ०.५१ न० पै० खर्च हुए वहाँ १९५९-६० में यह खर्च बढ़कर १ रु० ३९ न० पै० हो गया। साथ ही शय्याओं, अस्पतालों तथा डाक्टरों की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई। दूसरी आयोजना के अन्त में राजकीय अस्पतालों में शय्याओं की संख्या बढ़कर १७,७०० हो गयी थी।

प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार

प्रदेश में डाक्टरों की कमी को दूर करने के लिए १९५७ में कानपुर में एक मेडिकल कालेज की स्थापना की गयी और प्रतिवर्ष १०० छात्रों को वहाँ भर्ती किया गया। १९६०–६१ में यह संख्या बढ़ाकर १५० कर दी गयी। आगरा के मेडिकल कालेज में भी शय्याओं की संख्या बढ़ायी गयी ताकि वहाँ ७५ के बजाय १०० छात्रों को भर्ती किया जा सके। साथ ही वहाँ ५० शय्याओं की एक पेडिआट्रिक इकाई भी खोली गयी। लखनऊ मेडिकल कालेज में विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से

एक सोशल एण्ड प्रिवेंटिव मेडिसिन विभाग स्थापित हुआ और डेंटल कालेज में भर्त्ती की संख्या २० से बढ़ाकर ४० की गयी।

राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ का विस्तार किया गया और वहाँ आयुर्वेदाचार्य के पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी। कम्पाउंडर, नर्स, हेल्थ विजीटर, मिडवाइफ, सेनिटरी इंस्पेक्टर और मलेरिया इंस्पेक्टर के प्रशिक्षण के कार्यक्रम भी और तेजी से चलाये गये।

रोग-नियंत्रण के उपाय

दूसरी आयोजना की एक महत्त्वपूर्ण योजना थी मलेरिया उन्मूलन योजना, जिसके अन्तर्गत, भारत सरकार की पद्धति के आधार पर, समूचे प्रदेश के लिए ६७ इकाइयाँ स्थापित की गयीं। इस अवधि में प्रदेश में ८ राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण इकाइयाँ तथा तीन सर्वेक्षण इकाइयाँ कार्यरत रहीं। साथ ही तपेदिक के रोगियों का उनके घर पर ही उपचार करने तथा रोग का जल्दी पता लगाने के उद्देश्य से भारत सरकार की पद्धति पर १९ क्लिनिकों की स्थापना की गयी। इस रोग से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए हरद्वार में ५० शय्याओं के एक पृथक् केन्द्र की स्थापना भी की गयी। कुष्ठ रोग पर नियंत्रण पाने के लिए बस्ती, आजगमढ़ तथा बाराबंकी में, जहाँ इस रोग का अपेक्षाकृत अधिक प्रकोप था, तीन केन्द्रों की स्थापना की गयी। रतिज रोगों की रोकथाम के लिए देहरादून जिले के जौनसार बावर क्षेत्र में योजनाएँ चालू रहीं। रतिज रोगों के उपचार के लिए मेरठ तथा वाराणसी में दो क्लिनिकों की स्थापना की गयी।

आयोजना काल में ग्रामीण-चिकित्सा-सहायता के क्षेत्र में एक नयी योजना चालू की गयी जिसका उद्देश्य प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना करके निरोघात्मक तथा उपचार सम्बन्धी सुविधाएँ एक ही केन्द्र में उपलब्ध करना था। इस प्रकार दूसरी आयोजना के अन्त तक प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या ५२१ हो गयी थी।

परिवार नियोजन

दूसरी आयोजना की एक दूसरी महत्त्वपूर्ण योजना परिवार नियोजन योजना थी जिसके अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में २५ और ग्रामीण क्षेत्रों में १५० परिवार-नियोजन केन्द्रों की स्थापना की गयी। चिकित्सा सहायता की यथोचित व्यवस्था करने के लिए १९ जिला अस्पतालों में औषधि तथा शल्य-चिकित्सा की अलग-अलग शाखाएँ स्थापित की गयीं। विशेष सुविधाएँ प्रदान करने के लिए आयोजना-काल में ६

डिवीजनल अस्पतालों तथा अन्य चुने हुए अस्पतालों का उन्नयन किया गया। आयोजना के अन्त तक राजकीय अस्पतालों तथा चिकित्सालयों में ९९२ और शय्याओं की व्यवस्था की गयी। आयोजना काल में ५१ पुरुष तथा महिला चिकित्सालय खोले गये।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

औद्योगिक श्रमिकों के लाभार्थ पहली आयोजनावधि में प्रदेश के चार नगरों में चालू की गयी कर्मचारी राज्य बीमा योजना का दूसरी आयोजना में १४ और नगरों में विस्तार किया गया और १९५९ से बीमाशुदा श्रमिकों के परिवारों को भी चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध की गयीं। इस प्रयोजन के लिए १८ नये चिकित्सालयों की स्थापना की गयी। दूसरी आयोजना में प्रदेश में ४६ आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय खोले गये।

नेत्र-चिकित्सा की सुविधा प्रदान करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में नेत्र-चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया गया। साथ ही इलाहाबाद के कमला नेहरू अस्पताल में कैंसर के रोगियों के लिए २४ शय्याओं के एक कक्ष की व्यवस्था की गयी।

इस प्रकार दूसरी आयोजनावधि में चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई और इसका प्रमाण इस बात से मिल सकता है कि १९५५–५६ में जहाँ प्रदेश में अस्पतालों तथा औषधालयों की संख्या १,१४१ थी वहाँ १९६०–६१ में बढ़कर १,३६८ हो गयी। इसी प्रकार शय्याओं की संख्या भी इस अवधि में १६,४९७ से बढ़कर १९,३१४ और डाक्टरों की ६,७०० से बढ़कर ८,००० तक पहुँची। दूसरी आयोजना के अन्त तक प्रदेश में प्रति व्यक्ति के स्वास्थ्य पर होने वाला व्यय १९५५–५६ के रु० ०.७६ से बढ़कर १ रु० ४८ न० पै० हो गया था।

तीसरी योजना के कार्य

तीसरी पंचवर्षीय आयोजना में चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम की पहली तथा दूसरी पंचवर्षीय आयोजनाओं में अनुभव की गयी विभिन्न समस्याओं को दृष्टि में रखते हुए तैयार किया गया। अतः तीसरी आयोजना में चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य सेवाओं के और विस्तार के लिए कुल २८१४.१४० लाख रुपये का प्राविधान किया गया। अनुमान है कि इस धनराशि में से १२६६.२९१ लाख रुपये आयोजना के प्रथम तीन वर्षों में खर्च हो जायँगे। इसमें से ४१८.२८९ लाख रुपये की व्यवस्था केवल वर्ष १९६३-६४ के लिए की गयी है। इसके अतिरिक्त

केन्‍ ीय सरकार की कुछ योजनाओं पर ७४.९४७ लाख रुपये मार्च १९६४ तक खर्च हो जायँगे।

तीसरी पंचवर्षीय आयोजना के पहले तीन वर्षों में चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य के क्षेत्र में किये गये कतिपय मुख्य कार्यों का विवरण यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है।

चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार

प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं की निरन्तर बढ़ती हुई माँग की पूर्ति के लिए तीसरी आयोजना में ४० चिकित्सालयों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है जिनमें से १३ चिकित्सालय मार्च १९६४ तक खुल जायँगे। प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों तथा चिकित्सालयों में शय्याओं की वृद्धि करने के लिए भरपूर प्रयास किये गये और ८३६ शय्यायों के लिए भवन निर्माण आदि की स्वीकृति प्रदान की गयी। इन तीन वर्षों में १२ स्थानों पर चिकित्सा तथा शल्य-चिकित्सा की व्यवस्था की गयी। ४ स्थानों पर बाल-क्लिनिकों की, ६ स्थानों पर दन्त-चिकित्सा के क्लिनिकों की और ८ स्थानों पर रक्त बैंकों की स्थापना की गयी। इसके अतिरिक्त ९ स्थानों पर पैथालाजिस्ट और ८ स्थानों पर एनेस्थीसिस्ट की सेवाओं की व्यवस्था की गयी। कानपुर में बच्चों के एक अस्पताल की स्थापना मी की गयी।

संक्रामक रोगों की रोकथाम

छूत की बीमारियों की रोकथाम की दिशा में किये गये प्रयास के फलस्वरूप जनता के स्वास्थ्य में काफी सुधार हुआ है। दूसरी आयोजना में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अधीन स्थापित की गयी ६७ इकाइयाँ निरन्तर कार्य करती रहीं और फलस्वरूप ७.३० करोड़ की आबादी मलेरिया रोग से सुरक्षित है और प्रदेश के ३६ जिलों में चेचक उन्मूलन कार्यक्रम का विस्तार किया गया है। तपेदिक रोग की रोकथाम के लिए भारत सरकार की पद्धति पर १० नये क्लिनिकों की स्थापना की गयी। आशा है कि मार्च १९६४ तक तपेदिक रोगियों के लिए ७८ और शय्याओं की व्यवस्था हो जायगी। वर्ष १९६३ में लखनऊ स्थित प्राविंशियल हाइजीन इंस्टीट्यूट ने हैजे के टीके की प्रायः २० लाख मात्राओं का निर्माण किया।

प्रशिक्षण

राष्ट्रीय संकटकालीन स्थिति में अन्य प्राविधिक कर्मचारियों की भाँति चिकित्सा कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम भी अधिक महत्त्वपूर्ण हो गया है। अतः मेडिकल कालेजों में छात्रों की भर्ती की संख्या ४०० से बढ़ाकर ६६४ कर दी

गयी है। यह वृद्धि मौजूदा मेडिकल कालेजों में छात्रों की भर्ती की संख्या में वृद्धि करके तथा इलाहाबाद, वाराणसी और अलीगढ़ में तीन नये मेडिकल कालेजों की स्थापना के फलस्वरूप सम्भव हुई है। अगस्त १९६३ से प्रारम्भ हुए शिक्षा-सत्र से लखनऊ, आगरा, कानपुर तथा इलाहाबाद के मेडिकल कालेजों में प्रवेश पाने वाले छात्रों की संख्या में २५ प्रतिशत की वृद्धि की गयी। कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज में रेडियम तथा कैंसर इंस्टीट्यूट, फार्मेसी के डिप्लोमा पाठ्यक्रम (जिसमें प्रतिवर्ष ५० छात्र भर्ती किये जा सकते हैं) और प्रयोगशाला टैक्नीशियनों को प्रशिक्षित करने के लिए एक केन्द्र की व्यवस्था की गयी। आगरा के मेडिकल कालेज में प्रयोगशाला तथा एक्स-रे टेक्नीशियनों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था जारी रही। साथ ही वहाँ सर्जिकल ब्लाक तथा पेडिआट्रिक्स विभाग का विस्तार भी किया गया। लखनऊ मेडिकल कालेज में 'न्यूरो सर्जरी यूनिट' तथा डी० पी० एच० तथा दन्त चिकित्सा में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की व्यवस्था की गयी। वर्ष १९६३ में मेरठ में एक मेडिकल कालेज की स्थापना करने के सम्बन्ध में जमीन की खरीद करके प्रारंभिक कार्रवाई पूर्ण हुई। कुष्ठ कार्य में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए बाराबंकी जिले में १९६२–६३में एक नये केन्द्र की स्थापना की गयी। साथ ही सरकार ने राज्य के चार मेडिकल कालेजों में ७४० और शय्याओं की व्यवस्था करने के लिए स्वीकृति प्रदान की। राज्य के सभी ९ जनरल नर्सेज ट्रेनिंग केन्द्रों में सहायक नर्सों को प्रशिक्षित करने के लिए अल्प-कालिक पाठ्यक्रम चालू किये गये। प्रत्येक पाठ्यक्रम में २० नर्सों को भर्ती करने की व्यवस्था है।

चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य के क्षेत्र में वर्ष १९६३ की एक महत्त्वपूर्ण योजना थी चिकित्सा विज्ञान के योग्य छात्रों को छात्रवृत्तियाँ तथा ऋण देना। यह योजना इसी वर्ष से लागू की गयी और इसके अधीन इस वर्ष लगभग ६३८ छात्र लाभान्वित होंगे।

देशी चिकित्सा पद्धति के विस्तार के लिए तीसरी आयोजना के पहले तीन वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति हुई। १९६३ तक प्रदेश में ३१ आयुर्वेदिक तथा २ होम्यो-पैथिक चिकित्सालयों की स्थापना हो चुकी थी।

परिवार नियोजन तथा कर्मचारी राज्य बीमा योजना

परिवार नियोजन कार्यक्रम को तीसरी आयोजना में प्राथमिकता दी गयी है। आयोजना के अधीन निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, आशा है मार्च १९६४ तक

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में ५४५ और शहरी क्षेत्रों में ३५ परिवार नियोजन क्लिनिकों की स्थापना हो जायगी। इनमें से शहरी क्षेत्रों में १० और ग्रामीण क्षेत्रों में २०० क्लिनिकों की स्थापना १९६३ में की गयी। इसके अतिरिक्त प्रदेश में ६ सचल 'वासेक्टामी' दलों की भी स्थापना की गयी। परिवार नियोजन कार्यक्रम में और तेजी लाने के लिए वर्ष के अन्त में सरकार द्वारा जिला एवं डिविजनल परिवार नियोजन अधिकारियों की नियुक्ति के प्रस्ताव विचाराधीन थे।

कर्मचारी राज्य बीमा कार्यक्रम के अन्तर्गत औद्योगिक श्रमिकों को चिकित्सा सम्बन्धी अधिकाधिक सुविधाएँ प्रदान करने के लिए सक्रिय कदम उठाये गये। इस दिशा में इस वर्ष की एक उल्लेखनीय उपलब्धि यह थी कि उत्तर भारत के सबसे बड़े औद्योगिक नगर कानपुर में औद्योगिक श्रमिकों के लिए १०० शय्याओं के एक अस्पताल की स्थापना की गयी। प्रदेश में इस कार्यक्रम के अधीन खोले गये चिकित्सालयों की संख्या भी इस वर्ष बढ़कर ११ हो गयी। इस कार्यक्रम को अगले वर्ष तीन और नगरों में चालू करने तथा कानपुर में एक 'चेस्ट' अस्पताल खोलने का प्रस्ताव है। जनता को चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान करने के लिए वर्ष १९६३ में स्वेच्छिक संगठनों तथा स्थानीय निकायों को भी अनुदान देने की व्यवस्था की गयी और आशा है कि मार्च १९६४ तक इस प्रकार ७.०७ लाख रुपये के अनुदान देने का लक्ष्य प्राप्त हो जायगा।

यातायात और संचार

वर्तमान औद्योगिक युग में देश के आर्थिक विकास के लिए अच्छे यातायात-साधनों की आवश्यकता स्वयं-सिद्ध है। गाँवों की उन्नति और वहाँ के निवासियों की सुख-समृद्धि के लिए सामुदायिक विकास के रूप में आज जब कि समूचे देश में एक क्रान्तिकारी अभियान चल रहा है, अच्छी सड़कों के निर्माण तथा विस्तार की आवश्यकता और भी बढ़ गयी है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व गमनागमन के साधनों की भारी कमी के कारण शहरों और गाँवों के बीच निकट का सम्बन्ध नहीं था। यह एक प्रमुख कारण था हमारे गाँवों के पिछड़े रहने का। सड़कों के विकास और पुलों के निर्माण के प्रति विदेशी शासन काल में अपेक्षित ध्यान न दिया गया। यातायात के साधनों की कमी का दुष्परिणाम यह हुआ कि हमारा देश अमेरिका तथा यूरोप के खुशहाल और समृद्ध देशों की तुलना में अत्यधिक पिछड़ा हुआ ही रहा।

आयोजनाबद्ध कार्यक्रम के अधीन राष्ट्र-निर्माण के प्रत्येक क्षेत्र में तेजी से प्रगति हुई और हो रही है। सड़कों तथा पुलों के निर्माण की दिशा में भी हमने पर्याप्त प्रगति की है तथापि अभी बहुत कुछ करना शेष है। सड़कों की लम्बाई का प्रति सौ वर्गमील औसत हमारे देश और प्रदेश में दूसरे देशों की तुलना में आज भी बहुत कम है। जहाँ अमेरिका में सड़कों की लम्बाई का औसत एक सौ वर्गमील में १०० मील, फ्रांस में ३०४ मील और ब्रिटेन में २०० मील है वहाँ हमारे देश में केवल ११.३ मील है। और राज्यों के अनुसार यह औसत आन्ध्र प्रदेश में १६.३ मील, आसाम में ३.७ मील, बिहार में ११.० मील, केरल में ३७.४ मील, मध्य प्रदेश में ७.३ मील, मद्रास में ३७.२ मील, मैसूर में २२.९ मील, उड़ीसा में ७.१ मील, पंजाब में १३.३ मील, राजस्थान में ६.५ मील, पश्चिमी बंगाल में २२.३ मील, केन्द्र शासित भागों में २.२ मील और उत्तर प्रदेश में ११.३ मील है।

स्वतंत्रता-प्राप्ति के समय हमें जो टूटी-फूटी सड़कें मिलीं उनकी दशा बहुत शोचनीय थी। युद्ध के समय भारी यातायात और नाममात्र मरम्मत के फलस्वरूप सड़कें प्रायः बेकार हो गयी थीं।

स्वतंत्रता-पूर्व की स्थिति

हमारे प्रदेश में मार्च १९४७ में ९,३८७ मील पक्की सड़कें थीं। इनमें ४,९०० मील सड़कों का रखरखाव सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा तथा ४,१०० मील का जिला बोर्डों, नगर पालिकाओं तथा अन्य स्थानीय निकायों द्वारा किया

जाता था। सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कों में केवल १,९०० मील सड़कें तारकोल की थीं।

अन्तरिम कांग्रेस सरकार ने १९४६ में २१ करोड़ रुपये की अनुमानित लागत का युद्धोत्तर-सड़क-विकास-कार्यक्रम तैयार किया था जिसके लिए धन की व्यवस्था केन्द्र सरकार को करनी थी। इस कार्यक्रम में १,६६६ मील नयी सड़कों, ५०० मील सीमेन्ट कंकरीट की सड़कों, ५,६०० मील कच्ची सड़कों, ११ नये पुलों, ४१८ मील लम्बी पहाड़ी पगडंडियों का निर्माण तथा ६ रेलवे पुलों पर तख्ते बिछाने का काम सम्मिलित था। साथ ही २,३२० मील लम्बी स्थानीय पक्की सड़कों के पुर्ननिर्माण तथा ४५ मील लम्बी सड़कों के आधुनिकीकरण का कार्य भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित था।

कार्यक्रम के अधीन कार्य प्रारम्भ किया जा चुका था और वर्ष १९४८ तक राज्य सरकार सड़कों एवं पुलों के निर्माण की योजनाओं के क्रियान्वयन पर कुल ११ करोड़ रुपये व्यय भी कर चुकी थी। लेकिन दिसम्बर १९४८ में केन्द्रीय सरकार द्वारा मिलने वाली सहायता आधी कर दिये जाने से इस कार्यक्रम को बहुत धक्का लगा। वर्ष १९४९ के मध्य में केन्द्रीय सरकार ने इसके लिए सहायता देना बिलकुल बन्द कर दिया। फलतः राज्य सरकार को इन योजनाओं का कार्य स्थगित करना पड़ा क्योंकि इन बड़ी योजनाओं को पूर्ण करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त धन नहीं था। अतएव राज्य सरकार ने इन अपूर्ण कार्यों के लिए वर्ष १९५१ में कुछ धन का प्राविधान किया ताकि उन निर्माण-कार्यों को ऐसी स्थिति में लाया जा सके, जिससे उनमें लगे श्रम, धन तथा सामग्री की क्षति न हो।

सड़क-विकास का सिद्धान्त

भारत के आर्थिक विकास के इतिहास में वर्ष १९५१ का महत्वपूर्ण स्थान है। इस वर्ष हमारे देश में एक नये युग—नियोजन युग का शुभारम्भ हुआ। इस वर्ष देश के विकास के लिए हमारी पहली पंचवर्षीय आयोजना का कार्य प्रारम्भ हुआ। आयोजना में सड़कों तथा पुलों के विकास-कार्य को विशेष महत्त्व दिया गया। प्रदेश में सड़कों तथा पुलों के निर्माण की दिशा में आयोजनाबद्ध कार्यक्रम के अधीन हुई प्रगति पर दृष्टिपात करने से पूर्व 'स्टार और ग्रिड' सिद्धान्त के संबंध में कुछ प्रकाश डालना आवश्यक होगा। वर्ष १९४३ में नागपुर में आयोजित मुख्य अभियन्ताओं के सम्मेलन में यह सिद्धान्त निश्चित किया गया। इसके अनुसार प्रत्येक राज्य में सड़कों के निर्माण के लिए कार्यक्रम निर्धारित किया गया। इस सिद्धान्त के

अनुसार समूचे देश के लिए ३,३१,००० मील सड़कों की आवश्यकता थी। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या और क्षेत्रफल के अनुसार १६,५५३ मील लम्बी सड़कों की आवश्यकता बतायी गयी थी।

पिछली योजनाओं में सड़कों का विकास

उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली पंचवर्षीय आयोजना में सड़कों एवं पुलों के निर्माण के लिए ११ करोड़ रुपये का कार्यक्रम बनाया। इस कार्यक्रम में नयी निर्माण योजनाओं के अतिरिक्त वे अपूर्ण कार्य भी सम्मिलित थे जो १९४७ में प्रारम्भ किये गये थे लेकिन जिन्हें केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त न होने के कारण स्थगित कर देना पड़ा था। इस प्रकार पहली आयोजना में १,४८३ मील लम्बी पक्की सड़कों का निर्माण तथा २,१०० मील लम्बी सड़कों का आधुनिकीकरण किया गया, जिस पर कुल ५.३९ करोड़ रुपये खर्च हुए।

दूसरी पंचवर्षीय आयोजना में सड़कों तथा पुलों के निर्माण के लिए ३२ करोड़ रुपये का व्यापक कार्यक्रम बनाया गया था। लेकिन धन की कमी के कारण कुछ महत्त्वपूर्ण सड़कें इस आयोजना में सम्मिलित न की जा सकीं। संशोधित कार्यक्रम में पहली आयोजना की अपूर्ण योजनाओं के लिए ६९६.९४ लाख रुपये तथा नयी योजनाओं के लिए १६१०.३० लाख रुपये की व्यवस्था की गयी। इस प्रकार दूसरी आयोजना में २,२७६ मील लम्बी पक्की सड़कों तथा पर्वतीय क्षेत्रों में २०२ मील लम्बी पगडंडियों का निर्माण हुआ। साथ ही १,२०६ मील लम्बी सड़कों का आधुनिकीकरण भी किया गया। इस प्रकार दूसरी आयोजना में कुल २० करोड़ रुपये सड़कों एवं पुलों के निर्माण पर खर्च हुए।

पहली तथा दूसरी आयोजना में किये गये कार्यों के फलस्वरूप प्रदेश में दूसरी आयोजना के अन्त में अर्थात् मार्च १९६१ तक पक्की सड़कों की लम्बाई बढ़कर १४,५०० मील हो गयी थी लेकिन नागपुर योजना के लक्ष्य से पक्की सड़कों की यह लम्बाई २,००० मील कम थी।

तीसरी योजना के लक्ष्य और कार्य

तीसरी पंचवर्षीय आयोजना में १,७०० मील लम्बी नयी सड़कों के निर्माण का कार्यक्रम बनाया गया है। आयोजना के पहले दो वर्षों में ७३० मील लम्बी पक्की सड़कें बनायी गयीं और उन्हें यातायात के लिए खोल दिया गया। आशा है कि मार्च १९६४ तक लगभग ४०० मील लम्बी और सड़कों का निर्माण-कार्य भी

पूरा हो जायगा। फलस्वरूप प्रदेश में पक्की सड़कों की लम्बाई बढ़कर मार्च १९६४ तक लगभग १५,६३० मील हो जायगी।

राज्य के तराई क्षेत्रों में सड़क यातायात के विकास के लिए सरकार ने अभी हाल में एक व्यापक योजना बनायी है जिसके अनुसार तराई क्षेत्र में ३१० मील लम्बी नयी सड़कों और १७६ मील लम्बी मौजूदा सड़कों का पुनर्निर्माण तथा सुधार किया जायगा। इस योजना पर कुल ११ करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

प्रदेश में स्थानीय निकायों द्वारा जिन ४,२०० मील लम्बी सड़कों का रखरखाव किया जाता था उनमें से २,८०० मील लम्बी सड़कें सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अपने अधिकार में ले लीं और उनका पुनर्निर्माण भी किया।

पुलों का निर्माण

सड़कों के निर्माण और विकास की कहानी तब तक अधूरी रहेगी जब तक कि पुलों के निर्माण का उल्लेख न किया जाय।

हमारे प्रदेश में जहाँ अनेक बड़ी-बड़ी नदियाँ और नाले बहते हैं सड़कों के मिलाने के लिए पुलों का बहुत महत्त्व है। वस्तुतः सड़क और पुल किसी क्षेत्र के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।

विदेशी शासनकाल में पुलों के निर्माण की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। फलतः हमारे प्रदेश की अनेक नदियों पर पुल नहीं थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोकप्रिय सरकार ने पुलों के निर्माण की ओर समुचित ध्यान दिया और पुल निर्माण की एक व्यापक योजना बनायी और बड़े पुलों के निर्माण के लिए राज्य के सार्व-जनिक निर्माण विभाग में एक विशेष संगठन की स्थापना की गयी।

पहली आयोजना में ९६ लाख रुपये की लागत से २६ पुलों का निर्माण किया गया और उन्हें यातायात के लिए खोला गया। इसी प्रकार दूसरी पंचवर्षीय आयो-जना में ८८ पुलों का निर्माण कार्य पूरा किया गया और उन पर कुल ३५० लाख रुपये खर्च किये गये। तीसरी पंचवर्षीय आयोजना में नवम्बर १९६३ तक ३९ पुलों का निर्माण-कार्य पूरा हो चुका था। इनमें से १४ पुल १९६२-६३ में बनाये गये और उन्हें यातायात के लिए खोला गया। वर्ष १९६३ में प्रदेश में कुल ५९०.५८ लाख रुपये लागत के ५३ बड़े पुलों का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा था। तीसरी आयोजना के शेष दो वर्षों में १११ पुलों के निर्माण की योजना पूरी हो जाने की आशा है। वर्ष १९६२-६३ में बनाये गये पुलों में मथुरा में मथुरा-राया सड़क पर यमुना का पुल, मथुरा-बरेली सड़क पर रामगंगा का पुल तथा बलरामपुर (गोंडा)

में राप्ती का पुल विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। मथुरा-राया सड़क पर यमुना पर बना पुल मथुरा को अलीगढ़, बरेली तथा प्रदेश के अन्य केन्द्रीय जिलों से सम्बद्ध करता है और साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या २ को ग्रान्ड ट्रंक रोड से मिलाता है। रामगंगा का पुल राज्य सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा पुल है। प्रायः २,२०४ फुट लम्बे इस पुल के निर्माण पर ५८.८६ लाख रुपये खर्च हुए हैं। बलरामपुर में राप्ती पर बनाये गये पुल की अपनी विशेषता है। यह पुल सरकार तथा जनता के संयुक्त सहयोग से निर्मित हुआ है। कुल ९.२१ लाख रुपये लागत के इस पुल के निर्माण के लिए जनता ने ३ लाख रुपये से अधिक धन जुटाया। इस पुल के बन जाने से बलरामपुर और कोइलाबासा (नेपाल) के बीच सीधी सड़क की व्यवस्था हो गयी है।

वर्ष १९६३ में कतिपय महत्वपूर्ण पुलों का निर्माण-कार्य तेजी से सम्पन्न किया जा रहा था। इनमें बलिया जिले में वाराणसी-बलिया सड़क पर टोंस का पुल, गोरखपुर जिले में लखनऊ-गोरखपुर सड़क पर राप्ती का पुल, जौनपुर जिले में बनारस-आजमगढ़ सड़क पर चंदवक में गोमती का पुल, गोंडा जिले में गोंडा-बाराबंकी सड़क पर सरयू का पुल, उत्तर प्रदेश-पंजाब की सीमा पर कैराना में यमुना का पुल, अयोध्या में घाघरा का पुल, झाँसी जिले में नौघाट पर बेतवा का पुल और लखनऊ में गोमती पर तीन पुलों का निर्माण विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

निकट भविष्य में ही कुछ अन्य बड़े पुलों का निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो जायगा। इनमें इलाहाबाद में गंगा का पुल, दोहरीघाट में घाघरा का पुल, मुरादाबाद के समीप रामगंगा का पुल, रामपुर में कोसी का पुल, इटावा-भिंड सड़क पर यमुना तथा चम्बल के पुल उल्लेखनीय हैं।

पुल-निर्माण की दिशा में वर्ष १९६३ की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी प्रधान मंत्री द्वारा १५ दिसम्बर को आगरा में यमुना के तीसरे पुल का शिलान्यास। प्रायः ३६ करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह पुल राष्ट्रीय मार्गों को सम्बद्ध करेगा और साथ ही आगरा के औद्योगिक विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा। इस वर्ष उदृंगन तथा खारी नदियों पर भी पुलों का निर्माण-कार्य प्रारम्भ हुआ।

यह उल्लेखनीय है कि स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद हमारे प्रदेश में कुल १५३ पुलों का निर्माण हो चुका है। ५३ निर्माणाधीन हैं और १११ नये पुलों का निर्माण कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ हो जायगा। सच पूछा जाय तो स्वतंत्रता के १५ वर्षों में जितने पुलों का इस राज्य में निर्माण हुआ उतने पुल लगभग डेढ़ सौ वर्ष लम्बे विदेशी शासनकाल में नहीं बने थे।

परिवहन

सड़क यातायात का राष्ट्रीकरण वर्ष १९४७ में प्रारम्भ किया गया था जिससे कि जनता को आरामदेह तथा सस्ती यात्रा का साधन उपलब्ध हो और साथ ही राष्ट्र के आर्थिक विकास की गति भी तीव्र हो। प्रारम्भ में राज्य सरकार ने रेलवे से २०० बसें खरीद कर प्रदेश में राष्ट्रीकृत यातायात का श्रीगणेश किया। पहली रोडवेज बस मई १९४७ में चली तथा मार्च १९५० तक १,२९० बसें प्रदेश के २३१ मार्गों पर चलने लगीं थीं।

पहली पंचवर्षीय आयोजना के आरम्भ में १,३०७ बसें ४,६६५ सड़क-मील लम्बे २४२ मार्गों पर चलने लगी थीं तथा मार्च १९५१ को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में ३,८१,२५,५५२ यात्रियों ने इनसे यात्रा की। पहली आयोजना में ६,५०० सड़क-मील लम्बे मार्गों पर रोडवेज बस सेवा का विस्तार करने की व्यवस्था की गयी थी लेकिन अनेक कठिनाइयों के कारण यह कार्य निर्धारित समय से प्रारंभ न किया जा सका। मार्च १९५६ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में रोडवेज की १,६६८ बसें १४,७९७ सड़क-मील लम्बे ३४२ मार्गों पर चलीं और ५.४२ करोड़ व्यक्तियों ने इनसे यात्रा की।

दूसरी आयोजना में रोडवेज सेवा का ४६४ अतिरिक्त सड़क-मील पर विस्तार करने की व्यवस्था थी। आयोजना की समाप्ति अर्थात् मार्च १९६२ तक ३,००३ बसें ६४० मार्गों पर चलने लगीं थीं जिनकी लम्बाई ३५,३१२ मील थी। वर्ष १९६०-६१ में १३.५१ करोड़ यात्रियों ने रोडवेज की बसों से यात्रा की।

तीसरी आयोजना में रोडवेज सेवा का और विस्तार करने की योजना बनायी गयी है। आयोजना के दो वर्षों में इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई। दिसम्बर १९६३ के अन्त तक ये बसें १०,४३२ मील (१६६९१ किलोमीटर) लम्बे ७६३ मार्गों पर कुल ४४,६७७ रूट मील (७१,४८४ किलोमीटर) चलीं और इनसे १६ करोड़ ५७ लाख व्यक्तियों ने यात्रा की।

रोडवेज बस सेवा से एक ओर जहाँ अधिकाधिक संख्या में लोग लाभान्वित हो रहे हैं वहाँ दूसरी ओर रोडवेज के कर्मचारियों को अपनी कुशलता बढ़ाने तथा अपने भविष्य को और सुखमय बनाने के लिए सभी सम्भव सुविधाएँ उपलब्ध की जा रही हैं।

सितम्बर १९६३ के अन्त में २२,९०७ व्यक्ति रोडवेज में रोजगार पर लगे हुए थे। सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाओं के अतिरिक्त रोडवेज

के प्राविधिक कर्मचारियों को मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स ऐक्ट तथा विभिन्न श्रम-कानूनों के अधीन भी सुविधाएँ प्राप्त होती रहती हैं।

सितम्बर १९६३ के अन्त में रोडवेज की ३,५४८ बसें, १२,३३८ ट्रकें और ४२८ टैक्सियाँ प्रदेश में चल रही थीं। विभाग ने अन्तर्राज्यीय सड़क यातायात का विकास करने के उद्देश्य से राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, पंजाब तथा महाराष्ट्र से पारस्परिक हितों के आधार पर सड़क यातायात का विकास करने में सफलता प्राप्त की।

परिवहन विभाग ने १९६२-६३ के वर्ष में मोटर गाड़ी अधिनियम १९३९ तथा उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी नियमावली, १९४० के अधीन ३०,३२,९४९.६२ रु० का राजस्व प्राप्त किया। साथ ही उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कर अधिनियम एवं नियमावली १९३५ के अधीन सड़क कर और फीस के रूप में ३,४५,००,६३८.६८ रु० की वसूली की गयी और उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी यात्री कर अधिनियम, १९६२ के अधीन ६७ लाख रुपये अर्जित किये।

इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सड़क-निर्माण और गमनागमन के साधनों को जुटाने की दिशा में हमारे प्रदेश ने अनेक कठिनाइयों के बावजूद उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। यद्यपि १९४३ में, नागपुर में, मुख्य अभियन्ताओं के सम्मेलन के निर्णय के अनुसार तीसरी आयोजना के अन्त में प्रायः ३०० मील लम्बी सड़कों की कमी रह जायगी तथापि इन तीन आयोजनाओं में प्रदेश में अनेक महत्त्वपूर्ण सड़कों तथा पुलों का निर्माण हुआ है और आज प्रदेश का कदाचित कोई भी भाग ऐसा न रह गया होगा जहाँ जाने के लिए सड़क न हो।

सच पूछा जाय तो शरीर की शिराओं और धमनियों की तरह हमारे प्रदेश में सड़कों तथा पुलों का जाल बिछता जा रहा है। तीसरी आयोजना के शेष दो वर्षों में इस दिशा में अधिक प्रगति कर लेंगे और फिर हमें सुख-समृद्धि के नये-नये मार्ग खुलते दिखलायी देंगे।

समाज-कल्याण

राष्ट्र की संकटकालीन स्थिति के कारण समाज कल्याण के कार्यों और उन पर व्यय की जाने वाली धनराशि में कटौती के बावजूद इस वर्ष इस दिशा में पर्याप्त कार्य किया गया ।

ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं एवं उनके बालवंश की उन्नति के लिए उनको गृह-विज्ञान, वाटिका-विज्ञान, जैसे शाक-उत्पादन, गृह-उद्योग, हस्तकला, स्वच्छता, मातृकला, शिशुपालन, प्रसव से पूर्व और प्रसवोत्तर उपचार आदि विषयों का ज्ञान कराने के लिए इस वर्ष ४ और जिलों में २१ महिला मंगल केन्द्र, स्थापित कर सम्पूर्ण राज्य में महिला मंगल योजना का विस्तार किया गया । इस समय पूरे राज्य में लगभग ४७५ सहायक विकास अधिकारियों, समाज शिक्षा (महिला) की देख रेख में १,५०० ग्राम सेविकाओं द्वारा महिला मंगल केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। महिला मंगल योजना के अन्तर्गत किये गये कार्यक्रम का विवरण निम्न प्रकार है :—

(१)	शिक्षित की गयी प्रौढ़ महिलाओं की संख्या	९०,२१८
(२)	हस्तकला में प्रशिक्षित महिलाओं की संख्या	१,१०,२५६
(३)	युवती मंगल दलों की संख्या	३,५७०
(४)	महिला मंगल दल के नये सदस्यों की संख्या	७८,०००
(५)	युवती मंगल दलों के सदस्यों की संख्या	५६,८१७
(६)	बालबाड़ियों की संख्या	४,१६५
(७)	बालबाड़ी के नये सदस्यों की संख्या	१,१७,२६७

योजना के सफल संचालन के लिए प्रशिक्षित कार्यकर्त्रियाँ उपलब्ध कराने के लिए वर्ष के प्रारम्भ में चिरगाँव (झाँसी) में दसवाँ ग्राम सेविका प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया गया। राज्य के विभिन्न केन्द्रों में ३०८ ग्राम सेविकाएँ प्रशिक्षित की गयीं । यू० एन० आइ०सी०ई० एफ० योजना के अन्तर्गत राज्य के २८ विकास केन्द्रों में शिशुओं के लिए पौष्टिक आहार सम्बन्धी एक नवीन कार्यक्रम चलाया गया । इसके अतिरिक्त ग्रामीण बालकों की कल्याण परियोजना सम्बन्धी सेवाओं की एक नवीन योजना भी अजीतमल विकास क्षेत्र में प्रारम्भ की गयी । राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड द्वारा विगत वर्षों की भाँति आलोच्य वर्ष में १० समन्वित परियोजनाएँ यथाविधि चलायी गयीं ।

ग्रामीण युवक-युवतियों में निहित गुणों को विकसित कर उनमें अनुशासन एवं सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए १४ शिविर चलाये गये।

समाज को व्यापक रूप से विविध प्रकार की निःशुल्क सेवाएँ प्रदान करने वाली सामाजिक, धार्मिक एवं बाधितों की शिक्षात्मक संस्थाओं तथा अनाथालयों, विधवाश्रमों आदि, विभिन्न वर्गीय लगभग २०० संस्थाओं की अपनी आर्थिक दशा सुधारने तथा सुव्यवस्था रखने के हेतु वर्ष अनुदान देने के लिए ९,२१,२०० रु० का प्राविधान किया गया।

अन्धे, गूँगे तथा बहरे व्यक्तियों को स्वावलम्बी बनाने के लिए द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में स्थापित किये गये लखनऊ एवं गोरखपुर के अन्य विद्यालयों तथा आगरा एवं बरेली के मूक-बधिर विद्यालयों में इस वर्ष औसतन ६०-६० व्यक्तियों ने प्रतिमाह सामान्य शिक्षा के साथ औद्योगिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। शारीरिक रूप से बाधित तथा हाथ-पाँव के रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ४० छात्रवृत्तियाँ दी गयीं।

विकलांग भिक्षुकों को शरण देने एवं उनको व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए वाराणसी एवं हरिद्वार में राजकीय संस्थाएँ हैं जहाँ उनके लिए निःशुल्क भोजन, आवास, वस्त्र आदि की व्यवस्था हैं। इस वर्ष इन संस्थाओं में औसतन क्रमशः ६७ तथा ५६ व्यक्ति प्रतिमाह रहे। सदनों में आश्रितों को क्षमता के अनु-सार उनसे काम लिया जाता है और उनकी रुचि के उपयुक्त व्यवसाय में प्रशिक्षण दिया जाता है।

दुर्भाग्य एवं सामाजिक अभिशाप से पीड़ित, माता-पिता के स्नेह एवं समाज के प्यार से वंचित आश्रयहीन बालकों के संरक्षण एवं उनके जीवन को समुन्नत करने के लिए बाल-कल्याण सम्बन्धी कार्यक्रम को समाज-कल्याण विभाग की तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया। योजना के प्रथम वर्ष में ही दो बाल-सदन—एक अनाथ एवं परित्यक्त शिशुओं के लिए दूसरा राजकीय संरक्षणोत्तर आवास-गृहों की आश्रिताओं के बच्चों के लिए—आगरा व मेरठ में खोले गये। इन सदनों में आलोच्य वर्ष में बालकों की अधिकतम संख्या क्रमशः २५ और ५७ रही। कानपुर के शिशु-सदन से भी नौकरी करने वाली मध्यम वर्गीय महिलाओं के ४० शिशु लाभान्वित हुए।

शोधक एवं अशोधक संस्थाओं से तथा नैतिक संकट से मुक्त की गयी महि-लाओं को सामाजिक एवं नैतिक स्वास्थ्य सम्बन्धी योजना के अन्तर्गत संरक्षण प्रदान करने के लिए स्थापित किये गये लखनऊ व मेरठ के उत्तररक्षा-गृहों तथा देहरादून

के रेस्क्यू होम में इस वर्ष आश्रितों की औसतन संख्या क्रमशः ५३, ८० तथा ४६ प्रति माह रही। आश्रितों को तात्कालिक अस्थायी शरण देने के लिए स्थापित १५ जिला शरणालयों (फैजाबाद, गाजीपुर, अल्मोड़ा, उन्नाव, टेहरी-गढ़वाल, एटा, मथुरा, इटावा, कोटद्वार, इलाहाबाद, झाँसी, मिर्जापुर, हल्द्वानी, बरेली और हरिद्वार) में वर्ष के अन्तर्गत औसतन ११५ आश्रित रहे।

महिलाओं के नैतिक संकट निवारण के लिए अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम, जो समस्त भारत में लागू है, के सफल क्रियान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश में १०३ पुलिस अधिकारी २७ जिलों में नियुक्त किये गये हैं। वेश्यावृत्ति से मुक्ति पाने वाली महिलाओं की अधिकतम संख्या, जिन्हें आगरा, मेरठ, वाराणसी, लखनऊ तथा गोरखपुर के संरक्षण गृहों में रखा गया है, क्रमशः २७, ३६, ३६, ३४ तथा २८ है। पुलिस एवं रेस्क्यू आफिसरों की सहायता से विभिन्न नगरों—इलाहाबाद में ४५ लड़कियों को, वाराणसी में १३ लड़कियों को, मेरठ में २० लड़कियों को, आगरा में १७ लड़कियों को, मिर्जापुर में ११ लड़कियों को, कानपुर में १३ लड़कियों को, लखनऊ में १६ लड़कियों तथा इटावा में ३६ लड़कियों को वेश्यावृत्ति से मुक्त किया गया। इस सिलसिले में १९ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये। इस प्रकार में राज्य में लगभग ३०० महिलाओं को मुक्त किया।

बाल अधिनियम १९५१ के अन्तर्गत स्थापित बाल न्यायालयों द्वारा पर्यवेक्षण सदनों में सुधार के लिए लगभग २०० अपराधी बालक भेजे गये। ऐसे बालकों की प्रवृत्ति में परिवर्तन करने के लिए लखनऊ में स्थापित मान्यताप्राप्त पाठशाला में ९७ बालक रहे। आगरा व वाराणसी के बाल निर्देशन उपचारालयों में अपराधी प्रवृत्ति वाले बालकों की मनोवैज्ञानिक जाँच कर उनकी मनःस्थिति में यथासाध्य परिवर्तन करने का कार्य यथाविधि चलता रहा।

बाल अधिनियम के प्रथम तथा तृतीय चरण अन्य १६ जिलों में भी लागू हैं।

प्रोबेशन योजना का कार्य ३२ जिलों में विगत वर्ष की भाँति इस वर्ष भी किया जाता रहा।

महिला संस्था तथा बाल संस्था नियंत्रण अधिनियम का क्रियान्वयन १५ अन्य जिलों में किये जाने के बाद मान्यता प्राप्त संस्थाओं की संख्या ५१ हो गयी थी। अधिनियम के अनुसार ४ कुख्यात संस्थाओं को बन्द कर दिया गया।

समाज कल्याण के कार्य के लिए ५१ नगरों में नगर कल्याण समितियाँ और लगभग २,५०० मुहल्ला समाज कल्याण समितियाँ शिक्षा, मनोरंजन आदि के निःशुल्क कार्यक्रम बालकों और वयस्कों के हित में प्रस्तुत कर रही हैं। यह समितियाँ

अपने-अपने क्षेत्र में निःशुल्क औषधालय, पुस्तकालय, वाचनालय, कम्यूनिटी सेन्टर, क्रीड़ा केन्द्र आदि संचालित कर रही हैं।

आगामी वर्ष के नवीन कार्यक्रमों में विभाग के बजट में मानसिक रूप से दुर्वल एवं विक्षिप्त व्यक्तियों के लिए एक सदन की स्थापना तथा कानपुर नगर में अपराधी बालकों द्वारा भिक्षावृत्ति पर रोक लगाने की योजना चालू करने का प्रस्ताव है।

हरिजन कल्याण

कल्याण सम्बन्धी कार्यकलाप के लिए मान्यता प्राप्त पिछड़ी जातियों के विभिन्न वर्ग (१) हरिजन जाति, (२) नान शिडयूल्ड ट्राइबल्स तथा अन्य पिछड़ी जातियाँ एवं (३) डिनोटीफाइड ट्राइब्स हैं। प्रथम दो वर्गों की उन्नति का कार्यक्रम राज्य योजना के अन्तर्गत आता है जब कि तीसरे वर्ग डिनोटीफाइड कम्यूनिटीज तथा अस्वच्छ कार्य करने वाली हरिजन जातियों की कुछ योजनाएँ केन्द्रीय सरकार के वजट में हैं।

राज्य बजट में इन योजनाओं को तीन वर्गों में विभाजित किया गया है। (१) शिक्षात्मक योजनाएँ (जिन पर ५२.४४० लाख रु० व्यय होगा) (२) आर्थिक सुधार सम्बन्धी योजनाएँ (जिन पर ५५.०१६ लाख रु० व्यय होगा) (३) स्वास्थ्य एवं आवास सम्बन्धी योजनाएँ (जिन पर १६.४०० लाख रु०), व्यय होगा।

भारत सरकार ने सुधारात्मक एवं कल्याणकारी कार्यकलापों में ३.७५ लाख रु०, शिक्षात्मक योजनाओं में ७५.२१ लाख रु० और केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में १०४.०१ लाख रुपये व्यय करने के लिए प्राविधान किया।

इस वर्ष हरिजन छात्रों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी तथा आयोजनागत पक्ष में इस योजना में १७ लाख रुपये तथा अनियोजित पक्ष में ३० लाख रुपये ३०,००० विद्यार्थियों को देने के लिए रखे गये। हरिजन, नानशिड्यूल्ड ट्राइबल्स तथा अन्य पिछड़ी जातियों के लड़के-लड़कियों को इस वित्तीय वर्ष में छात्रवृत्तियाँ तथा अनावर्ती सहायता देने के लिए क्रमशः २७.०२ तथा २७.९७ लाख रुपये का प्राविधान है। विमुक्त जातियों के बालकों के लिए रामपुर, गोरखपुर, हरिद्वार, इलाहाबाद तथा लखनऊ में एक-एक आश्रम टाइप स्कूल संचालित किया जा रहा है। इन स्कूलों के लिए ५.१२ लाख रुपये का प्राविधान इस बजट में है। लखनऊ में दो स्कूल हैं—एक बालिकाओं के लिए तथा दूसरा

बालकों के लिए। इसके अतिरिक्त इस वर्ष दो नवीन आश्रम टाइप स्कूल जिला नैनीताल व खीरी में चलाये जा रहे हैं जिनमें जनजाति के बच्चे ही शिक्षा पायेंगे। इन स्कूलों में प्रारम्भिक जूनियर हाई स्कूल के स्तर की शिक्षा दी जाती है। प्रारम्भिक पाठशालाएँ, छात्रावास, पुस्तकालय, वाचनालय आदि के संचालन के लिए अशासकीय संस्थाओं को प्रोत्साहन देने के लिए अनुदान दिया जाता है। इस वर्ष ६०० संस्थाओं को ६ लाख रुपये का अनुदान दिया गया।

प्रदेश की पिछड़ी जातियों की आर्थिक स्थिति सुधारने तथा कारीगरों को प्रशिक्षण एवं काम प्रारम्भ करने के लिए उनको अनावर्ती सहायता देने की व्यवस्था भी है। इन जातियों के छोटे-छोटे किसानों को भूमि-सुधार, सिंचाई एवं बैल आदि क्रय करने के लिए अनुदान देना एवं भूमि-विहीन श्रमिकों को छोटे-छोटे कृषि-उपनिवेशों में बसाना भी इस योजना का एक अंग है। सहायता एवं पुनर्वास सम्बन्धी योजना के अन्तर्गत कुटीर उद्योग एवं पशुपालन के कार्यक्रम पर १२ लाख रुपये व्यय किये गये तथा इससे ३,६६० व्यक्ति या ३६६ सहकारी समितियों को लाभ पहुँचाया गया। कृषि-विकास में १४.४५ लाख रु० के व्यय से २,१२५ परिवार लाभान्वित किये गये तथा सिंचाई के कुओं, वनों, औद्योगिक संस्थानों की स्थापना पर १६.८६४ लाख रुपये का प्राविधान है। से ५ संस्थान पूर्ण किये गये तथा १० संस्थानों को पूरा करने के लिए कार्य किया जा रहा है। ·८० लाख रुपये १६ वन सहकारी समितियों को अनुदान दिया गया। ४.०० लाख रुपया, नान शिड्यूल्ड ट्राइबल्स के १०० परिवारों को बसाने हेतु स्वीकृत किया गया।

हरिजनों एवं अन्य पिछड़ी जातियों के व्यक्तियों को उनके पैतृक व्यवसायों अथवा उनकी क्षमता एवं रुचि के अनुसार विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण देने के लिए तीन औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र क्रमशः गोरखपुर, लखनऊ एवं नैनीताल में चलाये जा रहे हैं जिनमें इस वर्ष लगभग ६०० व्यक्तियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। उद्योग एवं श्रम विभाग द्वारा संचालित संस्थाओं द्वारा हरिजन एवं पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों को प्राविधिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए १,१५७ छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं। इस मद में ३.८० लाख रुपये व्यय हुए।

हरिजन विद्यार्थियों को स्टेनोग्राफी एवं अन्य औद्योगिक प्रशिक्षण देने के लिए छात्रवृत्तियाँ भी दी जाती हैं।

इन जातियों के लिए रहने के योग्य मकानों तथा पीने के पानी की कठिनाई को १९६३–६४ में समाप्त करने की योजना थी। पेय जल की सुविधा के लिए इस वर्ष १०.९५ लाख रुपये से २,१९० कुएँ बनाये गये। इन जातियों की

सामुदायिक फल-संरक्षण केन्द्र

रुद्रपुर (नैनीताल) के ग्रामसेवक प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए ग्रामसेवक

मिर्जापुर की सुन्दर कालीन बनाते हुए कारीगर

खुर्जा के बने मिट्टी के कलापूर्ण सामान

आवास सम्बन्धी व्यवस्था के अन्तर्गत १९६३ में १.३८ लाख रुपये व्यय से १८४ गृह-निर्माण किये गये । इसके अतिरिक्त २.०० लाख रुपये से ४०० गृह एवं कार्य स्थल के लिए भूमि की व्यवस्था की जायगी ।

सुधार एवं अन्य कल्याणकारी कार्य-क्रम में मुख्यतः डिनोटीफाइड ट्राइबल्स जातियों को दो बड़ी उन्नयन बस्तियाँ तथा ४ छोटे उपनिवेशों की व्यवस्था है । इन बस्तियों की व्यवस्था पर २.८४ लाख रुपये वार्षिक व्यय का अनुमान है । उन्नयन बस्ती कानपुर के कुछ आश्रितों को स्वचालित सिलाई के कारखाने में तथा कानपुर की विभिन्न मिलों में काम मिला है । उन्नयन बस्ती फजलपुर (मुरादाबाद) के अधिकांश आश्रित रेलवे में नौकर हैं तथा कुछ आश्रित उन्नयन बस्ती के बुनाई कारखाने में हैं । अन्य चार छोटे उपनिवेश कृषि प्रधान हैं । गोरखपुर की उन्नयन बस्ती वन्द कर दी गयी है । अन्य कल्याणकारी कार्य-कलाप में अस्पृश्यता-निवारण सम्बन्धी प्रचार-कार्य प्रमुख हैं जिस पर १.४४ लाख रुपये प्रति वर्ष व्यय किया जाता है ।

भारत सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का पूरा व्यय वहन किया जाता है । सिर पर या टोकरियों में पाखाना ढोने की कुप्रथा का उन्मूलन, अस्वच्छ-कार्य करने वाले हरिजनों, विशेषतया सफाई का काम करने वाले मेहतरों के लिए गृह-निर्माण के लिए सहायता देना, डिनोटीफाइड ट्राइबल्स जातियों के आश्रम टाइप स्कूलों की स्थापना सहित अन्य कल्याणकारी कार्य-क्रम, हरिजन डिनोटि-फाइड कम्यूनिटीज तथा अन्य पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों को हाई स्कल के ऊपर की कक्षाओं के लिए छात्र-वृत्तियाँ देने आदि कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा १०४.०१ लाख रुपये आलोच्य वर्ष में दिये गये हैं ।

महत्त्वपूर्ण नीति-परिवर्तन व अधिनियमों से सम्बन्धित कार्यों, जो आलोच्य वर्ष में प्रारम्भ किये गये हैं अथवा बजट वर्ष में पूर्ण किये जाने हैं, का विवरण निम्नांकित है ।

(१) हाई स्कूल से ऊँची कक्षाओं में पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ जाति के आधार पर न देकर इस वर्ष से आर्थिक स्थिति के आधार पर देने की नीति आरम्भ की गयी है । अब ऊँची जाति से संबंधित निर्धन छात्र भी इस योजना से लाभान्वित हो सकेंगे ।

(२) भारत सरकार की योजनाओं में डिनोटीफाइड ट्राइब्स के लिए आगामी वर्ष से गृह-निर्माण की योजना का प्राविधान किया गया है ।

(३) छात्र वृत्तियाँ प्रदान करने तथा उनका भुगतान करने आदि का कार्य जो जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा किया जाता था, अब जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारियों को हस्तान्तरित कर दिया गया। इससे कार्यकुशलता में वृद्धि हुई है तथा कार्य में होने वाली देरी समाप्त हो गयी।

(४) न्याय-पंचायतों को अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम १९५५ के अन्तर्गत मामलों को सुनने के अधिकार देने के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है।

आवास-व्यवस्था

मनुष्य की तीन बड़ी आवश्यकताओं में भोजन तथा वस्त्र के बाद रहने के लिए मकान का ही स्थान है । अतः आजादी मिलने के बाद और वस्त्र की समस्याओं को सुलझाने के साथ-साथ आवास की समुचित व्यवस्था करने की ओर भी सरकार ने ध्यान दिया । देश के बँटवारे के फलस्वरूप हजारों-लाखों व्यक्तियों के बे-घर-बार होने के कारण आवास की भीषण समस्या को हल करने के लिए तात्कालिक कदम उठाये गये । क्या शहरों में और क्या गाँवों में, लोगों को रहन-सहन की दशा में सुधार करने का दायित्व भी लोकप्रिय सरकार पर आ पड़ा । शहरों में औद्योगिक श्रमिकों के लिए मामूली आय के लोगों के लिए गंदी बस्तियों में बड़ो शोचनीय दशा में रहने वाले गरीब तबके के लोगों के लिए और गाँवों में वहाँ के निवासियों के लिए अच्छे एवं साफ-सुथरे मकानों की व्यवस्था करने के निमित्त सरकार ने अनेक योजनाएँ कार्यान्वित कीं ।

औद्योगिक नगरों में श्रमिकों के लिए तथा कम आय वाले लोगों के लिए आवास की व्यवस्था करने की दिशा में सबसे पहले कदम उठाया गया और भारत सरकार की सहायता से पहली आयोजना में इन योजनाओं के अधीन निर्माण-कार्य शुरू हुआ ।

प्रदेश के औद्योगिक नगरों में नित नये कल-कारखाने खुलने के कारण जीविका की तलाश में देहातों से काफी तादाद में लोग औद्योगिक नगरों की ओर आते हैं जहाँ अच्छे मकानों की कमी के कारण श्रमिकों को गंदे मकानों में रहना पड़ता है जिसका उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है । अतः श्रमिकों की दशा सुधारने और उनके लिए आवास की समुचित व्यवस्था करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पहली पंचवर्षीय आयोजना में सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह निर्माण योजना चालू की । इस योजना के अन्तर्गत श्रमिकों के लिए ५० प्रतिशत ऋण और ५० प्रतिशत आर्थिक सहायता के आधार पर एक कमरे और दो कमरे के मकानों का निर्माण हो रहा है जिन्हें श्रमिकों को कम किराये पर दिया जाता है।

राज्य सरकार ने पहली आयोजना में इस योजना के अधीन ४१६ लाख रुपये की लागत से २०,६९० मकान बनाने की स्वीकृति दी गयी थी जिनमें से १३,४२६ मकानों का निर्माण हुआ जिन पर ३६७ लाख रुपये खर्च हुए । ये मकान लखनऊ, कानपुर, फिरोजाबाद, मिर्जापुर, आगरा, सहारनपुर तथा इलाहाबाद में बनाये गये।

दूसरी आयोजना में पहली आयोजना के शेष ७,२६४ मकानों का निर्माण-कार्य समाप्त हुआ और साथ ही १८५ लाख रुपये की लागत से ४,८१६ और मकान बनाने का निश्चय किया गया। इनमें से २,३५० मकान दूसरी आयोजना के अन्त तक बन चुके थे। इस प्रकार दूसरी आयोजना में ३५० लाख रुपये खर्च करके कानपुर, लखनऊ, रामपुर, नैनी, हाथरस, गोविन्दपुरी, साहूपुरी, वाराणसी, गोरखपुर तथा बरेली में ९,६१४ मकानों का निर्माण किया गया।

अस्थायी गृह निर्माण योजना हमारे प्रदेश में पहली आयोजना के अन्तिम वर्ष १९५५-५६ से प्रारम्भ हुई। यह योजना उन लोगों के लाभार्थ भारत सरकार ने शुरू की जिनकी आय ६,००० रु० वार्षिक से अधिक नहीं है तथा जिनके पास अपना कोई मकान नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा चलायी गयी समस्त गृह-निर्माण योजनाओं में यह योजना अधिक लोकप्रिय सिद्ध हुई है। पहली आयोजना में इस योजना के अन्तर्गत स्थानीय निकायों तथा उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक को, गृह-निर्माण हेतु लोगों को ऋण देने के लिए १,६०,४४,४४७ रु० की धनराशि दी गयी। दूसरी आयोनावधि में ४,४२,५८,७४२ रु० स्थानीय निकायों, नेत्र चिकित्सालयों, शिक्षा संस्थाओं तथा उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक को ऋण के रूप में वितरित किये गये तथा ६,२२९ मकान बनाये गये।

प्रदेश के बड़े-बड़े शहरों में भी कुछ गन्दी बस्तियों के होने के कारण नागरिकों के स्वास्थ्य तथा नैतिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अतः शहरी क्षेत्रों में गन्दी बस्तियों का उन्मूलन करने तथा उनके निवासियों के रहने के लिए अच्छे मकान बनाने हेतु स्थानीय निकायों को ऋण दिये जाते हैं। स्थानीय निकायों को इस आशय का परामर्श दिया जाता है कि गन्दी बस्तियों की सफाई के कार्य में वे उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दें जहाँ अधिकतर हरिजन अथवा अनुसूचित जाति के लोग रहते हों। दूसरी आयोजना के अधीन १९५७ में कानपुर, लखनऊ, आगरा, वाराणसी तथा इलाहाबाद नगरों में चालू की गयी इस योजना के अन्तर्गत आयाजनावधि में ४,०३० मकान बन चुके थे तथा १,२७५ मकान निर्माणाधीन थे। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए दूसरी आयोजना में उपर्युक्त नगरों के स्थानीय निकायों को एक करोड़ ८६ लाख रुपये ६,९५० मकान बनाने तथा लखनऊ में १७ प्लाट तैयार करने के लिए स्वीकृत किये गये।

चाय बगानों में काम करने वाले श्रमिकों के लाभार्थ चालू की गयी गृह निर्माण योजना के अधीन राज्य सरकार द्वारा बागानों के मालिकों को श्रमिकों के लिए मकान बनाने हेतु दीर्घकालीन सस्ता ऋण दिया जाता है।

ग्रामीण आवास समस्या को नियोजित ढंग से हल करने के लिए भारत सरकार द्वारा मई, १९५८ में ग्राम गृह निर्माण की योजना प्रारम्भ की गयी थी जिसके अधीन ग्रामीणों को मकानों के निर्माण की लागत का दो-तिहाई धन अथवा २,००० रु० नकद, इनमें से जो भी कम हो, ऋण के रूप में दिया जाता है । दूसरी आयोजना में इस योजना के अन्तर्गत ३,९८४ मकानों को बनाने के लिए ३२,०१,१३३ रु० वितरित किये गये । आयोजना के अन्त तक ७६९ मकानों का निर्माण और हुआ और शेष निर्माणाधीन थे ।

मध्यम-आयी गृह निर्माण योजना १९५८–५९ से उन लोगों के लाभार्थ चालू की गयी जिनकी वार्षिक आय कम से कम ६,००१ रु० और अधिक से अधिक १५,००० रु० है और जिनके पास अपना मकान नहीं है। मध्यम वर्ग के ऐसे लोगों को गृह निर्माण हेतु २०,००० रु० तक का ऋण दिया जाता है । इस धन राशि में से ४,००० रु० जमीन खदरीने तथा शेष मकान बनवाने के लिए होता है । यह उल्लेखनीय है कि यह योजना जीवन बीमा निगम से ऋण लेकर चालू की जा रही है । दूसरी आयोजना में, इस योजना के अधीन १०१ लाख रु० की धनराशि उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक तथा स्थानीय निकायों को ५८३ मकानों के निर्माणार्थ दी गयी ।

गृह निर्माण की उपर्युक्त योजनाओं के अतिरिक्त भूमि-उपार्जन और भूमि विकास की भी अनेक योजनाएँ कार्यान्वित हुई हैं । भूमि उपार्जन और भूमि विकास का कार्यक्रम १९५९-६० में प्रारम्भ हुआ और उस वर्ष कानपुर महापालिका को १० लाख रूपये दिये गये । १९६०-६१ में इस योजना के लिए कानपुर, लखनऊ वाराणसी तथा इलाहाबाद की नगर महापालिकाओं तथा गाजीपुर के इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को ४७ लाख २० हजार रुपये दिये गये ।

तीसरी आयोजना में गृह निर्माण कार्यक्रमों के लिए कुल ९०५ लाख रुपये की व्यवस्था की गयी। इस धनराशि में से २२१.८५५ लाख रुपये तीसरी आयोजना के पहले दो वर्षों में खर्च किये गये और आशा है कि मार्च १९६४ तक १०५.९३ लाख रुपये और खर्च किये जायेंगे । इसके अतिरिक्त केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं जैसे गंदी बस्तियों की सफाई, भूमि अधिग्रहण और विकास तथा क्षेत्रीय नियोजन योजनाओं पर तीसरी आयोजना के अधीन मार्च १९६३ तक १२८.०९७ लाख रुपये खर्च हुए । आशा है कि मार्च १९६४ तक इस मद में २.११० लाख रुपये और खर्च हो जायँगे ।

आयोजना के पहले दो वर्षों में अर्थात् मार्च १९६३ तक गृह निर्माण की विभिन्न योजनाओं के अधीन कुल ५,६१४ मकानों का निर्माण हुआ। इनमें से २,६५४ मकान सहायताप्राप्त औद्योगिक गृह निर्माण योजना के अधीन, १,८४६ अल्पायी गृह निर्माण योजना के अधीन और १,११४ मकान ग्राम गृह निर्माण योजना के अधीन बनाये गये। साथ ही इस अवधि में गंदी बस्तियों की सफाई योजना के अन्तर्गत ९७१ मकान बने। गृह निर्माण कार्य की इस प्रगति में भवन-निर्माण सामग्री की कमी आदि के कारण यद्यपि कुछ व्यवधान पड़ा तथापि तीसरी आयोजना के पहले वर्ष में अर्थात् १९६१–६२ में विभिन्न योजनाओं के अधीन निर्माण कार्य तेजी से हुआ। फलस्वरूप उत्तर प्रदेश का इस दिशा में समूचे देश में तीसरा स्थान रहा।

सन् १९६२ में उत्तर प्रदेश गन्दी बस्ती (सुधार एवं सफाई) अधिनियम के पारित हो जाने के फलस्वरूप गन्दी बस्तियों के अधिग्रहण तथा उनकी सफाई के कार्य में जो रुकावटें पड़ती थीं वे दूर हो गयीं और इस योजना का कार्य आगे बड़ा।

देश में संकटकालीन स्थिति की घोषणा होने के फलस्वरूप राष्ट्रीय विकास परिषद ने अन्य समाज सेवा योजनाओं की भाँति गृह निर्माण कार्यक्रम को भी अपेक्षाकृत कम वरीयता देने का निर्णय किया। परिणामस्वरूप औद्योगिक निर्माण योजना तथा अल्पायी गृह निर्माण योजना के अधीन कुछ समय तक अधिकांश कार्य स्थगित ही रहा लेकिन बाद में नियोजन आयोग तथा गृह निर्माण मंत्रालय द्वारा पुनः इन योजनाओं को चालू करने पर विचार किया गया और गृह निर्माण मंत्रियों के सम्मेलन में औद्योगिक गृह निर्माण योजना को अधिक वरीयता देने का निर्णय किया गया।

वर्ष १९६३–६४ में १०५.९१० लाख रुपये खर्च करके २,६१८ मकान बनाने की योजना है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत क्षेत्रीय नियोजन योजना पर भी १.४६५ लाख रुपये खर्च करने का प्राविधान है। आशा है मार्च १९६४ तक उपर्युक्त २,६१८ मकानों में से १,३१० मकान सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह निर्माण योजना, ८३३ अल्पायी गृह निर्माण योजना और ४७५ ग्राम गृह निर्माण योजना के अधीन बनकर तैयार हो जायेंगे। साथ ही पिछले वर्षों के २०० अधूरे मकानों का निर्माण कार्य भी इस वर्ष समाप्त हो जायगा।

इस प्रकार वित्तीय साधनों तथा भवन निर्माण सामग्री की भारी कमी के बावजूद विभिन्न गृह निर्माण योजनाओं के अधीन प्रदेश में अभी तक जो कुछ प्रगति हो पायी है, वह निश्चय ही उल्लेखनीय है।

विधि निर्माण

उत्तर प्रदेश में वर्ष १९६३ में कुल ३१ अधिनियम अधिनियमित और ५ अध्यादेश प्रख्यापित किये गये। ये अध्यादेश थे : दि नार्दन इंडिया कनाल एण्ड ड्रेनेज (यू० पी० एमेंडमेंट) अध्यादेश, १९६३, उत्तर प्रदेश, अन्तरिम जिला परिषद (संशोधन) अध्यादेश, १९६३, उत्तर प्रदेश श्री बदरीनाथ मंदिर (संशोधन) अध्यादेश, १९६३, उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) अध्यादेश, १९६३ और उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद (संशोधन) अध्यादेश, १९६३। इन अध्यादेशों के स्थान पर बाद में अधिनियम बना दिये गये थे।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, १९६३ को प्रख्यापित करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद अधिनियम, १९५८ की अवधि ३० जून, १९६३ को समाप्त हो रही थी और यह इरादा था कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद अधिनियम, १९६१ के अधीन जिला परिषदें उसके तुरन्त बाद कार्य करने लगेंगी। अतएव उनके संगठन के लिए आवश्यक कदम उठाये गये और अध्यक्षों के चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया गया। किन्तु इस बीज उच्च न्यायालय में कुछ रिट याचिकाएँ प्रस्तुत हो गयीं जिनमें धारा १८ (२) के अधीन किये गये सदस्यों के अनुमेलन तथा अध्यक्षों के प्रस्तावित चुनाव की वैधता को चुनौती दी गयी। चूँकि याचिकाओं पर निर्णय होने से पहले चुनाव नहीं किये जा सकते थे इसलिए उक्त अधिनियम की धारा २७२ के अधीन कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक आज्ञा जारी की गयी जिसके द्वारा धारा १९ में परिष्कार किया गया। इस प्रकार हुई अपरिहार्य अन्तरिम अवधि के लिए परिष्कृत उपबन्ध के अधीन अध्यक्षों के नामांकन किये गये। किन्तु उच्च न्यायालय ने १७ सितम्बर १९६३ को यह निर्णय किया कि कठिनाइयों को दूर करने की आज्ञा-शक्ति अतीत है और उक्त उद्देश्य ऐसी आज्ञा के बजाय एक अध्यादेश द्वारा पूरा हो सकता था। अतएव १७ सितम्बर १९६३ को राज्यपाल ने यह अध्यादेश नामांकनों के वैधीकरण और मूल अधिनियम की व्याख्या के विषय में उत्पन्न हुए सन्देहों के निवारणार्थ कुछ छोटे-मोटे संशोधन करने के लिए प्रख्यापित किया जो कि बाद में अधिनियम बना।

उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, १९६३ राज्यपाल द्वारा २९ जून १९६३ को प्रख्यापित किया गया था और इसके द्वारा उत्तर प्रदेश

अन्तरिम जिला परिषद् अधिनियम, १९५८ की अवधि, उत्तराखण्ड डिवीजन के जिलों को छोड़कर अन्य जिलों में, ३० जून १९६३ से ३१ दिसम्बर १९६३ तक के लिए बढ़ा दी गयी थी। वास्तव में अधिनियम की अवधि केवल उन्नाव जिले के सम्बन्ध में ही बढ़ायी गयी क्योंकि अन्य जिलों में उक्त अधिनियम ३० जून १९६३ से निरस्त हो गया था जिस दिनांक को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद अधिनियम, १९६१ की धारा १७ के अधीन उन जिलों में जिला परिषदें स्थापित कर दी गयीं थीं।

वस्तुत: उपर्युक्त अध्यादेश को प्रख्यापित करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जिस समय प्रत्येक जिले में जिला परिषद संघटित करने के लिए कार्यवाही की जा रही थी उस समय अन्तरिम जिला परिषद्, उन्नाव को गंभीर कुप्रशासन के आधार पर अतिक्रमित कर दिया गया था। परिषद् के लेखे आदि ऐसी गड़बड़ दशा में पाये गये थे कि यही उचित समझा गया कि जब तक उसके लेखे ठीक न कर दिये जायँ तब तक उस जिले में जिला परिषद् संगठित न की जाय। अतएव सरकार के लिए यह आवश्यक हो गया कि उत्तर प्रदेश अन्तिम जिला परिषद् अधिनियम, १९५८ के उपबन्ध उन्नाव जिले के संबंध में लागू रखे जायँ जिससे कि पूर्व स्थिति कुछ और समय तक कायम रह सके। बाद में यह अध्यादेश अधिनियम बन गया था।

देश की आपातकालीन स्थिति में पुलिस के सहायक के रूप में होमगार्ड्स के संघटन की व्यवस्था करने के लिए उत्तर प्रदेश होम गार्ड्स अधिनियम, १९६३ का बनाया जाना उल्लेखनीय था। आपातकालीन स्थिति के प्रसंग और भारत सरकार की सलाह से यह निर्णय किया गया कि इस राज्य में होमगार्डों का एक परिनियत स्वैच्छिक संघटन आयोजित किया जाय ताकि ऐसे व्यक्तियों का एक दल बनाया जा सके जिनकी सेवाओं का उपयोग आपातकाल में विभिन्न कार्यों के लिए और शान्ति तथा व्यवस्था बनाये रखने के निमित्त पुलिस के सहायक के रूप में काम करने के लिए किया जा सके। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उक्त अधि-नियम बनाया गया।

इस वर्ष प्रदेश में पशुओं की नस्ल सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण अधिमियम बनाया गया जिसे उत्तर प्रदेश पशुधन सुधार अधिनियम की संज्ञा दी गयी।

पशुओं का सुधार हमारे राज्य की एक अत्यन्त महत्वपूर्ण समस्या है। प्रदेश म पशुओं की संख्या तो अधिक है किन्तु वे अधिकतर अनुपयोगी और रुद्ध बाढ़ के होते हैं। हमारे बैलों की भारवाहक क्षमता कम है। गायों में प्रजनन शक्ति देर

से आती है और बछड़े लम्बी अवधि के बाद पैदा होते हैं। वे दूध भी कम देती हैं। इस वस्तु स्थिति का एक प्रमुख कारण अच्छे साँड़ों का अभाव है। इस समस्या को हल करने के लिए बेकार साँड़ों को वधिया करने और अभिजनन के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित अच्छे साँड़ों की व्यवस्था करने का प्रबन्ध उपर्युक्त अधिनियम के अधीन किया गया है।

पशुधन के सुधार के लिए वर्ष १९६३ में बनाया गया दूसरा महत्वपूर्ण अधिनियम था उत्तर प्रदेश गोशाला अधिनियम।

राज्य में लगभग १२५ सक्रिय गोशालाएं हैं जो मुख्यतया अशक्त पशुओं के रखरखाव तथा उनकी देखभाल का कार्य कर रही हैं। यह महसूस किया गया कि इन संसाधनों को उचित रूप से काम में लाकर और उचित रूप से उनका उपयोग करके ये संस्थाएँ वैज्ञानिक रीति से पशु प्रजनन की प्रोन्नति तथा जिन क्षेत्रों में वे स्थित हैं वहाँ दूध तथा दूध की बनी चीजों की स्थानीय माँग को पूरा करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं।

सरकार द्वारा कुछ चुनी हुई गोशालाओं को स्वीकृत किये गये अनुदान के अतिरिक्त, इनकी आय का मुख्य साधन जनता से प्राप्त चन्दा तथा व्यापारियों द्वारा अपने ग्राहकों से एकत्र किया जानेवाला उपकर (सेस) है जिसे सामान्यतः 'धर्मादा' कहते हैं। गोशालाओं के नाम पर व्यापारियों द्वारा इस प्रकार की गयी कटौतियों की पूरी धनराशि प्रायः उन्हें नहीं दी जाती थी। साथ ही इन गोशालाओं का प्रबन्ध भी सामान्यतः सन्तोषजनक नहीं था। अतः इन संस्थाओं की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने तथा उन्हें उचित ढंग से चलाने और राज्य में गोशालाओं की प्रबन्ध-व्यवस्था को अच्छा करने तथा व्यापारियों द्वारा अपने ग्राहकों से गोशालाओं के लिए या 'धर्मादा' के नाम पर एकत्र की गयी धनराशि का संबंधित क्षेत्र की गोशाला अथवा गोशालाओं को भुगतान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह अधिनियम बनाया गया।

अधिनियम के बन जाने से एक ओर जहाँ गोशालाओं की उपदेयता बढ़ गयी है वहाँ दूसरी ओर सरकार तथा जनता को पशुओं की दशा सुधारने में सहायता मिलेगी जो कि देश की अत्यावश्यक समस्याओं में से एक है।

इस वर्ष चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए मृत व्यक्तियों के नेत्रों का उपयोग करने के सम्बन्ध में व्यवस्था करने के लिए उत्तर प्रदेश कौर्नियल ग्राफ्टिंग अधिनियम, १९६३ पारित किया गया।

हमारे देश में नेत्र रोग व्यापक रूप से फैले हुए हैं और प्रारंभिक अवस्थाओं पर उपचार न कराने से बहुत से मामलों में कोर्निया में धुंधलापन आ जाता है जिसे दूर करने का सम्भव उपाय यही है कि दूसरे के नेत्रों से कोर्निया निकाल कर लगा दिया जाय। देश में इस समय कोर्नियसग्राफ्ट सम्बन्धी शल्य चिकित्सा की सुविधाओं की कमी है। शल्य चिकित्सा की इस शाखा की उन्नति में एक बड़ी बाधा दाताओं से मिलमे वाली वस्तु की अत्यधिक कमी है। साथ ही उसे प्राप्त करने में विधि सम्बन्धी कठिनाइयाँ थीं। इस बाधा को दूर करने तथा स्वैच्छिक आधार पर चिकित्सीय प्रयोजनों के निमित्त दाताओं से मिलने वाली वस्तु का उदार सम्भरण सुनिश्चित करने के लिए, जिससे कि चिकित्सक मृत व्यक्तियों के नेत्रों को उनके निकट संबंधियों की सहमति से और अस्पतालों में पड़े हुए लावारिस शवों से निकाल सकें, यह अधिनियम बनाया गया।

इस वर्ष विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित कुल ३१ अधिनियम पारित किये गये।

उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) (संशोधन) अधिनियम, १९६२; उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) अधिनियम) १९६२; उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) अधिनियम, १९६२; उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री कर) संशोधन अधिनियम, १९६३; नार्दन इंडिया कनाल एण्ड ड्रेनेज (यू० पी० एमेण्डमेण्ट) ऐक्ट, १९६३; उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) अधिनियम, १९६३; उत्तर प्रदेश एप्रोप्रियेशन (सेकेण्ड सप्लीमेन्टरी) १९६२–६३; उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) अधिनियम, १९६२; उत्तर प्रदेश सिविल लाज (रिफार्म्स एण्ड अमेंडमेंट) ऐक्ट, १९६३; हस्तिनापुर टाउन डेपलपमेंट बोर्ड (अमेन्डमेंट) ऐक्ट, १९६३; उत्तर प्रदेश अप्रोप्रियेशन ऐक्ट, १९६३; उत्तर प्रदेश वृहत् जोतकर अधिनियम, १९६३; दी ओपियम (उत्तर प्रदेश अमेंडमेंट) ऐक्ट, १९६३; उत्तर प्रदेश टैक्जेशन लाज़ अमेंडमेंट ऐक्ट, १९६३; उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव चैम्बर्स (मेम्बर्स इमाल्यूमेंट्स) (अमेंडमेंट) ऐक्ट, १९६३; उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम, १९६३; उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) अधिनियम, १९६३; दी यू० पी० (टेम्पोररी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट एण्ड एविक्शन (संशोधन) अधिनियम, १९६३; उत्तर प्रदेश टेम्पोररी एकामोडेशन रिक्वीजीशन (अमेंडमेंट) ऐक्ट, १९६३; दी उत्तर प्रदेश लाज (रिप्लेसमेंट आव रिफ्रेंसेस टु ओल्ड क्वाइनेज) ऐक्ट, १९६३; दी उत्तर प्रदेश श्री बदरीनाथ टेम्पल (अमेण्डमेंट) ऐक्ट, १९६३; उत्तर प्रदेश स्थानीय

निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, १९६३; उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, १९६३; उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) अधिनियम, १९६३; उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (अमेण्डमेंट) ऐक्ट, १९६३; दी उत्तर प्रदेश इलैक्ट्रिसिटी (टेम्पोररी पावर्स आव कन्ट्रोल) (अमेण्डमेण्ट) ऐक्ट, १९६३; दी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इलैक्ट्रिकल अन्डरटेकिंग्स (ड्यूज रिकवरी) (अमेण्डमे ट) ऐक्ट, १९६३; दी उत्तर प्रदेश अप्रोप्रियेशन (फर्स्ट सप्लीमेण्टरी १९६३–६४) ऐक्ट, १९६३; उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स अधिनियम, १९६३; उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिकार निरसन अधिनियम, १९६३ और दी उत्तर प्रदेश अप्रोप्रियेशन (रेग्युलराइजेशन आव एक्सेसेज १९५९–६०) ऐक्ट १९६३।

विविध

वैज्ञानिक शोध और सांस्कृतिक कार्य

राजकीय संग्रहालय, लखनऊ जिसका उद्घाटन प्रधान मंत्री पं० नेहरू ने १२ मई १९६३ को किया था अब वैज्ञानिक प्रणाली के अनुसार पुनर्गठित किया जा चुका है। मथुरा संग्रहालय को अप्रैल १९६३ में एक क्यूरेटर के अधीन कर दिया गया। वैज्ञानिक प्रणाली के आधार पर इसके पुनर्गठन का कार्य जारी है। अनेक मूर्त्तियाँ, चित्र और अन्य कलाकृतियाँ इस वर्ष इस संग्रहालय के लिए प्राप्त की गयीं। राजकीय कला एवं शिल्प विद्यालय लखनऊ का विस्तार कार्य भी जारी रहा। आलोच्य वर्ष में इस विद्यालय, ने टेकनिकल शिक्षा के लिए अनेक यंत्र खरीदे।

राज्य पुरातत्व विभाग उत्तर प्रदेश ने इस वर्ष १६ ऐतिहासिक स्मारकों को 'सुरक्षित स्मारक' घोषित करने के लिए चुना। अल्मोड़ा में 'पुरुष पंत' स्मृति चिन्ह का निर्माण कार्य जारी रहा। 'आलमबाग हाउस', लखनऊ के चारों ओर कटीले तार लगाने का कार्य किया गया। मगहर में संत कबीर की समाधि की मरम्मत भी इस वर्ष की गयी।

राजकीय वेधशाला, नैनीताल में ज्योतिष सम्बन्धी शोध और उपग्रह पर्याव-लोकन का कार्य जारी रहा। जनवरी से लेकर जून तक तथा अक्तूबर से लेकर नवम्बर तक की अवधियों में वेधशाला ने कार्य कुशलता की दृष्टि से विश्व की सभी वेधशालाओं से अच्छा काम किया।

सांख्यिकी

नियोजन तथा विकास कार्यक्रमों के उचित दृष्टिकोण से उचित ढंग से आँकड़े जमा करने का कार्य महत्वपूर्ण है। आँकड़ों के सही अर्थ तथा विश्लेषण पर ही नीति का निर्माण निर्भर है। अर्थ एवं संख्या के विकास का कार्य तीसरी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित है और इन पर ४६ लाख रुपया की धनराशि का प्राविधान है।

अब प्रदेश के सभी जिलों में जिला संख्या अधिकारियों की नियुक्ति की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त १० क्षेत्रीय संख्या अधिकारी भी नियुक्त हैं। वे

जिले तथा विकास खण्डों में विकास कार्य की प्रगति तथा उसके विवरण की देखभाल करते हैं। वे विभिन्न जाँच पड़ताल तथा अध्ययन कार्य में सहायता प्रदान करते हैं। अर्थ एवं संख्या निदेशालय केन्द्रीय संख्या संस्था से मिलकर नेशनल सेम्पल सर्वे, सेम्पल सेन्सस सर्वे और उत्पादकों की संगणना का कार्य कर रहा है। हाल ही में इस निदेशालय से कहा गया है कि वह नियोजन आयोग तथा राज्य द्वारा निर्मित अध्ययन समिति को राज्य के कुछ पिछड़े हुए पूर्वी जिलों के आर्थिक अध्ययन में सहायता प्रदान करे।

राष्ट्रीय आय, पूंजी निर्माण, जनसंख्या तथा अन्य समस्याओं के अध्ययन के लिए अर्थ एवं संख्या निदेशालय के आर्थिक सर्वेक्षण अंग को शक्तिशाली बनाया जा रहा है।

खेल-कूद

प्रदेश में खेल-कूद के कार्यक्रमों की देख-रेख प्रदेशीय खेल परिषद् करती है। इस परिषद् को सरकार द्वारा, नियोजन के अंतर्गत तथा बाहर, अनुदान दिया जाता है। इस निधि से परिषद् खेल-कूद संबंधित संस्थाओं की सहायता करती है, प्रतियोगिताएँ, शिक्षा शिविरों तथा अन्य कार्यक्रमों का आयोजन करती है। कई क्रीड़ांगनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना

कुमाऊँ और उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों को छोड़कर शेष सभी जिलों में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की योजना इस वर्ष लागू की गयी।

जेल सुधार

उत्तर प्रदेश के कारागारों में उत्पादन बढ़ाने तथा बन्दियों को साग-सब्जी की खेती की आधुनिक प्रणालियों में प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से इस वर्ष ३० एकड़ में प्रगाढ़ साग-सब्जी की खेती संबंधी एक योजना चालू की गयी। सम्पूर्णानन्द कृषि एवं उद्योग शिविर में ५ लाख रु० से अधिक मूल्य के खाद्यान्नों का उत्पादन हुआ तथा नगदी फसलें उगायी गयीं।

घुरमा स्थित खुले शिविर के बन्दियों ने नवम्बर मास तक चुर्क सीमेंट फैक्टरी तथा पत्थरों की ढलाई करके ६,६२,९०० रु० कमाया। उन्होंने अपने निर्वाह के लिए सरकार को उक्त धनराशि में से, ३,९२,६०० रु० प्रदान किये।

उद्योग की दिशा में आगरा और बरेली के केन्द्रीय कारागारों में हजारों कम्बल तैयार किये गये। साबुन, फिनायल, पीतल के बर्तन, खेलकूद के सामान, तम्बू, फर्नीचर, गलीचा और दरी उद्योगों ने पूर्व की भाँति अच्छी प्रगति की। उन्नाव जेल में प्रतिदिन १,५०० से अधिक पोशाकों की सिलाई की गयी। इस उद्योग का और अधिक विस्तार करने का भी प्रयास किया गया ताकि अन्य राज्यों से प्राप्त आर्डरों पर भी काम किया जा सके। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने राज्य के कारागारों को ५०० अम्बर चरखे और सप्लाई किये और इसके परिणामस्वरूप कारागार खादी संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति की दिशा में आत्म-निर्भर हो चले हैं।

किशोर सदन, बरेली के लगभग २०० बाल अपराधी एन० सी० सी० में भरती हुए और कश्मीर तथा देहरादून में आयोजित प्रशिक्षण शिविरों में भी भाग लिया।

हिन्दी समिति

हिन्दी समिति की स्थापना १९४७ में हिन्दी परामर्शदात्री समिति के नाम से की गयी थी। कालान्तर में अनुभव किया गया कि हिन्दी वांग्मय की पूर्ति व्यावसायिक प्रकाशक पुस्तकों की माँग कम होने के कारण नहीं कर रहे हैं। अतः शासन ने पुस्तक प्रकाशन का कार्य भी समिति को सौंपा और यह हिन्दी समिति के नाम से कार्य करने लगी।

हिन्दी पुस्तक प्रकाशन को प्रोत्साहन देने के निमित्त हिन्दी समिति ने ३०० पुस्तकें प्रकाशित करने की एक योजना बनायी थी। हिन्दी में मूल पुस्तकें और अनुवाद प्रस्तुत करना समिति का उद्देश्य है। अभी तक निर्धारित विषयों पर ८५ पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और १४ मुद्रणाधीन हैं। इनके अतिरिक्त ५२ पाण्डुलिपियाँ प्राप्त हो चुकी हैं।

उच्च शिक्षा संबंधी पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकताओं की पूर्त्ति के लिए १९६१ से मौलिक पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन की एक वृहत योजना कार्यान्वित की गयी है। पुरानी तथा नयी योजना को मिलाकर इस समय हिन्दी समिति ३०७ पुस्तकों पर कार्य कर रही है।

प्रचार

इस वर्ष भी विकास कार्यों से जनता को परिचित कराने के लिए सूचना विभाग नियोजित ढंग से प्रयत्न करता रहा। ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक

श्रवण योजना के अन्तर्गत १४,२५१ रेडियो सेट अभी तक लगाये जा चुके हैं। देहाती रेडियो गोष्ठियों की संख्या इस वर्ष लगभग १,००० तक पहुँची। वर्ष १९६३ के अन्त तक जिलों में १२४ सूचना केन्द्र कार्य कर रहे थे। इन केन्द्रों के अतिरिक्त लखनऊ में एक राज्य सूचना केन्द्र तथा बदरीनाथ-केदारनाथ और मसूरी में तीन सावधिक केन्द्र भी चालू रहे।

फोल्डर, पोस्टर चार्ट, पुस्तिकाएँ तथा अन्य प्रकार की सामग्री तैयार करने के साथ-साथ सूचना निदेशालय इस वर्ष त्रिपथगा (साहित्यिक हिन्दी मासिक), उत्तर प्रदेश (अंग्रेज़ी साहित्यिक एवं प्रचार मासिक) नया दौर (उर्दू साहित्यिक एवं प्रचार मासिक), उत्तर प्रदेश पंचायती राज्य (हिन्दी पाक्षिक) और बज उठी रणभेरी (हिन्दी साप्ताहिक) पत्रिकाएँ प्रकाशित करता रहा।

जनता और सरकार के बीच की कड़ी कायम रखने की दृष्टि से इस वर्ष १,२४५ विज्ञप्तियाँ, ८० सचित्र लेख और १४२ साप्ताहिक संकलन ४८३ पत्रों को प्रकाशनार्थ भेजे गये।

तीन डाकूमेण्टरी फिल्मों का निर्माण भी इस वर्ष पूरा हुआ और ६ फिल्मों का निर्माण समाप्तप्राय है। विभाग की गीत एवं नाट्य शाखा ने इस वर्ष उल्लेखनीय प्रगति की। किसान मेलों और प्रदर्शनियों के क्षेत्र में भी इस वर्ष काफी कार्य हुआ। राज्य के विभिन्न जिलों में किसान मेले तथा प्रदर्शनियाँ आयोजित कर जनता को विकास कार्यों से परिचित कराया गया। विभाग ने अखिल भारतीय प्रदर्शनियों में भी भाग लिया।